राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 4] पंचम विधान सभा के चतुर्थ सत्र का 36वां दिवस । [संख्या 9

बुधवार,
दिनांक 7 नवम्बर, 1973

विधान सभा की बैठक म० पू० 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सहकारिता, देवस्थान, भाषा, राजस्व सिंचाई, यातायात, विद्युत, पंचायत, सार्वजनिक निर्माण, आयुर्वेद विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत ।

कृषकों को कुओं के निर्माण के लिये बिजली के कनेक्शन देने में प्राथमिकता

179. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. राज्य सरकार ने जिन किसानों को कुए बनाने के लिये अनुदान तथा ऋण दिया है, उनको बिजली के कनेक्शन देने में कोई प्राथमिकता दी जा रही है ? यदि हां, तो प्रति कुए के कनेक्शन में औसतन कितनी धनराशि व्यय होती है ?

(2) इस वित्तीय वर्ष में जिलेवार राज्य में कितने किसानों को कनेक्शन प्रदान किये जाने की योजना है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

विद्युत मन्त्री (श्री चन्दनमल वैद) : (1) ऐसे कोई आदेश नहीं हैं । सारे राजस्थान में कुओं के कनेक्शन देने में एक जैसी धनराशि व्यय नहीं होती है । जहां के कुए एक दूसरे से नजदीक हैं वहां 2500 से 3000 रुपये प्रति कुआ तथा जहां कुए दूर दूर हैं, मसलन गंगानगर जिले में वहां 10,000 से 12,000 रुपये प्रति कुआ धनराशि व्यय होती है ।

(2) ग्रामीण विद्युतिकरण निगम योजना के अधीन क्षेत्रों में चालू वित्त वर्ष में करीब 9000 कुओं को बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है । अन्य नान-आर०आई० सी० क्षेत्र में यह लक्ष्य करीब 6000 कुओं को बिजली देने का है । जिलेवार कनेक्शन

(श्री विद्युत मन्त्री)

देने के लिये लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते बल्कि सब डिविजन के आधार पर फन्ड्स का आवंटन किया जाता है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जब राज्य सरकार ने पिछले वर्ष के अन्दर ज्यादा से ज्यादा कृषि उत्पादन की दृष्टि से कुओं को खोदने के लिए हर जिले के अन्दर ऋण और अनुदान दिया था तो क्या सरकार का यह दायित्व नहीं है कि राज्य सरकार उन गरीब काश्तकारों के कुओं को, जिन्होंने कि कुए खोद लिये हैं प्राथमिकता के आधार पर बिजली के कनेक्शन दें ?

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रत्येक सब डिविजन के अन्दर राशि के आवंटन का क्राइटेरिया है ?

श्री चन्दनमल वैद : जो एप्लीकेशन पहले से पेन्डिंग होती हैं, उन को देने का क्राइटेरिया है। बोर्ड के स्तर पर सर्किल को पैसा दिया जाता है। सर्किल डिवीजन को देता है और डिवीजन सब-डिवीजन को पैसा देता है। सब डिवीजन यह देखता है कि कितने कुओं की एप्लीकेशन्स पेन्डिंग है और फिर उनके अन्दर यह धनराशि आवंटित करदी जाती है।

दूसरा जो प्रश्न है, उसके बारे में यह निवेदन है कि धनराशि को देखते हुए जितनी कोशिश हो सकती है, उतनी कोशिश की जाती है। इस साल के अन्दर 15 हजार कुओं को बिजली देने का लक्ष्य निर्धारित था किन्तु धनराशि की कमी होने के कारण यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पायेगा और करीब 13/14 हजार कुओं को बिजली दे पायेंगे। लेकिन सीकर और दूसरी जगहों पर जो नये कुए खोदे गये हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए सीकर में एक नये सर्किल की स्थापना कर कर दीगयी है जिससे सीकर के आस-पास और झूंझनू में जो कुए खोदे गये हैं, उनको सहायता दी जा सके और कनेक्शन दिये जा सकें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय यह कह रहे हैं कि बिजली देने का प्रयत्न किया जायेगा लेकिन प्रश्न यह है कि जिस काश्तकार ने वाकई में कुआ खुदवा लिया है और उसको सरकार से ऋण/सहायता दी गई है, उस स्थिति में उस काश्तकार के कुए को बिजली देने में प्राथमिकता दी जायेगी। जयपुर जिले में, सीकर जिले में और झूंझुनूं में इस प्रकार से कुए खोदे गये हैं परन्तु वे कुए बिजली के अभाव के कारण वैसे ही बिना उपयोग के पड़े हुए हैं। बिजली के अभाव से सिंचाई नहीं हो रही है। स्थिति तो यह है कि कई काश्तकारों के खेतों से बिजली जा रही है किन्तु उनको कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। पिछली बार मुख्य मन्त्री महोदय ने यहां पर यह बताया था कि हम ऐसे कुओं को बिजली प्रायोरिटी पर देंगे। इसलिये मेरा प्रश्न है कि जिन काश्तकारों ने सरकारी ऋण और अनुदान से कुए खोदे हैं उनको क्या बिजली देने में भी राज्य सरकार प्राथमिकता देने की मंशा रखती है।

श्री चन्दनमल वैद : प्रायोरिटी देने का सवाल तो यह होगा कि जिनके प्रार्थना-

(श्री चन्दनमल बैद)

पत्र पहले से मौजूद हैं उनको सुपरसीड करना। यह भी संभव है कि किसी गरीब किसान ने कुआ खोदा और वह अनुदान, ऋण प्राप्त नहीं कर सका, उसकी एप्लीकेशन वहां पर है तो उसको सुपरसीड करना उचित नहीं होगा। हमारी नीति यह है कि एक एक गांव के अन्दर कनेक्शन दिये जायें फिर चाहे वे डोमेस्टिक हों, चाहे कुए के लिये हों। उनमें अलग अलग प्रायोरिटी तय कर देते हैं और उनके अनुसार कनेक्शन देते हैं। एक गांव में पांच कुए है तो उनको एक, दो, तीन चार, पांच, इस प्रकार क्रम से बिजली दी जायेगी। किसी गरीब किसान ने किसी तरीके से कर्जा लेकर कुआ बनाया है और उसको कनेक्शन नहीं दें तो यह उचित नहीं होगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा): मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे यह महसूस नहीं करते कि एग्रीकल्चर कनेक्शन देने के लिये जो राशि आवंटित की गयी है वह कम है तो क्या सरकार उसको बढ़ाने का इरादा रखती है।

श्री चन्दन मल बैद: पहले इस कार्य के लिये 95 लाख रुपया रखा गया था जो बढ़ाकर 1 करोड़ 47 लाख कर दी गयी है। पहले जो राशि कम थी उसको बढ़ा कर 1 करोड़ 47 लाख कर दिया है। एक बात और कहना चाहता हूं कि सारे देश में सारे प्रान्तों में प्लान्स में कटौती की गई है और हमारे प्लान के सारे मदों में कटौती की गयी है लेकिन बिजली के काम में और खासकर ग्रामीण विद्युतिकरण में कोई कमी नहीं की गयी है।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा और कहना चाहता हूं कि आपको कनेक्शन प्रायोरिटी सिद्धान्त के ऊपर देना चाहिये ताकि उत्पादन का मेग्जीमम लाभ मिल सके। उत्पादन महत्वपूर्ण विषय है और यह प्रायोरिटी केवल मात्र एक सिद्धान्त को लेकर होनी चाहिये कि उत्पादन बढ़े। क्या सरकार यह महसूस नहीं करती है कि कुआ खुद जाये उसको बिजली का कनेक्शन दिया जाय? माननीय प्रश्नकर्ता की जो भावना है एक हद तक मैं उससे सहमत हूं कि जो कुआ खुद जाये उसको बिजली का कनेक्शन भी दिया जाये? ताकि उसका मेग्जीमम फायदा हम उठा सकें। अगर सरकार की यह नीति है कि उत्पादन हो तो इस तरह की योजना बनानी होगी वरना हैपहैजर्ड वे में हो थोड़ा इधर और थोड़ा उधर हो Half done is everything undone मेरा यह निवेदन है कि इस सम्बन्ध में सरकार की जो नीति है मन्त्री महोदय कृपया उस पर प्रकाश डालें।

श्री दीपंकर (लाडनूं): अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को एक निवेदन करना चाहता हूं कि डीडवाना सब-डिविजन में जो दरख्वास्तें पैन्डिंग हैं उनके बारे में निर्णय कब तक करने जा रहे हैं? वह जानकारी देंगे।

श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो गरीब लोग गांवों के हैं उनकी सैंकड़ों दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं। उनमें से 5-4 को मिल गया और बाकी दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं। आज तक उसके बारे में फैसला नहीं हुआ। उसके बारे में मेरा प्रश्न आने

(श्री उम्मेदीलाल)

वाला था जो कि रह गया। किसान इसके बारे में परेशान हैं और रात दिन इसी में लगे हुए हैं।

श्री जयकिसन लाल तोसावडा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है और वह ऐसा प्रश्न है जो कि इस सदन में बार बार पूछा जा चुका है। 15 दिन पहले जब सैशन चल रहा था तो मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से पूछा था, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया। मेरा यह निवेदन है कि जिन लोगों ने कनेक्शन देने के लिए दरख्वास्तें दी हुई हैं उनको कब तक कनेक्शन दे दिया जायगा। उसके बारे में सरकार का आश्वासन नहीं मिला है। मेरा निवेदन है कि चाकसू के क्षेत्र में कम से कम कोई 500 दरखवास्तें चंदलाई, शिवदासपुरा आदि 4-5 गांवों की पैन्डिंग पड़ी हुई हैं और करीब डेढ़ साल हो गया। दरखवास्तें दी हुई हैं। आज तक कनेक्शन नहीं मिला है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री महोदय आश्वासन दें और एक समय निश्चित कर दें कि तब तक किसानों को कनेक्शन दे दिया जायगा जिसके कारण से वहां पर किसान परेशान न हों।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : माननीय मंत्री जी, ..

श्री चन्दनमल बैद : पांच क्वेश्चन्स पूछे हैं तो उनमें से जितना याद रहा उसके बारे में अर्ज कर देना चाहता हूं .....

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : एक मेरा भी प्रश्न जोड़ दें।

श्री अध्यक्ष : उनका जवाब आ जाने दें

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : सारे राजस्थान में, माननीय मंत्री महोदय, करीब 1 लाख दरख्वास्तें पेंडिग हैं तो आपने क्या मान्यताएं तय की हैं प्रायोरिटी के लिए ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं बता चुका हूं आपके आने से पहले।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : किन को आप कनेक्शन देंगे ? आपकी मान्यताओं का पालन नहीं हो रहा है। माननीय सदस्यों की सबकी भावनाएं स्पष्ट प्रकट हो चुकी हैं। जिन लोगों ने कुए खोदे हुए हैं और उनको चार चार साल हो गये, लेकिन उनको कनेक्शन प्राप्त नहीं हो रहा है। कम से कम कौनसा आपका चैक अप सिस्टम है ? कौन सा इस मामले के अन्दर कन्ट्रोल सिस्टम कायम करना चाहते हैं, जिससे 1 लाख एप्लीकेशन्स का प्रायोरिटी बेसिस पर डिसपोजल हो सके।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न जो पूछा गया है कि जिन लोगों को सरकार से अनुदान मिला है उनको प्रायोरिटी क्यों नहीं दी ? उन्होंने कुए बना लिए तो बिजली दी जाय। अकाल-राहत कार्य के सिलसिले में जो कुए बने थे वहां पर बिजली लाना होगा। इसके साथ कई प्रश्न जुड़े हुए हैं। अकाल-राहत कार्य के सिलसिले में कुए बने थे तो उनका उद्देश्य लोगों को मजदूरी भी देनी थी और कुए भी बनाने थे। यह अकाल डिपार्टमेंट का प्रोग्राम था। इसमें यह कि जिन गांवों में बिजली उपलब्ध है तो वहां पर ऐसे कुओं को कनेक्शन दिया जायगा, लेकिन अगर उन गांवों में बिजली है ही नहीं और उनके

(श्री चन्दनमल बैद)

लिए यह कहें कि कुए बन गये हैं इसलिए वहां पर कनेक्शन दिया जाय यह सम्भव नहीं हो सकता है।

दूसरा मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि इस साल हमारा 15 हजार कुओं को बिजली देने का प्रोग्राम है उसमें से धन की उपलब्धि के अनुसार इस साल हम अन्दाजन 13, 13॥ हजार कुओं को बिजली दे सकेंगे। वह भी इस हालत में कि 147 लाख हम अपने पास से खर्च करेंगे तो उससे 4॥ हजार कुए बन सकेंगे और बाकी 9 कुओं के लिए जो आर० ए० सी० की स्कीम है उससे धन प्राप्त होगा। उससे हम बिजली सप्लाई कर सकेंगे। दोनों स्कीमों से 147 लाख की धनराशि और जो धनराशि आर० ए० सी० स्कीम में प्राप्त होगी उससे 13॥ हजार कुओं को बिजली दे सकेंगे।

दूसरी बात यह कही गई है प्रायोरिटी के अनुसार कई जगहों की शिकायतें हैं कि कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं। इसके बारे में इतना ही मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसके बारे में बोर्ड के पास कोई शिकायत आयेगी तो जरूर ध्यान दिया जायगा और उसके बारे में कार्यवाही की जायगी। हमारी निश्चित मान्यताएं हैं और बोर्ड के निश्चित आदेश हैं कि एक ही गांव में एक ही तरह के कनेक्शनस हों तो उनको प्रायोरिटी से कनेक्शन दिये जायं। लेकिन यह सम्भव हो सकता है कि एक ही सब डिविजन में एक गांव की एप्लीकेशन्स जनवरी के हैं और दूसरे गांव की एप्लीकेशन्स फरवरी की है तो फरवरी वाले का नम्बर आ जाय और दूसरे गांव के जनवरी वालों का नम्बर न आये, क्योंकि वहां पर कनेक्शन लेने वालों की दरख्वास्तों का नम्बर दस हो सकता है और फरवरी वालों की दरख्वास्तों का नम्बर 20 है, लेकिन एक ही गांव में एक ही तरह के कनेक्शन के लिए दरख्वास्तें हैं तो उसमें इस तरह की बात नहीं होना चाहिए कि पीछे वालों को पहले कनेक्शन मिल जाय। इस तरह के पूरे आदेश दिये हुए हैं। इसमें अगर किसी ने गलती की है और कुछ बेजाब्तगी की है तो ऐसी शिकायत आने पर तुरन्त ध्यान देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री गुरदयाल सिंह।

श्री विट्ठलभाई : (पीपलखूंट) अध्यक्ष महोदय .....

श्री अध्यक्ष : Plese sit down. 15 मिनट हो गये हैं एक ही सवाल पर और क्या चाहते हैं ?

श्री विट्ठलभाई : सवाल, अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण है और यह किसानों की रोटी-रोजी का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : पूरे टाइम में एक ही प्रश्न को चलाना है तो वह करें आप कहें तो एक ही प्रश्न को पूरा समय दे दें।

नेक्स्ट।

श्री गंगानगर जिले के उपभोक्ता भण्डार

180. **श्री गुरदयालसिंह सन्धु** (करणपुर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला श्रीगंगानगर में कितने उपभोक्ता भण्डार खुले हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे कि दिनांक 1-4-73

(श्री गुरदयाल सिंह सन्धु)

तक ऐसे उपभोक्ता भण्डार खोलने हेतु कितने प्रार्थना पत्र सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, श्री गंगानगर को पेश हुए और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि निवासीगान चक 39 आर० बी० ने सहायक रजिस्ट्रार, श्रीगंगानगर (सहकारी विभाग) को उपभोक्ता भण्डार रजिस्टर करने हेतु दो बार प्रार्थना-पत्र पेश किया था ? मगर उसपर आज तक कोई गौर नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? अब इस पर कब तक कार्यवाही कर दी जावेगी ?

राज्यमन्त्री, सहकारिता (श्री जुझारसिंह) : (1) अनूपगढ़ भाग को छोड़कर शेष जिले में 28 सहकारी उपभोक्ता भण्डार 1-4-73 को थे इनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है अनूपगढ़ की सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है। बाकी कितने प्रार्थना-पत्र 1-4-73 तक प्राप्त हुए व अस्वीकृत हुए इसकी पूरी सूचना उपलब्ध करना मुश्किल है।

(2) जी हां। प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है कि छोटे ग्राम में उपभोक्ता भण्डार सक्षम इकाई नहीं होगा अतः उपभोक्ता सामग्री के वितरण आदि का काम उस क्षेत्र की विक्रय व ग्रामसेवा सहकारी समिति द्वारा किया जाना उपयुक्त होगा।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : जहां पर रिश्वत दी जाती है वहां तो खोले जाते हैं और उस क्षेत्र में सब गांव अच्छे अच्छे हैं वहां पर कोआपरेटिव सोसाइटी या उपभोक्ता भण्डार नहीं खोले जाते हैं। उस क्षेत्र में कोई भी उपभोक्ता भण्डार आसपास नहीं है।

श्री जुझारसिंह : यह ऐसी जगहों पर खोले जाते है जहां पर 30 हजार का टर्नओवर पूर्ण हो सके। उस गांव में इतनी पापुलेशन नहीं है, संख्या इतनी नहीं है इसलिए उपभोक्ता भण्डार वहां पर इकोनामिकली नहीं चल सकता है इसलिए उसको नामन्जूर किया गया है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : रिश्वत लेना आपने स्वीकार कर लिया है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : उस गांव में उपभोक्ता भण्डार खोला जायगा यह मैं आपको अगली दफा बतला दूंगा कि खोला गया है। आप कहते हैं कि आबादी नहीं है। उसमें आसपास छोटे-छोटे इतने गांव हैं कि आप क्यों नहीं खोल सकते हैं ? इसमें क्या करना है ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब दे दिया है। डिटेल में निवेदन करूंगा कि उस गांव की कुल जनसंख्या 257 आदमियों की है। 24 फेमलीज वहां पर रहती हैं। 38 मकान हैं इसमें उपभोक्ता भण्डार कैसे चलेगा यह समझ में नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष : Next question.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : केवल एक सप्लीमेंट्री है।

श्री अध्यक्ष : बहुत जरूरी हो तो पूछ लें।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : गैर जरूरी तो कोई कहता ही नहीं है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : माननीय मन्त्रीजी को गंगानगर की टोपोग्राफी का पता नहीं है। वहां पर बहुत समीप समीप 250, 250 की आबादी के कई गांव हैं। एक मील की डाइमीटर के अन्दर 250 की आबादी के 10-20 गांव होंगे तो वह आबादी 5-10 हजार से अधिक आबादी हो जाती है। इतने समीप समीप चक हैं एक दूसरे का यह कहना कि जनसंख्या 250 के करीब है यह बिल्कुल गलत है।

श्री अध्यक्ष : श्री बिरदाराम।

जालौर क्षेत्र में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त बिजली की लाइनें

181. **श्री बिरदाराम फुलवारिया** (जालौर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

1. क्या यह सही है कि जालौर क्षेत्र में हाल में हुई भारी वर्षा एवं नदियों में आई बाढ़ के कारण बिजली से चलने वाले कुओं की लाइन के खम्भे गिर गये और विद्युत सप्लाई बिल्कुल ही बन्द हो गई है जिससे कुए बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो बिजली चालू करने हेतु क्या व्यवस्था की गई है ?

2. क्या यह भी सही है कि जालोर क्षेत्र में बिजली की सप्लाई में वृद्धि की जाने की योजना है ? यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति कब तक होगी ?

3. जालोर जिले के काश्तकारों को बाढ़ से हुए नुकसान को देखते हुए क्या राज्य सरकार उन्हें सस्ती दर पर बिजली देने की व्यवस्था की जायगी।

4. क्या यह सही है कि उक्त जिले के ग्राम सांयु से सुरा, राटत, बड़गांव रानीवाड़ा बाकरा रोड़, डकातरो, बेरटट, बाकरा गांव, रेवतड़ा, सोराऊ आसाणा, बोवाड़ा, वालेरा, कतो रोमणा, देवाड़ा, भ्रोट, नून में बिजली देने की व्यवस्था की जायगी ?

विद्युत मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जालोर क्षेत्र (तहसील) में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के कारण बिजली की सप्लाई बन्द अवश्य हो गई थी। इस क्षेत्र के सभी 29 गावों में बिजली चालू की जा चुकी है।

(2) जालोर क्षेत्र में बिजली के विस्तार के लिए जालोर को सिरोही से 132 के० वी० लाइन से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। इस लाइन का कार्य वित्तीय वर्ष 1974-75 के अन्त तक पूरे होने की आशा है।

(3) ऐसी कोई व्यवस्था विचाराधीन नहीं है।

(4) ये गांव विद्युतिकरण के लिए अभी स्वीकृत नहीं है। अतः इनके विद्युतिकृत होने के समय के बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री बिरदाराम फुलवारिया : अध्यक्ष महोदय, यह कब तक पहुंचेगी। जिन गांवों का कहा है, उनमें नजदीक बिजली है। मैंने पहले भी कहा है, 15 हजार कुऐं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जालोर जिले में जल्दी से जल्दी बिजली देने से काश्तकारों को ज्यादा फायदा होगा। बाद में कोई फायदा नहीं है। जल्दी से जल्दी

(श्री बिरदाराम फुलवारिया)

बिजली मिले तो काश्तकार बिजली से काश्त करेगा । जल्दी बिजली आने से हमारे जिले में ऐसा है कि जालोर में काफी तादाद में अनाज पैदा हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष : मतलब की बात आ गई है ।

श्री बिरदाराम फुलवारिया : बिजली होने से काश्तकार को कितना लाभ मिलेगा उसको बड़ी लाइन से जोड़ा जाये ।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, 125 के. वी. लाइन से जालोर को जोड़ा जा रहा है । जब यह हो जायेगा तो दे दी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई ।

सहकारी विभाग से सम्बन्धित सलाहकार समिति की बैठक

182. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचौर): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

1. क्या यह सही है कि सहकारी विभाग के लिए एक विधान सभा की सलाहकार समिति का गठन पिछले साल किया था ? अगर हां, तो कब ?

2. क्या यह सही है कि उक्त सलाहकार समिति की एक भी बैठक अब तक नहीं बुलाई गई है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं तो, कब तक बुलाई जायेगी ?

(3) उक्त सलाहकार समिति की कितनी बैठकें कितने समय में बुलाना आवश्यक था ? इस प्रक्रिया का पालन नहीं करने की जिम्मेदारी किसकी है ? भविष्य में निर्धारित समय में बैठक बुलाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना उचित समझेगी ?

राज्य मन्त्री, सहकारिता (श्री जुझारसिंह) : 1. जी हां । जनवरी, 1973 को ।

2. जी हां । क्योंकि विधान सभा सत्र के दौरान ही इस समिति की बैठकें बुलानी थीं और क्योंकि विचारणीय विषयों को निर्धारण करना था अतः विगत सत्र में इस समिति की बैठक नहीं की गई ।

3. कोई सीमा निर्धारित नहीं है आगामी बैठक बुलाई जा सकेगी ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह कमेटियों का गठन करके एम० एल० एज० को उनमें रख दिया । लेकिन साल भर में एक भी बैठक नहीं बुलाये तो मकसद क्या हुआ ।

श्री जुझारसिंह : कमेटी विधान सभा सत्र में ही बुलाने का नियम है । इसीलिए नहीं बुलाई गई हैं । आगे के लिए निवेदन कर दिया गया है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल नहीं बुलाई तो अब क्या होगा ? कोई टाइम निर्धारित होना चाहिए ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, कल प्रतिपक्ष के नेताओं से मुख्यमन्त्री ने बात की थी । इस सम्बन्ध में जो समितियां हैं, उसकी बैठकें नहीं होती हैं । उनके अधिकारियों को समय नहीं मिलता है । इसलिए रिवाइज करने के लिए उनका जायजा लेने के प्रश्न पर विचार करें । बाकी आप कमी मीटिंग नहीं बुला सकते है । क्योंकि अनेक सरकारी मसले हो सकते है क्या आप विश्वास दे सकते

Page No 9

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

हैं कि इन कमेटियों को जो कि डिफेक्ट हो चुकी हैं, उनको पुनः कायम करके आप सक्रिय होंगे ।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो यह सलाहकार समितियों का विधान सभा सत्र में ही बुलाने के बारे में बतलाया है कि सत्र में ही बैठक बुलाई जा सकती है । मैं बतलाना चाहता हूं कि विधान सभा की सलाहकार समिति को समय नहीं है । इसलिए मैं विवेदन करूंगा कि जो व्यवहार इन विभागों के अधिकारियों के साथ में है, ये सलाहकार समितियां डिफन्क्ट हो रही हैं । चाहे वह को-ओपरेटिव की हों अथवा-फूड एडवाइजरी कमेटी हो, विजीलेंस कमेटी हो । महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कमेटी कागजों में हैं । वहां के एम० एल० एज० कोई काम नहीं कर सकें । तो बैटर यह है कि इनको डिजोल्व कर दिया जाये । माननीय मुख्यमन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित किया गया था । इस बारे में कोई एक्टिव इन्ट्रेस्ट लेंगे तो माननीय मन्त्री महोदय आपसे मिलकर जो कार्यवाही करेंगे । तो मास पार्टीसिपेशन हो जायेगा नहीं तो कागजों पर रहेगी ।

सहकारिता मंत्री (श्री शिव चरण माथुर): यह समितियां सभी विभागों से सम्बन्धित हैं, केवल सहकारिता विभाग का ही प्रश्न नहीं है । इसलिये रजिस्ट्रार के साथ बैठकर इन्डिपेन्डेन्ट एजेंसी से कार्य चलाने का सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री निरन्जन नाथ आचार्य : मैंने तो सभी के लिये कहा है ।

श्री शिव चरण माथुर : जैसे पार्लियामेंट में इनफार्मल कन्सलटेटिव कमेटीज होती हैं, उसी तरह अपनी विधान सभा के लिये भी निर्माण की गई थी ...

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : इनफार्मल नहीं होती हैं, फार्मल होती हैं ।

श्री शिव चरण माथुर : अब इस मामले पर ....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (भीनमाल): आप स्वयं इस कन्सलटेटिव कमेटी के सदस्य थे, तो क्या आप उसके कार्य से संतुष्ट थे ?

श्री शिव चरण माथुर : मुख्य मंत्री महोदय इस सारे मामले से सीज्ड हैं, और शीघ्र ही इसके सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : साल भर में कमेटी का एजंडा ही तैयार नहीं हुआ है । यह किसकी गलती है ?

श्री शिव चरण माथुर : ऐसा दूसरे विभागों में भी हुआ है ।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री रघुनाथ बिश्नोई : गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन सहकारी विभाग के लिये लेती है तो वह इस कमेटी को बताना चाहिये और उसके इम्प्लीमेन्टेशन में उस कमेटी से सलाह लेनी चाहिये । वर्ना इन कमेटीज के बनाने का मकसद ही डिफीट होता है ।

श्री शिव चरण माथुर : मकसद डिफीट नहीं होता है । केवल इनकी मीटिंग नहीं बुलाई गई है.... ..

श्री गुमानमल लोढ़ा : मीटिंग नहीं बुलाई गई तो काम क्या करेंगे ?

(शोरगुल)

श्री जयकिशन लाल (तोसावाड़ा) : यह समितियां इसलिये बनाई गई थीं कि अलग अलग विभागों को हमारी समझ का लाभ पहुँचे। तो इनकी मीटिंग बुलाने का कोई निर्णय सरकार ने किया या नहीं ?

श्री दलपत सिंह (खारची) : इन कन्सलटेटिव कमेटीज की मीटिंग्स इन्टर सेशन पीरियड में ही बुलानी चाहिये। सेशन टाइम में माननीय सदस्य असेम्बली के काम में बिजी रहते हैं, इसलिये सरकार इस पर ख्याल करके इनकी मीटिंग्स इन्टर सेशन पीरियड में ही बुलावे तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : इस पर विचार करने के लिये कह दिया है। कहने की बात थी वह तो कह दी उन्होंने, उन्होंने कह दिया है कि सारे मामलों पर सरकार विचार कर रही है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्पेसिफिक क्वेस्चन है। राज्य सरकार ने पालियामेंट की तरह यहां पर भी कन्सलटेटिव कमेटीज बनाई, तो बनाने में तो नकल पालियामेंट की की लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। साल भर में एक भी मीटिंग नहीं बुलाई गई, तो फिर इन कमेटीज का क्या काम रहा ? इनको खत्म कर दीजिये फिर तो साल साल भर मीटिंग नहीं बुलाई जाती है।

श्री अध्यक्ष : जवाब तो दे चुके हैं कि विचार करेंगे।

(शोरगुल)

श्री प्रद्युम्न सिंह : इनकी मीटिंग्स नहीं बुलाई जाती है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : नकल तो की है पालियामेंट की, लेकिन अक्ल भी पालियामेंट की ली नहीं ?

श्री निरन्जन नाथ आचार्य : वह तो ग्राम पंचायत की आ गई है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : कमेटी के सदस्य मंत्री बन गये लेकिन मीटिंग नहीं बुलाई गई।

श्री भानु कुमार शास्त्री (उदयपुर) : आपने कहा कि कन्सलटेटिव कमेटीज की केवल मीटिंग्स ही नहीं बुलाई गई। तो जब मीटिंग्स ही नहीं बुलाई गई तो उन्होंने कार्य क्या किया ? क्या उनको केवल नामकरण के लिये बनाया गया था ?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : नामकरण सन्सकार के लिये शास्त्रीजी को बुलाया जाये।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आप इन समितियों को सक्रिय नहीं करना चाहते।

श्री शिवचरण माथुर : सरकार की यह कभी मान्यता नहीं है कि इन कमेटीज को सक्रिय नहीं किया जाय। मुख्य मंत्री जी इस मामले से सीज्ड हैं और कमेटीज को सक्रिय करने की कार्यवाही की जायेगी।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : डेढ साल तो निकल गया, साढे तीन ही बचे हैं।

(शोरगुल)

श्री जयकिशन लाल (तोसावड़ा) : कम से कम मीटिंग्स तो बुलानी चाहिये।

श्री गुमान मल लोढ़ा : मंत्री महोदय ने कहा कि सेशन के समय में बुलाई जाती हैं, तो क्या सेशन में समितियों को बुलाने का निमन्त्रण भेजा है ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : शिक्षा मंत्री चन्दनमलजी ने अपने डिपार्टमेंन्टस की कन्सलटेटिव कमेटीज बुलाई थी, तो दूसरों ने क्यों नहीं बुलाई ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : प्रश्न यह है पार्ल्यामेंट का प्रिसीडेन्ट लेकर हमने कन्सलटेटिव कमेटीज बनाई, लेकिन उन कमेटीज की मीटिंग्स न बुला कर उनको डीफन्क्ट कर दिया। नगर पालिकाओं के चुनाव पोस्टपोन करने का निर्णय लिया गया वह विधान सभा के सामने मामला आया नहीं, कन्सलटेटिव कमेटीज में वह मामला आया नहीं। इस प्रकार सारे विभागों की कन्सलटेटिव कमेटीज नपुंसक बनी हुई हैं। कम से कम दो दो माह में या तीन-तीन माह में एक बार तो इनकी मीटिंग बुलाइये। वर्ना मंत्री महोदय इनको डिसाल्व करने की बात करें।

श्री अध्यक्ष : अब तो इस प्रश्न को क्लोज कर दिया जाये।

मुख्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : इन कमेटीज को सेशन के पीरियड में बुलाया जाये, इस प्रकार से तय हुआ था। क्योंकि सेशन के समय मिनिस्टर्स और माननीय सदस्य बिजी रहते हैं, इसलिये यह मीटिंग्स नहीं बुलाई जा सकीं। अब मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस सेशन और आनेवाली सेशन के दरमियान इन कमेटीज की मीटिंग्स को बुलाने की व्यवस्था करें ताकि यह मीटिंग्स हो सकें और जितनी भी कन्सलटेटिव कमेटीज हैं, उन्हें बुलाया जा सके।

श्री अध्यक्ष : मीटिंग्स सरकार बुलाती है, असेम्बली नहीं बुलाती।

श्री हरिदेव जोशी : व्यवस्था कर दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्रसिंह।

निगम में रिक्त पदों पर नियुक्ति

183. **श्री राजेन्द्र सिंह (उनियारा)**: क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा माह अगस्त, 1973 में कई पदों के लिये विज्ञापन किया था ? यदि हां, तो किन किन पदो के लिये व कितनी कितनी संख्या में भर्ती करना था ? सूची सदन की मेज पर रखें।

2. उक्त पदों के चयन के लिये क्या नीति निर्धारित की गई थी ?

3. क्या इन पदों के चयन हेतु कमेटी का गठन किया गया था या एक ही व्यक्ति द्वारा इनका चयन हुआ है ?

4. क्या उक्त पदों की पूर्ति कर दी गई है ? और यदि हां, तो सूची मय पदवार सदन की मेज पर रखें।

Page No 12

(श्री राजेन्द्रसिंह)

(5) क्या यह सही है कि चयन करते समय कोई निश्चित नीति नहीं रखी गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? और रखी गई तो क्या थी ?

यातायात मंत्री (श्री चन्दन मल बैद): (1) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) इन पदों के लिये अभ्यार्थी की योग्यता अनुभव एवं परीक्षाओं में प्राप्त किये गये अंकों के मेरिट के आधार पर चयन करने की नीति रखी गई थी।

(3) पदों पर अभ्यार्थियों के चयन हेतु कमेटी का गठन किया गया था।

(4) जी हां। जिन पदों पर जितनी संख्या में भर्ती की गई है। तत्संबंधित सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) जी नहीं। जो नीति निर्धारित की गई थी, उसका उत्तर प्रश्न 2 में दिया जा चुका है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री राजेन्द्र सिंह : इनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आदमियों को कितने स्थान दिये गये ?

श्री चन्दनमल बैद : इनमें अनुसूचित जाति के 80, अनुसूचित जनजाति के 31 और अपंग 4 लिये गये। भूतपूर्व सैनिक 20 चयन किये गये।

श्री राजेन्द्र सिंह : क्या यह सही है कि इन पदों के चयन के लिये कोई नीति निर्धारित नहीं की गई थी ?

श्री चन्दन मल बैद : यह प्रश्न के उत्तर में मैं बता चुका हूं।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : इस सम्बन्ध में मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री जय किशन लाल तोसावाड़ा : यह जो कहा है वह सही नहीं है।

श्री राजेन्द्र सिंह : मेरा प्रश्न है कि बीच में जब वैकन्सीज निकाली थीं तो उस उस समय कई कैन्डीडेट्स में इस प्रकार का भ्रम डाला गया था कि जितनी भी वैकन्सीज हैं वह केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों से भरी जायगी। तो क्या यह सही था या केवल भ्रम ही था ?

श्री चन्दन मल बैद : मैं भ्रम का जवाब देने के लिये यहां नहीं आया हूं।

श्री अध्यक्ष : भ्रम के निवारण के लिये तो आये हैं ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि चयन कमेटी बनाई गई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि चयन कमेटी में कौन कौन सदस्य रखे गये थे ? दूसरी बात यह है कि जब यह वैकन्सीज निकाली गई थीं, उस वक्त हजारों लोगों के दिमाग में यह बात थी कि सभी लोगों को नौकरी मिल जायेगी और हजारों रुपयों के आवेदन पत्र भरे गये। लेकिन हजारों रुपये इक्कठे करने के बाद भी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। मेरी तो समझ में नहीं आता कि चयन कमेटी के सामने क्या आधार थे कि किसको रखना है

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

किसको नहीं रखना। मंत्री महोदय स्वयं आनन्द मार्गीय हैं, तो क्या उन्होंने केवल आनन्द मार्गियों को ही भरती करवा दिया ?

श्री चन्दनमल बैद : 510 व्यक्तियों का चयन किया गया, इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं भूतपूर्व सैनिकों को मिलाकर 510 हैं। पहले शुरू में 1039 आदमियों की जरूरत पड़ेगी ऐसा अन्दाजा था। लेकिन कुछ रूट्स जो कि नेशनलाइज करने थे, वह नहीं हो सके, इस लिये वह संख्या घटाकर 510 करनी पड़ी। औरों की जब जरूरत पड़ी तब ले लिये जायेंगे।

श्री निरन्जन नाथ आचार्य : इस कमेटी का चेयरमैन कौन था और इन पदों के लिये अपाइंटिंग अथोरिटी कौन था ?

श्री चन्दन मल बैद : कमेटी जो बनी थी, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर, जनरल मेनेजर और डिप्टी जनरल मेनेजर थे।

श्री निरन्जन नाथ आचार्य : अपाइंटिंग अथारिटी कौन था ?

श्री चन्दन मल बैद : अपाइंटिंग अथारिटी सभी पदों के लिये एक तो हो नहीं सकती। अलग अलग पदों के अलग अलग होगी। लेकिन सभी पदों के लिये स्लेक्शन कमेटी बैठी थी।

श्री निरन्जन नाथ आचार्य : वह अलग से है। क्या यह सही है कि जो अपाइंटिंग अथॉरिटी था वह ही स्लेक्शन कमेटी का चेयरमेन था ?

श्री चन्दन मल बैद : समितियों का गठन हुआ था यह तो मैंने बता दिया। लेकिन अलग अलग पद थे, इसलिये अपाइंटिंग अथारिटी भी अलग अलग हो सकती है। इसमें असिस्टेंट मकेनीकल इन्जिनियर से लेकर फोरमैन, बुकिंग क्लर्क और ड्राइवर तक के पद थे, इसलिये अपाइंटिंग अथारिटी अलग अलग हो सकती है इन पदों के लिये। अब अपाइंटिंग अथारिटी हो स्लेक्शन कमेटी के चेयरमेन थे या नहीं, यह सूचना इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : आपका मोड आफ ऐडवर्टाइजमेंट भी डिफेक्टिव था। आपने केवल अखबारों में ही एडवर्टाइज किया था। आपको डिस्ट्रिक्ट एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज को भी इनफार्म करना चाहिये था। जहां अखबार नहीं पहुंचती, ऐसी फार आफ प्लेसेज में आप डिस्ट्रिक्ट अम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज के जरिये सूचना कर सकते थे। दूसरी बात यह है कि ड्राइवर्स और कन्डक्टर्स के लिये आपको वहां के ही लोगों को प्रिफरन्स देना चाहिये।

श्रीमती जमुना सोलंकी (केकड़ी) : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिये जो कोटा निर्धारित है, वह क्या आपने पूरी करदी। अगर नहीं करदी तो उसका क्या कारण है ?

श्री चन्दन मल बैद: मैंने जवाब दिया कि कितने लोगों को लिया।

(एक साथ कई माननीय सदस्य बोलने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहन करें।

Page No 14

श्री रोशन लाल शर्मा (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय जो केदारजी ने प्रश्न किया उसका जवाब मन्त्री महोदय ने नहीं दिया।

श्रीमती जमुना सोलंकी : अध्यक्ष महोदय मैंने जो प्रश्न किया उसका पूरा जवाब नहीं दिया मन्त्री महोदय ने।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन यह है कि जो भी एपोइन्टमेंट हुए थे वह एम्पलयमेंट एक्सचेंज से क्यों नहीं हुए ?

श्री अध्यक्ष : There are so many supplementaries.

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, पहले एक माननीय सदस्य के उत्तर में यह बताया गया था कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का एक भी अभ्यार्थी काबिल नहीं था इसलिये नहीं लिया गया। क्या एक भी अभ्यार्थी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स योग्य नहीं था, कोई भी उत्तीर्ण नहीं हुआ ? आखिर राज्य सरकार ने कितने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को इसमें भरती किया ?

श्रीमती जमुना सोलंकी : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह कि कितने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को लिया।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यह बताया कि किस किस पोस्ट के लिये कितने कितने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग लिये गये और नहीं लिये गये तो क्यों ?

श्री चन्दनमल वैद : यह मैंने बता दिया था 510 में से 111 अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को लिया गया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : जितने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लेने चाहिये, उतने परसेन्ट लोगों को लिया या नहीं मैं यह जानकारी चाहता हूं कि कितने टोटल लोग लेने थे, उन सब को केलकुलेट करके कितने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग लेने चाहिये कितने एपोइन्टमेन्ट परसेन्टेज के हिसाब से होना चाहिये वह पूरा हुआ कि नहीं हम तो यह चाहते हैं अगर नहीं तो क्यों नहीं हुआ।

श्री चन्दन मल वैद : मैंने कहा कि कि 511 में 111 अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों को लिया।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री मीठालाल। आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

(शोरगुल अश्रव्य)

आर्डर प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री मीठालाल मीणा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोडवेज के एडमिनिस्ट्रेटर साहब आनन्द मार्गी हैं इसलिये उन्होंने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को नहीं लेकर आनन्द मार्गी लोगों को ही लिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें मैंने नेकस्ट क्वेश्चन ले लिया है।

श्री राजस्व मन्त्री जी।

श्री मीठालाल मीणा : प्रश्न संख्या 184।

चारागाहों पर अनाधिकृत कब्जे

184. **श्री मीठालाल** (लालसोट): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(क) जयपुर जिले की अलग 2 तहसीलों में विभिन्न स्थानों पर इस वर्ष कितने सरकारी चारागाहों पर लोगों द्वारा अनाधिकृत किया हुआ है ?

(ख) उक्त अनाधिकृत कब्जों में कुल कितनी भूमि तहसीलवार है। कृपया पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

(ग) उक्त अनाधिकृत कब्जों से निबटने के लिये क्या सरकार ने कोई निश्चित योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री चन्दन मल बैद) : (क)(ख) इस जिले की अलग अलग तहसीलों में इस वर्ष जो चारागाह भूमि पर लोगों द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया गया है, की सूचना परिशिष्ट संलग्न है।

(ग) इसकी बेदखली के लिये धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है व उसके अन्तर्गत ही अतिक्रमियों को बेदखल किया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट— 3 देखिये)

श्री मीठालाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में कई बार सदन में प्रश्न उठाये जा चुके हैं लेकिन कोई खास नियम नहीं बने होने के कारण या और किसी कारणों से जो लोग अनाधिकृत कब्जा कर लेते हैं उन्हें बेदखल नहीं किया जाता है। मेरा निवेदन है कि इसके लिये जब तक कोई खास नियम नहीं बनेंगे तब तक इसके लिये यही लोगों को राहत पहुंचाना मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इसके लिये मन्त्री महोदय, ऐसा प्रावधान बनायें कि उनको मौके पर जाकर बेदखल किया जाये। अध्यक्ष महोदय, अकेले जयपुर जिले में 10675 बीघा जमीन लोगों ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है और लोगों को बेदखल करने में कोर्ट का जो प्रोसीजर है उसमें काफी समय लग जाता है इसलिये ऐसा प्रोसीजर नियमों में बनाया जाय कि जिन लोगों ने अधिकृत कब्जा कर रखा है उन्हें तुरन्त हटाया जाय और जो लैण्ड लैस हैं उन्हें कब्जा दिलाया जाय।

श्री चन्दन मल बैद : धारा 91 में तो कोर्ट का प्रोसीजर लम्बा नहीं है। इसमें तो समरी प्रोसीजर का प्रावधान है।

श्री मीठालाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, इसमें काफी समय लगता है।

श्री राजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ जयपुर जिले की ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की प्रॉब्लम है। इसके लिये कोई समयावधि निर्धारित की जानी चाहिये।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। एक एक बोलें।

श्री शंकरसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, यह जो लोग आज अनाधिकृत कब्जा किये हुए बैठे हैं उनको राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा ही नहीं हटाया जाता है और आज ऐसी स्थिति बनी हुई है कि इससे पटवारियों ने अपनी कमाई का साधन बना लिया है। इसलिये मेरा मन्त्री महोदय, से यह निवेदन है कि मन्त्री महोदय को चाहिये कि राजस्थान भर के ऐसे सभी अनाधिकृत कब्जों के लिये संबंधित जिलाधीशों के नाम आदेश भेजें कि इतनी अवधि तक इन अनाधिकृत कब्जों को हटा दिया जाय।

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने यह डिसीजन ले लिया है कि सन् 1966 के पहले के जो भी अनधिकृत कब्जे थे उन्हें राज्य सरकार रेग्यूलराइज कर देगी। लेकिन जिन लोगों ने सन् 1966 के बाद अनाधिकृत कब्जे कर रखे हैं उनको राज्य सरकार रेगूलराइज नहीं करेगी। और उन लोगों के कब्जे को बेदखल कर दिया जायेगा। अभी जयपुर जिले के बारे में जो यह कहा गया है कि करीब 10 हजार बीघा जमीन अनधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है उसमें से भी हमने 12 सौ बीघा जमीन पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा था उन्हें तो बेदखल कर दिया गया है। इसमें राज्य सरकार को काफी सफलता प्राप्त हुई है।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा: अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि अभी तक लोग अनधिकृत रूप से कब्जा किये जा रहे हैं और जयपुर जिले में ही बहुत से लोगों ने चारागाहों पर सरकारी जमीन पर कब्जा करना बन्द नहीं किया है अतः मेरा निवेदन है कि इनसे अनधिकृत कब्जा जो इन्होंने ले रखा है, उससे इन्हें बेदखल कराया जाय। इसके अलावा क्या राजस्थान सरकार की यह भी पोलिसी है कि राज्य सरकार उन्हें रेग्यूलराइज कर देगी ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कह दिया है कि जिन लोगों ने सन् 1966 के पहले जमीन पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है, उन्हें ही रेग्यूलराइज किया जायेगा।

मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इसके लिये कोई क्राईटेरिया तो फिक्स होना चाहिये वरना तो आज स्थिति ऐसी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लोगों ने जबरन कब्जा कर रखा है और जिनके पास शक्ति उन्हीं की जमीन है और बेचारे शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोग और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हे कोई जमीन नहीं मिल रही है बेचारे बिना जमीन के हैं। आज राज्य के रेवेन्यू अधिकारी उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं जिन्होंने चारागाहों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है आज उन्हे कोई भी बेदखल करने वाला नहीं है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय स्थिति यह है कि जो भी जमीन आज वितरण की जाती है राज्य सरकार द्वारा वह भी कमजोर वर्ग को नहीं दी जाती है। जो उचित परसेन्ट्रेज शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को मिलना चाहिये जो परसेन्टेज कमजोर वर्ग के लोगों को मिलना चाहिये वह उचित नहीं मिल पा रहा है। इसके

(श्रीमूलचन्द सामरिया)

लिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जनता के कमजोर वर्ग को यह जमीनें मिलनी चाहिये ……

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। नो स्पीच। नो स्पीच।

(एक साथ कई सदस्य बोलने खड़े होने पर अश्रव्य, शोरगुल)

आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री हरीशचन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, यह अनाधिकृत कब्जे का मामला सिर्फ जयपुर जिले में ही नहीं है बल्कि पूरे राजस्थान के हर जिले में यह प्रोब्लम है। अध्यक्ष महोदय, हमारे सवाई माधोपुर जिले में काफी केसेज ऐसे हैं। वहां स्थिति ऐसी है कि जो लोग पैसा दे देते हैं उन्हे तो बेदखल नहीं किया जाता। और जो पैसे नहीं देते हैं उन्हे बेदखल कर दिया जाता है। आज वहां के जो रेवेन्यू अधिकारी है वह बहुत ही भ्रष्टाचारी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि हमारे वहां पर गंगापुर के एस०डी०ओ० साहब पैसा लिये बगैर कोई कागज को डिसपोज आफ नहीं करते हैं। उन्होंने वहां पर काफी अत्याचार मचा रखा है वहां किसान वर्ग वगैरहा काफी उनसे परेशान हैं और उनके अत्याचारों से दुखी होकर वहां की जनता ने उन्हें रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफतार करवाया। उन्हें अध्यक्ष महोदय, रेड हैन्डेड ट्रेप करवाया। अब वही एस. डी. ओ. साहब यहां पर गवर्नमेन्ट होस्टल में अपने को बचाने के लिये बैठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कितना अत्याचार किया होगा पर कोई सुनने वाला नहीं है।

(कई सदस्य एक साथ बोलने पर अश्रव्य, शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करे। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्यों को एक बात मैं निवेदन करना चाहताहूं वह यह है कि हमारे यहां की संसदीय परम्परायें रही हैं कि जब भी एक माननीय सदस्य बोलें तो दूसरे सदस्य उसको बीच में बोलकर ईन्ट्रप नहीं करें। लेकिन मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कई बार सदन में माननीय सदस्य 5-5 और सात सात सदस्य बोलने लग जाते है। इससे उस माननीय सदस्य की बात भी अच्छी तरह से नहीं सुनी जाती। जो जवाब वो मन्त्री महोदय से चाहते हैं उसका जवाब भी उनको नहीं मिलता। अक्सर यह देखा जाता है कि ज्योंहि कोई सदस्य बोलने लगता है दूसरे सदस्य भी बोलने लग जाते हैं यह संसदीय परम्पराओं के खिलाफ है। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यह संसदीय परम्पराओं के खिलाफ है। होना तो यह चाहिये कि जो माननीय सदस्य कोई प्रश्न करे उसको मन्त्री महोदय से आई कैच होना जरूरी है। आई कैच होने से उनको जवाब मिल सकेगा और सदन की परम्पराओं का भी पालन हो जायेगा।

श्री दलपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जो भी माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं वह भी आपका प्रोटेक्शन चाहते हैं ताकि उनके सवालों का जवाब मिल सके। इसके अलावा होता यह है कि 4-5 सवालों के

(श्री दलपतसिंह)

जवाब ही मिल पाते हैं बाकी के सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो माननीय सदस्य सदन में प्रश्न करें उसका जवाब मन्त्री महोदय द्वारा कराया जाना चाहिये। All question are ment only for eliciting information from the Government. So we seek your protection, Sir.

श्री अध्यक्ष : आपको प्रोटेक्शन तो चेअर की तरफ से पूरा मिलता है और मिलता रहेगा। लेकिन प्रश्न यह कि जो प्रश्न माननीय सदस्य पूछते हैं उनको प्रोटेक्शन जब ही मिल सकेगा जब कि वो सदन की परम्पराओं का पालन करें।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि मैं कभी भी चेअर की आई कैच किये बगैर नहीं बोलता हूं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मय चश्मे के।

श्री लक्ष्मणसिंह : इन चरागाहों के अतिक्रमण के मामले दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैंने इस बारे में दो तीन बार सुझाव दिये पर मैं समझता हूं उन पर सरकार अमल करना नहीं चाहती। यह सरकार इसमे स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार करने की ओर उसे प्रोत्साहन देने की हामी है। मैंने यह सुझाव दिया था कि चरागाह का एरिया, रकबा बहुत सीमित है और इसे प्रीजर्व करना परम आवश्यक है। क्या सरकार इसकी आवश्यकता को अनुभव नहीं करती। अगर समझती है तो इस सारे चरागाह को पत्थरगढ़ी कर दी जाय और उस पत्थरगढ़ी के बाद जो अतिक्रमण करे उसके अतिक्रमण को तुरन्त हटा दिया जाय और अतिक्रमण करने वाले के साथ कठोर कार्यवाही की जाय। अब जो सशक्त किसान हैं वे ही यह अतिक्रमण अधिकांश में करते हैं। गरीब की तो हिम्मत भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी पहुंच नहीं है। इसी कारण अधिकांश आदिवासी हरिजनों को जमीन अलाट नहीं होतीं और जो अलाट होती भी हैं। तो उनका कब्जा उनको नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में क्या सरकार यह परम आवश्यक नहीं समझती है कि पत्थर-गढ़ी के द्वारा इन सभी चरागाह के एरिया को मालूम कर लिया जाय और इसके पश्चात् अगर कोई उसका अतिक्रमण करता है तो उसे तुरन्त हटा दिया जाय। सीधा सादा मामला है। पर इस सीधे-सादे मामले को भी यह सरकार करना नहीं चाहती है।

मेरा नम्रतापूर्वक निवेदन यही है कि क्या सरकार मेरे इस सुझाव को अनुचित समझती है? क्या इसे क्रियान्वित करना सरकार परमावश्यक नहीं समझती?

श्री चन्दनमल बेद : अध्यक्ष महोदय, मैं इसको मानता हूं कि चरागाह पर अति-क्रमण की शिकायतें बढ़ी हैं। सरकार इससे चिन्तित है और सख्ती के साथ डील करना चाहती है। इसलिये यह वक्तव्य दिया गया है कि 1966 के बाद जो अतिक्रमण हुए हैं उनका नियमन नहीं किया जावेगा।

अब यह आशंका प्रकट की गई कि जिस प्रकार 1966 तक के नियमित किये जा रहे हैं उस प्रकार से दबाव आने पर सरकार

(श्री चन्दनमल बैद)

आगे तक के केस भी नियमित नहीं करेगी इसकी क्या गारन्टी है। पर मैं इसे स्पष्ट कर दूं कि सरकार का आगे कोई रियायत करने का इरादा नहीं है। जो इसके बाद के अतिक्रमण हुए हैं उनको कानूनी कार्यवाही करके हटाया जावेगा।

दूसरा प्रश्न यह किया गया कि हरिजनों की कोई नहीं सुनता है कल प्रश्न के उत्तर में माननीय सदस्यों ने सुना होगा कि जालोर जिले में सात हरिजनों की 80 बीघा जमीन जो उनको अलॉट की गई थी उसको हमने प्रोटेक्ट किया है और कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : नहीं कर रहे हैं। सारा गांव एक तरफ है। आपने झगड़े की जमीन उसको अलॉट कर दी। यह तरीका है क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बहुत बड़ी जमीन आपने बताई ? राजा महाराजा और जागीरदारों के कब्जे में लाखों एकड़ जमीन आज भी पड़ी है और 80 एकड़ जमीन लेकर उनको अलॉट करा दी। यह बहुत बड़ी जमीन आपने बता दी ? बांगड़ का पांच हजार एकड़ पर कब्जा है। आप उससे नहीं ले सकते।

श्री विट्ठल भाई : बड़े बड़े लोगों ने आज भी हजारों एकड़ पर कब्जा कर रखा है। पुलिस में रिपोर्ट दी हुई हैं। पर कोई कुछ नहीं करता। पुलिस भी इन बड़े कहलाने वाले आदमियों को ही संरक्षण देती है।

श्री अध्यक्ष : नेकस्ट क्वेश्चन।

श्री गोपाल सिंह (खंडेला) : क्या सरकार यह आश्वासन देने को तैयार है कि 1966 के बाद रेगुलेराइज नहीं किया जावेगा। क्या सरकार इस बारे में अपनी नीति स्पष्ट करना चाहेगी। सरकार यह भी निर्णय करदे कि आगे से कलक्टर को रेगुलेराइज करने के अधिकार नहीं देगी न उसे अलाटमेन्ट के अधिकार देगी।

एक माननीय सदस्य : इसमें एक बात यह पैदा हो रही है कि मवेशी जहां ज्यादा हैं तो वहां उस हिसाब से अलाटमेन्ट किया जावे और जितनी भूमि राजस्थान में अवेलेबल हो इसका सर्वे करा कर पता लगाया जावे और उसमें से पहले मवेशियों के लिये चरागाह के लिये छोड़कर बाकी शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों में बांटा जावे अब प्रभावशाली लोग न ले सकें इसकी रोकथाम की जानी चाहिये।

श्री चन्दनमल बैद : यह सुझाव विचारणीय है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसमें ऐसा है कि कनवर्शन के पावर आपने कलक्टर को दे रक्खे हैं। इससे ये सारे बखेड़े होते हैं। तो कलेक्टर से या तो ये अधिकार सरकार स्वयं अपने हाथ में ले या इस नियम को ही समाप्त कर दिया जाय। कनवर्शन किया जाय।

कलेक्टर करता यह है कि जहां पैसे का लालच आता है वहां गोचर भूमि काफी है और खाली पड़ी है इसका बहाना बनाकर उसे कनवर्ट कर देता है और इस नाम पर कई लोग नाजायज कब्जा किये बैठे हैं।

सरकार ने 1966 के पहले के केसों को रेगुलेराइज करके बहुत बड़ा पाप किया है।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

जिन कारणों से आज इस कानून को एन-फोर्स में लाना पड़ा उसमें होता क्या है कि झूठी गवाहियां लेकर पहले का अलाटमेन्ट बताकर गड़बड़ियां कर लेते हैं। तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि कनवर्शन के अधिकार कलेक्टर से छीन लिये जावेंगे।

श्री अध्यक्ष : दो मिनिट सप्लीमेन्टरी के लिये और हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : क्या मन्त्री महोदय सदन के बाहर इस पर विचार करने के लिये माननीय सदस्यों को बुलाकर उनके सुझाव लेकर उन पर विचार करके निर्णय लेने के लिये तैयार है?

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या सरकार जैसा महारावल साहब ने सुझाव दिया पत्थरगढ़ी करने को तैयार है। ताकि अतिक्रमण स्पष्ट रूप से मालूम हो जाय। तो उसे इमीजिएटली बाहर निकाला जा सकता है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : एक मीटिंग सभी लोगों को जो इसमें रूचि रखते हैं बुलाकर उनके सुझाव ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : होने वाले मन्त्रीजी यह करेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में हजारों बीघा जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है इसलिये मेरा सुझाव है कि इन अतिक्रमणों को हटाने के लिये इसी काम के लिये अलग से मन्त्री बना दिया जाना चाहिये।

श्री चन्दनमल बैद : बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न सरकार इसको मानती है। इस बारे में अनेकों सुझाव आये। सरकार उन पर गौर करेगी और कलक्टर को कनवर्शन का अधिकार है इस बारे में भी जो सुझाव आये हैं उन पर भी सरकार विचार करने के लिये तैयार है और विचार करेगी।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सेवला और बरेठा बांधों का निर्माणाधीन कार्य

130. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सत्य है कि सेवला और बरेठा बांध (जिला भरतपुर) डिवीजन निर्माणाधीन कार्यों के बारे में हार्ड मिट्टी के बदले सोफ्ट व रेतीली मिट्टी काम में ली जाकर रेकार्ड में हार्ड मिट्टी का इन्द्राज किया जाकर ठेकेदार को हार्ड मिट्टी का ही पेमेंट कर दिया गया?

2. क्या यह भी सत्य है कि सेवला बांध पर कुंओं आदि की चिनाई में सीमेंट व बजरी का अनुपात जो काम में लिया गया वह एग्रीमेंट के मुताबिक न होकर काफी निम्न स्तर पर था जैसे 1/4 के बजाय

Page No 21

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

1/8 वां व 1/7 था जिसकी जांच अधीक्षण अभियन्ता व भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा की गई ? जांच रिपोर्ट में क्या पाया गया ?

3. क्या यह भी सत्य है कि इसी सेवला बांध पर जो लोहा काम में लिया वह शर्त (एग्रीमेंट) के मुताबिक टेस्टेड माईल्ड स्टील नहीं था तथा निम्न स्तर का लोहा बांध में लगाकर ठेकेदारों को एग्रीमेंट के मुताबिक अच्छे लोहे का पेमेंट कर दिया गया। क्या इसकी जांच की गई ? और यदि हां, तो जांच के परिणामस्वरूप आगे क्या कार्यवाही हुई है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभाग ने क्या किया ?

उत्तर

(1) जी नहीं। निर्माण कार्य में जिस किस्म की मिट्टी काम में लाई गई है उसी किस्म की मिट्टी के रेट के अनुसार संबंधित ठेकेदार को पेमेंट किया गया।

(2) जी हां। ठेकेदार द्वारा सीमेंट व बजरी का अनुपात अनुबन्ध के अनुसार न होकर कम था। इस कम अनुपात की वसूली ठेकेदार से करली गई है। अभी इसकी जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा की जा रही है।

(3) जी हां, कुछ लोहा निम्न स्तर का पाया गया जिसकी वसूली उसी अनुपात में ठेकेदार से करली गई है। सारे मामले की भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच जारी है।

भू-सीलिंग कानून के अन्तर्गत प्राप्त भूमि

131. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. भू-सीलिंग कानून के अन्तर्गत राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में अब तक कुल कितनी जमीन प्राप्त की ? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

2. उक्त कानून के अन्तर्गत प्राप्त भूमि से राज्य सरकार ने कितनी जमीन विभिन्न जिलों में भूमिहीन काश्तकारों एवं भूतपूर्व सैनिकों को वितरित की ? सूची जिलेवार प्रस्तुत करने की कृपा करें ?

3. राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण विधेयक, 1973 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में कितनी जमीन प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया गया है ? जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

4. उक्त विधेयक के अन्तर्गत वर्ष में कम से कम एक एवं दो फसलें उगाने योग्य सुनिश्चित सिंचाई वाली भूमि में से प्रान्त में कौन सा क्षेत्र लिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

(1) सीलिंग नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में 1,28,811 एकड़ भूमि प्राप्त की। जिलेवार सूची संलग्न है।

Page No 22

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

(2) उक्त कानून के अन्तर्गत प्राप्त भूमियों में से 28179 एकड़ भूमि आवंटन की गई। जिलेवार सूची संलग्न है।

(3) नियमानुसार लक्ष्य बनाने का प्रावधान नहीं है।

(4) इस संबंध में प्रक्रिया राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधित नियम) नियम 1973 की धारा 5(3) में दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

झालरापाटन तहसील के सरकारी कच्चे या पक्के कुए

132. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. झालरापाटन तहसील जिला झालावाड़ में कितने सरकारी कच्चे या पक्के कुए ग्रामों में है और खातेदार किसानों के कब्जों में चले आ रहे हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें?

2. क्या यह सत्य है कि तहसीलदार इन कुओं का नियमानुसार इन किसानों के खातों में नियमन (खातेदारी) में नहीं करते। यदि हां, तो क्यों?

3. क्या यह भी सत्य है कि ग्राम तीनरी तहसील झालरापाटन चाह नं. 89 जो भवानीराम पुत्र मोतीलाल के कब्जे में है और जिसके लिये इसने प्रार्थना-पत्र भी दिया है परन्तु खाता नहीं बांधा जा रहा है तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ से प्राप्त सूचना के अनुसार 576 कुए सरकारी हैं। रेकार्ड में दर्ज करने के लिये कृषकों से प्राप्त 234 आवेदन पत्रों के समस्त मामलों में नियमानुसार नियमन तहसीलदार द्वारा किया जा चुका है तथा शेष 342 के बाबत कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) जी नहीं। यह असत्य है कि तहसीलदार इन कुओं का नियमन किसानों के खाते में नहीं करते। दिनांक 31-5-70 तक प्राप्त 234 आवेदन पत्रों के कुओं का तहसीलदार द्वारा नियमन कर दिया गया है। इस प्रकार का कोई आवेदन पत्र शेष नहीं है।

(3) ग्राम तीतरी तहसील झालरापाटन में आराजी नम्बर 89 जमाबन्दी संख्या 2 मिल्कियत सरकार 0–10 बिस्वा चाह पक्का व कच्चा सरकारी नाम से दर्ज है खसरा गिरदावरी सम्वत् 2029 में श्री भवानीराम पुत्र मोतीलाल श्री चैनराम मोहनलाल पिसरान भैरूलाल का नाजायज कब्जा दर्ज है। श्री भवानीराम द्वारा प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश होने के कारण उस पर कोई कार्यवाही सम्भव नहीं थी।

तहसील सांचोर में नामान्तरकरण के मामले

133. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि तहसील सांचोर में अब तक हजारों नामान्तरकरण

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

के मामले निपटाने शेष पड़े हैं ? अगर हैं, तो अब तक कितने मामले तहसील सांचोर के निपटाने शेष हैं ? उनका निर्णय कब तक करवा दिया जावेगा ?

2. क्या यह सही है कि तहसील सांचोर में सैकड़ों मामले नाजायज कब्जों के नियमित करने शेष हैं ? अगर हां, तो कितने एवं कब से पैंडिग हैं ? उनका निर्णय शीघ्र करवाया जाकर मौके पर तामीलें कब तक करवा दी जावेंगी ?

3. क्या यह सही है कि सांचोर-तहसील में पिछले 5 वर्षों में आवंटित भूमि का कब्जा भूमिहीन काश्तकारों को अभी तक नहीं दिलाया गया है ? अगर हां, तो ऐसे कितने मामलों में कब्जे दिलाने शेष हैं एवं वे कब्जे कब तक दिलवा दिए जावेंगे ? निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें।

4. क्या सरकार आवंटन के आधार पर मौके पर तरमीम कर मुकम्मिल लैंड रेकार्ड तैयार करवाने के लिए सेटिलमेन्ट को कोई विशेष पार्टी सांचोर के लिए मुकर्रर करना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील सांचोर में काफी मात्रा में नामान्तरकरण के मामले निपटाये जा चुके हैं, अब केवल 145 मामले शेष पड़े हैं इनमें अधिक मात्रा में नाम पंचायतों की बैठकों के अभाव में पैण्डिग हैं। पैण्डिग मामलों का निर्णय माह दिसम्बर, 1973 से पहले पहले कर दिया जाएगा।

(2) तहसील सांचोर में नाजायज कब्जों के 141 मामले नियमित करने शेष हैं। ये सभी मामले उचित जांच के पश्चात नियमित आदेश हेतु परगना अधिकारी, भीनमाल के पास सन् 1971 से भेजे जा चुके हैं जिनका निर्णय होने पर ही मौके पर तामिल कराने का काम किया जाएगा।

(3) तहसील सांचोर में पिछले 5 वर्षों में आवंटित भूमि के कब्जे भूमिहीन काश्तकारों को सम्बन्धित पटवारी द्वारा दिलाए जाते हैं। पिछले 5 वर्षों में 2908 भूमिहीन काश्तकारों को भूमि आवंटित की गई है जिसमें 620 को कब्जा देकर सनद किया जाना कार्यालय रेकार्ड से पाया जाता है। भूमि आवंटन का कार्य अधिकतया नेहड़ क्षेत्र में किया गया हैं जहां बड़े बड़े खेतों की तरमीम होना बकाया होने से काश्तकारों को भूमि का कब्जा व सनद जारी नहीं हुई है। नेहड़ क्षेत्र में अभी बाढ़ के पानी से आवागमन के साधन बहुत कम है और इसके पश्चात सर्वे जानकार पार्टी द्वारा मौके व नक्शे पर तरमीम होने पर ही कब्जा दिया जा सकता है।

(4) यह कार्य उपलब्ध स्टाफ से ही शीघ्र कराने हेतु आदेश दिए जा चुके हैं।

रेन बसेरा झालावाड़ की बिल्डिंग

134. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि झालावाड़ के पास रेनबसेरा की बिल्डिंग है और उसी के पास न्यू रेन बसेरा भवन और निर्माण किया गया है ?

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

2. यदि हां तो इस नये रेन बसेरा का कार्य कब से चालू किया गया था और कार्य कितना बाकी है ?

3. इस भवन पर अब तक कितना कितना रुपया किस किस कार्य में खर्च किया गया है ? कृपया सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

4. क्या इस हेतु सामान क्रय करने के लिए टेंडर लिये गये थे यदि हां तो कौन कौन सा सामान किस किस व्यक्ति से कब कब कितने कितने रुपये में खरीदा गया कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) जी हां, इसका कार्य अभी अधूरा पड़ा हुआ है ।

(2) इसका कार्य 1970-71 में शुरू किया गया था और इस कार्य पर अभी तक केवल कुछ लकड़ी खरीदने एवं उस पर मजदूरी का व्यय किया गया है ।

(3) इस कार्य पर कुल 3460 रु. खर्च किया जिसमें 1553 रु. की लकड़ी खरीदी गई एवं 1907 रु. खाती व बेलदारों की मजदूरी पर खर्च किया गया ।

(4) जी नहीं ।

तहसील बैराठ की गोचर भूमि

135. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि ग्राम पालड़ी नौरंगपुरा, कल्याणपुरा, धेवता, तहसील बैराठ, जिला जयपुर की सिवायचक, गोचर भूमियों पर अनधिकृत कब्जे हैं ? यदि हां तो किस किस व्यक्ति के और कब से ?

2. क्या यह सही है कि इन अनधिकृत कब्जों के सम्बन्ध में कुछ भूमियों पर मौके पर बिना काश्त ही हल्का पटवारी द्वारा काश्त दर्ज की गई है ? यदि हां तो किस किस व्यक्ति के नाम और कब ? पिछले 5 वर्षों की जानकारी दी जावे ।

3. क्या यह सही है कि फर्जी रिकार्ड में दर्ज करने के कारण सम्बन्धित पटवारी को पूर्व में मोअत्तिल किया गया है ? यदि हां, तो कब कब और किस को ? तहसील बैराठ के किस किस पटवारी एवं गिरदावर के विरुद्ध कब कब से शिकायतें विचाराधीन है ?

4. क्या यह सही है कि अनधिकृत कब्जा काश्त किये जाने के सम्बन्ध में जिला-स्तरीय अधिकारियों को निवेदन किया गया है ? यदि हां, तो कब और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

5. क्या यह सही है कि हल्का पटवारीयान एवं गिरदावरान तहसील बैराठ द्वारा कराई जा रही अवैधानिक कार्यवाहियों पर उच्चाधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती ? यदि हां तो क्यों ?

6. क्या सरकार इन अवैधानिक कब्जों को हटाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे और कब तक ।

उत्तर

(1) जी हां, सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जी हां, ग्राम पालड़ी के ख. नं. 130/1 रकबा 20 बीघा पर सं. 2027 व 2028 में बिना कब्जा काश्त श्री मुकन्दा हनुमान आदि सात रेगरों जाति के व्यक्तियों के नाम सामूहिक रूप से दर्ज करदी गई थी।

(3) जी हां। श्री सूरजमल पटवारी को दिनांक 1-8-71 को व श्री रामकरण एवं श्री बाबूलाल पटवारी को दिनांक 17-8-71 को निलम्बित किया गया है। पटवारी एवं गिरदावर के विरुद्ध प्राप्त हुई शिकायतों संबंधी सूचना बाबत सूची परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(4) जी हां। शिकायत प्राप्त होने पर तहसीलदार बैराठ को लिखा गया और अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही करवाई गई।

(5) जी नहीं। शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराई जाती है। यदि कोई पटवारी व गिरदावर दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

(6) जी हां, परन्तु निर्देशों के अनुसार यदि कोई मामला नियमन योग्य समझा जाता है तो नियमानुसार भूमि आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा नियमन की कार्यवाही की जाती है, अन्यथा राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाकर अतिक्रमियों को बेदखल किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सहकारी समितियों को नियंत्रित चीजों के आवंटन हेतु लाइसेन्स

136. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों की आर्थिक हालत सुधार कर सुदृढ़ करने के लिए सरकारी नियंत्रित चीजों का आवंटन प्राथमिकता से करने की सरकार की नीति है? यदि हां तो इस नीति का क्रियान्वयन जिला जालौर में किस हद तक किया गया है? जिले में कितनी सहकारी समितियों को अनाज, शक्कर, एवं अन्य नियंत्रित चीजों के आवंटन के लिए लाइसेंस दिए गए एवं कितने लाइसेंस प्राइवेट व्यापारियों को दिये गए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें? इस प्रकार आवंटन का कितना प्रतिशत सहकारी समितियों एवं प्राइवेट व्यापारियों में रहा? भविष्य में राज्य सरकार की नीति का सख्ती से पालन करने के लिए क्या कार्यवाही की जावेगी?

2. जिला जालौर में सहकारी समितियों को कम कर ग्राम पंचायतवार हर सहकारी समिति को एक विकासक्षम (वायबल) यूनिट बनाने की सरकार की नीति के अनुसार किस प्रकार कितना कार्य किया गया है? बाकी सारा कार्य कब तक पूरा कर लिया जावेगा? निश्चित अवधि बताने की कृपा करें?

3. क्या यह सत्य है कि पिछले तीन सालों में सब सेवा सहकारी समितियों को

Page No 26

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

पंचायत समितिवार समान रूप से ऋण वितरण नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो किस किस साल में किस किस पंचायत समिति में सेवा सहकारी समितियों को कितनी कितनी धनराशि का ऋण वितरित कब कब किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ? इस प्रकार पंचायत समितिवार ऋण वितरण सेवा सहकारी समितियों की संख्या को देखते हुए किस पंचायत समिति में सबसे कम ऋण वितरण किया गया एवं इसके क्या क्या कारण थे ? भविष्य में हर पंचायत समिति से सेवा सहकारी समितियों की संख्या देखते हुए समान रूप से ऋण वितरण करवाने के बारे में सरकार क्या क्या कदम उठाना उचित समझेगी ऐसे आदेश कब तक भेज दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) इस प्रश्न का संबंध खाद्य विभाग से है।

(2) जिला जालोर में पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत 51 समितियों का विलीनीकरण करने का, 15 समितियों को अवसायन में लाने व 34 सहकारी समितियों का गठन करने का लक्ष्य था जिसमें से विलीनीकरण एवं अवसायन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 26 नई समितियां गठित की जा चुकी हैं। शेष 8 समितियों के गठन के प्रयास जारी हैं। जो इस वर्ष के अन्त तक पूर्ण करने की संभावना है।

(3) जी हां। ऋण समान रूप से वितरित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। समितियों द्वारा ऋण प्राप्त करने की क्षमता उनका सदस्य संख्या, क्रेडिट लिमिट काश्त की जाने वाली भूमि के आधार पर ऋण की आवश्यकता तथा अवधि पार ऋण प्रतिशत पर निर्भर करता है। जो प्रत्येक पंचायत समिति में समान रूप से होना संभव नहीं है। प्रत्येक पंचायत समिति में पिछले तीन वर्षों में दिए गए ऋण वितरण की सूचना सदन की मेज पर रखदी है। उक्त कारणों से प्रत्येक पंचायत समिति में समान रूप से ऋण वितरण करना संभव नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

झालावाड़ जिले से प्रकाशित होने वाले सामाचार पत्रों को विज्ञापन

137. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला झालावाड़ से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक समाचार पत्रों को केन्द्रीय जिला कोआपरेटिव सहकारी बैंक झालावाड़ व जिला सहकारी भूमि विकास बैंक झालावाड़ व दीगर जिले की मार्केटिंग सहकारी संस्थाओं आदि से, जनवरी सन् 67 से 31 दिसम्बर सन् 72 तक कितना विज्ञापन कब कब किस सामाचार-पत्रों को दिया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जिला झालावाड़ से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक समाचार पत्रों को केन्द्रीय कोआपरेटिव बैंक, जिला सहकारी भूमि विकास बैंक व जिले की दीगर सहकारी संस्थाओं से जनवरी, 67 से दिसम्बर, 72 तक दिये गये विज्ञापन की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

Page No 27

श्री डूंगरगढ़ से बरजांगसर तक विद्युत लाइन

138. **श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. श्री डूंगरगढ़ जिला चूरू बरजांगसर तक विद्युत लाइन की गत वर्ष 1971-72 में स्वीकृति दी जाकर जो कार्य इस वर्ष हुआ है उसके लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत थी ? और उस पर कुल कितना खर्चा हुआ ?

2. क्या यह सही है कि इस लाइन पर लगे तार (वायर) कम शक्ति के होने के कारण लाइन अपने गन्तव्य स्थान तक पूर्ण वोल्टेज नहीं दे सकती ?

3. क्या यह भी सही है कि काम करने वाली पार्टी ने महीनों तक कोई कार्य नहीं किया और पार्टी के व्यक्तियों ने ग्राम सांडवा, तहसील सुजानगढ़ में बैठे बैठे तनख्वाह ली ?

4. यदि हां, तो इस प्रकार का भुगतान कितने समय का किया गया ?

5. क्या यह भी सही है कि इस लाइन पर होने के बावजूद भी ग्राम धर्मास को एक किलोमीटर तथा ग्राम नौसरिया को 0 दूरी पर जानबूझकर छोड़ दिया गया और उस लाइन में नाम नहीं दिया गया ?

6. क्या इस सम्बन्ध में विभाग को कोई सुझाव प्रस्तुत हुआ था ?

7. यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा करवाई गयी ? जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

8. क्या अब भी उपरोक्त दोनों गांवों को इसके साथ शामिल किया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

9. क्या यह भी सही है कि इस 11 हजार की लाइन पर हर गांव में ट्रांसफार्मर गांव के भीतर रखा गया है ? जबकि कई जगह से यह विरोध हुआ था कि ट्रांसफार्मर गांव के बाहर रखा जाय।

10. क्या यह भी सही है कि इस प्रकार हाई पावर की लाईन गांव में देकर सर्विस लाईन भी इन्हीं खम्भों पर दे दी गई है ?

11. यदि हां तो क्या ऐसा प्रश्न करना उचित है ?

उत्तर

(1) सालेसर से बरजांगसर लाइन की स्वीकृति दिसम्बर 1971 में दी गई थी। इस स्कीम की अनुमानित लागत प्रथम वर्ष के लिए 6.6327 लाख रुपये थी। जनवरी, 1973 तक इस स्कीम पर 4.698 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(5)

(6) प्रस्ताव अवश्य आया था। परन्तु इन गांवों को उक्त स्कीम में सम्मिलित करने पर पूरी स्कीम तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से असाध्य हो जाती।

(7) अतः सम्मिलित नहीं किया गया। इस स्कीम को ग्रामीण विद्युतीकरण वृत के मुख्यालय में जांचा गया।

(विद्युत् मंत्री)

8. मंजूरशुदा स्कीम में और अधिक गांवों को सम्मिलित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

9. लोड सेन्टर को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफार्मर गांव के भीतर भी रखे जा सकते हैं।

10. जी हां।

11. जी हां, इस प्रकार की लाईन खेंचना विद्युत् अधिनियमों में वर्जित नहीं है।

राजकीय महाविद्यालय करौली के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

139. श्री बृजेन्द्रपाल सिंह (करौली): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. राजकीय महाविद्यालय करौली के भवन निर्माण के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी ?

2. इस स्वीकृत धनराशि में से अब तक कितना खर्चा हुआ और कितनी रकम शेष बाकी है ?

3. क्या यह सही है कि कालेज भवन का निर्माण एप्रूव्ड प्लान के आधार पर नहीं हुआ है ?

4. क्या यह सही है कि ठेकेदार ने इस कार्य में भारी अनियमितता की है जिसके फलस्वरूप भवन के सारे कमरे बरसात में टपकते हैं ?

5. क्या यह सही है कि टेन्डर के अनुसार माल नहीं लगाया गया ?

6. क्या सरकार उक्त सारे निर्माण कार्य की जांच करवाने का कष्ट करेगी ?

उत्तर

(1) प्रशासकीय स्वीकृति 1,65,000) रुपये की दी गई थी।

(2) 2,64,791) रुपया व्यय किया जा चुका है।

(3) एप्रूव्ड प्लान अनुसार कार्य हुआ है।

(4) 3 कमरों की छत से बरसात का पानी टपका है।

ठेकेदार की प्रतिभूति धनराशि विभाग ने रोक दी है।

छतों को ठीक करवाने में जो धनराशि व्यय होगी, ठेकेदार की उक्त धनराशि में से कटवा दी जावेगी।

(5) टेण्डर के अनुसार कार्य हुआ है।

(6) आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

स्कूटर व कार का आवंटन

140. श्री राजेन्द्र सिंह (उनियारा): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि राजस्थान के स्कूटर, फियेट व ऐम्बेसेडर कार निर्धारित कोटा अनुसार मिलती है ? यदि हां, तो कितनी कितनी ?

2. क्या यह सही है कि राज्य के पास डिसक्रिशनरी कोटा भी है ? यदि हां, तो

Page No 29

(श्री राजेन्द्रसिंह)

कितना ? तथा इस कोटा के अन्तर्गत सन् 1967 से आज तक किस किस को स्कूटर, कार अलाट किये गये ? सूची नाम वार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) राजस्थान के स्कूटर, फियेट (प्रीमियर प्रेसीडेन्ट) एवं ऐम्बेसेडर कार का साधारण कोटा, कार कन्ट्रोलर एवं स्कूटर कन्ट्रोलर भारत सरकार दिल्ली द्वारा समय-समय पर निश्चित किया जाता है । यह समय-समय पर बदलता रहा है । वर्तमान में निम्न प्रकार है:—

स्कूटर्स:— बजाज— 60 प्रत्येक तिमाही में

लेम्ब्रेटा - 30 ,,

कार:— फियेट 25 प्रत्येक तिमाही में

ऐम्बेसेडर 30 ,,

(2) उपरोक्त सारा कोटा डिस्क्रिसनरी कोटा के नाम से है । जिन जिन व्यक्तियों को स्कूटर एवं कार सन् 1967 से आवंटित की गई उनकी सूची संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गयी)

हिन्डौन-मासलपुर सड़क का निर्माण कार्य

141. श्री उम्मेदी लाल (हिण्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या हिन्डौन से खरेटा होते हुए मासलपुर जाने वाली सड़क का निर्माण का प्रावधान इसी वित्तीय वर्ष में रखा गया है ? यदि नहीं, तो इसका निर्माण कब तक होगा ?

2. क्या यह सत्य है कि हिन्डौन से मासलपुर 19 मील का टुकड़ा है ?

3. क्या सरकार के यह ध्यान में है कि यह सड़क खानों के मध्य में होकर गुजरती है अतः इसके निर्माण से राज्य की आय में वृद्धि हो सकती है ?

4. क्या यह भी सत्य है कि इस पहाड़ी इलाके में आवागमन के साधन नहीं हैं और इसी कारण चोर व डकैतियां होती हैं और अगर सरकार द्वारा इस सड़क को बनवा दी जावे तो इस पिछड़े हुए इलाके से चोरी डकैतियां बन्द हो सकती हैं ?

5. क्या यह भी सत्य है कि हिण्डौन से करौली होते हुए मासलपुर 48 मील पड़ता है जबकि हिन्डौन से खरेटा होते हुए मासलपुर कुल 19 मील ही पड़ता है ?

6. क्या यह भी सत्य है कि इस सड़क का हिन्डौन से खरेटा होते हुए सर्वे हो चुका है ? अगर हां, तो कब और किस समय हुआ है ?

7. क्या यह भी सत्य है कि इस सड़क पर गिट्टी, रोड़ी अभी भी पड़ी हुई है ? क्या किसी को ठेका दिया गया था या स्वयं विभाग द्वारा गिट्टी डलाई गई है ?

8. कार्य में अब तक कितना पैसा खर्च हुआ है ?

(1) जी, नहीं ।

अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

(2) हिन्डोन से सीधी मासलपुर की दूरी 19 मील है ।

(3) जी हां ।

आय वृद्धि की जानकारी इस विभाग को नहीं है ।

(4) चोरी व डकैती की जानकारी इस विभाग को नहीं है ।

(5) हिण्डोन से करोली होते हुए मासलपुर की दूरी 41 मील है । व हिण्डोन से मासलपुर वाया करेटा 19 मील है ।

(6) जी, नहीं ।

(7) कुछ मात्रा में रोड़ी सड़क पर पड़ी हुई है किन्तु इस विभाग द्वारा कोई ठेका नहीं दिया गया है । और न रोड़ी डलवाई है ।

(8) विभाग द्वारा उक्त कार्य पर धन-व्यय किया जाना राजकीय अभिलेख से नहीं पाया जाता है ।

सिरोही जिले में वन विभाग के कार्य

142. श्री जेठमल आर्य (रेवदर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

1. क्या यह सही है कि सिरोही जिले की रेवदर तहसील में पियापुरा उडवारिया, सनवाड़ा एवं सिरोही की भैसियों को प्रसावा के जंगल में चरने के आदेश देकर जिलाधीश ने असावा की खेती बरबाद कर दी ? यदि हां तो यह आदेश जिलाधीश ने क्यों दिये तथा जिलाधीश के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

2 सिरोही जिले में इस वर्ष वन महोत्सव पर कुल कितने पेड़ लगाये गये ? किस किस गांव के जंगल में कितने कितने पेड़ लगाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

3. गत वर्ष अकाल सहायता के अन्तर्गत सिरोही जिले में वन विभाग ने क्या क्या काम करवाये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) यह भूमि वन विभाग की नहीं है । राजस्व विभाग इस बारे में जानकारी दे सकता है ।

(2) कुल 1,74,006 वृक्ष निम्नानुसार लगाए गये—

वनक्षेत्र का नाम	लगाए गए वृक्षों की संख्या
क–माउन्ट आबू, छीपाबेरी, आरना आदि	1,20,000
ख–मेरसिंह	2,500
ग–गोपाल बेड़ा	2,670
घ–साम्बेला	500
ङ–आधार प्लांटेशन	45,000
च–ग्रेव प्लांटेशन	3,336
कुल योग	1,74,006

उत्तर

(3) निम्नलिखित अकाल राहत कार्य इस वर्ष कराये गए:

1—धराई चारण, भूमि सुधार, पुराणा नादिया पिढवाड़ा रेंज।

2—मृदा संरक्षण फेंसिंग ब्लोक आबूरोड रेंज

3—मृदा संरक्षण कार्य आबू ब्लाक नं० 3 मरलिया गांव के पास आबू रेंज

4—मृदा संरक्षण कार्य ब्लाक

5—मृदा संरक्षण कार्य दरघारी खेड़ा ब्लोक सिरोडी रेंज

6—फेयर वेदर सेड तलेदी से आम्बुडी

7—फेयर वेदर रोड चालदा गांव

बीमारियों की रोकथाम

143. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

1. क्या यह सत्य है कि इस साल तहसील सांचोर के करीबन 66 ग्रामों में काफी दिन बाढ़ का पानी भरा रहने से इस क्षेत्र में इस वर्ष विशेष कर मलेरिया एवं अन्य प्रकार की कई बीमारियों फैलने का बड़ा भारी प्रकोप बना रहा? अगर हां, तो सरकार ने उक्त बीमारियों की रोकथाम के लिये अब तक उक्त क्षेत्र में क्या कार्यवाही की है और भविष्य में करने जा रही है, ताकि उपरोक्त क्षेत्र में कोई एपीडेमिक नहीं फैल सके?

2. क्या सरकार उपरोक्त क्षेत्र में मलेरिया कंट्रोल के लिए एवं अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए डाक्टरों की एक विशेष टीम सांचोर की चीतलवाना डिसपेंसरी में एवं सुराचन्द एडपोस्ट पर शीघ्र तनात करना उचित समझती है? अगर हां, तो इसके लिए व्यवस्था कब तक कर दी जायगी? और नहीं, तो क्यों?

3. क्या अब तक सरकार द्वारा उपरोक्त क्षेत्र में बीमारियों की रोकथाम के लिए सांचोर तहसील में स्थित सरकारी अस्पताल में विशिष्ट दवाइयों का कोई विशेष प्रबन्ध किया गया है? अगर हां, तो क्या? और नहीं, तो क्यों? क्या भविष्य में कोई प्रबन्ध किये जावेंगे?

4. क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में अस्पतालों के लिए इस वर्ष निर्धारित विशेष बजट राशि में से चिकित्सा के लिये कोई विशेष धनराशि का आवंटन किया गया है? अगर हां, तो कब व कितनी धनराशि किस किस अस्पताल के लिए? क्या उक्त धनराशि की ज्यादा दवाइयां खरीद कर उपरोक्त अस्पतालों में अब तक भेज दी गई हैं? अगर हां, तो किस अस्पताल में कितनी कितनी धनराशि की दवाइयां अब तक आवंटित की गई है? भविष्य में कब तक कितनी कितनी दवाइयां कहां कहां हेतु भिजवा दी जावेंगी?

उत्तर

1. जालौर जिले की तहसील सांचोर के अन्तर्गत 66 ग्रामों के बाढ़ग्रस्त होने की कोई सूची विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। किन्तु फिर भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बीमारियों की रोक-थाम हेतु तुरन्त चिकित्सा व्यवस्था

(स्वास्थ्य मंत्री)

उत्तर

एवं औषधि वितरण के लिए उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालौर को सचेत रहने के लिए निर्देश दे दिये गये हैं। फील्ड स्टाफ कार्यरत है। इसके अतिरिक्त एक चिकित्सा अधिकारी मय मैडिकल स्टाफ सहित जोधपुर से डेप्यूट किये गये थे, मलेरिया की रोकथाम के लिए मलेरिया मेडिकल आफिसर इन्चार्ज मलेरिया उन्मूलन इकाई सिरोही को निर्देश दिये जा चुके हैं कि वह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में डी०डी०टी० स्प्रे करने हेतु टीम लगादें। एवं स्पोट डाईगनोसिस के लिए एक टेकनिशियन चीतलवाना में कार्यरत है एवं मलेरिया की गोलियां भी वितरित की जा चुकी हैं, एवं किये गये कार्य का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

कोलेरा इनोक्यूलेशन	टी.ए.वी. वेक्सीनेशन
3221	114
ट्रियल वेक्सीनेशन	डिस इनफेक्सन आफ वेल्स
26	42

2. जी हां, चीतलवाना एवं सूमाचन्द ग्राम में मेडीकल स्टाफ कार्यरत है।

3. जी हां। सूची संलग्न है।

4. जी हां, चीतलवाना अस्पताल एवं प्रा० स्वा० के० सांचौर को क्रमश: 1300) रुपये की दवाईयां एवं 600) रु० खुराक 6450) रु० दवाईयां एवं 1300) क्रमश; विशेष धनराशि आवंटित की गई है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

जयपुर जिले की ग्रामीण विद्युतिकरण योजनाएं

144. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सच है कि आर. ई. सी. स्कीम "गोविन्दगढ़-शाहपुरा" के अन्तर्गत पंचायत समिति शाहपुरा के ग्राम हैं? यदि हां, तो किस किस गांव के किस किस के प्रार्थना-पत्र कनेक्शन हेतु पेंडिग है तथा कब से है? कब कब कनेक्शन दिये गये हैं? पेंडिग प्रार्थना-पत्रों पर कब तक सरकार कनेक्शन दिये जाने का विचार रखती है?

2. क्या यह सच है कि इस योजना के अन्तर्गत कनेक्शन दिये जाने में देरी हुई है? यदि हां, तो किस अधिकारी का दोष रहा है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

3. क्या यह सच है कि इस योजना से सम्बन्धित ग्रामों के कृषकों की कठिनाइयां हेतु जन प्रतिनिधियों ने दरख्वास्तें भी पेश की हैं? यदि हां, तो कब कब और इन पर क्या क्या कार्यवाही की गई?

4. क्या सरकार वर्तमान अव्यवस्था में सुधार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? किस प्रकार रखती है?

5. क्या यह सच है कि जयपुर जिले के ग्रामीण विद्युतिकरण हेतु आर.ई.सी. की स्कीमें तैयार नहीं की जाती हैं? यदि नहीं, तो किस किस क्षेत्र की, किन किन गांवों की स्कीमें तैयार हो चुकी हैं और किस किस की कब-कब स्वीकृति आई है और कब तक स्वीकृति होने वाली है?

6. क्या सरकार स्कीम तैयार करने का विचार रखती है?

(श्री हनुमान सहाय व्यास)

7. क्या सरकार उन सभी ग्रामों को जो कि तहसील बैराठ के अन्तर्गत हैं, जिनमें 11 के. बी. ए. लाइनें गांवों मे होकर गई हैं और जिन गांवों के चारों ओर कनेक्शन हो चुके हैं, बीच में छोड़ दिए गए हैं उन्हें स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस गांव की ओर कब तक?

उत्तर

(1) आर०ई०सी० स्कीम गोविन्दगढ़ के अन्तर्गत पंचायत शाहपुरा समिति के 17 ग्राम आते हैं। इन ग्रामों में पेंडिंग प्रार्थना-पत्रों की सूची संलग्न है 3 जो कनेक्शन्स इन ग्रामों में दिये गये हैं और जिन पर कार्यवाही चालू है उस की सूचना भी सूची में दी गई है। आवश्यक समान की उपलब्धि के अनुसार प्राथमिकता के हिसाब से कनेक्शन्स देने का कार्य चालू है।

2. कुछ देरी अवश्य हुई है जो आवश्यक सामान की उपलब्धि में देरी के कारण हुई है।

3. जी हां। इन शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही अधीक्षक अभियन्ता जयपुर जिला वृत्त द्वारा की गई है और मण्डल के निदेशक, ग्रामीण विद्युतिकरण द्वारा भी आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं।

4. इस संबंध में सहायक अभियन्ता आर०ई०सी० को निर्देश दिये गये हैं कि वह प्रत्येक सप्ताह में एक बार (मंगलवार) को उस क्षेत्र का दौरा अवश्य करे और उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करे। इस क्षेत्र के कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय का मुख्यालय जो चौमू में था अब अमरसर में स्थानान्तरित कर दिया गया है। इससे भी उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतें दूर कराने में सुविधा होगी।

5. यह सच नहीं है कि जयपुर जिले के लिये आर.ई.सी. स्कीम नहीं बनाई जा रही है। इस समय भी 3 स्कीमें (सिकाराय तहसील, जमवारामगढ़ तहसील एवं कोटपूतली तहसील) निगम के विचाराधीन हैं। इसके अतिरिक्त लालसोट तहसील के लिये भी स्कीम तैयार की जा रही है। यह स्कीमें कब स्वीकृत होंगी इसके बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

6. प्रश्न 5 के उत्तर से स्थिति स्पष्ट होती है।

7. समुचित धनराशि उपलब्ध होने पर ही इस प्रकार की स्कीमों पर विचार किया जा सकता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

दौसा-लालसोट सड़क की मरम्मत

145. श्री मीठालाल (लालसोट): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सच कि दौसा-लालसोट सड़क सहित लालसोट के आस-पास सभी ओर जाने वाली सड़कों पर बरसात के कारण सड़क पर भारी खतरनाक खड्डे पड़ गये हैं जिनसे कभी भी भयंकर दुर्घटनायें होने की संभावना है?

(श्री मीठालाल)

2. यदि हां, तो उक्त खड्डे कब तक भर कर सड़क ठीक करदी जावेगी? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) कुछ खड्डे हो गये थे, जिनको विभागीय गैंग द्वारा ठीक करवाया जा रहा है, भयंकर दुर्घटना की सम्भावना नहीं है।

(2) विभागीय गैंग कार्यरत है।

कोसिंगों पर राहगीरों की सुरक्षा

146. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि राष्ट्रीय पथ नं. 11 पर बीकानेर से जयपुर तक 132 एक लाख बतीस हजार, (66) हजार (33) हजार (11) हजार एवं छोटी सर्विस लाइन कितनी-कितनी जगह पर पथ को क्रोस करती है, श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

2. क्या यह सही है कि राहगीरों की सुरक्षा के लिए तारों (वायरों) के नीचे बचाव के लिए जाली लगानी आवश्यक है? यदि हां, तो आज तक श्रेणीवार कितने कोसिंग पर लगाई गई है तथा कितनों पर नहीं लगाई गई है?

3. क्या विभाग सुरक्षा के लिए ऐसा करना उचित समझता है? यदि हां तो आज तक न लगाने का क्या कारण है? अब यह कार्य कब तक कर दिया जायगा?

(उत्तर)

(1) जी हां, यह सही है कि राष्ट्रीय पथ नम्बर 11 पर बीकानेर से जयपुर तक विभिन्न प्रकार की लाइनें सड़क को क्रोस करती है। एल० टी० लाइन सहित सब ही प्रकार की लाईनों के बारे में श्रेणीवार सूचना प्राप्त करने में काफी समय लगेगा।

(2) जी नहीं। सब ही प्रकार के वोल्टेज की लाईनों के नीचे तार की जाली लगाना आवश्यक नहीं है। विभिन्न प्रकार के वोल्टेज की लाईनों के लिए अलग-अलग नियम है।

(3) अधिनियम के प्रावधान के अनुसार जहां सुरक्षा के लिए आवश्यक समझा जाता है, जालियां लगाई जाती हैं। इस संबंध में पूरी सूचना प्राप्त होने पर ही कुछ कहना सम्भव है।

राज्य की नई बस्तियों का विद्युतिकरण

147. श्री हनुमानसहाय (बैराठ): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि वर्ष 1973-74 में राजस्थान की एक हजार नई बस्तियों के विद्युतिकरण का लक्ष्य रखा गया है? यदि हां, तो इसके अन्तर्गत किन-किन गांवों को स्वीकृत किया गया है और स्वीकृति का क्या आधार रखा गया है?

2. क्या यह सही है कि तहसील बैराठ के ग्राम निठारा, छारसी, चतरपुरा, बहड़ोदा बीलवाड़ी में होकर 11 के. वी. एच. की लाईन गई है? यदि हां, तो इन गांवों को

(श्री हनुमान सहाय व्यास)

स्वीकृत करने का कब तक विचार है? क्या इन गांवों में विद्युत कनेक्शन हो चुके हैं? यदि हां तो कब और कितने?

3. क्या यह सही है कि पंचायत समिति शाहपुरा जिला जयपुर तहसील बैराठ के सम्पूर्ण गांवों का विद्युतिकरण हो चुका है? यदि नहीं, तो कितने गांवों का हुआ और कितने बकाया है? विद्युतिकरण कब कब हुआ और कितनी-कितनी दरख्वास्तें कब-कब से कृषकों की विचाराधीन हैं और इन्हें कब तक कनेक्शन दे दिये जायेंगे?

4. क्या यह सही है कि पंचायत समिति बैराठ के अधीनस्थ ग्रामों का विद्युतिकरण हो चुका है? यदि हां, तो किस-किस गांव का और कब तथा कितने कनेक्शन कब-कब दिये गये हैं? और कब तक अन्य ग्रामों का विद्युतिकरण किया जावेगा तथा पेन्डिंग दरख्वास्तों पर कब तक कनेक्शन दिये जाने का विचार है?

उत्तर

(1) जी हां। करीब 900 से 1000 गांवों के विद्युतिकरण का लक्ष्य है। ये गांव अधिकांश ग्रामीण विद्युतिकरण निगम, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत योजनाओं के हैं।

(2) जी हां। इन गांवों के विद्युतिकरण के लिए स्वीकृत करने के बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। इन गांवों में कोई कनेक्शन नहीं दिये गये हैं।

(3) व (4) तहसील बैराठ के कुल 131 ग्रामों (1961 सेंसस के अनुसार) में से 54 ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है। इन 54 ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

विद्युतिकृत गांवों में 557 प्रार्थना-पत्र कुओं के सेवर्शनों के लिए पेन्डिंग है। इन पर अब कार्यवाही की जा रही है। बैराठ तहसील के शेष गांवों का विद्युतिकरण कब तक हो जावेगा, इसके बारे में निश्चित रूप से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

मार्गों का राष्ट्रीयकरण

148. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपुतली): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष 25 पर्सेन्ट मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने का फैसला किया है? यदि हां, तो कौन-कौन से बस मार्ग लिये गये हैं और उनका क्या आधार रहा है?

2. क्या जिन बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया है उन मार्गों पर चलने वाली बसों के मालिकों, ड्राईवरों, कन्डेक्टरों के लिए रोजगार की कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या?

3. क्या राष्ट्रीयकृत मार्ग पर चलने वाली प्राइवेट बसों के ड्राईवरों व कन्डक्टरों को पथपरिवहन निगम अपनी सेवा में लेने में प्राथमिकता देगा? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या आदेश जारी किये गये हैं?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। इन मार्गों का चयन मोटे

Page No 36

(यातायात मंत्री)

तौर पर इस आधार पर किया गया है कि राजस्थान के डिवीजनल मुख्यालय व जिला मुख्यालय आपस में व राजधानी से जोड़े जा सकें। राष्ट्रीय उच्च मार्गों, राज्य उच्च मार्गों तथा अन्य महत्वपूर्ण मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने की नीति को भी आधारभूत बनाया गया है।

(2) जिन मार्गों का राष्ट्रीयकरण प्रस्तावित है उन मार्गों पर चलने वाली बसों के चालकों एवं परिचालकों को उस मार्ग की योजना स्वीकृत होने पर निगम की सेवा में लेने में प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे चालकों परिचालकों के चयन के समय उनकी योग्यता व आयु में कुछ छूट देने का प्रावधान भी रखा गया है। बसों के मालिकों को अन्य बस मार्ग के परमिट दिलवाने की व्यवस्था प्रादेशिक यातायात अधिकरण द्वारा कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है और यदि वे इस व्यवस्था का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं तो उन्हें नियमानुसार निगम द्वारा मुआवजा देने का प्रावधान कानून में विद्यमान हैं।

(3) किसी मार्ग का राष्ट्रीयकरण होने पर उस मार्ग पर चलने वाली प्राईवेट बसों के चालकों-परिचालकों को निगम इन पदों के लिये वांछित योग्यता एवं आयु सम्बन्धी कुछ छूट देकर भी सेवा के लिए प्राथमिकता देता है। निगम ने इस सम्बन्ध में उचित आदेश जारी कर दिए हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कोटपूतली-नारनौल सड़क की जमीन अवाप्ति की कार्यवाही

149. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

1. कोटपूतली—नारनौल सड़क के लिए जमीन अवाप्ति की कार्यवाही कब से चालू हुई है और इस समय उक्त कार्यवाही की क्या प्रगति है ?

2. क्या यह सही है कि अवाप्ति की कार्यवाही को दो साल हो जाने पर भी अभी तक मुआवजा तय नहीं किया गया और न कब्जा ही लिया गया है जिससे सड़क का कार्य रुका हुआ है ?

3 क्या यह सही है कि उक्त सड़क का दो किलोमीटर भाग पूरा न होने की वजह से इस महत्वपूर्ण सड़क में आवागमन रुका हुआ है ? यदि हां, तो विभाग कब तक तक इस सड़क का अधूरा कार्य पूरा करेगा ?

उत्तर

(1) 26-6-72 से प्रारम्भ की गई है। भूमि अवाप्ती अधिनियम, 1953 की धारा 5 (क) की कार्यवाही की जा रही है।

(2) मुआवजा तय नहीं किया गया हैं। भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 के तहत कार्यवाही की जा रही है। उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश हो जाने के कारण कुछ भाग को छोड़कर शेष पर विभाग ने कब्जा ले लिया है।

(3) अपूर्ण भाग में आवागमन में कठिनाई होती है, ज्योंही विभाग को नियमानुसार भूमि पर कब्जा प्राप्त होगा अग्रेतर कार्यवाही की जावेगी।

Page No 37

जयपुर जिले में विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र

150. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. जयपुर जिले में विद्युत् कनेक्शन हेतु जनवरी, 1972 से तब तक कितनी दरख्वास्तें कितने समय से विभिन्न कार्यालयों में पड़ी हुई हैं ? सूची सदन के पटल पर रखें ।

2. क्या विद्युत् बोर्ड ने आवेदन-पत्रों के निपटाने का कोई समय नियत कर रखा है ? यदि नहीं तो क्यों ?

3. क्या यह सही है कि कनेक्शन की बहुत सी दरख्वास्तें पूर्ण होते हुए भी उनको कनेक्शन नहीं दिये गये है और बाद में पेश की गई दरख्वास्तों में कनेक्शन दिये गये हैं ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले से सम्बन्धित विभिन्न कार्यालयों में जनवरी, 1972 से पेंडिंग प्रार्थना-पत्र कुल 8567 हैं । समय बताते हुये सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां, यह सही नहीं है कि एक ही गांव में किसी श्रेणी विशेष के उपभोक्ताओं की दरख्वास्तें पूर्ण होते हुए भी उन्हें कनेक्शन नहीं दिया जाकर बाद में पेश की गई दरख्वास्तों को कनेक्शन दिये गये हों ।

हर श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये प्रत्येक गांव की अलग अलग प्राथमिकता रखी जाती है ।

चूंकि प्राथमिकता अलग अलग गांवों को अलग होती है । यह सम्भव है कि किसी उप खण्ड के अधीन किसी गांव में पहिले प्राप्त दरख्वास्त की तुलना में दूसरे गांव में बाद में प्राप्त दरख्वास्त को पहिले कनेक्शन दे दिया हो ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर वन मण्डल के अन्तर्गत ठेकों से प्राप्त आय

151. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) जयपुर वन मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के ठेकों से प्रति वर्ष कुल कितनी आय होती है ? गत पांच वर्ष की आय तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ख) क्या यह सही है कि वन मण्डल अधिकारी द्वारा कई स्थानों के ठेके उन स्थानों पर न जाकर अपने कार्यालय में ही बैठ कर गत साल की औसत आय पर किन्हीं विशेष व्यक्तियों को दे दिये गये ?

यदि हां, तो क्यों तथा क्या सरकार उक्त ठेकों सम्बन्धी सारे मामले की कार्यवाही की जांच कर उक्त अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(क) तालिका संलग्न है ।

(वन मंत्री)

(ख) जी नहीं, समस्त ठेके नियमों के अन्तर्गत व्यापक मुश्तहरी के बाद खुली बोली द्वारा नीलाम किये गये हैं। औसत पर विशेष व्यक्तियों को नहीं दिये गए।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 8-10-73)

गंगनहर क्षेत्र में भूमिहीनों के पट्टों का नवीनीकरण

26. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) गंगनहर क्षेत्र में 1972-73 व 1973-74 में कितने भूमिहीनों के पट्टे नवीनीकरण नहीं किये गये और उसका क्या कारण है ? तहसीलवार सूची दी जाय।

(ख) वह पट्टे जो नवीनीकरण नहीं किये गये उन्हें भूमि का आवण्टन कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(क) गंगनहर क्षेत्र में 1972-73 व 1973-74 में क्रमशः 373 व 925 अस्थायी काश्तकारों के पट्टे नवीनीकरण नहीं किये गये। नवीनीकरण नहीं होने का कारण आवंटियों द्वारा समय पर बकाया मालकाना जमा नहीं कराना, नवीनीकरण के लिए समय पर प्रार्थना-पत्र पेश नहीं करना व निश्चित तिथि व स्थान पर आवटन के समय नहीं मिलना है। तहसीलवार सूची संलग्न की जाती है।

(ख) ऐसे व्यक्ति अगर बकाया रकम जमा खजाना कराकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेंगे तो नवीनीकरण नियमानुसार कर दिया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गयी)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 8-10-73)

चूरू जिले की न्याय पंचायतें

29. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. चूरू जिले की कितनी न्याय पंचायतें हैं ?

2. प्रत्येक समिति की किस किस न्याय पंचायत में कितने कितने स्थान कितने समय से रिक्त हैं ?

3. क्या इन रिक्त स्थानों की पूर्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) 35 न्याय पंचायतें हैं।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(पंचायत मंत्री)

(3) यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री गोपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा, द्वारा सिरोही ग्राम के सरपंच श्री तुलसीराम के परिवार पर किये गये कातिलाना हमले के सम्बन्ध में।

(2) श्री गुमानमल लोढ़ा, सदस्य, विधान सभा, द्वारा रामगढ़ शेखावाटी (सीकर) के एस०एच०ओ० द्वारा पुलिस कल्याण कोष के नाम पर व्यापारियों से चन्दा एकत्रित करने के विषय में।

इन दोनों ही प्रस्तावों में घटना की तिथि नहीं बतलाई गई है।

(3) श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा, सदस्य, विधान सभा, द्वारा सिंचाई विभाग के 12 अभियन्ताओं को सेवामुक्त करने के विषय में। यह मामला हाल ही की किसी घटना से सम्बन्धित नहीं है और अविलम्बनीय लोक महत्व का भी नहीं है।

(4) श्री मीठालाल, सदस्य विधान सभा, द्वारा लालसोट क्षेत्र में गत 4 दिनों से विद्युत नहीं आने के सम्बन्ध में।

(5) सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, माला राम व अजीतसिंह सदस्य विधान सभा द्वारा हनुमानगढ़-रतनगढ़ मार्ग पर निगम की बसों द्वारा किराया बढ़ा देने के सम्बन्ध में।

(6) श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य, विधान सभा, द्वारा जयपुर शहर में पानी की कमी के सम्बन्ध में।

(7) सर्वश्री गुरदयालसिंह संधु व बेगा राम, सदस्य विधान सभा द्वारा रायसिंहनगर बीजा नगर सड़क पर एक ईंटों के भट्टे को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कब्जे में न लिए जाने के सम्बन्ध में।

ये विषय अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं।

(8) श्री भीमा राम चौधरी, सदस्य विधान सभा, द्वारा (1) डीडवाना तहसील के गांवों में बिजली के बिल जमा कराने वाले काश्तकारों से अधिक रकम वसूल करने के सम्बन्ध में, तथा (2) डीडवाना नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल के सम्बन्ध में। यह प्रश्न के विषय हैं।

(9) श्री प्रतापसिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा किशनगढ़ क्षेत्र में गेहूं व चने के बीज उपलब्ध न होने के विषय में।

(10) श्री जिथिंग भाई व विट्ठल भाई, सदस्य विधान सभा द्वारा बांसवाड़ा जिले के कृषकों को रबी के बीज न मिलने के विषय में।

इस सदन में आज बीज व खाद न मिलने के सम्बन्ध में हो रही चर्चा के समय ये माननीय सदस्य भी भाग ले सकते हैं।

(श्री अध्यक्ष)

श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य विधान सभा, द्वारा राजस्थान में किसानों को बोनस न दिये जाने के सम्बन्ध में। यह विषय सरकार की नीति से सम्बन्धित है।

उपरोक्त आधारों पर मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री }
श्री गुमानमल लोढ़ा } अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं आज आपका जो बिजनेस है एक स्टेटमेंट ही काफी है। आप अपने समय के अनुसार उसको रेगूलेट कर लें ताकि दोनों काम पूरे हो जायं।

श्री निरन्जन नाथ आचार्य : आप ही रेगूलेट कर दें बिजनेस को। फ्लड और खाद्य स्थिति पर आज सदन में चर्चा होनी है। इसको आप ही रेगूलेट कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : आप आज्ञा दें तो मैं कर दूंगा, समय निर्धारित कर दूंगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव राजस्थान में पंचायत चुनाव न कराने के सम्बन्ध में दिया है। पंचायत के चुनावों की घोषणा न कराने के सम्बन्ध में......

श्री अध्यक्ष : दो दफा बोल चुके हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसके बारे में पहले, अध्यक्ष महोदय, यह बात आई थी कि राज्य सरकार से जानकारी करने के बाद इसका निर्णय लिया जायगा क्योंकि आज साधारणतया कोई दूसरा प्रस्ताव नहीं आया और आज ही इस सत्र के समाप्त होने की सम्भावना है इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा यह प्रश्न, राजस्थान के पंचायत के चुनाव लगातार पिछले 9 सालों से टाले जा रहे हैं और इसके बारे में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे वर्तमान मुख्य मन्त्री... ...

श्री अध्यक्ष : आपके दल के द्वारा कहा गया है। एडजोर्नमेंट मोशन में कहा है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसके बारे में सदन में स्टेटमेंट नहीं आया। आज जनता के सामने यह प्रश्न वाचक चिन्ह बना हुआ है कि पंचायतों के चुनाव कब होंगे? हमारे हरिदेवजी जोशी ने जो उस समय पंचायत राज के मन्त्री थे और आज मुख्य मन्त्री हैं बड़े जोर-शोर से यह कहा था कि अन्तिम बार समय दे रहा हूं पंचायतों के चुनाव पोस्टपोन करने की मांग कर रहा हूं और इसके बाद मैं सदन में यह मांग लेकर नहीं आऊंगा। अध्यक्ष महोदय, सदन की गरिमा है, पार्लियामेंट की जनतन्त्र में एक सेंक्टिटि होती है और उसको देखते हुए आज जरूरत इस बात की थी कि सदन के नेता इस बात को निभाते लेकिन पंचायतों के चुनाव तो क्या अभी प्रिलिमिनरी बात भी चुनाव की नहीं हुई है। पंचायतों का डिमारकेशन नहीं हुआ है, इलेक्टर-रोल्स बनाने के निर्देश भी अभी नहीं हुए हैं... ..

श्री अध्यक्ष : थोड़े में। भाषण नहीं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरी यह प्रार्थना है अध्यक्ष महोदय, चूंकि आज सत्र समाप्त होने वाला है। भाषण की बात नहीं है।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

बात इतनी सी है माननीय मंत्री महोदय यह घोषणा कर दें कि मैं दुबारा चुनाव कराने का सदन के इस प्रांगण में रिक्वेस्ट नहीं करूंगा और क्या वे बिना रिक्वेस्ट किये सत्र की समाप्ति के पश्चात् आर्डिनेन्स के द्वारा इन पंचायतों को हमेशा के लिये अमरत्व प्रदान करने वाले हैं ? प्रधान, पंच, सरपंच, जिला प्रमुख जो आज से 9 साल पहले चुन लिये गये थे वे आज भी बने रहेंगे। अगर यह स्थिति है तो बड़ी सोचनीय स्थिति है। विधान सभा के चुनाव, लोक सभा के चुनाव हर पांचवें साल करा लिये जाते हैं चाहे प्रदेश में अकाल की स्थिति हो या बाढ़ की स्थिति हो लेकिन पंचायतों के चुनाव में हमेशा के लिए अमरत्व प्रदान कर दिया गया है। यह लोकतन्त्र की हत्या है। यह पंचायत राज जिसके अन्दर नागौर में उस समय के स्व० प्रधानमन्त्री ने बड़े जोर-शोर से घोषणा की थी उसकी अन्त्येष्टी हमारे मुख्य मन्त्री महोदय कम से कम न करें जो कि स्वायत्त संस्थाओं में और सत्ता के विकेन्द्रीकरण में विश्वास करते हैं तो अध्यक्ष महोदय मेरा यह निवेदन है आज सत्र समाप्त होने के पहले या सदन की कार्यवाही समाप्त होने के पहले, इससे पहले कि हम जांय, हमने निवेदन किया था लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि यह कोशिश की जा रही है कि विधान सभा के प्रांगण में यह बात न आये। संसदीय दल में भले ही इसका विश्लेषण हो लेकिन विधान सभा में विधायक गण यह बात नहीं करें। विधायक इस बात को सदन में नहीं लायें कि गिरधारी लाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया जाय या नहीं किया जाय। कमेटी ने सारे देश का भ्रमण करके इस बात का निर्णय लिया था और रिपोर्ट में कहा था कि पंचायत राज से जनता का विश्वास इसलिए घटता जा रहा है कि चुनाव येन केन प्रकारेण टाला जा रहा है। उन्होंने इस बात की अन्तरिम रिपोर्ट दी, फिर फाइनल रिपोर्ट दी। वह सब आ गई। विधान सभा का अधिवेशन इससे पहले भी हो गया फिर दुबारा हो गया और फिर भी विधान सभा में चर्चा न हो और हमें बताया नहीं जाय मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वास्तव में मुख्य मन्त्री जी को स्पष्ट करना चाहिये। संविधान में डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स एक आइडियल होते हैं, उनको तो कहा है ये करने वाले हैं लेकिन जहां फेक्ट्स में आते हैं चाहे म्यूनिसिपेलिटीज का चुनाव हो और चाहे पंचायतों का चुनाव हो

श्री अध्यक्ष : थोड़े में फरमायें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक मिनिट में समाप्त करता हूं। आइडियल और आदर्श की घोषणा तो संविधान में की हुई है। राजनीति के मंच से मनीफेस्टो करते हैं लेकिन जैसा जनता कहती है, वैसा करते नहीं हैं। भले ही जनता को बेवकूफ बनाने के लिये राजनीति के प्लेटफार्म से या विधान सभा के प्रांगण से कुछ भी कह दें, आप मिस-यूज करते हैं लेकिन प्रेक्टिकल तौर पर आप क्या करना चाहते हैं वह तो आप ही जानते हैं। ढाई करोड़ की जनता की आवाज की आपको कुछ परवाह नहीं है। जनता जो आज चाहती है जिला प्रमुखों को बदलना, पंचों को बदलना, प्रधानों को बदलना थ्री टायर से टू टायर करने का

(श्री गुमान मल लोढ़ा)

गिरधारीलाल व्यास कमेटी की सिफारिश को, इन सबसे आप जनता को वंचित रखना चाहते हैं

इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं का प्रश्न है। यह स्वायत्त शासन संस्थाओं का एक बहुत बड़ा और प्रमुख नगरपालिका एक अंग है। इन नगरपालिकाओं का चुनाव न कराना और प्रशासनिक आज्ञा जारी करके एक महीने के लिए समय एक्सटेंड कर देना, यह फ्रोड है। यह जन प्रतिनिधियों को विचार करने का अवसर नहीं देकर प्रशासनिक तौर पर एक महीने के लिए एक्सटेन्ड कर देना जन प्रतिनिधियों का मखौल है। आज विधान सभा का सत्र समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जो चाहेंगे एक्जीक्यूटिव आज्ञा प्रसारित कर देंगे और जन प्रतिनिधियों को नगरपालिकाओं के भविष्य पर विचार करने से वंचित रखा जायगा। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस विधान सभा में, विधान सभा के विधायकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए इस आसन पर बिराजे हुए हैं, विधान सभा की गरिमा, विधायकों के अधिकारों की सुरक्षा करने का आपका महान पुनीत, पवित्र और परम कर्त्तव्य है। मैं आप से यह अपेक्षा करता हूं कि आप कम से कम आज तो नए मुख्य मन्त्री महोदय को आदेश दें कि नगरपालिकाओं और पंचायतों के बारे में जो भी विचार रखते हों उसकी घोषणा करें, इस सदन के प्रांगण पर खड़े होकर बतायें। इस प्रकार पर्दे के पीछे से कमरे के अन्दर ......

श्री निरन्जन नाथ आचार्य : बैठे बैठे ही कह देंगे तो भी मान लेंगे।

श्री गुमान मल लोढ़ा : सेक्रेट्रियेट के अन्दर बैठ कर, बिहाण्ड दी कर्टेन इस प्रकार से कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं बहुत थोड़े में समाप्त कर रहा हूं। मैं भाषण नहीं देकर यही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आज यहां घोषणा नहीं होगी तो राजस्थान की ढाई करोड़ जनता अन्धेरे में रहेगी और नगरपालिकाओं के जो अध्यक्ष अपना टाइम एक्सटेन्ड करवाना चाहते हैं वह आकर प्रेसेराइज करेंगे, इससे पोलिटिकल करप्शन बढ़ेगा और राजनैतिक गन्दगी बढ़ेगी। मैं समझता हूं कि यदि राजनैतिक गन्दगी को समाप्त करना है तो यह मुख्य मन्त्री का टेस्ट है, वे इस बारे में आज घोषणा करें और यदि घोषणा नहीं करते हैं तो जितनी बातें कही गई हैं, जितनी घोषणायें की गई हैं उनका कोई मायने नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : अभी आपने फरमाया था कि समय के बारे में निर्धारण करूं। मैं आज का कार्य समय इस प्रकार निर्धारित करता हूं। साढ़े बारह बजे माननीय मंत्रीजी का वक्तव्य हो जाय लेटेस्ट और उस पर ढाई बजे तक विचार हो जाएगा। और ढाई बजे से पांच बजे तक फ्लड के मामले में विचार हो जाएगा। ठीक साढ़े बारह बजे तक वक्तव्य शुरू कर दिया जाय और दो घण्टे इस पर बहस हो जाय और ढाई बजे से दूसरे विषय, फ्लड पर विचार होकर पांच बजे खत्म हो जाय।

श्री चन्दनमल बैद : सलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने के बारे में एक बिल और है।

Page No 43

श्री खेतसिंह : वह साढ़े बारह बजे से पहले हो जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मुझे ध्यान नहीं रहा। इसको इस बीच में करना पड़ेगा। इसको केवल सलेक्ट कमेटी को रेफर करना है इसलिए इसको साढ़े बारह बजे से ठीक दो मिनट पहले रख दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जनमत जानने के बारे में जो प्रस्ताव रखे हैं उसके बारे में क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुनिए।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े रहे)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नियमों के अन्दर जनमत जानने के बारे में·····

श्री अध्यक्ष : कृपया पहले मेरी बात सुन लें। परसों के रोज जब बिजनेस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें इस पर काफी विचार हुआ था और उसमें यह तय हुआ था कि इसको आज लेना है तो इसको सलेक्ट कमेटी को रेफर करने का प्रस्ताव चीफ मिनिस्टर कर दें। इस पर आज कोई वादविवाद नहीं होगा क्योंकि सदन के नेताओं ने इसको स्वीकार किया था और उनकी स्वीकृति के आधार पर ही आज इसको रखा गया है इसलिए इस विषय पर आज कोई बहस नहीं होगी। आज तो सलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाएगा और आयन्दा जब मौका आएगा तब फरमाना चाहें वह फरमा दें। जैसा निर्णय हुआ है उसके अनुसार ही रखा है। मैं यह चाहूंगा कि साढे बारह बजने से दो मिनिट पहले इसको इण्ट्रोड्यूज कर दें और सलेक्ट कमेटी में रेफर करने का प्रस्ताव कर दें।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे—अश्रव्य)

इसमें भी यह है कि अब पन्द्रह मिनिट का समय है और इसमें ही एडजोर्नमेंट मोशन्स पर जो कुछ कहना हो कह लें।

श्री सज्जनसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य फरमाने की कृपा करें।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : छः आदमी बोलने वाले हैं, दो दो मिनट बोल कर साढ़े बारह बजे तक खत्म कर दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सभी एक साथ बोल लें तो समाप्त हो जाएगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप नाम पुकार दीजिए।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : जो मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है उसके लिए कहा गया है कि तिथि निर्धारित नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दिवाली के अवसर पर जो वहां के रामगढ़ शेखावटी के सब इन्सपेक्टर द्वारा गांव वालों पर ज्यादती की गई। यह दीपावली का पुनीत पर्व 25 अक्टूबर, 1973 को था···

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि इसको स्वीकार करना लाभप्रद नहीं था क्योंकि आज आखिरी दिन होने से न तो इस पर स्टेटमेंट दिला सकता था और न जानकारी ले सकता था।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जो रोजनिंग दिया गया है कि डेट नहीं है, तो मैं निवेदन

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

करना चाहता हूं कि डेट है। मेरा पोइन्ट यह है कि राज्य के अन्दर जो कल्याण कोष के नाम से धन एकत्रित किया जा रहा है और किया जाता है उसकी मन्शा निश्चय ही अच्छी है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है राज्य का गृह विभाग इतना बे लगाम हो रहा है कि आज उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। गांव गांव के अन्दर सब इन्सपेक्टर ऐसे हो रहे हैं जैसे उस गांव के मालिक बन गए हैं और मालिक की तरह से व्यवहार करते हैं। रामगढ़ के अन्दर वहां के सब इन्सपेक्टर श्री जगदीश मिश्रा ने वहां पर कल्याण कोष के नाम पर दीपावली के दिन चन्दा एकत्रित करना शुरू किया और एक रंगून से आए हुए पुरुषार्थी के यहां चन्दा मांगने गए। जब चन्दा नहीं दिया, चन्दा कम दिया गया तो उनका सारी आतिशबाजी का सामान जब्त कर लिया गया। उनका धन्धा बन्द कर दिया गया, उनका जो माल जब्त किया गया उसकी रसीद तक नहीं दी गई। इस प्रकार कितना अत्याचार वे लोग गांव में कर रहे हैं। उसके बाद वहां की कमेटी के सेक्रेट्री उनसे मिले और उनसे कहा कि जो सामान जब्त किया है वह तो वापस दे दी लेकिन उसको भी वापस नहीं दिया गया। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम राज्य के अन्दर गृह विभाग अगर सक्रिय नहीं होगा तो कितनी ही घटनाए आए दिन सदन के पटल पर आती रहेंगी और उनको रोकना सम्भव नहीं होगा।

मैं पुन: निवेदन करूंगा कि गृह विभाग यदि सक्रिय नहीं होगा तो यह पुलिस जिसको रक्षा के रूप में अच्छा काम करना है, वह भक्षक के रूप में काम करती रहेगी और आप उसको रोक नहीं सकेंगे।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : माननीय अध्यक्ष महोदय . . .

श्री अध्यक्ष : थोड़े में।

श्री गोपालसिंह : दो ही मिनट में कह दूंगा। सीकर जिले में पिछले एक साल में 18 हत्यायें हुई हैं और इन 18 हत्याओं के सिलसिले में आखिरी सिलसिला सिरोही गांव के सरपंच के घर पर इस तरह से रात्रि के समय कातिलाना हमला किया गया है और उस हमले में यह बात ठीक है कि सरपंच तो बच गया लेकिन वह बुरी तरह से घायल हुआ और उसका लड़का मारा गया। बड़े दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इतनी बड़ी घटना के बाद, जब बन्दूकों से लैस होकर एक गिरोह ने सरपंच के सारे परिवार को नष्ट करने के लिए हमला कर दिया और इस घटना के तुरन्त बाद इसकी सूचना वहां के डी. वाई. एस. पी. को हो गई। इसके बावजूद भी आज तक कातिल को, मुल्जिमों को नहीं पकड़ा जाता है। बड़े दुख की बात है कि इस तरह से जनता के प्रतिनिधियों पर आए दिन कातिलाना हमले होते हैं, हम आए दिन अखबारों में भी पढ़ते हैं और सुनते भी हैं कि किस तरह जनता के प्रतिनिधियों को मार दिया जाता है लेकिन सरकार मौन है। मैं इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि इसी प्रकार से कातिलाना हमले होते रहे और मुल्जिमों को नहीं पकड़ा गया तो आज सरपंच के साथ यह घटना हुई, कल विधायकों के साथ यह घटना होगी और फिर मंत्रियों के साथ भी यह होने लगेगी। यह तो बहुत ताजा घटना है इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ऐसे गम्भीर मामले में सतर्कता से जांच कर मुल्जिमों को पकड़ने की कोशिश करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं वह उस प्रस्ताव की एक कड़ी है जो आज से एक दिन····

श्री अध्यक्ष : दो मिनिट में ही समाप्त करें।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : आज आपको प्रसन्न करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं तो कृपा-पात्र हूं अध्यक्ष महोदय का···

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह प्रस्ताव उस प्रस्ताव की एक कड़ी है जो पहले प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था—87 डाक्टर्स को जोकि बाकायदा 5/5 साल से 7/7 साल से सर्विस कर चुके हैं····

श्री अध्यक्ष : यह आप पहले बोल चुके हैं···

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह दूसरा है। 12 इन्जीनियर्स की जो कि 8/9 साल से सर्विस में है, जिनकी कि उम्र 32 साल की हो गयी है, और जिनको भारतवर्ष में कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल सकती है, जिनके सम्बन्ध में चीफ इन्जीनियर की कान्फीडेन्शल रिपोर्ट, सी. आर. बहुत बढ़िया है, आज पी. एस. सी. ने उनकी सर्विसेज को समाप्त कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, अगर यह क्रम जारी रहा तो एक नहीं हजारों इन्जीनियर आज हमारे देश के बेरोजगार है, कम से कम एक हजार डाक्टर राजस्थान के अन्दर बेरोजगार हैं, हम उनको रोजगार देने की बात करते है और जो लोग 8/8 साल से बाकायदा सर्विस में हैं उनको उठा कर सड़क पर बैठा रहे हैं। मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार इस संबंध में सहानुभूति पूर्वक विचार करे जैसा कि मुख्य मंत्री महोदय ने 87 डाक्टरों के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है, मैं चाहूंगा कि यह प्रश्न भी उसके साथ सम्मिलित करके विचार किया जाये वरना जो लोग 15/10 साल से सर्विस में चल रहे हैं उनके समक्ष एक बहुत बड़ी कठिनाई पैदा हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री सन्धु।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु (करणपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरे दो स्थगन प्रस्ताव हैं। हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब के अन्दर गवर्नमेंट ऐजेन्सीज से जो गेहूं खरीदा गया था उस पर साढ़े तेरह पर्सेन्ट गवर्नमेंट ने किसानों को बोनस के रूप में दिया है। यहां राजस्थान के अन्दर हमारे से 76 रुपये के हिसाब से गेहूं लिया गया था और गंगानगर के अन्दर यह 128 रुपये के भाव से हम खरीद रहे हैं। ऐसी हालत में बोनस न देना उचित नहीं है। चाहिये तो यह था कि पंजाब से ज्यादा और नहीं तो पंजाब के बराबर ही बोनस राजस्थान के किसानों को दिया जाना चाहिये था। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार इस प्रश्न की ओर ध्यान दे।

दूसरा स्थगन प्रस्ताव मेरा यह है और मैं बजट सेशन से कहता आ रहा हूं कि एक व्यक्ति जो बदनाम है उसके 36 लाख के आसपास इम्बजलमेंट किया है और उसमें से 17 लाख के आसपास साबित हो गया है। अब सरकार उसके ईंटों के भट्टे पर कब्जा करना चाहती है परन्तु वह कब्जा नहीं हो पा रहा है क्योंकि जिस दिन कब्जा करने जाते हैं उसकी इत्तिला उसको हो

Page No 46

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

जाती है और वह वहां से ईंटें हटा लेता है। मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस संबंध में जल्दी से जल्दी सख्त कार्यवाही करे और जनता को विश्वास में ले।

श्री अध्यक्ष: श्री गिरधारीलाल भार्गव-दो मिनिट।

आपका भी सहयोग मिलेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि राज्य सरकार ने पिछले सत्र में यहां पर पुलिस के कर्मचारियों का मेस अलाउन्स बढ़ाने की घोषणा की थी। और उसके बाद 7/- रुपया मेस अलाउन्स और बढ़ाने की घोषणा की थी। इन दोनों घोषणाओं के अनुसार पुलिस के कर्मचारियों को 24/- रुपया मेस अलाउन्स का मिलना चाहिये किन्तु पुलिस कर्मचारियों को आज की तारीख तक 17/- रुपया मेस अलाउन्स ही मिल रहा है। सरकार की घोषणा के बावजूद भी मेस अलाउन्स पूरा नहीं मिल रहा है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि यह मेस अलाउन्स पुलिस कर्मचारियों को शीघ्र दिलाया जाये।

दूसरा, मैं पिलानी के प्रश्न पर निवेदन करना चाहता हूं। आज एक बालक की हालत खराब है और वह अस्पताल में भर्ती है। भूख हड़ताल पर जो बैठे हुए हैं उनका वजन भी कम है। रिसर्च के जो स्कालर हैं उन्होंने भी एक दिन की हड़ताल रखी है। लुहारू में हरियाणा की पुलिस ने इन विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज किया। सदन की कार्यवाही आज समाप्त हो रही है, परन्तु उसके बाद भी सरकार को इस प्रश्न पर सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री भोमाराम (डीडवाना) : मेरे दो प्रस्ताव हैं। एक डीडवाना नगरपालिका के बारे में और दूसरा विद्युत मंडल के बारे में है। आज वहां पर एवरेज बिल आ रहे हैं और हर काश्तकार को दस दस हजार का बिल काटा गया है। इस प्रकार किसानों को कष्ट हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री भोमाराम : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में हमारे क्षेत्र के काश्तकारों का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य मंत्री से मिला था और उन्होंने आश्वासन भी दिया लेकिन चार तारीख को सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर ने वहां जाकर यह आदेश जारी करा दिया है कि पहले की बकाया जमा कराओ तो कनेक्शन मिलेगा, वरना बिजली नहीं दी जायेगी...

(12.28 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

यह हालत है। इस प्रकार गवर्नमेंट कर्मचारी काश्तकारों का खून चूस रहे हैं।

दूसरा स्थगन प्रस्ताव डीडवाना नगरपालिका के बारे में है। वहां पर हरिजनों की हड़ताल चल रही है और हरिजनों को गत 8 मार्च से वेतन नहीं मिला है। शहर गंदगी से सड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, सबको तार दिया है, कलक्टर को तार दिया है, मुख्य मन्त्री को भी तार दिया है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। म्युनिसिपेलिटी को

(श्री भोमाराम)

डिजोल्व किया जाये। इसके लिए उचित व्यवस्था की जाये। शिकायत की गयी है, इन्क्वायरी की गई है उसके बाद उसकी फाइल कहां चली गयी इसका कोई पता नहीं है। कम से कम इन्क्वायरी करे तो कोई न कोई निर्णय तो होना चाहिये। 8/8 महीनों तक गरीबों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। ऐसा समाजवाद तो आज तक हमने नहीं देखा है। यह कैसा समाजवाद है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, एक तो मेरा कटौती प्रस्ताव है म्युनिसिपल बोर्डों के चुनाव कराने के बारे में। कम से कम आपको चुनाव नहीं कराने हैं तो इस बारे में यहां पर घोषणा कर दें कि चुनाव नहीं करायेंगे ताकि असमंजस्ता है उसका निराकरण हो जायेगा। इसके बारे में आपके जो विचार हैं वे स्पष्ट करें क्योंकि आज इस सत्र का अन्तिम दिन हैं। दूसरी बात, मेरी अर्ज यह है कि उपाध्यक्ष महोदय, कि लालसोट तहसील में खाद, सीमेंट पहले ही उपलब्ध नहीं हो रहा है और उसके ऊपर 4-5 दिन से किसानों के लिए बहुत बड़े दुःख की घटना और आ गई है कि विद्युत् विभाग ने बिजली और बन्द कर दी है। जब एक महीने पहले निवाई का बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया था तो एक महीने तक दिक्कत रही थी लेकिन लालसोट को गंगापुर और सवाई माधोपुर से जोड़ने के लिए ट्रांसफार्मर चालू किया और गंगापुर से लालसोट बिजली आ रही थी वह भी गत 4-5 दिनों से बन्द कर दी गई है। इस वक्त खाद्यान्न बोने का समय है, सिंचाई का समय है और सिंचाई नहीं होने से फसल नष्ट हो रही है, छोटे उद्योगों को काफी हानि हो रही है। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे तत्काल इससे सम्पर्क स्थापित करें। रात के समय जरूर बिजली देते है गंगापुर से, लेकिन छोटे उद्योगों को और सिंचाई के लिए बिजली शीघ्रातिशीघ्र दें। वहां पर किसानों में उत्तेजना, आवेश और आक्रोश है और इस कारण से कुछ ऐसी घटना हो जायगी तो उसके सरकार जिम्मेवार होगी, क्योंकि उनकी रोजी-रोटी का यही समय है। बिजली के शीघ्र कनेक्शन दें और गंगापुर से उनको पानी के लिए और पंपिंग सेट के लिए बिजली दें।

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य। माननीय मन्त्री जी।

विधायी कार्य

राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) विधेयक 1973 को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

श्री चन्दनमल वैद (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) विधेयक, 1973 को एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में सदन में प्रस्तुत करें।

समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए

(श्री अध्यक्ष)

अपील अधिकरण) विधेयक, 1973 को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विधेयक का पुरः स्थापन

राजस्थान फल-पौधशाला विधेयक, 1973

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मन्त्रि) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान फल–पौधशाला विधेयक, 1973 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष जी, इसको न लें। नियमानुसार माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जनमत वाला प्रस्ताव प्रवर समिति वाले के पहले लिया जाना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्ष : नियम मालूम हैं। आप तशरीफ रखिये। यह मुझे मालूम हैं कि आपने जनमत जानने के लिए अमेंडमेंट दिया है लेकिन इससे पहले आपकी इन्फार्मेशन के लिए निवेदन किया था कि कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आपके नेता महोदय ने इस बात को स्वीकार किया था कि जनमत जानने के लिए जो अमेंडमेंट दिया है उसको प्रेस नहीं करेंगे। उसके सम्बन्ध में पहले ही आपको आफिस द्वारा सूचना दे दी गई थी।

श्री मीठालाल : यह सरे आम नेता के खिलाफ बगावत है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान फल-पौधशाला विधेयक, 1973 को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय।

(ध्वनि मतदान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माथुर साहब आप सो रहे थे। आपने 'हां' भी नहीं कहा।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मै राजस्थान फल-पौधशाला विधेयक, 1973 को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान फल-पौधशाला विधेयक, 1973 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ओन ए पाइंट आफ आर्डर, सर। माननीय मंत्रीजी ने सदन के आज्ञा देने से पहले ही पुरः स्थापित कर दिया तो उसको एक्सपन्ज किया जाय और माननीय मंत्रीजी अब दुबारा उसको पुरः स्थापित करने की आज्ञा लें।

श्री निरन्जन नाथ आचार्य : वह क्योरेबल है, माइनर चीज है।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने समझा सदन की अनुमति मिल गई होगी।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी सहमति उसमें मानते हुए माननीय मंत्रीजी ने ऐसा किया है।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान फल-पौधशाला विधेयक, 1973 को पुनः स्थापित करता हूं।

बिरला इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एण्ड साइन्स में छात्र आन्दोलन के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी से वक्तव्य की मांग

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिलानी बिरला इन्स्टीट्यूट के सम्बन्ध में कल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि जो लेटेस्ट पोजीशन है उससे हाउस को अवगत कराया जायगा, और जो भी स्थिति वहां पर हुई है वह गम्भीर मामला है। उस सम्बन्ध में आज वक्तव्य होना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, जो भी स्थिति है हाउस को उससे अवगत कराया जाना चाहिए और माननीय मुख्य मंत्रीजी को हाउस में उपस्थित होकर उसको अवगत कराना चाहिए।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (मावली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो माननीय सदस्य ने कहा है उससे सहमति प्रकट करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ प्रगति हुई है ऐसा आभास मिलता है तो माननीय मुख्य मंत्री जी के लिए ऐसा यह उचित है कि वह जो आक्रोश है उसको शान्त करने के लिए थोड़ा सा स्पष्टीकरण उस प्रश्न पर जो प्रगति हुई है या होने जा रही है कर दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : इसमें, उपाध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि दो दिन से होस्टल वेकेट कराने के बारे में जो उनका निर्णय हुआ है उस पर दो हजार विद्यार्थियों का जीवन निर्भर करता है। हमने यहां भी निवेदन किया था और अलग से जो मीटिंग हुई थी, उसमें कहा था कि यह एश्योरेन्स दिया जाय हाउस के अन्दर कि दो हजार विद्यार्थियों को होस्टल से बाहर सड़क पर नहीं फेंका जायगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि इस बारे में वे सतर्क हैं जिलाधीश को टेलिफोन किया है, लेकिन कल सत्र सम्भवतया समाप्त हो जायगा। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि यह बहुत ही ज्वलन्त समस्या है और चार टेक्निकल डिपार्टमेंटस के हैड्स ने वहां पर त्यागपत्र दे दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह अब मामला विद्यार्थियों और विद्यार्थियों को पढ़ाने वालों के बीच नहीं है। अब यह मेनेजमेंट एक तरफ और दूसरी तरफ शिक्षक और विद्यार्थी दोनों एक तरफ हो गये हैं। इस प्रकार से इससे सारा राजस्थान प्रभावित है। दो हजार विद्यार्थियों को होस्टल से डिसचार्ज कर रहे हैं जो कि बाहर से आये हुए हैं राजस्थान से और राजस्थान के बाहर से आकर वहां पर रह रहे हैं। उनके जीवन-मरण का प्रश्न है पिलानी में रहने का स्थान नहीं है, खाने का स्थान नहीं है जहां कि दो हजार विद्यार्थी जाकर खाना खा सकें एक टाइम भी क्योंकि होस्टल बन्द हो गये हैं। इससे बड़ी अव्यवस्था हो जायगी आसपास के इलाके में। राजस्थान विश्वविद्यालय यूनियन के अध्यक्ष श्री विमल चौधरी ने भी घोषणा कर दी है कि सारे राजस्थान में हड़ताल होगी। हाउस की भावना को देखते हुए मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस बारे में स्पष्ट घोषणा करें और कम से कम मुख्य मंत्रीजी यह निर्णय तो करें कि उनको डिसचार्ज नहीं किया जायगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं यह निवेदन कर रहा था और मैंने आरम्भ में ही निवेदन किया था कि वहां के हैड्स ऑफ दी डिपार्टमेंट्स के साथ में अत्याचार हो रहा है। सदन में यहां पर 5, 5½ बजे जो जाने का कार्यक्रम रखा है उस खाने के कार्यक्रम से बहुत महत्वपूर्ण विषय यह है। समय का आपने विभाजन कर दिया है और 5 बजे का जो टाइम है तो घर जाने की जल्दी भी नहीं है। सदन द्वारा 8-9 बजे तक बैठकर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है इस पर बहस हो सकती है। राजस्थान के सारे छात्रों की हड़ताल होगी। वहां एक छात्र हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है। वह मरणशय्या पर पड़ा हुआ है। बहुत गम्भीर विषय है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी पिलानी इन्स्टीट्यूट में जो हड़ताल जोर पकड़ रही है उसके बारे में सदन में स्टेटमेंट दें और अवश्य दें और तथा पांच बजे वाले कार्यक्रम की चिन्ता छोड़ देनी चाहिए और हाउस को बाद तक चलाना चाहिए।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं से सहमत हूं, और यदि आज माननीय मुख्य मंत्रीजी उत्तर नहीं देंगे तो फिर कब देंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : आज ही देंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह : मेरा भी यह निवेदन कि वे अपना वक्तव्य दें।

शासकीय वक्तव्य खाद्यान्न एवं दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं तक खाद्य एवं बीज की अनुपलब्धि

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी देर पहले माननीय अध्यक्ष ने समय निर्धारित करते हुए यह कहा था कि साढ़े बारह बजे खाद्य-स्थिति पर स्टेटमेंट यहां पर हो गया और उसके बाद में पलड़ पर बातचीत होगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी की बाहर से आये डेलिगेशन से बातचीत हो रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि खाद्य-स्थिति पर स्टेटमेंट और बहस होने के बाद में इसका स्पष्टीकरण दे देंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: आप वायदा करते हैं मुख्य मंत्रीजी की तरफ से ?

श्री शिवचरण माथुर : जी हां। उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 72-73 में राजस्थान प्राकृतिक प्रकोप से आक्रांत रहा और खरीफ की उपज पिछले कई वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष सबसे कम हुई। अतिवृष्टि के कारण इस वर्ष भी खरीफ की फसल को हानि पहुंची है। जिससे खाद्यान्नों की उपलब्धि पर कुप्रभाव पड़ा है।

बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने हेतु सरकारी वितरण व्यवस्था (पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) को अधिक बलशाली बनाया गया और इस समय लगभग 8 हजार सस्ते गल्ले की दुकानें है किन्तु वितरण हेतु गेहूं व मोटे अनाज के लिए राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार पर आश्रित है। अकाल ग्रस्त क्षेत्रों, बाढ़ पीड़ितों जिलों तथा शहरी आबादी का ध्यान रखते हुये औसतन केन्द्र से 60 हजार टन गेहूं व 40 हजार टन मोटे अनाज की मांग की गई थी किन्तु केन्द्र द्वारा जो आवंटन हुआ, वह बहुत कम है। आवंटन का विवरण निम्न प्रकार है:—

मात्रा हजार टनों में

आवंटन	गेहूं	मोटा अनाज	योग
जुलाई, 1973	45	25	70
अगस्त, 1973	40	25	65
सितम्बर, 1973	25	25	50
अक्टूबर, 1973	25	25	50

(श्री शिवचरण माथुर)

2. मोटे खाद्यान्नों में माइलो का आवंटन 25 हजार टन प्रति मास अवश्य हुआ है किन्तु भारतीय खाद्य निगम रेल डिब्बों के न मिलने, रेल कर्मचारियों की हड़ताल व वर्षा के कारण सड़कों के टूटने आदि कारणों से केवल 15–16 हजार टन माइलो ही प्रति माह राजस्थान में ला सका।

3. उक्त आवंटन के अतिरिक्त लगभग 13 हजार टन मोटे खाद्यान्न अन्य राज्यों से भी सेण्ट्रल रिलीफ फण्ड व नाफेड के माध्यम से उपलब्ध कराये गये एवं 10 हजार टन चना केन्द्र से प्राप्त किया और राज्य के बाहुल्य क्षेत्रों से कलक्टर टू कलक्टर बेसिस पर मोटे अनाज का अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिए प्रबन्ध किया गया।

चीनी वितरण

अक्टूबर 1972 से पूर्व व्यापारी व सहकारी समितियां लेवी चीनी के थोक व्यापार का कार्य करती थी। 1 अक्टूबर 1972 से केन्द्रीय सरकार ने चीनी की खुदरा कीमत देश भर में 2 रु० प्रति किलो निश्चित की एवं मूल्य का समानीकरण भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से करने का निश्चय किया।

चीनी का खुदरा मूल्य 1 दिसम्बर 1972 से 2 रु० से बढ़ा कर 2.15 पैसे प्रति किलो कर दिया गया।

भारतीय खाद्य निगम ने 1 जनवरी 1973 से सक्रिय रूप से चीनी का थोक व्यापार अपने हाथ में ले लिया और जून 1973 तक किया।

जून 1973 में राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार कि चीनी का थोक व्यापार सहकारी संस्थाओं द्वारा कराया जाए, राजस्थान राज्य क्रय विक्रय संघ को ग्रामीण क्षेत्र के लिए कुल आवंटन का 75 प्रतिशत एवं राजस्थान उपभोक्ता सहकारी संघ को शहरी क्षेत्र के लिए शेष 25 प्रतिशत चीनी का थोक व्यापार का कार्य दिया गया। जुलाई व अगस्त 1973 में अधिक वर्षा के कारण जगह जगह सड़कें टूट गई थी व रेल यातायात में बाधा पहुंची थी जिसके कारण जुलाई 73 में संघ पूरा कोटा नहीं उठा सका और 13 जिलों की 4991 टन चीनी भारतीय खाद्य निगम द्वारा वितरण कराई गई। इसी प्रकार सितम्बर 1973 में चीनी वितरण व्यवस्था हेतु 6 जिलों के लिए 1886 टन चीनी भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से बिकवाने का प्रबन्ध किया गया। जो चीनी वितरण हेतु प्राप्त हुई है, उसका विवरण निम्न प्रकार है:—

माह	आवंटन	लेप्स
जुलाई 1973	9412.6 टन	.400 टन
अगस्त 1973	8932.6 टन	1647 टन
सितम्बर 1973	8932.6 टन	3642 टन

जुलाई, अगस्त व सितम्बर 1973 में जो चीनी लेप्स हुई उसको 31 अक्टूबर 1973 तक के लिए रिवलीडेट केन्द्रीय सरकार से कर दिया गया है।

वनस्पति

नियंत्रित मूल्य पर सस्ते गल्ले की दुकानों के लिए निदेशक, वनस्पति एवं शकरा खाद्य विभाग, कृषि मन्त्रालय द्वारा

Page No 52

(श्री शिवचरण माथुर)

राजस्थान के लिए 1912 टन वनस्पति का कोटा विभिन्न मिलों से निश्चित किया गया राज्य सरकार ने उक्त आवंटन हेतु राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ को थोक व्यापारी नियुक्त किया किन्तु वनस्पति उत्पादक संस्था, भारत ने अपने प्रचलित थोक व्यापारियों के माध्यम से ही वनस्पति की आपूर्ति कराने के लिए लिखा एवं राज्य सरकार के निर्णय को नहीं माना। राज्य में बाहर से डालडा एवं रथ आदि वनस्पति का आना बन्द प्रायः हो गया, और मई, जून एवं जुलाई 1973 में केवल 101 टन वनस्पति प्राप्त हुआ।

राज्य में 4 वनस्पति फैक्ट्रियां हैं जिनका उत्पादन निम्न प्रकार है:—

1-	प्रिमियर वेजीटेबल, जयपुर	1605
2-	रामनगर फैक्ट्री, जयपुर	660
3-	राजस्थान वनस्पति, भीलवाड़ा	510
4-	मेहता वेजीटेबल प्रोडक्ट्स, चित्तौड़गढ़	100
	कुल योग—	2875

बाहर से वनस्पति प्राप्त न होने की दशा में राजस्थान में जो भी वनस्पति का उत्पादन हुआ, उसका उपयोग राजस्थान में ही किया गया, किन्तु कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण तथा हड़ताल तथा बिजली की कटौती से उत्पादन बहुत कम रहा। स्थानीय जिलों से यह तय किया गया कि वे अपनी उपज का 70 प्रतिशत राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के मार्फत बेचें तथा शेष 30 प्रतिशत अपने पुराने प्रचलित दुकानदारों के मार्फत फ्री सेल में बेच सकते हैं। इस प्रकार अक्टूबर 1973 से स्थानीय जिलों से 2000 टन वनस्पति का कोटा निश्चित किया गया है। शेष उत्पादन वे फ्री-सेल में बेच सकते हैं।

इन उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं का वितरण राशन कार्डों पर किया जा रहा है। राशन कार्डों में कुछ फर्जी राशन कार्ड भी होने की शिकायत है। दिसम्बर 1973 में फर्जी राशन कार्डों को रद्द करके सभी राशन कार्ड नये वितरित कर दिये जायेंगे।

सस्ते गल्ले की दुकानों के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जहां तक सम्भव हो, वितरण का कार्य सहकारी समितियों द्वारा ही कराया जावे।

यह बात निर्विवाद सत्य है कि देश में खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का अभाव है और इन वस्तुओं का उचित वितरण किया जाना आवश्यक है। राज्य सरकार का यह विचार है कि उपलब्ध खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण में बहुत बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं एवं जनता के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाय। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सुगठित करने के लिये देश के उन राज्यों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की जा रही है जहां वितरण व्यवस्था पहले से ही व्यवस्थित ढंग से चल रही है। शीघ्र ही सार्वजनिक वितरण की उचित व्यवस्था के बारे में कारगर कदम उठाने के लिये प्रयत्न किये जायेंगे। इस संबंध में यह बता देना उपयुक्त होगा कि जयपुर में जाली राशन

(श्री शिवचरण माथुर)

कार्ड्स के संबंध में व्यापक जांच के लिये एक विस्तृत कार्यक्रम बना लिया गया है जिसके अनुसार जयपुर नगर परिषद की सीमा में तारीख 18 नवम्बर से प्रत्येक मोहल्ले में घर घर जाकर राशन कार्ड्स की जांच तथा नये राशन कार्ड्स जारी किये जाने का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इस कार्य के प्रारम्भ होने के 20 दिनों के अन्दर पूर्णतया नये राशन कार्ड जारी करने का कार्य सम्पूर्ण कर लिया जायगा।

पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स

राजस्थान में पेट्रोल की सप्लाई कोयला व ट्राम्बे (कांडला) रिफाइनरी से विशेषतया होती है देश में सूखा पड़ने, विद्युत की कमी वेगनों की कमी, गुजरात में बाढ़, कोयाली रिफाइनरी में पानी आ जाने आदि कारणों से माल का आना बन्द हो गया था। इसके अलावा विश्व बाजार में नेपथा की कीमत बढ़ जाने से विश्व व्यापी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कमी होगई है। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को लिखा गया कि वे पेट्रोलियम पदार्थों के उपयोग में कमी करें।

1972 में राजस्थान के लिये आवंटित केरोसिन की मात्रा में बराबर बढ़ोतरी होती गई जो दिसम्बर, 72 में 10321 मेट्रिक टन तक पहुंच गई थी। इसके पश्चात् ही यह मात्रा प्रति मास कम होती गई तथा मार्च, 1973 में 8016 मेट्रिक टन ही रह गई। यह प्रश्न समय समय पर भारत सरकार के तेल मंत्रालय द्वारा बुलाई गई बैठकों में राज्य के प्रतिनिधि द्वारा उठाया गया। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इस कमी के कारण राज्य सरकार के लिये केरोसीन का आवंटन नहीं बढाया जा सका अतः राज्य सरकार को राशन कार्ड पर ही केरोसीन के वितरण करने की व्यवस्था करनी पड़ी।

पेट्रोलियम पदार्थों का वितरण मेसर्स भारतीय तेल निगम लिमिटेड, बर्माशैल, एस्सो और कालटेक्स द्वारा किया जाता है। शहरों के म्युनिसिपल क्षेत्र में जो पेट्रोल पम्प हैं वे दूसरी कम्पनियों द्वारा चलाये जाते हैं। इन पेट्रोल पम्पों को कम मात्रा में पेट्रोल मिलता है। जब भी पेट्रोल की थोड़ी सी कमी होती है आई. ओ. सी. के पेट्रोल पम्प को छोड़कर सारे पेट्रोल पम्प एक साथ सूखे हो जाते हैं। राज्य सरकार आई. ओ. सी. के पेट्रोल पम्प लगाने का विचार कर रही है ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न न होवे। पेट्रोल के भाव तेल कम्पनियां भारत सरकार के आदेशानुसार निर्धारित करती हैं तथा वे ही अपने पेट्रोल पम्पों द्वारा इसका वितरण करवाती हैं। एल. डी. ओ. व केरोसिन के भाव राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशानुसार जिलाधीशों द्वारा निश्चित किये जाते हैं।

केरोसीन का आवंटन बढ़ाने तथा सुचारू रूप से पेट्रोल डीजल की सप्लाई के लिए राज्य सरकार ने उच्च स्तर पर प्रयत्न किये।

राज्य सरकार के विशेष आग्रह पर एल. डी. ओ. स्पेशल ट्रेन, फालना व भीनमाल के लिये जाने वाली है तथा इस प्रकार मिक्सड (मिली जुली) स्पेशल जोधपुर को रवाना होगी। इससे स्थिति में काफी सुधार आजावेगा।

(श्री शिव चरण माथुर)

सीमेन्ट

सीमेन्ट का वितरण सीमेन्ट कन्ट्रोलर द्वारा किया जाता है। जून, 1973 से राज्य का कोटा निश्चित किया गया है और तीसरी व चौथी तिमाही में उसी के आधार पर वितरण किया गया है। राज्य सरकार को जो कोटा मिलता है उसका 60 प्रतिशत राज्य के विभागों में 10 प्रतिशत उद्योगों, जिनकी आवश्यकता एक वेगन से ज्यादा की है, व 30 प्रतिशत फ्री सेल जो जनता व लघु उद्योगों, जिनकी आवश्यकता एक वेगन से कम है, को वितरण किया जाता है।

इस वर्ष राज्य में बड़ी मात्रा में पावर कट लगाया गया था जिससे राज्य में लगी हुई फेक्ट्रीयां भी प्रभावित हुई और उत्पादन में कमी हुई जिसकी वजह से सीमेन्ट समय पर नियमित तौर पर विभिन्न जिलों में नहीं पहुंच पाया।

राज्य के जिले जिसमें बाढ़ आई उनके लिये 10,000 टन का विशिष्ट कोटा नियमित कोटे के अतिरिक्त भारत सरकार से मांगा गया है और जो मौजूदा कोटा है उसको भी बढ़ाने का एवं सीमेन्ट की सप्लाई बराबर आती रहने के लिये प्रयत्न जारी है।

कोयला

राज्य में कोयला लघु उद्योगों एवं ईंटें व भट्टे व जनता के लिए सिफारिश उद्योग विभाग द्वारा प्रिफरेन्शल मोवमेन्ट के लिये जो निर्धारित लिमिट है उसके आधार पर की जाती है परन्तु निर्धारित लिमिट के बराबर कोयला राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं हो रहा है और केवल 35 प्रतिशत ही उपलब्ध हो पाया है। इसका मुख्य कारण रेलवे द्वारा वेगन नहीं दिया जाना है व कभी कभी खानों में कोयला पर्याप्त मात्रा में नहीं उपलब्ध होना है।

राजस्थान में कोयला छोटी लाइन द्वारा ज्यादातर स्थानों पर पहुंचाया जाता है और बड़ी लाईन से छोटी लाइन में लाने की वजह से बहुत कठिनाई होती है और समय भी बहुत लगता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि कोयला राजस्थान को बड़ी लाईनों के स्टेशन जैसे भरतपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा और गंगानगर पर पूरी गाड़ियों में पहुंचाया जाये जहां से वह उपभोक्ताओं को दिया जा सकेगा।

इस पर भारत सरकार का निर्णय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसका वितरण लघु उद्योग निगम द्वारा करने का सुझाव है। ताकि हार्डकोक जो घरों में जलाने के काम में भी लिया जाता है उसकी कमी होने के कारण जलाने के लिए अब नहीं मिल सकेगा और उसके स्थान पर सोफ्ट कोक लाने की कार्यवाही की जा रही है जिससे जनता को कठिनाई न हो। हार्डकोक केवल उद्योगों को ही दिया जा सकेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पिछले सत्र को स्थगित करने से पहले सदन में, उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता होगा कि एक स्थगन प्रस्ताव रखा गया था जिसमें खाद्यान्न में, राशन में किये जाने वाली कटौती और उससे उत्पन्न स्थिति के कारण जो राजस्थान की जनता का जीवन दूभर हो गया था, खाद्यान्न की कमी के कारण से उस पर तुरन्त राहत देने की घोषणा करने के लिए माननीय खाद्य मन्त्री

(श्री गुमान मल लोढ़ा)

अपना वक्तव्य दे, हमारी मांग को लेकर सदन में सवाल उठाया गया था। उस समय यह कहा गया था विशेष तौर से, और आपको पता होगा सदन आधे घंटे तक स्थगित रहा, स्थगन प्रस्ताव स्वीकार हुआ लेकिन सदन अपने आप स्थगित हो गया क्योंकि स्वाभाविक उसका महत्व था और उस समय अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में बैठे हुए तय किया गया था, उस समय के जो खाद्य मंत्री थे वह 12 तारीख को इस बारे में घोषणा करेंगे और उन्होंने सम्पर्क किया श्री शिंदे व श्री फखरुद्दीन साहब से दिल्ली में और यहां पर निर्णय लिया गया था कि घोषणा की जाएगी कि जनता को राहत दी जाएगी। यह असफलता की कहानी, लैप्सेज चाहे वनस्पति की हों चाहे कोयले की न लेने की चाहे माइलो की न लेने की इन लैप्सेज की दुख भरी कहानी पहले ही हम सुन चुके हैं, हम अपेक्षा करते थे कि आज घोषणा की जाएगी, राजस्थान की जनता को कम से कम 10 किलो खाद्यान्न सस्ती कीमतों पर या 8 किलो, चाहे मोटा अनाज हो चाहे गेहूं हों, उपलब्ध कराया जाएगा और उस कैटेगोरीकल घोषणा के लिए हमने बार-बार मांग की कि भाषण नहीं चाहिए, राशन चाहिए, भाषण की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता राशन की है और हमने यहां पर निवेदन किया था येन-केन प्रकारेण, वाई, बारो ग्रार स्टील, चाहे खाद्य मंत्री चाहे मुख्य मंत्री दिल्ली में खाद्य मंत्री के घर के आगे धरना दें, लेकिन आपको राजस्थान की जनता को सस्ती दर पर अनाज मुहैया कराना पड़ेगा। यह सुनकर कितना असंतोषजनक वातावरण बना कि जो पहले श्री परसराम मदेरणा ने कहा था उसी ही की बात को दोहराकर दूसरे शब्दों में आमूलचूल के परिवर्तन की जो बात थी वह यह हुई कि हमारे मंत्री महोदय श्री मदेरणा यहां से उठकर और उधर चले गए और माननीय माथुर साहब उधर बैठे थे इधर आ गए लेकिन राजस्थान की जनता की तकलीफों की कहानी में आमूलचूल परिवर्तन किसी प्रकार का नहीं हुआ, उसको राहत देने के लिए एक भी घोषणा नहीं की गई। यह आज का वक्तव्य है वह सारा का सारा रीएक्शनरी स्टेप है, रेट्रोग्रेड स्टेप है, चाहे कुलक लोबी हो, चाहे साहू जैन लोबी हो, किसी प्रकार का चोला पहन कर चलें दूसरी बात है। लेकिन जनता चाहती है कि राशन में गेहूं 8 किलो या 10 किलो गेहूं दें। इस बारे में कोई घोषणा नहीं की गई। यह सदन के साथ विश्वासघात है, यह सदन की गरिमा के खिलाफ है। जब हमने निश्चित रूप से निर्णय लिया था कि घोषणा की जाएगी लेकिन केवल आंकड़े दिए गए कि वैगन्स नहीं मिले इत्यादि। यह पुरानी कहानी है, राज्य सरकार हमेशा लेप्सज करती आई है — चाहे माइलो हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे कोयला हो।

हमने ग्रेन का टेकोवर किया। आपको पता होगा कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में जिस समय सुब्रमनियम ने प्रस्ताव रखा और राष्ट्रीयकरण का विरोध किया गया और कहा गया अमेंडमेंट करेंगे। मोहनकुमारमंगलम् ने कहा खाद्य टेकोवर कर लें, इसकी घोषणा की गई। तो मैं सीधा प्रश्न करना चाहता हूं क्या मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार करेंगे कि कारण चाहे कोई भी हो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चाहे गलत हो प्रोक्यूरमेंट पोलिसी चाहे फेल हो गया हो, चाहे कुलक

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

लोबी हो चाहे नीति निर्धारण करने के बाद इम्पलीमेंट करने की इच्छा न हो, लेकिन राजस्थान में खाद्य डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सस्ती दर पर अनाज देने की जो उनकी घोषणायें हैं उसमें भी असफल हुए हैं, यह कन्फ्यूजन है माथुर साहब की स्टेटमेंट का, यह इकबाल है मुलिजम का कि राजस्थान की जनता को पर्याप्त मात्रा में धान देने का आज भी आश्वासन नहीं देते। जब सत्र चल रहा है तो भी अनाज नहीं दिया जाता है तो इसके बाद प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तो आज भी डिबेट की समाप्ति से पहले आंकड़ों के जाल, जंजाल और जगलरी में जाने से केवल डिबेटिंग सोसाइटी बनकर हम रह जायेंगे। भूतपूर्व खाद्यमंत्री आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते थे लेकिन उनका स्वयं का आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है, वह विदाई समारोह से हो या आपके स्वागत के रूप में हो लेकिन हम स्वागत तब करते जब घोषणा करते कि राजस्थान की जनता को कम से कम 8 किलो व 10 किलो दिया जाएगा लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। केवल आंकड़ों का जंजाल बता दिया कि इतने टन एलाट हुए, इतने टन लैप्स हो गए। गांवों के अन्दर और शहर के अन्दर 10 किलो धान दिया जाएगा, यह हमारी मांग है लेकिन एक स्थान पर 8 किलो दिया जाता है, एक पर 6, एक पर 2 किलो दिया जाता है, एक पर सिर्फ 3 किलो दिया जाता है। जयपुर में 2 किलो, 3 किलो, जोधपुर में 3 किलो व 4 किलो, उदयपुर में 6 किलो। गांवों में कुछ भी नहीं और चीनी के बारे में कहीं पर एक किलो कहीं पर पाव किलो कहीं पर आधा किलो कहीं पर कुछ भी नहीं। हमारे नवनियुक्त खाद्य मंत्री ने इस बात के लिए बीड़ा उठाया है और कहते हैं कि इसमें परिवर्तन करने वाले हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या परिवर्तन किया? पहले घोषणा की गई थी कि फूड एडवाइजरी कमेटीज में पीपुल्स रिप्रेजन्टेटिव्ज पार्टीसिपेशन होगा। इस बात को कहकर राज्यपाल महोदय ने आज्ञा दी। लेकिन आज 5-5 महीने हो गए, हमने जिलाधीशों से कहा बैठक बुलाइए, वहां इस बात पर विचार किया जाए धान मिलता नहीं, चीनी मिलती नहीं। वनस्पति सीमेंट, कोयला, गैस नहीं मिलता। सुबह से शाम तक लगातार गृहणियां विद्यार्थी बच्चे सारा काम छोड़कर भटकते रहते हैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले ऐसा था कि इस बारे में सदन में मुख्य मन्त्री महोदय इस पर वक्तव्य देने वाले थे लेकिन वह किस मुंह से सेल्फ कनफेसन करते कि हमारी जनता को अनाज मुहैया कराने की नीति असफल रही। हम जनता को अनाज दिलाने में असफल रहे। यह उनका मैं सेल्फ विंडिकेशन मानता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अब मुख्य मन्त्रीजी ने अब यह भार जो नये खाद्य मन्त्री बने हैं श्री शिवचरण माथुर साहब उनके उपर डाल दिया कि वह इसका जवाब दें। ये खाद्य मन्त्रीजी पहले इस सदन में कई बार कुल्लक लाबी की चर्चा यहां पर कर चुके हैं कि कुल्लक लाबी आड़ी आ रही है जिससे कि खाद्य स्थिति में गड़बड़ी पैदा हुई है। अब देखते हैं आज वह क्या वक्तव्य देने वाले हैं। क्या घोषणा करने वाले हैं। जनता को कितना अनाज देने वाले हैं। कितना अनाज बढ़ा कर देने वाले हैं। अब राष्ट्रीयकरण की नीति के अन्तर्गत वह कितना अनाज मुहैय्या कराते हैं। कितना अनाज किसानों से प्रोक्योरमेन्ट करते हैं। जनता के सामने उसका टेस्ट है। लेकिन मैं

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

समझता हूं कि राजस्थान सरकार फूड के नाम पर, फ्लड के नाम पर, फेमिन के नाम पर हमेशा जनता को केन्द्रीय सरकार को बीफूल करती है । जो धन केन्द्रीय सरकार से फेमिन के नाम पर फ्लड के नाम पर मिलता है उसको यह वर्कस को, सरपन्चों को, मिस्त्रियों को, श्रोवरशियरों को, इन्जीनियरों को पैसा बांट देते हैं ताकि जब चुनाव आयें चाहे वह पंचायतों के हों, चाहे वे विधान सभा के हों, उनको मदद करें उन्हें जितावें । इस तरह आपने चीनी का घोटाला करके लोकसभा का चुनाव जीता । इसी प्रकार अपने अपने लोगों का घर भर कर आप चुनाव जीतते हैं आपको जनता के हित अहित का कोई ध्यान नहीं है। मैं उपाध्यक्ष महोदय इसका उदाहरण देता हूं कि जब मनचन्दा कमेटी आयी तो पैसा देने की जब बात रखी तो उन्होंने कहा कि पहले जो पैसा दिया उसको आपने कहां खर्चा, उसका हिसाब दो तो पैसा दें। लेकिन यह क्या हिसाब देते क्योंकि इन्होने तो अपने आदमियों में पैसा बांट दिया था। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय आप के भारत सरकार के शिन्दे साहब जो खाद्य मन्त्री हैं उन्होने भाषण दिये थे कि हमारे पास तीन लाख टन अनाज सरप्लस है। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूँ कि कहां गया वह तीन लाख टन जो आपके मन्त्री महोदय कह रहे थे वह जब राजस्थान की ढाई करोड़ जनता अनाज के लिये तरस रही है तो आपने केन्द्र से धान मुहैया कराकर क्यों नहीं राजस्थान की ढाई करोड़ जनता को बांटा। लेकिन मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि राजस्थान गवर्नमेन्ट सिर्फ भाषण देना जानी है । राजस्थान का मन्त्री मन्डल सिर्फ स्लोगन मोंगरिंग मन्त्री मन्डल है। आज का युग स्लोगन मोंगरिंग युग है। इससे सिर्फ स्लोगन्स से लोगों का पेट नहीं भरता है। हमें एट दी कोस्ट आफ लाइफ स्लोगन्स की जरूरत नहीं है । आज राजस्थान की जनता को भाषण की जरूरत नहीं राजस्थान की जनता को राशन की जरूरत है। भाषण तो कांग्रेस सरकार आज 25 वर्षों से रही है । आज दुर्भाग्य से कहा चाहे सौभाग्य से कहो आपने अगर अनाज का राष्ट्रीकरण कर दिया है तो कम से कम लोगों को खाने को अनाज तो पेट भर के दो । अगर आपके यहां पर अनाज कम पैदा हुआ है तो अनाज का राष्ट्रीकरण करके आप कमिटेड है कि राजस्थान की जनता को अनाज विदेशों से मंगा कर दें। आप चाहें अमेरिका से मंगा कर दें, आस्ट्रेलिया से मंगा दे । रूस को जरूरत थी उसने अमेरिका से सौदा किया वहां से अनाज खरीद कर लाये, चीन ने अमेरीका से अनाज खरीदा लेकिन आप न तो जो बड़े बड़े किसान है, बड़े बड़े व्यपारी है उनसे अनाज निकलवा कर जनता को मुहैया करते हैं और न आप विदेशों से अनाज मंगा कर जनता को मुहैया करा कर देते हैं। आपने जगलरी आफ स्टेटिक्स के द्वारा घोषणा कर दी कि हमारे पास तीन लाख टन अनाज पड़ा हुआ है और हम जनता को भूखे नहीं मरने देंगे । अब यह अनाज कहां है। आज बड़े शहरो में गांवों में लोग कतारे लिये अनाज के लिए खड़े हैं। लोग हजारों की तादाद में क्यू लगाये खड़े रहते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आज आप सदन में खाद्य मंत्री घोषणा करें कि हम अनाज दे रहें हैं उससे ज्यादा अनाज देगें चाहे वह अनाज आप अमेरिका

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

से मंगवावे चाहे ग्रास्ट्रेलिया से यह जनता नहीं जानती आप जानते हैं नहीं तो ग्राप कहिये कि हम ग्रसफल हो गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सन्दर्भ में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पहले हमारे यहां जब भी बजट भाषण होता था तो यही कहते कि बरसात कम हुई इसलिये ग्रनाज कम हुग्रा लेकिन ग्रब की बार तो इन्द्रभगवान भी राजी है ग्रौर इन्द्राणी भी राजी है अब भी राजस्थान की जनता ग्रनाज को क्यों तरस रही है ग्रापके भूतपूर्व मंत्री जी खाद्य के बारे में बड़े बड़े भाषण देते है दुर्भाग्य से ग्रब वह ट्रूजरी बेन्चेज से हट कर उधर से इधर बैठ गये हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : बैठे तो इधर ही हैं। उधर नहीं बैठे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इधर बैठें या उधर बैठें मगर गोटेवाला साहब ग्राप टीकी लगाकर शपथ समारोह में सम्मिलित होने को जा रहे हैं क्या

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह ग्रापकी धारणा गलत है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरी धारणा तो सही है क्योंकि ग्राज कई कांग्रेसी विधायक इसी बात की राह में अपनी जन्मपत्रियां वगैरह दिखा रहे है कि शायद कोई ज्योतिषी यह कहदे कि ग्राप के मनिस्ट्री का योग है, आप भी पूजा करा कर ग्राये हैं, लेकिन ग्राप टीकी मत मिटाईये……

श्री मोहम्मद गफ्फार ग्रली : ये मिनिस्टर बने तो ग्रापके मुंह में घी शक्कर।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब राज्य सरकार ने ग्रनाज का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने की घोषणा की तो हम खून का घूंट पी कर रह गये। काफी लोगों का काम छिन गया, काफी लोग बेकार होगये ग्राज स्थिति यह है कि उपाध्यक्ष महोदय कि शायद विधान सभा सत्र समाप्त हो जायेगा इसलिये हम चाहेंगे कि माननीय मन्त्रीजी इस बारे में ग्राश्वासन दें। मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के एम० एल० ए० तो इसलिये इन्टरेस्ट नहीं लेते हैं कि वह सभी मिनिस्ट्री के चक्कर में हैं। ग्राज तो स्थिति यह है कि हर ग्रादमी मिनिस्टर बनना चाहता है। ग्राज सुबह की बात बताना चाहता हूं कि विधायक-पुरी में एक पागल दौड़ता हुग्रा जा रहा था ग्रौर यह कह रहा था कि मैं मिनिस्टर बनूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : पागल को हमेशा पागल ही मिलते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पागल तो कांग्रेस के एम० एल० ए० हो रहे हैं मिनिस्ट्री के लिये मुझे मिनिस्ट्री नहीं लेनी मैं तो ग्राज जयपुर में कांग्रेस के एम० एल० एज. की स्थिति बता रहा हूं।

श्री लक्ष्मणसिंह : यह तो मैं भी मानता हूं कि कांग्रेस दल के लोग मिनिस्ट्री के लिये पागल हो रहे हैं……

श्री श्रीराम गोटेवाला : ग्राप महारावल साहब क्या फरमा रहे हैं यह ?

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं तो जो देख रहा हूं वह कह रहा हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आज दर्जियों के के यहां कांग्रेस के एम. एल. एज. की भीड़ लग रही है कोई सूट बना रहा है, कोई शेरवानियां बना रहा है कोई जन्मपत्री दिखा रहा है कि पता नहीं कब मुख्य मन्त्रीजी के यहां से शपथ समारोह में भाग लेने का बुलावा आजाय। मुख्य मन्त्री के इर्द-गिर्द चक्कर लगा रहे हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : लगाने दो चक्कर आपका क्या है ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, अनाज की समस्या बहुत ही भारी है उसके साथ साथ आज बाजार में केरोसीन नहीं मिलता, सीमेंट नहीं मिलती पर आज कोई सुनने वाला नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात कह कर रहूंगा मुझे एक मिनट कहने दीजिये। मैं मन्त्री महोदय, से मुख्य मन्त्री से मांग करूंगा कि आज सदन में यह आश्वासन दें कि मह अनाज लाकर देंगे। मैं तो कहता हूं कि आप गेहूं के साथ साथ उतना ही मोटा अनाज दें लेकिन लाकर तो दे सरकार इस बात के लिये कमिटेड है कि जनता को अनाज पेट भरने के लिये दिया जायेगा। सरकार कहीं से लावे। यह सरकार की ड्यूटी है चाहे बाई बोरो एण्ड स्टील कुछ करके लावे पर जनता को अनाज मुहैया कराकर दें। इट इज दी ड्यूटी ऑफ दी गवर्नमेंट।

It was given in their menifesto and a decision was taken in the working committee. Special consideration is to be given to it.

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसके अलावा एक बात और निवेदन करनी है। मैं मुख्य मन्त्री को इस बात के लिये धन्यवाद दूंगा कि कल इन्होंने जो भाषण विधान सभा में दिया उन्होंने उसमें कहा था कि सभी कर्मचारियों पर से केसेज वापिस ले लिये जायेंगे। लेकिन इस बात के लिये मैं एक बात कहे बिना नहीं रहूंगा क्योंकि आज जो सरकारी कर्मचारियों पर यह केस क्यों चले। इसका कारण यह है कि जनता में मंहगायी बढ़ी और अनाज की कमी आयी अनाज लोगों को मिला नहीं तो सरकारी कर्मचारियों ने मांगे रखी और राज्य सरकार ने मांगे नहीं मानी हड़ताल हुई। इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को चाहिये कि जनता को अनाज मुहैया करावे। कल शिक्षा मन्त्री ने यहां जो अपना भाषण दिया उसमें उन्होंने शायद यह समझा कि मैंने जो भाषण दिया है वह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा लेकिन मैं कह सकता हूं वह स्वर्ण अक्षरों में नहीं काले अक्षरों में लिखा जायेगा। यदि राजस्थान के मन्त्रिमण्डल ने जनता को अनाज मुहैया नहीं कराया तो उपाध्यक्ष महोदय देश प्रदेश में आन्दोलन होगा, लोग जेल जायेंगे। आज आपके देश में अन्य प्रदेशों में आन्दोलन अनाज के लिये मंहगाई के विरुद्ध हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपने अखबारों में पढ़ा होगा और देखा होगा कि महाराष्ट्र में गृहणियां, गृह लक्ष्मियों ने बेलन लेकर जुलूस निकाला और कहा कि अब हम यह बेलन किसके ऊपर बेलें, किस मन्त्री महोदय के सिर पर बेलन मारें……

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप तो पापड़ बेलो।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, हम मानते हैं चावल की कमी है हमने चावल की कोई बात नहीं की। आपने प्रकारान्तर से मान लिया है कि आपकी अनाज की राष्ट्रीयकरण की नीति सफल नहीं हुई इसीलिये आपने आज यह जाहिर किया कि चावल को आप टेक ओवर नहीं कर रहे हैं जब तक कि केन्द्रीय सरकार अलाट नहीं करे कि पर कैपिटा पर हैड इतना चावल दे दिया जावेगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : असम में हो रहा है।

श्री श्रीराम गोटेवाला इनके भाषण पर भी राशन करवाइये साहब।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जनता इतनी एजीटेटेड इस प्रश्न पर कि आपने यह समझ लिया है कि चावल नहीं दिया जावेगा तो विद्रोह हो जावेगा। राजस्थान में तो आपने समझ लिया है कि इनको दो तीन किलो अनाज भी देंगे तो ये लोग भूखे रह कर सो जावेंगे। बगावत नहीं करेंगे। आन्दोलन नहीं करेंगे। इससे मुझे ताज्जुब हुआ। यहां तो आपकी यह हालत है। उधर केरल में आपने चावल का व्यापार इसीलिये हाथ में नहीं लिया क्योंकि मुस्लिम लीग के लोगों के पास चावल का थोक व्यापार है और मुस्लिम लीग वहां शासन में कांग्रेस की पार्टनर है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आन ए पोइंट ऑफ इनफोर्मेशन सर। सतीशचन्द्र अग्रवाल भूतपूर्व सदस्य विधान सभा, बाहर मिलने आये हैं हाई कोर्ट के मसले पर चर्चा करने के लिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अग्रवाल मेरे से बाहर मिलने आये हैं इसलिये मैं राज्य सरकार के इन काले कारनामों का भण्डाफोड़ करना बन्द कर दूं यह उनकी आशा मैं पूरी नहीं होने दूंगा। वे इन्तजार कर लेंगे बाद में मिल सकते हैं।

तो मैं असम की केरल की बात कह रहा था। स्पष्ट है कि हमारे पास बम्पर स्टाक नहीं है। गेहूं नहीं है। हम मुहैया नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं आप स्पष्ट स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी इस बारे की नीति असफल हुई है। आपने काटन यार्न के लिये किया। बाद में हटा दिया यह कह कर कि आवश्यकता नहीं है। सहकारी समितियों के मार्फत इसका नियमन करने की बात कही। उसी तरह से आपका यह भी एक्सपेरीमेंट फैल हो चुका है। तो इस मरी हुई लाश को क्यों घसीट रहे हो?

आप इसे तब अपने हाथ में लीजिये जब आपके पास बफर स्टॉक हो, पूरे देश भर में राशन में देने के लिये वितरण करने के लिये आपके पास पूरी व्यवस्था हो। आपके पास दस किलो प्रति व्यक्ति देने जितना राशन गेहूं, जौ, चावल हो। आप सारे अनाज का मोटे अनाज का भी तब राष्ट्रीयकरण कर लें। सारे का सारा व्यापार सरकार करे इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि व्यापार करने वाले व्यापार को जानते हैं। कोई कमी सरकार बनती है तो यह बात सामने आती है कि साहू जैन ने

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

बनाई। आज कुलश्री इधर आ गये। अब कुलक्षी और साहू जैन के बीच में मुठभेड़ हो रही है। साहू जैन के रिप्रजेन्टेटिव्ज हैं तो वे उनको खराब लगने चाहिये, पर ताज्जुब नहीं साहू जैन के विरोध करने वाले इधर से उधर हो गये इस बार। यह दो बैलो की जोड़ी बिछुड़ गई।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आज तो गाय और बछड़ा है। बैलों की जोड़ी नहीं है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आज तो वे आपके बंगलों में बैठे हैं। मोरारजी देसाई के फोलोग्रर, बैलों की जोड़ी के क्लेमेन्ट आप के दायें हाथ की तरफ बैठे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरे दायें तरफ भी बैठे हैं। पर जिनकी मेहरबानी से जिनके बल बूते पर चन्दनमलजी यहां बैठे हैं गड़बड़ करेंगे तो वे अलहदा होंगे। वे भी इधर बैठे हैं। आज कैसे हैं अपने आइने में अपनी तस्वीर देखें। क्या तस्वीर है, कैसे बनी है। कैसे आप यहां आये हैं। कौनसे बैल का जोड़ा, बैल या बछड़ा था। क्या था ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपने यह आइना दिखाने वालों का धन्धा कब से पकड़ा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आइना दिखाने पर पैसा तो नहीं मांगेंगे ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय मन्त्रीजी ने वित्तमन्त्रीजी ने यह स्पष्ट कर दिया और मानलिया कि उनकी गेहूं को नीति फेल हो गई है। अब तो इसका क्रिया-कर्म करने के लिये एक लोटा अपने हाथ में ले लें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : लोटा और लंगोटी दोनों साथ ले लें आप तो।

श्री लक्ष्मणसिंह महारावल : आपकी नीतियां यही रही तो ये ही नहीं देश के लाखों और करोड़ों लोगों को आप लोटा और लंगोटी दे देंगे और लोटा भी नहीं रहेगा, केवल लंगोटी ही रह जावेगी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पहले रोटी तो गरीब को मिल जाती थी आराम से किसी तरह। पर आज तो वह भी मिलनी दुर्लभ हो गई है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आज रोटी मक्खन के साथ मिलती है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सपना लीजिये अब मक्खन के और रोटी के।

श्री लक्ष्मणसिंह : वह तो आपके लिये रह गई आज। जनता को दीजिये वह रोटी।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लोटा तो जरूर है पर वह आपकी अरथी के आगे लेकर लोग चल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : अभी दस पन्द्रह दिन पहले बिरला हाउस से लोटे बंटे थे। उनको भी मिला है एक।

श्री गुमानमल लोढ़ा : रूस ने दूसरे महायुद्ध में जब भाग लिया तो वह जनयुद्ध बन गया और जब तक उसने भाग नहीं लिया तब तक वह साम्राज्यवादी युद्ध था।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

यह है इनके हाल। ये मुरादाबादी लोटे हैं। जिन्होंने देश का विघटन करवाया। जिन्ना का समर्थन करके पाकिस्तान बनवाया। गांधीजी को नाजियों का एजेण्ट बताकर बदनाम किया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : गांधीजी के बड़े भक्त बन रहे हैं। गांधीजी के हत्यारे उनकी बात करते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : गांधीजी के सही हत्यारे तो आप हैं। उनकी आत्मा को हनन करने का जघन्य पाप आज भी किये जा रहे हैं। उनकी लाश लिये फिर रहे हैं। काले कारनामों से उनकी लाश के साथ आज भी खिलवाड़ कर रहे है।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं संक्षेप में समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है पहले निवेदन किया था कि आज समय निश्चित कर दिया गया है कि 2.30 पर डिबेट कन्क्लूड कर दी जावेगी। इसलिये मैं पुन: समस्त माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे समय का ध्यान रखें। श्री लोढा साहब।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय सदस्यों को इस मसले को सीरियसली लेना चाहिये हंसी मजाक में नहीं लेना चाहिये। यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। यह लोगों की भूख से सीधा सम्बन्ध रखने वाला मसला है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे वित्तमन्त्री चव्हाण साहब यह कहते है कि वे मूल्य की स्थिति पर नजर लगाये बैठे हैं। अब वे कैसी नजर लगाये बैठे हैं। यह भगवान जानें या वे जानें। कौनसी दुरबीन है उनके पास कौनसा इन्स्ट्रूमेन्ट है। आज तो मूल्य तेजी से बढते ही जा रहे हैं। 21 परसेन्ट रेज हुए हैं इन्हीं दिनों में यह वे स्वयं मानते हैं। जर्मनी में केवल प्राइस लिस्ट में जीरो पोइन्ट दो परसेन्ट की वृद्धि हो जाने पर जनता इतनी उत्तेजित हुई और सरकार में बैठे व्यक्ति इतने ईमानदार थे कि जर्मनी में सरकार ने इस मुद्दे पर तत्काल स्तीफा देकर दूसरे योग्य व्यक्तियों के लिये रास्ता साफ कर दिया। यहां तो ये लोग इतने ढीठ हैं कि जिसकी सीमा नहीं। मुख्य मन्त्री ने कहा कि हम अनाज के राष्ट्रीयकरण में फेल हुए हैं। जनता को सस्ते मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं वे मुहय्या नहीं करा पाये यह स्वीकार करते हैं। हमारी वित्तीय स्थिति कमजोर होती जा रही है। पर फिर भी इन कुर्सियों से चिपके हुए बैठे हैं। आदमियों के बदलने पर भी आज कुछ नहीं बदला है। नेता बदले हैं पर नीतियां उनकी नहीं बदली हैं। इनकी आज वही नीति हो गई है जो सुखाड़िया सरकार की थी। ये कहते भी है कि हम पहले की नीतियों पर चलेंगे। उसी तरह कैबिनेट बनावेंगे। वैसे ही खावेंगे पीवेंगे। 1972 से बनाते आये हैं लेकिन नीतियां नहीं बदली और हम चाहते हैं नीतियों में आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिये। व्यक्तियों के परिवर्तन से कुछ नहीं होता है। चाहें घी का प्रश्न ले लीजिये कल यहां देशी घी आया था

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

आपको मालूम होगा पांच मिनिट के अन्दर गायब हो गया, क्योंकि वह कहीं दिखाई ही देता। डालडा वनस्पति भी नहीं मिलता है और जो फीगर दिया है डालडा के न मिलने का, उसका सारा का सारा भार राज्य सरकार पर है। राज्य सरकार ने डालडा का सारा कोटा लैप्स किया है। इसकी जाँच होनी चाहिये और उपाध्यक्ष महोदय कहां यह गया है वनस्पति घी के बारे में कि 1912 टन कोटा दिया गया है। जो कम्पनी थी उसको राज्य सरकार ने उपभोक्ता भण्डारों को न देकर प्राइवेट ट्रेडर्स को दिया। क्या उस कम्पनी के खिलाफ डी. आई. आर- में कोई कार्यवाही की ?

एक माननीय सदस्य : आप क्या प्राइवेट ट्रेडर्स को ....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : छोड़कर चले जा रहे हैं (महिला दर्शक दीर्घा से बालिकाओं के उठने पर)·····

(कई माननीय सदस्यों की एक साथ आवाज, अश्रव्य, व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप अपनी सोचें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : दर्शक दीर्घा तेजी से रिक्त हो रही है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, 1912 टन हमारी, राजस्थान सरकार को अलॉट किया गया था। वह क्यों लैप्स हुआ। क्यों नहीं उपभोक्ता भण्डारों में आया ? जुलाई के अन्दर उपाध्यक्ष महोदय, चीनी का वितरण नहीं कराया गया। इसी प्रकार सितम्बर में चीनी का वितरण····

श्री उपाध्यक्ष : जनरल टापिक पर··

श्री गुमान मल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय आपको भी लिमिट करना पड़ेगा और हमको भी लिमिट करना पड़ेगा लेकिन क्या जनता अपनी आवश्यकताओं के लिये खुदकसी कर लें, अपने मायूस बच्चों के लिये क्या दोनों टाइम रोटी का प्रबन्ध नहीं करे ? आज बाजार में हर चीज का अभाव है, केरोसिन बाजार में मिलता नहीं, तेल बाजार में मिलता नहीं, क्रूड आइल बाजार में मिलता नहीं, खाद बाजार में मिले नहीं, वनस्पति घी के बाजार में दर्शन नहीं, दैनिक आवश्यकताओं की कोई चीज बाजार में नहीं मिल रही सीमेन्ट नहीं, क्रूड आईल नहीं खाद नहीं, केरोसिन नहीं, डालडा नहीं, चीनी नहीं, गेहूं नहीं, देशी घी नहीं, कोई चीज बाजार में उपलब्ध नहीं है। आदमी खुदकसी नहीं करें तो क्या करेगा। ये सब चीजें सोचने की हैं उपाध्यक्ष महोदय·······

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं तो अपना स्थान ग्रहण कर लेता हूं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय आज विधान सभा का सत्र समाप्त हो जायगा और मैं भी अपनी बात समाप्त कर लूंगा और माननीय मंत्री महोदय घोषणा करते रहेंगे और घोषणाओं के लिये एक टेप रेकार्ड रख और वे कहते रहे कि आमूल-चूल परिवर्तन कर रहा हूं, मंत्री मण्डल में आमूल-चूल परिवर्तन कर रहा हूं, लेवी के मामले में आमूलचूल

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

परिवर्तन कर रहा हूं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इन सबसे समस्या का हल नहीं होगा। हल अब होगा जब बाजार में सस्ती दर पर दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुयें मुहैया होगी। 8–9 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति सस्ती दर की दुकानों से दिलवायें, वनस्पति उचित मात्रा में उपलब्ध करायें, सीमेन्ट का मूल्य पर वितरण हो आज सीमेन्ट की हालत यह कर रखी है कि 80 प्रतिशत कोटा तो सरकार ने अपने लिये रखा है और 20 परसेन्ट कोटा पब्लिक के लिये रखा है। कलेक्टर और डी. एस. ओ. के लिये मैंने कई बार कहा और लिखा। एक डी.एस.ओ. के खिलाफ भी आपने कार्यवाही नहीं की। एक एक डी. एस. ओ. ने 50–50 हजार 1–1 लाख के बंगले बनाये हैं और राजस्थान की जनता का उन्होंने खून पीया है। उपाध्यक्ष महोदय यह सरकार मौन रह रही है, केवल नारे बाजी का भ्रामक प्रचार कर रही है रेडियो व अन्य साधनों से धुआंधार प्रचार करके जनता को धोखा देती रही है और अगर ऐसा होता रहा तो राजस्थान की जनता उठ खड़ी होगी। हमने पहले भी आन्दोलन किया था, 63 में आन्दोलन किया 1965 में आन्दोलन किया और उसका परिणाम कांग्रेस सरकार ने यह किया कि 8–8 बार हमें जेल के सींखचों में बन्द कर दिया लेकिन हम भी जेल भर देंगे। ढाई करोड़ की जनता राज्य सरकार को बाध्य कर देगी। अच्छा यही है कि राज्य सरकार स्वयं अपने आप इस पर विचार करे और राजस्थान की जनता को सस्ता धान, सस्ती चीनी, सस्ती सीमेन्ट, सस्ता केरोसिन, सस्ता तेल उपलब्ध करे। मैं समझता हूं मंत्री महोदय इस पर अवश्य गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे तो वास्तव में कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी और जो नये नये मंत्री आये हैं, हम उनसे यही उम्मीद करके चलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय ·· ••• ·

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : वैसे तो आपका हुकुम है लेकिन एक दृष्टिकोण आ गया। कम से कम उसका दूसरा दृष्टिकोण भी आ जाना चाहिये।

श्री मीठालाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले भी आवश्यकता वस्तुओं के बारे में बहस कर रहे थे और सरकार ने कुछ उसके निराकरण के लिये सुझाव माने थे लेकिन मैं समझता हूं उस समय समस्यायें बढ़ी हैं, घटी नहीं है तो क्या सरकार दिनोंदिन समस्याओं को बढ़ाने के लिये कोई प्रक्रिया बना रही है, कोई इस प्रकार के नियम बना रही है, या अवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं। मैं समझता हूं सरकार बुराइयों के लिये ही यह सब कर रही है। जबसे घोषणायें की है समस्यायें गंभीर हुई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, दैनिक आवश्यक वस्तुयें कुछ को छोड़कर अधिकांश भाग तो किसान पैदा करता है और कुछ उद्योग पैदा करते हैं तो क्या आपने उत्पादन के लिये, किसान को अधिक उत्पादन के लिये कुछ प्रयत्न किये हैं जिससे उपभोक्ता को चीजें सरलता से उपलब्ध हो सकें ? मैं पूछना चाहता हूं उसके लिये आपने क्या किया ?

(श्री मीठालाल)

आज किसान जो गल्ला पैदा करता है उसका भी आप राष्ट्रीयकरण करते हैं और भी अनेक तरह की नई नई प्रक्रियायें चला रहे हैं। कन्ट्रोल की या किसी तरह की उसके लिये तो आप चाहें जो तरीका अपनाते जायं। जयपुर के लिये 10 हजार बोरी की आवश्यकता है और आप पांच हजार बोरी ही दे रहे हैं उसे चाहे आप सोसायटी से बंटवायें, चाहे सस्ते गल्ले की दुकानों से बंटवाये और चाहें किसी भी तरीके से बंटवाये वह तो कमी की कमी रहेगी जब तक पूरी मात्रा में....(मंत्री महोदय के बाहर चले जाने पर) मंत्री जी तो गये उपाध्यक्ष महोदय (मंत्री महोदय के वापिस आने पर) नहीं दिया जायगा तब तक यह समस्या रहेगी। मैं पूछना चाहता हूं आज आप किसान के लिये क्या कर रहे हैं? जनता के भाग्य से फसल अच्छी हुई हैं लेकिन आगे की फसल अच्छी हो इसके लिये आप अभी से क्या कर रहे हैं। यह तो आपका नारा है, अच्छी फसल हुई तो कह दिया यह हमारी हरित क्रान्ति का परिणाम है और बुरी फसल हो जाती है तो कह देते हैं इन्द्र भगवान की कृपा है। आगे के लिये भी वर्षा हो, समय पर उसके लिये आप किसान के लिये क्या कर रहे हैं। किसानों को न बिजली दे रहे हैं, न किसानों को खाद का वितरण कर रहे हैं, न किसानों को क्रूड आइल दे रहे हैं, न उनको बीज दे रहे हैं— कोई चीज आपकी समय पर नहीं हो रही है।

एक तरीका अपना लिया है 25 प्रतिशत खपत की कमी करो यह भी कोई तरीका हुआ सवा सौ मरीजों की दवा है और अगर 150 मरीज आ गये तो 25 प्रतिशत तो कटौती और 25 को दवा नहीं तो आवे तो यों ही मर जायेंगे इसलिये रेट गिराने का जो आपने यह तरीका अपनाया है वह सही नहीं है। आप कम से कम विदेशों से जो डीजल आइल, क्रूड आइल आया है और जो कीमत उन्होंने बढ़ाई है वही आप बढ़ा देते इसमें और आपको एड करने की क्या आवश्यकता थी। उपभोक्ताओं पर तो पहले से ही मार पड़ रही है और उसमें भी आपने ऊपर से और पैसा बढ़ा दिया। यह आपका सही तर्क नहीं है। आपको तो उसमें और सब्सिडी का पैसा मिलाकर जैसा और चीजों में भी आप करते हो उन्हीं पैसों में क्रूड आइल और पेट्रोल देते।

उपाध्यक्ष महोदय, खाद के बारे में या सीमेंट के बारे में जो दूसरे राज्य हैं उन्होंने अपनी अलग प्रक्रिया अपनाई है। आज गुजरात में जो अपना खाद और सीमेंट है वह अन्य राज्यों को उसी समय देते हैं जब कि अपने राज्य को पूर्ति हो जाती है। हरियाणा और गुजरात और दूसरे राज्यों में भी यही होता है कि अपनी जरूरत की पूर्ति होने के बाद ही दूसरे राज्यों को जाने देते हैं। फिर राजस्थान ही ऐसा क्यों दबा हुआ है। जो वहां पर सीमेंट पैदा होता है और खाद पैदा होता है, जो वनस्पति पैदा होता है वह भी बाहर भेज दिया जाता है। इसके लिए आप भी यह प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाते कि जब तक इस राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी दूसरों को नहीं देंगे। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको यहां की पब्लिक इसके लिए बाध्य कर देगी। इतना ही जिलों तक के लिए पाबन्द कर देगी। सवाई माधोपुर में सीमेंट पैदा होता है लेकिन सवाई माधोपुर के

Page No 66

(श्री मीठालाल)

लोग सीमेंट के लिए तरसते रहते हैं और वहां पर एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री सीमेंट की लगा कर बैठे हुए हैं। आखिर लोगों के धैर्य की भी सीमा होती है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जिला और राज्य की जनता आवेश में आकर आपकी इस व्यवस्था को भंग कर दे और लूट खसोट मचा दें। उपाध्यक्ष महोदय, जब तक आप किसी भी चीज के उत्पादन और वितरण की समुचित व्यवस्था पर जोर नहीं देंगे तब तक समस्या का हल नहीं हो सकता है। आपकी जो उत्पादन और वितरण की व्यवस्था है वह इतनी गलत है और वह इसलिए है कि इसमें कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो पांच-पांच रुपये रोज में कपड़ा बेचने वाली औरतों को पकड़ कर जुलूस निकालते हैं और छापे मारने के नाम पर दुकानें बन्द करवाते हैं और जो कुछ वितरण व्यवस्था है उसको भी भंग कर देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जो व्यवस्था है उसको फेल करो और इस ढंग से आतंक फैलाओ और जो व्यवस्था चल रही है उसको भी फैल कर दो। आपने जरूर चावल के राष्ट्रीयकरण के बारे में जो नीति अपनाई है वह अपने स्वविवेक से अपनाई है और उनकी राय को नहीं माना है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भविष्य में भी उनकी राय से बिल्कुल एकदम विपरीत चलिए वरना जैसा अभी लोटा वाली बात कही गई है, जैसे पहले वाले लोटा लेकर चले गए उसी प्रकार आप भी लोटा लेकर चले जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कोयले के बारे में है। कोयले के लिए यह कहा जाता है कि रेल के वैगन नहीं मिलते हैं और खानों में कोयला नहीं पैदा हो रहा है। लेकिन जो सरकारी अधिकारी बैठे हुए हैं आखिर वे क्या करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो भी कोयला आता है, जैसा कि आपने बताया कि लघु उद्योग निगम द्वारा बंटवाया जाता है लेकिन वह भी सही लोगों को नहीं मिल पाता है। छोटे छोटे उपभोक्ताओं को, शहरी लोगों को मिलने की बात तो दूर रही लेकिन जो उद्योगों के लिए कोयला आता है उसमें भी भ्रष्टाचार है। गत दिनों सवाईमाधोपुर के जिलाधीश ने सहकारी समितियों के द्वारा 45 टन कोयला दिया गया है। जब दरख्वास्तें आई तो उसमें से पांच सात को तो वह कोयला वितरण किया गया बाकी सारा कोयला जयपुर में आकर बिक गया। बड़े बड़े उद्योग थे जिनके पास कोयले की वास्तव में खपत है उनको एक भी टन कोयला नहीं मिला। उद्योग विभाग से जब इस बारे में निवेदन किया गया तो उन्होंने कहा कि प्रार्थना पत्रों में कुछ कमी थी वह वापस भेज दी गई। उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिला उद्योग अधिकारी, सवाई माधोपुर से जब मिले तो कहा कि यहां पर कोई प्रार्थना-पत्र नहीं है, सब के सब कहीं पर पड़े होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की कोयले की व्यवस्था है। जो उद्योगों के लिए ही कोयला होने की बात कहते हैं वह बिल्कुल गलत है। जिन लोगों को गलत कोयला दिया गया है उसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए और जो दोषी अधिकारी और पार्टियां हैं उनको दण्ड मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, सीमेंट के मामले में आज जो व्यवस्था चल रही है वह भी ऐसी ही है। इन दिनों में जो सीमेंट का मामला

(श्री मीठालाल)

चल रहा है उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और ब्लैक में सीमेंट बिक रहा है। इसके साथ साथ जो सीमेंट बनाने वाले कारखाने हैं वे ही बहतीगंगा में हाथ धोने में कसर नहीं छोड़ते। सीमेंट का कट्टा 50 किलो का होता है और इसमें ए बी सी श्रेणी भी होती है लेकिन 25 किलो, तीस किलो और पैंतीस किलो के कट्टे आए हैं। सीमेंट के कट्टों को पकड़वाया भी गया और उनको तोला भी गया, आपके जिला उद्योग रसद अधिकारी, जयपुर के समक्ष पेश किया कि 35-35 किलो के कट्टे हैं लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। बहुत से विधायक जो सवाई माधोपुर जाकर जयपुर उद्योग लिमिटेड से मिलकर आ गए, जो यहां पर पहले बहुत बवण्डर मचाते थे आज वही चुपचाप होकर उनकी हामी भर रहे हैं तो अवश्य इसमें कुछ मामला है। जयपुर उद्योग लिमिटेड लाखों रुपयों की बिजली की चोरी कर चुका है। जो बिजली उनको दी गई अगर वह किसानों को दी जाती तो उत्पादन बढ़ता लेकिन उनको दी गई और उन्होंने उस बिजली की चोरी की लेकिन जयपुर उद्योग लिमिटेड के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहां के सीमेंट के कांटे के बारे में कई दफा शिकायत की गई कि सीमेंट का कांटा खराब है, उसमें बेईमानी है, गलती है और वह 35-35 किलो, चालीस चालीस किलो तोलता है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। किसानों को या तो ब्लैक में ऊंची रेट पर सीमेंट दी गई और अगर परमिट भी दिया गया तो उनसे कह दिया गया कि लेना हो तो लो नहीं तो जाओ। सीमेंट मत ले जाओ। क्योंकि परमिट से सीमेंट मिल रही है और बाजार में 35-40 रुपये में सीमेंट का कोटा मिलता है और जब उसको परमिट से सीमेंट मिलता है तो उसको मजबूर होकर लेना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से सब जगह सीमेंट के मामले चल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से कपड़े के मामले में भी आज तक भारी तेजी आई है। यह सही है कि एक्सपोर्ट की वजह से ज्योढ़ी कीमतें हो गई हैं। लेकिन इसके साथ ही व्यापारियों ने भी इसकी कीमतें बढ़ा कर दुगुनी तिगुनी कर दी हैं। जो भी आपकी सस्ते कपड़े की दुकान थी वह फैल रही है या उनके पास पर्याप्त रूप से कपड़ा उपलब्ध नहीं है। जो क्रय विक्रय सहकारी संघ को आपने विशेष सहूलियत दी तो एक तो वहां रद्दी कपड़ा प्रायः पहुंचता है और वह जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं। जो उनके मर्जीदान होते हैं जिनसे उनका लगाव होता है उनको तो अच्छा कपड़ा दे देते हैं बाकी सोसायटीज को खराब कपड़ा देते हैं जो सोसायटीज के पास पड़ा रहता है और इससे सोसायटीज चल नहीं पाती हैं और वे आगे और कपड़ा लेने में असमर्थ रहती हैं। इसकी वजह से गरीबों को सही रूप में, भली प्रकार से कपड़ा नहीं मिल पाता है।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, जो आज ट्रक भाड़ा और यात्री साधनों में काफी फर्क पड़ा है कीमतों में। आज डीजल टायर ट्यूब सब ब्लैक में मिलते हैं। एक टायर की कीमत जो कि बारह सौ, तेरह सौ है वही सत्ताईस सौ और तीन हजार रुपये में टायर ब्लैक में मिल रहा है। अगर वह परमिट से लेते हैं तो छःछः महीने, सात

(श्री मीठालाल)

सात महीने में भी, बारह महीने तक भी उनको टायर नहीं मिल पाता है। इसलिए ट्रक वालों ने भी कीमतें बढाई है। इसलिए जो उनकी कम से कम आवश्यकता है उसकी पूर्ति तो की जाय और किसी भी तरह से किराये में राहत मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त आप ने उपभोक्ता मण्डी पर कृषि उपज समिति का टैक्स लगाया है। देश के अन्य राज्यों में कहीं पर भी दस पैसे से ज्यादा कृषि उपज समिति का टैक्स नहीं है। लेकिन राजस्थान में आपने प्रत्येक कृषि उपज समिति का टैक्स एक रुपया सैकड़ा कर दिया है और एक रुपये प्रति सैकड़ा में भी अगर कोई ए मण्डी से बी मण्डी में माल ले जाता है और बी से सी में माल ले जाता है फिर हर जगह एक रुपया सैकड़ा टैक्स लग जायगा। इस तरह से एक ही माल के लिए बार बार तीन तीन चार चार रुपया सैकड़ा टैक्स देना पड़ता है। आखिर यह टैक्स है किस लिए? कौनसी मण्डियों का विकास हो रहा है और इस तरह से आपने एक रुपया सैकड़ा टैक्स बढ़ा कर उपभोक्ता के साथ दुधार मार की गई है जो बिल्कुल गलत है। इस तरह के दोहरे टैक्स की मार को रोका जाय खास तौर पर इस महंगाई के समय में।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, जो आज बीज के मामले की स्थिति है उसमें कल परसों भी यह कहा गया था कि सब जगह बीज पहुंचायेंगे। इस बारे में कई जगह तो ऐसा देखने में आया है कि दशहरे की छुट्टी के दिन और दीवाली के दिन भी जो कृषि अधिकारी हैं उन्होंने अपने कार्यालय में बैठ कर लोगों को बीज दिया है। लेकिन जहां पर पहुंच नहीं है, प्रभावशाली लोगों की और मन्त्रियों की जिसमें दिलचस्पी नहीं है वहां पर आज तक भी बीज नहीं पहुंच सका है। आपने ज्यादा खर्चा लगा कर किसानों को बीज दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने बीस प्रतिशत लेवी लगा कर 85) रुपया के हिसाब से जो चना लिया है उसका क्या हुआ जबकि हजारों टन मौजूद है। उस चने को उचित रेट पर क्यों नहीं बेचा गया है जबकि आपने 85/- रुपये की दर से चना लिया है। वह किसानों को क्यों नहीं दे रहे हैं, उपभोक्ता को क्यों नहीं दे रहे हैं। उसका क्या किया है आपने?

श्री लक्ष्मणसिंह : मर्जी हुई तब निकासी कर दी और मर्जी हुई तब रोक दिया। आपने मन मकसद किया। मोस्ट आर बिट्रेरिली आपने यह किया है।

श्री मीठालाल : 85 रुपये आपने चना लेवी के रूप में लिया है। उसका क्या हुआ। आज बीज के लिये किसान तरसते रहे। जब चाहे चने के एक्सपोर्ट पर आपने लेवी लगा दी। यह 20 परसेन्ट लेवी आपने लगाई है एक्सपोर्ट पर। अब एक्सपोर्ट आपने बंद कर दिया। आज उपभोक्ता को वह लेवी का चना नहीं मिला है। अब यह सारा चना तस्करी से हरियाणा और पंजाब को आये दिन जा रहा है। गुजरात की तरफ जा रहा है ट्रकों के जरिये। यह इसलिए जा रहा है कि लेवी के रूप में आपने बन्द कर दिया? लेवी के लेकर आप एक्सपोर्ट होने देते परन्तु आपने यह क्यों बंद कर दिया? तस्करों से आये दिन सैकड़ों ट्रक

(श्री मीठा लाल)

जा रहे हैं और उपभोक्ताओं और किसानों को बीज रूप में भी चना नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आप इस तस्करी को रोकने की व्यवस्था करें।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों की उपज बढ़ाने के लिये आप बिजली, खाद और बीज समय पर देने के लिए समय पर उचित व्यवस्था कर देते हैं तो आपको आगे के समय में कोई दिक्कत नहीं आयेगी और यह व्यवस्था नहीं की तो आगे के दिनों में जैसे जनता आज आपको रो रही है और आपको रोयेगी, कोसेगी और आज तक तो आप बंगले पर बैठे रहे परन्तु अब आपका घेराव करेगी, आपको नंगा करेगी क्योंकि वह खुद तो नंगी हो गई है आपकी नीतियों के कारण और अब वह आपको भी नहीं छोड़ेगी। आप जो गंधर्व शादी करके इन भाइयों को लाये हैं, आप उनके इशारे पर मत चलिये वरना एक साल बाद ये आपको डूबा देंगे। इसलिए इनको अलग रख कर चलिये तो जनता को राहत मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार-अली।

श्री विट्ठलभाई (पीपलखूंट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दस मिनिट ही बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस खाद्यान्न के विषय में, बीज के विषय में आज जो यह बहस हो रही है, उस विषय में, मैं पहले ही बोल चुका हूं इसलिए अब ज्यादा नहीं बोलूंगा। सवाल तो यह है कि बार बार हमें, हम लोगों को इस विधान सभा में सरकार को कहना पड़ता है और कहते आ रहे हैं कि आपकी नीति क्या है। जब अनाज की समस्या होती है तो आप यह घोषणा कर देते है कि हम किसी को भूखे नहीं मरने देंगे। सबको, अकाल में जिन्दा रखेंगे। कभी बीज की समस्या होती है, हम लोग बोलते हैं तो आप घोषणा करते हैं कि बीज सब को देगें। बिना बुआई के कोई रकबा नहीं रहने देंगे, पानी देगें, बिजली देगे। और सब को देंगे। यह आपकी समाजवादी नीति की थोथी घोषणा है। यह घोषणा आप बरसों से करते आ रहे हैं, आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम लोग आपको कहते हैं—अगर आप लोग अब भी सम्भल जायेगें तो ठीक है। आप जानते है कि आपके साथ बहुमत है। बहुमत के जरिये आप काम करना चाहते हैं और जनता को झूठा आश्वासन देते हैं और झूठे आश्वासन से आप जनता से वोट ले लेते और फिर जनता को नचाते रहते हैं। लोगों को दुख है कि आप उनको धोखा दे रहे हैं। अब आप ज्यादा जनता से आशा न करें। लोगों ने आपकी नीति को समझ लिया है कि यह सब झूठी नीति है। आज हमारे मुख्य मंत्रीजी नये हैं। उन्होंने एक घोषणा की थी वे अपनी नीति से चलेंगे और बिलकुल पक्षपात नहीं करेंगे। वे जनता के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। यह अच्छी बात है लेकिन आज लोगों को खाद्यान्नों के लिये भूखे मार रहे हैं। आज दो रुपये किलो आटा शहर में मिल रहा है। यह तो शहर की बात है गांवड़ों की बात छोड़िये लेकिन इस जयपुर शहर में यह हालत है फिर गांवड़ों को कोई पूछने वाला नहीं है। अनाज आप नहीं दे पाये है। शक्कर का कन्ट्रोल आपने नहीं किया। चीनी

(श्री विट्ठल भाई)

कहीं शहर में एक आध किलो मिलती है लेकिन गांवड़ों में तो दीवाली पर, राखी पर चीनी के दर्शन नहीं होते हैं। किसी भी त्योहार पर गांवों पर, चीनी नहीं मिलती है। फिर गुड़ भी महंगा है। किसी तरह से त्योहार पर गुड़ खरीद कर गांव के लोग त्योहार मना लेते हैं। अगर आप टाइम पर कोई चीज नहीं दे पाते हैं तो फिर आपका यह कन्ट्रोल किस काम का है। अभी हिन्दुस्तान भर में एक घोषणा हुई—पेट्रोल के बहुत पैसे बढ़ा दिये डीजल के पैसे बढ़ा दिये, केरोसीन के पैसे बढ़ा दिये। खैर, पेट्रोल से गवर्नमेन्ट की भी गाड़ियां चलती हैं, उनको भी दुख होगा लेकिन डीजल के बिना गांवों में इंजन बेकार पड़े है। यह महंगाई दो तीन दिन पहले ही हुई है। जब मैं बांसवाड़ा गया था, कलक्टरी आफिस भी गया था तो वहां पर डिब्बे लेकर, किसान लोग हाथ में अर्जी लेकर लाइन में खड़े हुए थे पूछा तो बताया वे डीजल का परमिट लेने आये हैं। परमिट लेने के बाद वे डीजल लेने जायेंगे। मैंने कलक्टर साहब से पूछा 20/30 माइल से डिब्बा लेकर किसान यहां आते हैं, आप उनसे अर्जी मांगते हैं, परमिट देते हैं। उसके बाद ये पेट्रोल पम्प पर जाकर लाइन लगाते हैं फिर किस दिन ये खेती करेंगे, पम्प चलायेंगे और खेती को पानी पिलायेंगे? जिलाधीश महोदय ने सप्लाई आफिसर को बुलाया। उन्होंने कहा अभी कमी है, 10-15 लीटर सबको देते हैं। एक किसान तीस मील, पच्चीस मील अपना दिन खराब करके शहर आता है, वहां पर मोटर गाड़ी का रास्ता नहीं है, पैदल आता जाता है और फिर वह माथे पर डिब्बा लेकर जाता है वह भी 10-15 लीटर डीजल लेकर। यह डीजल कितने दिन चलेगा, एक दिन चलेगा और दूसरे दिन फिर उसको आना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है। जहां पर बिजली है वहां तो डीजल का कोई सवाल नहीं है लेकिन जहां पर इन्जिन चलते हैं उनको तो डीजल मिलना जरूरी है। उनको पूरा कोटा मिलना चाहिये किन्तु वह नहीं मिल रहा है। इन्जिन पड़े हुए हैं फिर पानी देंगे कहां से जब तक तेल नहीं मिलेगा इन्जिन नहीं चलेंगे और दूसरी तरफ आपने इसके भाव बढ़ा दिये हैं।

केरोसीन, बांसवाड़ा जिले की बात कहूंगा। वह आदिवासी इलाका है। बिजली का तो कोई सवाल नहीं है। आदिवासियों को बिजली की जरूरत नहीं रहती है। बड़े बड़े नेता शहरों में रहते हैं इसलिए बिजली की वहां पर जरूरत है। आदिवासी लोग तो इन्सान है ही नहीं। अब कहना भी नहीं चाहेंगे कि हमको बिजली दो। आज गांव के लोगों को चिमनी लगाने के लिए एक बोतल केरोसीन चाहिये परन्तु आप वह भी गांव वालों को नहीं दे पाते हैं। दस बीस मील से किसान लोग शहर में जाते है। एक बोतल केरोसीन का डेढ़ रुपया मांगते हैं। आपकी जो कन्ट्रोल की दुकान है उसका कोई ठिकाना नहीं है, तेल का ठिकाना नहीं है और ये बनिये कहां से ले आते हैं और ब्लैक में सवा रुपया, डेढ़ रुपया प्रति बोतल की दर से बेचते हैं। एक बोतल भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। कभी कभी तो लोगों को, गांवों में अन्धेरे में बैठा रहना पड़ता है। किसी तरह से वे गुजर कर रहे हैं लेकिन आज आप किसानों को केरोसीन नहीं दे पा रहे हैं। आज जयपुर जैसे शहर में केरोसीन के

(श्री बिट्ठल भाई)

लिए डिब्बे लेकर औरतें सुबह से शाम तक लाइन में खड़ी रहती हैं। यह क्या तमाशा है। अनाज नहीं है, केरोसीन के लिए लाइन में रहिये, डीजल के लिए लाइन में रहिये, चीनी नहीं है, कपड़ा नहीं है। क्या इसीलिए आपको जनता ने वोट दिये थे। क्या यही समाजवाद आप ला रहे हैं। सब जगह लाइन में खड़े रहें। और काम खराब करे, लाइन में खड़े रहें क्या घर में और कोई काम नहीं है। आज कर्मचारियों की औरतें लाइन में लग रही हैं क्या उनके घर में और कोई काम नहीं है। एक किसान खेती करने जायेगा या लाइन में लगने जायेगा। इस तरह से ही क्या आपकी यह समाजवादी नीति है। फिर आप कहते हैं बिजली देना चाहते हैं, पानी देना चाहते हैं परन्तु दिया कहां है? हमारे मुख्य मन्त्री भी थोथी घोषणा करते हैं। मुख्य मंत्री बनने से पहले मैं मिला था। हमारा बांसवाड़ा जिला ऐसा जिला है जहां सब फसलें पकती हैं परन्तु कुदरत भी सरकार का साथ नहीं देती है क्योंकि इस सरकार की नीतियां गलत हैं। इस बार भी वहां पर 95 इंच वर्षा हुई है। दस दिन, बारह दिन तक लगातार बरसात रही और पक्की पकाई मक्का सड़ गई। सरकार को कहा, उसकी रिपोर्ट दी। किसानों के मकान भारी बरसात के कारण गिर गये हैं, उनकी फसल खराब हो गई है इसलिए उनके लिये कुछ व्यवस्था सरकार की ओर से करें या न करें यह अलग बात है। लेकिन आप बीज की व्यवस्था करें क्योंकि पानी ज्यादा पड़ा है इसलिये चने की जरूरत ज्यादा रहेगी। दूसरा नम्बर गेहूं का रहेगा। गरीब लोग गेहूं बाहर से खर्च करके नहीं ला सकते, मंहगा नहीं ला सकते। वे फिर आपसे मजदूरी मागेंगे। इसलिए उनके लिए खाद और बीज का प्रबन्ध करें। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि ढाई हजार मन भेज दिया और फिर भेज रहे हैं। गेहूं भेज दिया है और आप चिन्ता न करें और सबको मिल जायगा। वहां पर पटवारी और जिलाधीश से पूछा तो 10-15 टन चना आया है और वह सबको नहीं देंगे। 8 पंचायत समितियां हैं उनको दो-दो टन देंगे तो एकाध गांव वालों को मिलेगा। वहां पर कोई 3 मन बोता है तो कोई 6 मन बोता है। बड़े बड़े गांव में 1 मन दे दिया या दो मन दे दिया तो उससे क्या होता है। मैंने खाद्यान्न की बहस के वक्त कहा था कि 1-2 हफ्ते में चना नहीं पहुंचा तो जमीन सूख जायगी और दूसरा अकाल हमारी छाती पर आने वाला है, क्योंकि आप व्यवस्था नहीं कर पायेंगे। अकाल के वक्त में भी आप नाज और मजदूरी की व्यवस्था ठीक नहीं कर पाते हैं। आप अभी तक तो घोषणा कर रहे हैं। वहां चना नहीं पहुंचेगा तो जमीन सूख जायगी। गेहूं का थोड़ा सा टाइम है। गेहूं है ही नहीं। हमने कहा कलेक्टर से तो कहा गया कि व्यवस्था कर रहे हैं। रोज टेलिफोन कर रहे हैं। हम क्या करें। हमारे हाथ में नहीं है। वहां पर आये तो देंगे। यहां बोलते हैं तो सरकार कहती है कि हमने भेज दिया और वहां पर पूछते हैं तो कहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है। हमें देंगे तो हम दे देंगे। तो हम जनता को क्या जवाब दें। आप तो जनता से मिलते नहीं हैं। (समय समाप्ति-सूचक घंटी) आप जाते हैं तो पुलिस को साथ में लेते हैं। आप घूमने भी जाते हैं तो एस०पी० और डी० एस० पी० और थानेदार आपके साथ में रहते हैं और जनता आपके साथ में नहीं आ सकती। पुलिस के पहरे में

(श्री विट्ठल भाई)

चीफ मिनिस्टर साहब घूमने जाते हैं। गरीब जनता उनसे रूबरू शिकायत नहीं कर पाती है पुलिस की धमकी के कारण और पुलिस वाले पहले ही उनको धक्का दे देते हैं। मिनिस्टर से बात ही नहीं करने देते हैं। उनके चुने हुए लोग आवाज करते हैं। आपके सामने आते हैं और कहते हैं कि यह व्यवस्था करो। अकाल सामने वापस आयेगा और फिर आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, और नहीं करेंगे तो हम लोगों को आन्दोलन छेड़ना पड़ेगा। आन्दोलन छेड़ने के बाद जैसा कि अभी कर्मचारियों की हड़ताल हो गई तो लाखों रुपया आपको उसमें खर्च करना पड़ा। आप पहले से ही व्यवस्था करते तो कुछ नहीं होता। इसलिए हम आपको जो सुझाव देते हैं उन सुझावों को मानें क्योंकि हम लोग सही सुझाव देते हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि सही समाजवादी हम है। आप नकली समाजवादी घोषणाएं करते हैं, और नकली घोषणाओं से न देश का भला होने वाला है और न गांव का ही, क्योंकि गांव वैसे के वैसे ही पिछड़े पड़े हुए हैं। उनको न तो आपने बिजली दी और न पानी दिया। दोनों ही हमारे जिले ऐसे ही पड़े हुए हैं। आप कहते हैं कि 25 वर्षों में काम किया है। ठीक है, शहरों में कॉलेज खोल दिये होंगे, लेकिन हरिजन और आदिवासियों को न तो अनाज दिया है, न पानी दिया है और न बिजली दी है, और उनकी झोंपड़ियां वैसी की वैसी हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इस साल भी अभी पानी की वजह से सारी फसल नष्ट हो गई। उनकी तरफ से बोलने वाला नहीं है। मैं थोड़ा सा कहकर बन्द कर रहा हूं।

तो मैं गेहूं के बीज के लिए माननीय कृषि मन्त्रिजी से निवेदन करूंगा कि गेहूं का बीज जो थोड़ा बहुत आप देंगे वह नकदी से न देते हुए किसानों को तकावी के रूप में बांटेंगे ताकि वह बीज लेकर खेती कर सकें, नहीं तो कोई फसल आये नहीं, पैसा है नहीं और वह खरीद नकदी से नहीं दे पायेंगे। जैसे चने का प्रस्ताव निकला है कि कुछ उधार में दिया है वैसा ही करें।

एक बात और कह दूं। खाद की जरूरत अभी राजस्थान में सभी जगह है, और यह समस्या सभी जगह है, लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। चौमासे की फसल में डालने के लिए 100 रुपये क्विन्टल में ब्लेक में लोगों ने लिया है, और आज भी ले रहे हैं लेकिन गेहूं और चने की बुआई के समय खाद डालने के लिए नहीं है, और सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। खाद का नामोनिशान नहीं है। आप कहते हैं कि बिजली कम थी इसलिए उत्पादन खाद का कम हुआ है तो फिर यह 100 रुपया बोरी कहां से मिल रहा है? यह आपकी व्यवस्था में कमी है। आप जब तक व्यवस्था की कमी को दूर नहीं करेंगे, और नीति में सफाई नहीं करेंगे और कर्मचारियों पर कन्ट्रोल नहीं करेंगे तब तक यह चलता रहेगा। किसानों को कोई चीज नहीं मिलने वाली है, और बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं वे फायदा उठायेंगे सभी चीजों में, और किसानों का कुछ नहीं मिलने वाला है, न शुगर मिलने वाली, न तेल मिलने वाला है। किसान और गरीब लोगों के पास शुगर जाती नहीं और सब इधर उधर बिक जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी नीतियों को सुधारें नहीं तो जनता भड़केगी और उस आग को आप बुझा नहीं सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली ।

कई माननीय सदस्य (कांग्रेस) : हमारी भी समस्याएं हैं । हमें भी समय दें ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपकी समस्याएँ हैं । आप गवर्नमेंट में हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । श्री गफ्फार अली ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, जो अभी दृष्टिकोण सामने आये हैं उनमें एक दृष्टिकोण स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ का आया और दूसरा दृष्टिकोण प्रगतिशील नीतियां रखने वाली पार्टी का और वह प्रगतिशील तत्व जो कि कांग्रेस में हैं, उनका दृष्टिकोण है । असल में यह संघर्ष जो आज चल रहा है वह आर्थिक स्थिति के ढांचे में जो परिवर्तन कर रहे हैं, वह उसूल और नीतियों का संघर्ष है ।

(1.58 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

स्वतन्त्र पार्टी काला बाजार करने वाले व्यापारी, ब्लेक मार्केटियर्स और होर्डर्स वगैरह जो यहां के हैं उनके साथ ही नहीं बल्कि फोरेन कन्ट्रीज अमेरिका और इस तरह के जो इम्पीरियेलिस्ट कन्ट्रीज हैं, साम्राज्यवादी देश हैं उनके साथ सांठ-गांठ करके वह यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर गरीबों का शोषण होता रहे, और गरीब बरबाद होता रहे, और वह लोग जो कि बड़े जागीरदार थे, राजा-महाराजा थे, पूंजीपति हैं जिनकी सांठ-गांठ थी और वह कांग्रेसी जो पूंजीपतियों से सांठ-गांठ किये हुए हैं और जनसंघ के नेता ने फरमाया उसका मकसद यह था कि वह असल में ब्लेक मार्केटियर्स और काला बाजार करने वालों की वकालत यहां पर प्रांगण में करते हैं......

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहस महंगाई के बारे में है या पूंजीपतियों के बारे में ...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपको कोई अधिकार नहीं है बीच में बोलने का ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य (श्री गिरधारीलाल भार्गव से) आप कृपया बीच में न बोलेंगे यह मैं उम्मीद करता हूं ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : नाबालिग लोगों को चुन लिया जाता है जिस का यह असर होता है । कम से कम मैट्रिक तक तो होना चाहिए । दिमाग खन्दे गुलक को पहुंचना चाहिए चाहे कुछ हो या न हो ।

तो मेरी गुजारिश यह है कि यह नीतियों का संघर्ष है ।

तो वितरण प्रणाली में जो आज लोग हैं वे ऐसी नीति स्थापित करना चाहते हैं जिससे कि यहां पर शोषण होता रहे । एक तरफ ये लोग हैं । दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी कांग्रेस के लोग हैं । जो यह कहते हैं कि समाजवाद कायम हो । छोटे बड़े का फर्क कम हो । यह तभी हो सकता है, जो कांग्रेस में लोग हैं और जो बाहर हैं, उनमें कुछ कहते तो यह हैं लेकिन असल में वह बड़ी बड़ी जमीनों पर कब्जा किये बैठे

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

हैं। पहले एक सुझाव रखा गया था। जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हैं, सोशलिस्ट पार्टी के साथ हैं उनके द्वारा। लेकिन मेरा ख्याल है, जो जागीरदारों के दलाल हैं, उनसे इस दिशा में कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। वह मुल्क के दुश्मन हैं। लेकिन बुनियादी सवाल यह है जो लोग कांग्रेस में बैठे हैं और पार्टी से ताल्लुक है उनमें से कुछ ऐसे धन्धे करते हैं। अगर एक मामूली आदमी 130 रुपये में गल्ला बेच रहा है तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर सुखाड़िया साहब अपने फार्म का गेहूं इस भाव में बेचते हैं तो हमको शर्म आती है। जिस पार्टी के साथ में हमने समझौता किया है वे जब इस प्रकार की नीतियों के खिलाफ करते हैं तो, ये लोग जो इस किस्म की नीति रखने वाले हैं, वे ज्यादा दिनों तक अपनी ताकत रखने वाले नहीं हैं। जो फूड मिनिस्टर आये हैं, वह जादू का डण्डा फिराकर अभी अभी मसले हल कर देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने ठीक नीतियां उस वक्त आपके सामने रखी थीं जिस वक्त गेहूं का थोक व्यापार आपने अपने हाथ में लिया था। हमने यह रखा था कि यह टुकड़े टुकड़े करके नहीं रखना चाहिए। अगर गल्ले के व्यापार को लेते हैं तो मोटे गल्ले का व्यापार भी हाथ में लेना चाहिए। ताकि होर्डर्स और ब्लैकमार्केटियर्स पर रोक लगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपकी अफसरशाही हमेशा हर कदम पर बाधा बनकर आती है। आपका सप्लाई डिपार्टमेंट हर किस्म का बाधक बना हुआ है। जब चाहते हैं, थोड़े से व्यापारियों को पकड़ कर बाद में उनको इधर उधर कर देते हैं। किन हालतों में पकड़े जाते हैं, किन हालतों में छोड़े जाते हैं, हमने कभी नहीं देखा है, किसी बड़े ब्लैकमार्केटियर को बाजार में निकालते हो ? बंगाल में यह हुआ है कि हथकड़ियां डालकर उनको सरे बाजार निकाला गया है, ताकि यह मालूम हो कि ये हैं, वे मुल्क के दुश्मन जो काला बाजारी करते हैं। मैं निवेदन करूंगा, जो नये वजीर आये हैं, वह प्रगतिशील नीतियों को अपनाना चाहते हैं। उनको भी हमें देखना है। हमको देखना है कि इस मशीनरी में वह किस प्रकार से फिट होते हैं। किस तरह से वह चलते हैं। ये संघर्ष की नीतियां हैं। हमको एक दूसरे को अपनाने का काम करना होगा। आपके सामने जिम्मेदारियां आई है। या रखी गई हैं। राष्ट्रीयकरण नीति का परिणाम है। मैं कहना चाहता हूं, लोढ़ा साहब, जिसका राष्ट्रीयकरण नहीं, वह चना 160 रुपये में मिले जो 125 रु० में बाजरा 140 रु० में, यह क्यों ? उसका तो राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है। यह भी तो कह दो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मक्की बाजार से गायब है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : बजाय उसके.......

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जनसंघ की वजह से नहीं बढ़े हैं। यह आपकी भ्रष्ट नीतियों का परिणाम है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा, जो भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उनको शांति से बोलने दें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यही तो वजह है। जब लोगों में मेच्योरिटी नहीं होती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर वह अपना चेहरा आईने में देखते तो पता चल जाता कि उनका चेहरा कितना बदनुमा है।

आज मैं चैलेंज करता हूं कि जिस चीज पर राष्ट्रीयकरण नहीं है, उस का क्या हाल है। गुड़ 4 रु० में मिल रहा है। बाजरा, ज्वार आपने जिस का राष्ट्रीयकरण नहीं किया है। उनके भाव चरमसीमा पर पहुंच गये हैं। किस लिए, व्यापारी वर्ग होर्डिंग के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ आप टुकडे टुकड़े करके समाजवाद लाना चाहते हैं। समाजवाद हिम्मत से, इमानदारी से, और हौसले से आता है। यों नहीं आता है कि फक्खरुद्दीन अली अहमद ने कह दिया कि राइस का राष्ट्रीयकरण नहीं करते हैं। इसको उन्होने स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया। हमारे खाद्यमन्त्री जी इसे कन्ट्रोल नहीं करेंगे तो वह अपनी नीतियों को कामयाब नहीं बना सकेंगे। तो मैंने जो कहा है, जो आईना दिखाने वाले लोग हैं, उनकी शकलें किस प्रकार की हैं। जो नक्शा रखा गया है जो बदला हमको मिलता था उसकी मात्रा दिनों दिन कम होती जा रही है। इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। आज भी हमको सोचना चाहिए। जेल में रहने वाले आदमी को जो गल्ला मिलता है, वैसा बाहर साधारण आदमी को नहीं मिलता है। आप यह कहते हैं कि हमारे को एलॉटमेंट कम हुआ है। आपको पावर्स हैं जिसके जरिये से आप कर सकते हैं। आपको जो रास्ता दिखाने वाले हैं, वे इस बात पर तैयार नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आप नहीं करना चाहते हैं। मैं फूडग्रेन्स प्रीवेन्शन आफ होर्डिंग एक्ट की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें एन्टी होर्डिंग के सिलसिले में है क्लाज 5 जिसमें तय किया गया है कि होर्डिंग को किस तरह से रोका जायगा। इसमें लिखा गया है कि आपको पावर है आप किसी भी चीज की मात्रा फिक्स करें, प्राइस फिक्स करें और फूडग्रेन्स कन्ट्रोल आर्डर में भी आपको पावर्स हैं। इन दोनों पावर्स को आपने अवेल नहीं किया है। आपको पावर है कि आप प्राइस फिक्स करें उस पर आप उस गल्ले को ले सकते हैं। आप 6 किलो गेहूं देते हैं और 6 किलो और कोई चीज दी जाए, बाजरा दिया जाए, चना दिया जाए लेकिन जो पावर्स हैं आपको, उसका इस्तेमाल आप नहीं करना चाहते, आपको उन पावर्स का इस्तेमाल करना आवश्यक है। इस तरह अपने इसेन्शल कमोडिटीज एक्ट की तरफ तवज दिलाता हूं। कम्यूनिस्ट पार्टी जिस समय एजीटेशन कर रही थी उस समय हमने मोशन रखा कि आप कृपा करके सीमा निश्चित करें कि एक आदमी इससे ज्यादा गल्ला अपने पास नहीं रखेगा। 10 तारीख को मुख्य मन्त्री ने घोषणा की थी कि इतने क्विंटल से ज्यादा गेहूं किसी गोदाम में नहीं रह सकता, आज तक कानून नहीं लागू किया। जब मुख्य मन्त्री के डिक्लेयरेशन को भी आप लागू नहीं करना चाहते हैं तो फिर माना जायगा कि आपकी होर्डर्स से सांठगांठ हैं, राज्य सरकार उनको शरण देना चाहती है। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी नीति क्यों अपनाई जा रही है। पहले बहुत बड़ी तादाद में सांठगांठ करके करप्ट पुलिस विभाग और हमारा जो सप्लाई विभाग है, उन्होंने लाखों टन चना

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

यहां से निकाल दिया उसके बाद घोषणा की गई कि चना एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो उसके लिए मैं राज्य सरकार को मुबारकबाद देता हूं, यह सही दिशा में कदम है, जब तक राजस्थान की आवश्यकतायें पूरी नहीं होती तब तक बाहर नहीं जाना चाहिए। जिस चीज पर कन्ट्रोल नहीं है, उसको कन्ट्रोल करना चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

सभापतिजी वैसे तो आपसे कुछ नहीं कह सकता....

श्री सभापति : जो समय निर्धारित किया है....

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : मैं अपनी पार्टी का आखिरी रिप्रेजेन्टेटिव हूं।

श्री सभापति : आपको पर्याप्त समय दिया गया है।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : शुरू से ही अगर यह प्रेकॉशन लेते तो एक सा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता लेकिन उनकी हठधर्मी है। हाल ही में इकानामिक टाइम्स के कुछ आंकड़े प्रकाशित किए गए थे। उन्होंने कहा 1947 के बाद में तमाम खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हुई है और कहते हैं कि 5 गुना कीमतें बढ़ गई। यह तो रहा दरकिनार। नेशनल कान्फरेन्स आफ एप्लाइड इकानामिक रिसर्च ने रूरल हाऊसहोल्ड के बारे में कुछ फिगर्स दी हैं और कुछ फिगर्स इकानामिक टाइम्स ने घोषित किये थे। उन्होंने अन्दाज लगाया है कि हिन्दुस्तान की कुल आबादी में 10 करोड़ को 42 पैसा रोजाना मिलता है, 5 करोड़ को 32 पैसे और 7 करोड़ को 27 पैसे मिलते हैं, कुछ को 68 पैसे। इस प्रकार एवरेज 42 पैसे एक आदमी को मिलते हैं। अगर एक आदमी का अनाज का रेकुयारमेंट 6 किलो या 8 किलो माना जाए तो उसकी कुल आमदनी है 15) प्रति मास जबकि केवल अनाज पर खर्चा 12)60 है। बाकी तीन रुपये के अन्दर घर का इन्तजाम करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, कपड़े का भी इन्तजाम करना पड़ता है। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो इस मुल्क में पैदा नहीं होती हो, दुनिया की कोई ऐसी क्लाइमेट नहीं जो यहां नहीं हो, मैदान भी हैं, नदियां भी हैं और बड़े बड़े रेगिस्तान भी हैं। जो चीजें जहां भी पैदा हो सकती हैं यहां कुदरत की इतनी देन है लेकिन व्यापारी वर्ग ने, ब्लैक मार्केटियर्स की होर्डिंग केपसिटी ने देश को तबाह कर रखा है। आप इन आंकड़ों का मुलाजा फरमायें।

उसके बाद हिन्दुस्तान में 10 करोड़ टन अनाज पैदा हुआ। आप हिन्दुस्तान की आबादी 55 करोड़ मान लें और बच्चों बूढ़ों को छोड़ कर एवरेज 40-45 करोड़ यूनिट्स मानें तो आपको मालूम होगा कि यदि 12 किलो के हिसाब से दें तो भी 10 करोड़ टन में से 7 करोड़ टन गल्ला का कन्जम्पशन है बाकी तीन करोड़ टन गल्ला कहां जाता है? गुमानमल लोढा की जेब में जाता होगा, होर्डर की जेब में जाता होगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आपकी भ्रष्ट जेबों में जाता है।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली: पूंजीपतियों के ये एजेंट्स बनकर बैठे हैं। तो इनका तीन करोड़ टन गल्ला क्यों नहीं पकड़ा जाता?

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

लेकिन बात यह है कि बुनियादी सवालों को डील नहीं करना चाहते हैं। सरकार द्वारा आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, उन आंकड़ों की तरफ भी हम आंखें मूंद लेना चाहते हैं। यहां गल्ले की कमी नहीं है, 12 किलो भी दे सकते हैं फिर क्या वजह है कि केवल 3 किलो अनाज आप दें। जयपुर में त्राहि-त्राहि मच रही है और बोरियां रखी हैं, आदेश नहीं हुए। इसलिए गल्ला मुहैया नहीं हो रहा है। आप क्या चाहते हैं ? इन्सान हवा खाकर जीए ? इसके अलावा क्वालटी कैसी दी जा रही है ? खाद्य मंत्री नए आए हैं। आप सर्प्राइज विजिट दें, देखिए दुकानों पर किस किस्म का गल्ला दिया जाता है ? मेरी मान्यता है कि जो अच्छा गल्ला होता है, हो सकता है......

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : अभी बाढ़ पर भी विचार करना है इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मन्त्रीजी से कहें कि वह जवाब दे दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने भी स्थगन प्रस्ताव रखा है, मुझे भी बोलना है।

श्री खेतसिंह : आपके दल के नेता बैठे हैं, सबने बैठकर समय तय किया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बहुत महत्वपूर्ण विषय है, स्थगन प्रस्ताव मैंने रखा था।

श्री खेतसिंह : बाढ़ का कम महत्व है क्या ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जब सदन का समय खत्म हो जाए तो माननीय गिरधारीलाल भार्गव को इजाजत दें, जितनी जरूरत हो बोलने दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप लोग चमचागीरी करने में लगे हुए हैं.......

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे : शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कल सारा दिन यह हाऊस खुला रखा जाए और सारा दिन उनको बोलने दिया जाए।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। समय का ध्यान रखें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मुझे कोई हेसीटेशन नहीं है आप 11 बजे रात तक बोलिए।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : क्यों चीफ व्हिप ने सुझाव दिया इसलिए मैंने काऊन्टर सुझाव दिया, आप मानें या न मानें आपकी मर्जी।

श्री सभापति : यह बहस का विषय नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (श्री गिरधारी लाल भार्गव से): बाद में जो कुछ भी फरमायेंगे, मैं सब से सुन लूंगा, खुशनसीबी से मैं पैनल में चेयरमैन भी हूं, मैं आपकी सब बात सुनता रहूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उस समय केवल आप और गिरधारीलालजी सदन में होंगे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मुझे मंजूर है, मैं बैठा रहूंगा और उनकी बात सुनता रहूंगा।

Page No 78

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

सभापति महोदय, अब मैं थोड़ी गुजारिश सीमेंट के बारे में, पेट्रोल के बारे में, व केरोसीन के बारे में करना चाहूंगा। पेट्रोल व केरोसीन के बारे में आज जयपुर में यह स्थिति है कि पेट्रोल और केरोसीन के डीलर्स अपने मनमाने ढंग से पैसे वसूल जनता से कर रहे हैं। वैसे तो शायद उनको एक लीटर पर कुछ परसेन्टेज के हिसाब से पैसा मिलता है लेकिन इन डीलर्स की एक ऐसोसियेशन बनी हुई है और उन्होंने आपस में बैठकर यह तय कर लिया कि जो परसेन्टेज मिलती है उसके उपर पांच पैसे ओवरहाल चार्जेज और लेलें। यह उन्होंने पांच पैसे यूनिलेटरल सभी से लेने शुरु कर दिये हैं। यह इस बात के है कि जब कोई वहां गाड़ी जाती है तो उसके हवा वगैरह भर देते हैं और देखते हैं कि यह कोई अमीर आदमी है तो उसकी गाड़ी पर कपड़ा वगैरह फेर देते हैं। लेकिन अगर कोई मेरे जैसा व्यक्ति वहां चला जावे तो वह उनकी गाड़ी पर यूं ही हाथ फेर कर रवाना कर देता है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह आखिर इन्होने पांच पैसे ज्यादा किस कानून के तहत लेना शुरू कर दिया है। इसके अलावा सीमेंट की बहुत ही भारी कठिनाई जनता को महसूस हो रही है। पहले तो मिलती नहीं है और अगर मिलती है तो ब्लैक में दूसरे जितना वजन उन बोरियों में होना चाहिये उतना वजन उसमें नहीं होता है। इस लूटको तुरन्त बन्द किया जाना चाहिये। सभापति महोदय, आज राजस्थान में हमारे यहां पर सीमेन्ट के चार कारखाने हैं इसके बावजूद भी यहां पर सीमेंट की बहुत भारी कठिनाई है। अगर आज कोई शिकायत करने जाता है तो सप्लाई मिनिस्टर साहब उसको सुनने को तैयार नहीं हैं। मैं इसके लिये सप्लाई मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वह खुद इस मामले को अपने हाथ में टैक अप करें और इसके लिये जो दोषी व्यक्ति है दोषी व्यापारी हैं उन्हें दन्ड दिया जाना चाहिये। उनको चाहिये कि वह खुद अपने परसनल लेबल पर इन सभी स्थितियों का मुलाहिजा करें। आज आपका जो जयपुर में सप्लाई का एनफोर्समेन्ट स्टाफ है वह भी इन ब्लैक मार्केटियर्स से मिला हुआ है। इसलिये खुले आम ब्लैक हो रहा है। मैं खाद्य मन्त्री से यह गुजारिश करूंगा कि जनता के जो नुमाईन्दे है उन्हें अपने साथ में लेवें। उन्हें इसमें पावर देवें तथा इनवोल्व करें ताकि वह कुछ मदद करें। आज जयपुर में जनता को भाषण की जरूरत नहीं है जनता को राशन की जरूरत है। मैं मन्त्री महोदय को गुजारिश करूंगा कि आज वह सदन में माननीय सदस्यों को आश्वासन दें कि वह 12 किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति देंगे। जिसमें आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि 6 किलो गेहूं और 6 किलो मोटा अनाज दे दें। ताकि जनता को खाने का धान पूरा मुहैया हो जावे। बस यही मेरा निवेदन है।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर): सभापति महोदय, मुझे दो मिनट बोलने का मौका दें। सिर्फ दो ही मिनट लूंगा।

श्री सभापति : श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, आज सदन में खाद्य मन्त्रीजी का वक्तव्य हुआ और उस वक्तव्य के बाद में कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये। उसी सम्बन्ध में जनसंघ दल के नेता श्री गुमानमल लोढ़ा ने अपने विचार व्यक्त किये

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

और उसमें उन्होंने बार बार यही कहा कि या तो आप अनाज की समस्या को हल कीजिए वरना हम आन्दोलन करेंगे। और जेल भरेंगे लेकिन मेरा उनसे यह निवेदन है कि आन्दोलन करने से या जेल भरने से अनाज की समस्या हल नहीं होगा। अगर उनको कोई काम करना है तो कोई रचनात्मक कार्यवाही करे। आज सभापति महोदय लोगों को सिर्फ तीन किलो राशन गेहूं में दिया जाता है और वह भी ऐसा दिया जाता है कि जो लोगों को खाने के काबिल नहीं है और वह भी वक्त बे-वक्त जनता के हाथ नहीं आता है। मेरा अर्ज करना यह है कि जब फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया किसानों से या व्यापारियों से अनाज खरीदती है तो मेरे खयाल से अच्छी क्वालिटी का अनाज देख कर ही खरीदती है लेकिन बाद में जब यह राशन शाप पर वितरित होता है तो पता नहीं यह इतना सड़ा गला अनाज कहां से आ जाता है जो खाने के काम नहीं आता तो इसकी जांच करनी चाहिए और जो इनमें गड़बड़ी करने वाले हैं उन्हें दण्डित किया जाना चाहिए।

इसके अलावा सभापति महोदय, मैं एक बात और जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि दूसरे बड़े बड़े शहरों में गेहूं के साथ चावल और मैदा वगैरह भी दिया जाता है लेकिन यहां पर कन्जूमर्स को चावल और मैदा नहीं मिलता। इसके अलावा यहां पर आज सीमेंट की बहुत ही खराब व्यवस्था है। अगर मैं ज्यादा कहूं तो वही बात कही जायेगी कि साहू जैन के पीछे पड़ गये हैं। लेकिन सभापति महोदय, यह सही है कि आज स्थिति सीमेंट की बहुत खराब है और इसके लिए आपके डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिस के कर्मचारी और अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं। आज मैदा बनने के लिए अगर आटा दिया जाता है तो फ्लोर मिल वाले मालिक ने मुझे बताया कि दो दो महीने तक वह पड़ा रहता है लेकिन सप्लाई विभाग वाले एनफोर्समेंट आफिसर वगैरह आकर देखते तक नहीं हैं। इस प्रकार वितरण व्यवस्था में भी काफी गड़बड़ी है उसे ठीक करने की जरूरत है। सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जब हमने गेहूं का राष्ट्रीयकरण किया और अनाज को टेक ओवर किया तो हम इस बात के लिए कमिटेड हैं कि जनता को अनाज मुहैया करावें और अगर हम नहीं करा सकते हैं तो हम इसके लिए दोषी हैं। सभापति महोदय जब अनाज का थोक व्यापार हमने हाथ में लिया तो हमें प्रोक्योरमेंट भी पूरा गेहूं करना चाहिए। जब राजस्थान सरकार का टारजेट 20 लाख टन गेहूं का था तो हमारी राजस्थान सरकार ने सिर्फ डेढ़ लाख टन ही प्रोक्योरमेंट किया और यही कारण है कि हम लोगों को पूरा अनाज नहीं दे पाते। इसके अलावा मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि बाजरा का भाव भी आज बाजार में 80–90 रुपये क्विन्टल से कम नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि अगर आप जनता को गेहूं के साथ साथ आप अगर बाजरा भी मुहैया करा दें या मोटा अनाज मुहैया करा दें तो ठीक रहेगा। आज कई जगहों पर दो किलो कहीं पर तीन किलो और कहीं पर इससे भी कम दिया जाता है तो यह तो कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जनता को पूरा

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

राशन दिया जावे। इसके अलावा जो बात मैं कहना चाहूंगा कि हमें फसल के लिये सिर्फ कुदरत पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए अगर कुदरत रूठ जाये तो हमें ऐसी व्यवस्थायें बनानी चाहिये कि पानी की पूरी व्यवस्था खेती के लिए हो खाद की व्यवस्था हो, बीज की व्यवस्था हो ताकि हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। सभापति महोदय हम कमिटेड हैं इसलिए कि हम जनता को अनाज पूरा देंगे। इसके अलावा आज जयपुर में करीब एक लाख फर्जी राशन कार्ड बनाये हुए हैं लेकिन कोई पकड़ने वाला नहीं है। ऐसा कहते हैं कि रसद विभाग द्वारा जयपुर में 18 नवम्बर से फर्जी राशन कार्डों के लिये अभियान चलाया जा रहा है इसके लिये मेरा तो यह निवेदन है कि इस मौके पर जनता के प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाना चाहिये ताकि हम भी मौके पर जाकर उनकी मदद कर सकें। हमें उनके भरोसे ही नहीं रहना चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

मैं एक मिनट और बोलूंगा इसके अलावा मैं कुछ आपको पेट्रोल के बारे में भी निवेदन करूंगा। पेट्रोल की ज्योंही पेट्रोल के डीलर्स सुनते हैं कि पैसे बढ़ने वाले हैं वह अपना निल स्टोक बता देते हैं और ज्यों ही पैसे बढ़ते हैं दूसरे दिन जो निल स्टोक होता है वह डीलर्स के यहां पर टेन्कर्स भरे हुए बता दिये जाते हैं इन सब में रसद विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत होती है और लोग लाखों रुपये का ब्लैक का पैसा कमाते हैं। सभापति महोदय यहां पर पेट्रोल के डीलर्स ने एक ही रात में बीस हजार रुपये तक कमाये हैं। इसके अलावा सभापति महोदय वेजीटेबल घी के बारे में यह निवेदन है कि जो हमारे यहां पर बनता है उसे राजस्थान के बाहर जाने दिया जाता है और हमारा निर्धारित कोटा भी हमें नहीं मिलता। हमें इतनी उदारता नहीं रखनी चाहिये। सभापति महोदय एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके सहकारी समितियाँ भी अनाज के मामले में फेल हो गयी है। आपने जो एनफोर्समेंट स्टाफ भरती किया वह बिल्कुल बेकार है। इसमें आपको जन सहयोग को एक्टिव करना चाहिये। सभापति महोदय जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया कि सीमेंट में बहुत गड़बड़ है। आज स्थिति यह है कि सीमेंट की बोरी मिलती नहीं मिलती है तो ब्लैक में और इसके ऊपर यह कि उसका वजन जो कि 50 के०जी० होना चाहिये वह अगर आप सडनली चैक अप करे तो आपको उसमें वजन सिर्फ 35 किलो निकलेगा। इसकी जांच की जानी चाहिये और उसके लिये अगर कोई भी बड़ी पार्टी हो चाहे शाहू जैन हो चाहे कोई हो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये। थोड़ा कपड़े के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह भी जितना हमारी जनता को कन्ट्रोल का कपड़ा मिलना चाहिये वह नहीं मिलता इसकी भी जांच करने की जरूरत है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, सिर्फ आधा मिनट बोलूंगा और।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो द्रोपदी का चीर हो रहा है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कपड़ा आप चाहे क्रय विक्रय संघ द्वारा वितरण करावें वह आम जनता के पास नहीं पहुंचता है, सहकारी समितियां इसको करने में फेल हो गयी है। वहां पर बहुत ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसी प्रकार टायरों का भी भयंकर ब्लैक हो रहा है। ब्लैक का पैसा दो तो चाहें जो चीज चाहो जितनी मिल सकती है लेकिन कन्ट्रोल रेट पर कुछ नहीं मिल सकता। इन सब कामों के लिये जो सप्लाई स्टाफ है उसको दोषी मानता हूं। वह सभी भ्रष्टाचारी है। इसलिये मेरा मंत्री महोदय को निवेदन है कि इन सभी सुझावों पर जरा अमल किया जावे तो ठीक है और जनता को राहत मिलेगी। और जो जनसंघ दल के गुमानमल जी लोढा यह कह रहे हैं कि हम आन्दोलन करेंगे और जेल भरेंगे तो इससे तो आप काम करना नहीं चाहते। सिर्फ जेल जाकर मुफ्त में रोटियां तोड़ना चाहते हैं मेरा यह निवेदन है कि कुछ जन सहयोग का काम करें तो ठीक रहे।

एक माननीय सदस्य : मिनिस्टर बन जावेंगे तो पता चलेगा।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

श्री श्रीराम गोटेवाला : बस समाप्त कर ही रहा हूं। कोयले के बारे में यह निवेदन है कि वहां पर आप अपने एक अधिकारी को ब्राड गेज स्टेशन पर भेजें और इसके लिये भी उचित व्यवस्था करावें। ऐसा नहीं हो कि उचित व्यवस्था नहीं होने से कोयला का कोटा हमारा लेप्स हो जावे। अन्त में मेरा यही निवेदन है कि जयपुर राजधानी है वहां आठ लाख के करीब पोपूलेशन है बाहर से लोग आते हैं उन्हें आप कम से कम इतना अनाज तो दें कि लोगों को पूरा राशन मिल सके। इसके अलावा ऐसी व्यवस्था करावे कि लोगों को सीमेन्ट आदि उचित मूल्यों में मिल जावे और सीमेन्ट की बोरी कम वजन में होती है इसकी जांच करावें। बस यही निवेदन है।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : सभापति महोदय, दस मिनिट तो मुझे मिलेंगे ?

श्री सभापति : पांच मिनिट।

श्री अमृतलाल गहलोत : केन्द्र ने रेकार्ड उत्पादन का लक्ष्य रखा। राजस्थान में भी कहा गया कि नया रिकार्ड कायम किया जावेगा। पर दुर्भाग्य से परिस्थितियां विपरीत रहीं। परिणाम यह हुआ जैसा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कहते रहे हैं कि तीन किलो राशन देने की स्थिति में भी सरकार नहीं आ सकी। उल्टे उसने दो किलो कर दिया। यह तो हुई सरकारी राशन की दुकानों की बात। सरकार ने राजस्थान में गेहूं के आगमन पर से रोक हटाली। फिर से खुले बाजार में आज यह हालत है कि जोधपुर में जहां गेहूं का भाव 150 और 160 रुपया क्विन्टल तक चला गया है, जयपुर में वही 110 और 115 का है।

ये परिस्थितियां न रहें सबको समान रूप से अनाज मिल सके इसके लिये राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई गई। नीति का जहां तक प्रश्न है, नीति में खामी नहीं है। खामी उसकी क्रियान्विति में है। हमारे सामने तीन रास्ते हैं। पूर्ण नियन्त्रण, आंशिक नियन्त्रण और पूर्ण विनियन्त्रण। मैं इसके लिये मध्यम मार्ग बताऊंगा। वह यह है कि

(श्री अमृतलाल गहलोत)

पूर्ण नियन्त्रण तो हमारा लक्ष्य होगा। पर इसका फिलहाल व्यावहारिक मार्ग यह होगा कि मध्यम मार्ग हम अपनावें आंशिक नियन्त्रण का: पिछले वर्ष रबी में 35 लाख एकड़ पर खेती हुई। उत्पादन लगभग चालीस पचासलाख टन का हुआ। इसमें से लक्ष्य हमने रखा तीन लाख टन प्रोक्योर करने का। जिसमें से हुआ केवल $1\frac{1}{2}$ लाख टन ही। यदि इसके लिये हम ऐसी व्यवस्था करते कि एक एकड़ पर एक टन की लेवी का लक्ष्य रखते तो हमें 35 लाख टन अनाज मिल जाता। पर वह भी हम प्राप्त नहीं कर सके। आपने $1\frac{1}{2}$ लाख टन लिया। बाकी का माल खुले बाजार में छोड़ा आखिर वह कहां गया? आपकी ढीली नीति के कारण वह ब्लैक मार्केट में चला गया और आपकी पूर्ण नियन्त्रण की नीति असफल हो गई।

जो हो गया उससे हमें आगे के लिये सीख लेकर चलना है। पर फिर भी खरीफ में हमने ठोकर खाये हैं। प्रोक्योरमेंट का आपने टारगेट रखा वह पूरा नहीं हुआ। अब तीसरी ठोकर और खा रहे हैं। रबी के लिये अभी तक टारगेट फिक्स नहीं किया। अगर आपने आंशिक प्रोक्योरमेंट भी नहीं रखा तो इससे किसान, उपभोक्ता और ईमानदार व्यापारी परेशान होगा।

तो हमें पूर्ण राष्ट्रीयकरण तो अपना लक्ष्य अवश्य रखना चाहिये पर व्यावहारिक रूप में हमें धीरे भले ही हो पर दृढ़ता से चलना चाहिये।

अब इसमें आगे जाकर सारे खाद्यान्नों को तिलहन आदि सभी को हमें अपने हाथ में लेना होगा। नहीं तो डाइवर्सिफिकेशन हो जावेगा किसान दूसरी फसलों की तरफ चला जावेगा। अतः मेरा निवेदन है कि अगली फसल के हमें अभी से अपनी तैयारी करनी चाहिए और इसके लिये वह लक्ष्य रखना चाहिये जो व्यावहारिक हो। इस साल इस फसल में रिकार्ड उत्पादन की आशा राजस्थान में की जा सकती है। विदेशों में भी आज अनाज नहीं है। जो है उसकी कीमत आसमान छू रही है उधर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कमी होने भी सम्भावना है। मुस्लिम कन्ट्रीज ने एका कर लिया है। है। हमें इसकी पूर्ति भी करनी है अपने ही सोर्सेज से। पर वे अभी कम हैं। हमारा उत्पादन 22 मिलियन टन है। 60 मिलियन टन करना है। आसाम में नरकटिया में है, गुजरात में कलोल और खम्भात में एक्सप्लोरेशन से कुछ आशा है। जैसलमेर में आशा नहीं है। गैस मिल सकती है। इस बारे में हमें अपनी नीतियां बदलनी होंगी। इसलिये मेरा सुझाव है कि आप फोर्थ प्लान में अपना उत्पादन बढ़ाने पर जोर दीजिये।

तीस मिलियन टन लिगनाइट देश में है। आप क्यों नहीं पलाना में ओपन कास्ट माइनिंग से कोयला निकालें। नवेली में जैसा किया है। काश्मीर में है। वह आप निकालें। यह दो काम आ सकता है। इससे आप पावर जनरेट कर सकते हैं। इकट्ठा करके डोमेस्टिक यूज में ला सकते हैं।

पेट्रोल का उत्पादन सीमित हो गया है। इसे हमें बढाना है। इस पर से पांच हजार कैमिकल्स बनते हैं। नेप्था रबर

(श्री अमृतलाल गहलोत)

कपड़ा, प्लास्टिक आदि आदि। पेट्रोलियम प्रोडक्टस में कमी न आवे इसके लिये मेरा सुझाव है कि नीति आप निर्धारित करें कि अगले साल हम इतना पेट्रोल निकालेंगे, नये स्थानों पर पूरी रफ्तार से ड्रिलिंग करेंगे।

अनाज में आप प्रति एकड़ लेवी लगा दीजिये। बाकी माल बाजार में जाने दीजिये।

लिगनाइट के लिये योजना बनावें। इतना ही कहकर मैं अपना कथन समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : समय के हिसाब से मन्त्रीजी से कहा जावे आपकी सहमति हो तो।

श्री झाबरमल सुंडा : मैं भी बोलना चाहूंगा।

श्री सभापति : आप चाहेंगे तो नियमानुसार बोलने की इजाजत दूंगा। पर ऐसा है जो कुछ कहना था वह आपके दल के नेताओं ने कह दिया है और उन्होंने मिल कर यह व्यवस्था तो की है और उसी के अनुसार आसन ने सबको अवसर दिया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : समय आप रोज बढाते हैं, थोड़ा आज भी बढ़ा दीजिये। आज तो एक ही प्रोब्लम हमारे सामने है और वह है महंगाई की। नीतियां जो सरकारी पक्ष की हैं, वे रख दी गई हैं। अब तो हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं।

श्री सभापति : पांच मिनिट आपको जरूर दिये जावेंगे। श्री झाबरमल।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : समय तो मैं भी चाहूंगा।

श्री सभापति : आपकी ओर से मीठालालजी बोल चुके हैं।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : मेरे स्थगन प्रस्ताव तीन चार थे। कल मुझे कहा गया था।

श्री सभापति : श्री झाबरमल।

श्री झाबरमल सुण्डा (फतहेपुर) : सभापति महोदय, मैंने डिबेट में माननीय सदस्यों के विचार पूरी तरह से सुने और उनके विचारों को सुनने के बाद ऐसा लगता है आने वाले समय में शायद जो कुछ कमियां है उसको दूर कर देंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं पिछले दिनों इस पॉलिसी को कन्ट्रोल करने के लिये इन्सपेक्टर्स और आफिसर्स जिस जल्दी बाजी में लगाये गये उससे सारा राजस्थान चिन्तित था। लेकिन अब भी उनको बिना नियमों के और बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के इस फील्ड में लगा दिया गया है। वे बहुत ही खराब वातावरण इसमें क्रियेट करते हैं। मेरा निवेदन है अभी से आपको इस बारे सोच लेना चाहिये।

मैं खाद्य मंत्री के अलावा जो इस मामले में दोषी हैं, उनको भी इशारा करना चाहता हूं। मेरी मान्यता है कि अगर सबसे बड़ा दोष है तो वह है पॉलिटिकल थिन्किग। जिसमें इन्दिराजी ने डेमोक्रेसी को कुचलने के लिये कम्यूनिस्टों से सांठ-गांठ की। मैं

Page No 84

(श्री भावरमल सुण्डा)

समझता हूं स्टेट गवर्नमेंट को और सेन्ट्रल गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिये था। आज अपोजीशन नाम की कोई चीज नहीं है। आज सरकारें यह नहीं जानती हैं कि अपोजिशन क्या है और अपोजीशन का जनतन्त्र में क्या महत्व है इसलिये अपोजिशन को कमजोर करके इस देश पर काबू किया है और उसी का परिणाम है कि हमें इस स्थिति में जाना पड़ा है। और इसीलिये विदेशों ने हमारे देश पर कब्जा किया था। मान्यवर मैं एक निवेदन करना चाहता हूं पं० नेहरू ने नान एलाइनमेंट की पालिसी रखी थी, लेकिन इन्दिरा ने इस नान अलाइनमेंट पालिसी को भी उठाकर ताक में रख दिया और रशिया से पैक्ट किया। आज हमारा इंडियन ट्रेड इस बात के लिए दोषी है कि वह कारगर ढंग से नहीं चल रहा है। जितना अनाज हमको चाहिये थे उतना हमें नहीं मिल रहा है और वितरण के लिहाज से तो वह भी नहीं पहुंचा।

सभापति महोदय 20 लाख टन रूस ने गेहूं दिया। यह धन्यवाद की बात है लेकिन क्या उसने अपनी धरती पर पैदा करके दिया। यह हमारी थिंकिंग की कमी है। रूस दूसरे देश से खरीद कर हमें अनाज दे इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। सभापति हमें वे दिन फिर देखने पड़ सकते है जो 25 साल पहले थे। आज हमारी फॉरेन पालिसी बिलकुल फेल रही है। आज पेट्रोल, क्रूड आइल, केरोसिन आइल आदि की हालत क्या हो रही है, इनकी प्राइसेज आसमान छू गई है और जनता को मुहय्या नहीं हो रही है। यह सब किस कारण से है, यह सब अपोजिशन कमजोर होने के कारण ही है। आज अपोजिशन इंडिया गवर्नमेंट को डाइक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमारी पालिसी आप आये। आज देश में पेट्रोल की कमी है और विहिकल्स के चार्जेज बहुत बढ़ गये हैं लोगों की मजबूरी देखकर तांगे, रिक्शे वालों ने भी पैसे बढ़ा दिये हैं। इन्दिरा जी जनता को धोखे देने मात्र बग्घी गाड़ी में पालियामेंट स्ट्रीट अपने सचिवालय में गई। यह दिखावा मात्र नहीं है तो क्या है। एक कार उनकी बग्घी के आगे, दो कार उनकी बग्घी के पीछे चलती है और सभापति महोदय खेद की बात यह है कि उनको फर्स्ट गियर में चलना पड़ा तो जितना पेट्रोल वास्तव में खर्च होना चाहिये था उससे दुगना खर्च हो गया। यह कौनसी बग्घी में जाकर उन्होंने अपनी इकोनोमी दिखाई ? केवल जनता को बेवकूफ बनाने के सिवाय कुछ नहीं है। इसमें तो पेट्रोल ज्यादा ही खर्च हुआ है। इसलिये मेरा निवेदन है कि हमारी फॉरेन पालिसी में जो डिफेक्ट है उसे दूर करना चाहिये। इन्दिराजी के पास कोई आथोरिटि नहीं है जो कह सके। सभापति महोदय प्राइसेज 25 परसेन्ट बढ़ गई है और किन्हीं किन्हीं वस्तुओं पर तो 50 परसेन्ट तक प्राइसेज बढ़ा दी है, मैं इन सारी बातों के लिये प्रशासन को जिम्मेदार मानता हूं। प्रशासन की बागडोर अच्छे व्यक्तियों के हाथों में नहीं है। आज ऊपर से लेकर नीचे तक इस बात की चिल्लाहट है कि इस सारी बात की जिम्मेदारी ब्लेक मनी की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं ब्लेक मनी बढ़ा है। पहले कुछ पाकिट्स में था और अब पहले से पाकिट्स ज्यादा बढ़ हैं फिर हम कैसे मान लें कि प्राइसेज डाऊन आ जायगी। प्राइसेज डाऊन होगी प्रोडक्शन बढ़ाने से।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपके नेता ने कोई ऊटन्वूट का प्रबन्ध किया है ?

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री झाबरमल सुराणा : मान्यवर आधी मिनिट। मैं एक बात यह कहना चाहता हूं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सैन्ट्रल गवर्नमेंट हो प्रॉडक्शन की तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा तभी जाकर प्राइसेज में फर्क आ सकता है। मैं सारी बात को छोड़कर एक बात पर आ जाता हूं और मैं आशा करता हूं सरकार ध्यान देगी। आज केरोसिन का मामला इतना विकट होगया है कि यह आम जनता को खरीद के बाहर हो गया है, पहली बात तो यह है कि यह उचित मात्रा में उपलब्ध ही नहीं है और इसके इतने पैसे बढ़ा दिये हैं कि गरीब आदमी की कमर ही तोड़ दी है। पं० नेहरू के जमाने में 28 पैसे प्रति लीटर केरोसिन तेल मिलता था आज उनकी लड़की इन्दिरा ने केरोसिन तेल पर जो वर्तमान भाव 68 या 70 पैसे प्रति लीटर मिल रहा था उस पर 98 पैसे एक साथ उसके भाव बढ़ा दिये हैं।

सभापति महोदय, हमारे देश की 60 परसेन्ट पापूलेशन बीलो पावर्टी में है और 30 परसेन्ट गांवों में बिजली नहीं है। अब आप अन्दाज कीजिये ये लोग अन्धेरी रातों में अपना जीवन बसर कैसे गुजारेंगे। उनको मिट्टी के तेल का दीपक जलाने को भी नहीं मिलेगा। इसलिये मान्यवर मैं यह चाहता हूं जिस तरह खादी पर ऊपर से छूट मिलती है कि खादी पहनने वालों को इतनी छूट दी जाती है तो इसी प्रकार गरीबों की तरफ ध्यान देते हुये इस पर भी कुछ किया जाय। मैं यह मानता हूं कि या तो रूरल का या सिटी का भेद कर दिया जाय और गांवों में कम से कम इस रेट पर नहीं दिया जाय। गवर्नमेंट गंभीरता से इस सम्बन्ध में सोचे, यह मेरा सुझाव है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : माननीय सभापति जी, यह समय कोई भाषण देने का नहीं है। मैं समझता हूं प्रत्येक विधायक ने अपने अपने विचार सदन में रख दिये हैं। मेरा निवेदन करना यह है कि आज लोगों का धैर्य हम टटोल रहे हैं। लोग बड़े दुखी है और ये दुखी लोग आज समाज में किस प्रकार रह रहे हैं, उसकी भी आप कल्पना करें। पहले कभी 8 किलो राशन मिलता था, फिर 6 किलो राशन मिला और उसके बाद 4 किलो राशन मिला और अब यह राशन घटता घटता 3 किलो ही रह गया है। मैंने इस बारे में सदन में स्थगन प्रस्ताव भी रखे हैं और मंत्री महोदय आज वक्तव्य दे रहे हैं। बहुत दिनों बाद वक्तव्य मिल रहा है। मैं समझता हूं 3 किलो से अधिक देने की भी वे आज सदन में घोषणा करेंगे और दूसरी हालत सभापति महोदय यह है कि दुकानों पर 10 तारीख को गेहूं आता है और 22 तारीख को बन्द हो जाता है। 22 तारीख बाद अगर कोई लेने जाता है तो जवाब मिल जाता है गेहूं समाप्त हो गया है, क्योंकि पूरा कोटा नहीं मिला है। इस महीने का जितना कोटा मिला था वह समाप्त हो गया और अब बन्द कर दिया है। अब आप अगले महीने आयें।

सरकार का राष्ट्रीयकरण का जो नारा है उसमें लोगों को जितनी आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुरूप खाद्यान्न देने,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

भोजन देना आवश्यक है वह एक व्यक्ति के लिये कम से कम 10 किलो होना चाहिये आप स्वयं अपने परिवार के लिये अन्दाज लगा लें पौन पीपा आपके घर में कितने दिन चलता है। तीन किलो राशन से एक परिवार को पौन पीपे से अधिक नहीं पड़ता है। इसलिये मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, तीन किलो नहीं राजस्थान में 10 किलो अनाज मिलना चाहिये, इसकी मैं आपको घोषणा करने को निवेदन करूंगा।

दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा कि हालत यह है कि यदि आप चक्की पर चक्कर लगायें तो लोगों को आटा नहीं मिल रहा है। आज आटा 125) रु० तो क्या लोगों को गेहूं भी 165) रु० में भी नहीं मिल रहा है। लोग थैला लेकर दिन भर चक्कर लगा आते हैं लेकिन न उनको गेहूं मिलता है न आटा मिलता है।

इधर जिनके घरों में गैस का चूल्हा है जिन्होंने सहकारी बाजार में नाम लिखा रखे हैं, पांच हजार उपभोक्ता के नाम दर्ज हैं लेकिन आज छः छः महीने हो गए हैं उनको गैस नहीं मिलता है। जिन्होंने 26-9-73 को यानि बहुत समय पहले गैस बुक कराया, उनको आज तक गैस नहीं मिलता है। पहले तो यह कहा गया कि ट्रकों की व्यवस्था न होने से, रास्ता खराब होने से गैस नहीं आ रहा है और इस तरह से लोगों के घर पर गैस के चूल्हे ठण्डे हो गए। अब उनके सामने दूसरा कोई उपचार नहीं है। यदि गैस का चूल्हा जलता है तो पांच रुपया रिश्वत का दो, जो वहां के कार्यकर्ता हैं उनको पांच रुपया दे दो तो गैस लग जायगा। लोगों को गैस मिले नहीं, केरोसीन मिले नहीं, कोयला मिले नहीं तो आखिर किस प्रकार वे अपना काम चलावें ....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : गैस के चूल्हे वालों की वकालत हो रही है क्या ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उसके बाद मिट्टी के तेल के भाव बेशुमार बढ़ा दिए गए और 28 पैसा एकदम से बढ़ा दिया लेकिन आज दो रुपये बोतल में भी लोगों को मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। माननीय विधायक जब यहां पधारते हैं तो जौहरी बाजार में देखते हुए आवें, जौहरी बाजार में, मैं समझता हूं कि वहां पर आज भी यह हालत है लोगों की क्यू लगी हुई है। दो दो रास्तों की कतारें लगी हुई हैं और दो दो रुपये बोतल में भी केरोसीन नहीं मिल रहा है।

आप लोग समाजवाद के नाम पर कतारों की समाजवाद ला रहे हैं। दिन में सात सात बार लाइनें लगानी पड़ती हैं। एक बार दूध की लाइन, एक बार घी की लाईन, एक बार राशन की लाइन, एक बार मिट्टी के तेल की लाईन और फिर पानी के लिए भी कतार लगानी पड़ती है। आप लोगों को कतारों के सहारे चलाना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मिट्टी के तेल का जो भाव विदेशों ने बढ़ाया है उसमें ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने इतना भाव बढ़ा दिया हो। उन्होंने केवल एक पैसे के हिसाब से बढ़ाया है तो आपको ज्यादा से ज्यादा पांच पैसे के हिसाब से बढ़ाना चाहिए था लेकिन आपने बढ़ा दिया एकदम 28 पैसे के हिसाब से। यह मुनाफाखोरी है।

मिट्टी के तेल के भाव बढ़ गए, डीजल के भाव बढ़ गए और पेट्रोल के भाव तीन चार रुपये लीटर कर दिए, आखिरकार यह है क्या ? भारत सरकार ने मुनाफाखोरी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

करने के लिए उत्पादक शुल्क लगा कर और यह कह कर कि उपभोक्ता कम खर्च करेंगे और इससे हमारी समस्या का उद्धार हो जाएगा, जितनी मांग होगी उतनी ही उपलब्धि होगी और इससे ही काम चल जाएगा तो इसमें कोई तुक नहीं है, कोई तरीका नहीं है। चाहे इससे भी दुगुने तिगुने भाव बढ़ जाएं जो लोगों के लिए अत्यावश्यक चीजें हैं वे तो उन्हें खरीदनी पड़ेगी।

इधर मिट्टी के तेल का भाव बढ़ गया, उधर कपड़े के भाव बढ़ गए हैं। मैं तो यह आरोप लगाना चाहूंगा कि सरकार ने जो धोती जोड़ा आप पहनते हैं सभापति महोदय, उसके भाव डेढ़े दुगुने कर दिए हैं और इसके लिए मैं कहूंगा कि मिल मालिकों से सरकार ने छः करोड़ रुपया रिश्वत का लिया है। यानि, धागा जिससे कपड़ा बनता है वह धागा सस्ता हो रहा है और कपड़ा महंगा हो रहा है, गन्ना सस्ता हो रहा है और चीनी महंगी हो रही है। जिस से उत्पादन होता है वह तो सस्ता है और उत्पादित चीज मंहगी है उतने अधिक परसेन्टेज की मुनाफाखोरी तो आखिर इसका क्या औचित्य है।

मेरा आरोप है कि शुगर वालों से पैसा खाया है, वेजिटेबल घी वालों से पैसा खाया है। मेरा आरोप है कि तीस करोड़ रुपया इस प्रकार केन्द्रीय सरकार ने रिश्वत में लिया है और इस प्रकार केन्द्रीय सरकार ने बीस करोड़ रुपया एकत्रित किया है। एक करोड़ रुपया के उद्योगों को लाईसेंस लेने से फ्री किया है उसमें रिश्वत ली है और वह सब इसलिए किया है कि उत्तरप्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन बीस करोड़ रुपयों से कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ेंगे और दूसरी ओर पेंट्रोल महंगा कर दिया है ताकि विरोधी पक्ष द्वारा जीप लेकर गांवों में नहीं पहुंच सकें, अपनी कांस्टीट्यूएन्सी में जाकर प्रचार नहीं कर सकेंगे और कांग्रेस के लोग इस प्रकार से चुनाव जीत जायेंगे।

(समय समाप्ति सूचक अनवरत घन्टी)

इस प्रकार आप शासन पर कब्जा करना चाहते हैं। एक ओर कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए बीस करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया है जनता को लूटकर व झंझोड़कर जनता को छोड़ दिया है मरने के लिए, जनता जाए भाड़ में, हमको तो कुर्सी प्यारी है। जनता प्यारी नहीं, कुर्सी प्यारी है तो आगामी चुनाव भी होंगे, सरकार कब तक ये थोथे नारे लगाती रहेगी।

आज इन सब बातों का कारण यह है कि जो आज राजस्थान का नया मंत्रिमण्डल बना वह भी लूट खसोट करना चाहता है। आज हालत यह है कि मिट्टी का तेल मिलता नहीं, पेंट्रोल के भाव बढ़ा दिए, गैस, मिलता नहीं है, पत्थर का कोयला भी, जो पिछली बार 22) रुपया प्रति क्विन्टल था, आज 45) रु० क्विन्टल के हिसाब से मिल रहा है।

इसी प्रकार से वनस्पति घी के बारे में निवेदन किया कि वनस्पति घी का भाव भी बढ़ गया है। देशी घी का भाव भी बढ़ गया है। आपकी जयपुर मिल्क डेयरी ने जो घी बनाया था अभी 5–7 दिन पहिले जिसका भाव 18) रुपया प्रति किलो था, आज उसी घी को विधायकों को 20) रुपया प्रति किलो दिया है। यह सब क्या है? आपके द्वारा चलाई जा रही मिल्क डेयरी जब घी का भाव बढ़ा रही है, आपके द्वारा प्रचालित मिल्क डेयरी दूध का भाव बढ़ा रही है और वह भी दूध अच्छा नहीं

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

है, दूध पीने के काम में आता नही है, केवल चाय के काम आता है, तो इस प्रकार से आप तो भाव बढ़ाते रहें और व्यापारी अगर भाव बढाएं तो आप कहें कि वह मुनाफाखोरी करता है तो यह तो आपका नमूना है। आज लोगों को डैयरी से अच्छा दूध, घी मिलता नहीं है।

वेजिटेबल घी का कोटा जो पहले जयपुर शहर के लिए 350 टन था'''

(समय समाप्ति सूचक अनवरत घण्टी-अश्रव्य)

दो मिनट में समाप्त करता हूं। उसके बाद सौ टन का कोटा और बढ़ाकर 450 टन जयपुर शहर के लिए किया गया लेकिन आपके रसद विभाग ने उसको दो तिहाई कटौती करके 160 टन का कर दिया और इस प्रकार जो यहां पर वेजीटेबल घी बनाने वाली दो फैक्ट्रियां हैं उनसे पैसा ले लिया है। पैसा लेकर फिर जयपुर की जनता को घी मिले या नहीं मिले, राजस्थान की जनता को वनस्पति घी मिले या नहीं मिले। अभी शुद्ध घी की तो यह हालत है कि एक एक किलो के डिब्बे के लिए एम. एल. ए. से दस्तखत कराते फिर रहे थे कि मुझे डब्बा मिल जाय। जब इस देश के कर्णधारों में एक एक किलो घी के लिए इस तरह से हाय हाय है तो फिर साधारण जनता की क्या हालत होगी, इसका अन्दाजा लगाइए।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, कि आज पैट्रोल की दिक्कत है, पैट्रोल मिल नहीं रहा है, गेहूं लोगों को मिलता नहीं है, राशनकार्डों की बात आप कहते हैं कि फर्जी राशन कार्ड हैं लेकिन लोगों को राशन कार्ड भी मिलते नहीं है। आपने अखबारों में स्टेटमेन्ट दिया है कि राशन कार्ड नये बनाने की योजना खटाई में डालदी गई है। यदि राशनकार्ड नए बनाने चाहते हों तो लोगों को पन्द्रह २ रुपये एफेडेविट के देने पड़ते हैं, एम. एल. एज. के दस्तखत कराने के लिए आना जाना पड़ता है, नाम घटाना हो अथवा नाम बढाना हो तो भी मुसीबत है। एक लड़के के शादी हुई और बहू बनारस से आई तो पहले बनारस से नाम कटाने का सर्टीफिकेट लाओ, और कमिश्नर के पास जाओ एफिडेविट लाने में पन्द्रह पन्द्रह रुपये खर्च करो फिर भी लोगों को राशनकार्ड नहीं मिल रहे हैं। और राशनकार्ड की नकद चवन्नी गवर्नमेंट को दो रजिस्ट्रेशन राजस्थान सरकार ने खुद किया किस बात की चवन्नी अब नये राशन पर चवन्नी और दें।

(समय समाप्ति सूचक अनवरत घन्टी)

आधा मिनिट में समाप्त करता हूं, सभापति महोदय।

दीपावली के मौके पर अतिरिक्त सूजी मिले नहीं, मैदा मिले नहीं, चीनी मिले नहीं, और फिर सूजी मैदा चीनी तो दूर रहा लेकिन दीपावली और ईद के मौके पर लोगों को गेहूं भी नहीं मिले तो क्या हालत होती है, इसका आप अन्दाजा लगाइये। यहां पर बाहर से विदेशी लोग आते हैं, उनके लिए अस्थाई राशनकार्ड बनाए जाते हैं, विद्यार्थी जो बाहर से आते हैं उनके टेम्प्रेरी राशनकार्ड बनाए जाते हैं लेकिन इस समय न तो पर्यटकों के लिए और न विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है।

आज आपने मावा और छैना पर पाबन्दी लगा दी। माननीय मन्त्री जी ने स्वयं ने कहा है जब वे अपनी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कांस्टीट्यूएंसी में गए तो कहा कि मैं स्वयं विरुद्ध हूं कि इस प्रकार मावा और छेना बनाने पर पाबन्दी लगाई जाय और मैं मन्त्रिमण्डल में विचार करके हलवाईयों को छूट दिलाऊंगा। एक और भी हालत यह है कि हलवाईयों को बेकार कर दिया, बीकानेर के माननीय सदस्य, जो रसगुल्ले बनाते हैं, अब रसगुल्ले कहां से बनायेंगे, आपने कहा कि दूध सस्ता हो जायेगा लेकिन दूध सस्ता हुआ नहीं। आज भी दूध जयपुर में तीन रुपये और चार रुपये किलो में मिल रहा है। ऐसे थोथे प्रतिबन्ध लगाने से क्या लाभ है ?

(समय समाप्ति सूचक अनवरत घण्टी)

मैं निवेदन करूंगा ...

(समय समाप्ति सूचक निरन्तर घण्टी-अश्रव्य)

श्री सभापति : आप समाप्त करें अब, माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं निवेदन कर रहा हूं आज जयपुर में पीने का पानी नहीं मिल रहा है। पीने के पानी का अभाव है सीमेंट नहीं है। आज सीमेंट का कृत्रिम अभाव बना दिया गया है जबकि सवाई माधोपुर में सीमेंट की फैक्टरी है ...

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

आधे मिनिट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : आधे मिनिट में समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आसन कृपया सहयोग करें।

लाखेरी, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर ये चार सीमेंट फैक्टरियां आज राजस्थान में काम कर रही हैं। सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्टरी 2200 टन सीमेंट प्रति दिन पैदा कर रही है और राजस्थान को कितना सीमेंट दे रहे हैं 300 टन जबकि प्रति दिन 2200 टन पैदा हो रहा है। आखिर यह क्यों है ? इस प्रकार आज सीमेंट के लिये 33 रुपया प्रति बैग का उपभोक्ता को देना पड़ रहा है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ...

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बेरोजगारी बढ़ रही है। पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। जयपुर के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। यह सरकार गेहूं नहीं दे सकती है, चने नहीं दिलवा सकती है, मिट्टी का तेल नहीं है और तो और यह सरकार कागज भी नहीं दे सकती है। आज अखबार छपना बन्द हो रहे हैं ऐसी असमर्थ सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये।

श्री सभापति : बहुत बोल चुके हैं। कृपया आप समय पर ध्यान दें।

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य समाप्त करें ... (व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक मिनिट में ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य ...
(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापतिजी, एक घंटा पन्द्रह मिनिट गुमानमल जी ने ले

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

लिया और एक घंटा गिरधारीलाल जी ने यह कहां का न्याय है ? दोनों एक ही दल के सदस्य हैं ...

श्री सभापति : अब माननीय मंत्री जी को बोलने दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति जी, दस मिनिट मुझे दीजिये अन्याय हुआ है। न्याय होना चाहिये मेरे साथ

मैं केवल एक तथ्य ही पेश करना चाहता हूं।

श्री सभापति : आपके दल के सदस्यों को समय दिया जा चुका है ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं केवल 5 मिनिट लूंगा और दूसरे कोई प्रश्न नहीं उठाऊंगा।

श्री सभापति : मेरे लिये कठिन होगा। समय की पाबन्दी माननीय सदस्य नहीं रखते हैं, यह आप जानते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दो मिनिट के अन्दर ही समाप्त कर दूंगा।

श्री सभापति : संक्षेप में। दो मिनिट में कह दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : सभापति महोदय, गंगानगर के अन्दर कोयले के अभाव के अन्दर 25 हजार लोग बेकार बैठे हुए हैं जबकि राज्य के रेवेन्यू मिनिस्टर जो कि अब नहीं है, जिनके नाम से एक भट्टा 30-11-72 को कलक्टर, गंगानगर द्वारा स्वीकृति किया गया है और एक उनके भाई के नाम से भट्टा दिया गया है- सूरज मल सन आफ पेमा राम। तीसरा भट्टा उनके सुपुत्र मुन्डा एस. डी. ओ. हनुमानगढ़ के नाम से दिया गया है। इस प्रकार हजारों टन कोयला इन तीन भट्टों को एलाट किया गया है। इनमें केवल एक भट्टा चौधरी रामचन्द्र जी के नाम से स्वीकृत है। जो दूसरा भट्टा खुदा है वह भाई के नाम से खुदा है, एक लड़के मुण्डा के नाम से खुदा है, और इन तीनों से हजारों टन कोटा उठाया है जबकि पोलिबंगा और गंगानगर भट्टा एसोसियेशन के लोग चक्कर लगाते रहते हैं।

सभापति महोदय, मैंने कलक्टर को एक लिस्ट बना कर दी थी, करीब 300 फैक्टरियां ऐसी हैं जिनका काम केवल कोयले का कोटा एलाट कराना है और ये फैक्टरियां किसी भी तरह से फंक्शन नहीं कर रही है। इनका एक लीडर है गुरुदयाल सेठ। वह इस सारे कोयले को ले लेता है और उसको बेच देता है। मैं केवल इतना ही अर्ज करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री शिवचरण माथुर।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, मेरा यह चार्ज है, रामचन्द्र जी भी एम. एल. ए. हैं और मैं भी एम. एल. ए. हूं। अगर यह बात वे गलत साबित कर दें तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा और यही है तो वे सदन से इस्तीफा दे दें। यह मेरा उन पर चार्ज है।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री शिवचरण माथुर (खाद्य मन्त्री) : सभापति महोदय, राजस्थान की खाद्य की स्थिति के सम्बन्ध में जो वक्तव्य सरकार की ओर से दिया गया उस पर माननीय

(श्री शिवचरण माथुर)

सदस्यों ने अपने बहुमूल्य विचार यहां पर प्रस्तुत किये हैं।

यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है और इस समस्या को हल करने के लिए केवल एक सरकार का, एक राजनैतिक दल का ही दायित्व नहीं है। इसलिए अपनी बात प्रारम्भ करने से पहले इस सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस राष्ट्रीय समस्या के हल के लिए राजनीतिक परिधि से बाहर निकल कर हमें एक बड़े पैमाने पर इसको मजबूत करने के बारे में सोचना चाहिए और मैं इसी भावना से यहां पर आप लोगों से यह अपेक्षा करता हूं कि आप इसको इस दृष्टिकोण से देखने का कष्ट करेंगे।

यह ठीक है कि आज आवश्यक वस्तुओं का अभाव बढ़ रहा है। खाद्यान्नों की कमी है लेकिन इसके पीछे जो पृष्ठ भूमि है उसको समझना पड़ेगा। यहां खाद्यान्नों के भाव बढ़ने की बात, आम चीजों के भाव बढ़ने की बात कही गयी है। यह केवल हमारे देश में ही बढ़ने की बात हो ऐसी नहीं है। दुनियां के और देशों के अन्दर भी यह स्थिति है। इस वर्ष दुनियां के आम देशों में, दुनियां के काफी बड़े हिस्से में पैदावार की कमी है और उसके कारण भावों में बढ़ोतरी हुई है। एक-दो वर्ष पहले हमारे देश में यह स्थिति आई थी ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : समाजवादी देशों में भाव नहीं बढ़े है। केवल पूंजीवादी देशों में भाव बढ़े हैं ...

श्री सभापति : कृपया बीच में न बोलें।

श्री शिवचरण माथुर : मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह हमारी राष्ट्रीय समस्या नहीं है, दूसरे देशों की भी समस्या है, इस संदर्भ में हमें इसको समझना पड़ेगा। मैं यह मानता हूं और आप भी यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि देश में कांग्रेस के जरिये जो सरकारें चल रही हैं और राजस्थान में जो सरकार चल रही हैं, उसके द्वारा अनाज के बारे में जो नीति अपनाई गयी थी, सारे देश में खाद्यान्न का व्यापार करने की, यह अपने आप में एक बहुत ही सजीव नीति है और उसको आज भी रिटेन करना है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि राष्ट्रीयकरण की नीति नहीं होती तो इस वर्ष में जो मुश्किलें आम लोगों को होती, प्रदेश के कमजोर तबकों को होती, उसका अन्दाजा आप लगा सकते हैं। आप जानते हैं, इतिहास गवाह है, अच्छी फसल हो, किसान अनाज को मंडी में लाता है और आमतौर से बाजार भाव गिर जाता है परन्तु जब वही अनाज कन्जुमर के पास जाता है उस अनाज के भाव बढ़ जाते हैं। सरकार ने इस बात को सोचा कि अनाज के भावों में ज्यादा घटाबढ़ी न हो। इसलिए अनाज का थोक व्यापार एक सही नीति है।

अब इसकी वितरण की व्यवस्था को देखते हैं तो एक ऐसी पक्की व्यवस्था का सवाल आता है, जिसमें निश्चित रूप से जो पैदा होता है उसमें किसान पैदा करने के बाद अपनी आवश्यकता के अनुकूल सामग्री रखने के बाद, जो कुछ उसके पास बचता है, उस को बाजार में लावे और उसको सरकार खरीदे और उसको एक सुव्यवस्थित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अन्दर सरकार समाज के लोगों को बांटने की कोशिश करें। यह नीति एक ऐसी सुदृढ़, सफल और स्वच्छ नीति थी जिसके आधार पर हमने

(श्री शिवचरण माथुर)

यह तय किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हमारे देश में जो राष्ट्रीयकरण की नीति हुई है, उससे जो लोगों को फायदा हुआ है, वह नहीं होता। यदि राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाता। खाद्यान्नों का भाव आसमान को छूता। यह सही बात है, हमारी सरकार ने यह नीति अपनाई है। मैं दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि आगे भी हम इसी को अपनाना चाहते है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले कदम में हमें जो सफलता मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिली है। लेकिन यह पहला कदम था। सैकड़ों हजारों वर्षों से जो व्यवस्था इस देश में चली आ रही थी। वहां राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई गई है। जब कि हमारे देश में अनाज की कमी थी। जो टारगेट तय किये हैं, वह पूरे हुए हैं। राजस्थान की स्थिति आपको मालूम है। 48 % टारगेट सरकार ने पूरा किया है। आगे आने वाले समय में हम इसी नीति को बढ़ाना चाहते है। खाद्यान्नों की राष्ट्रीयकरण की नीति है, हमारी पार्टी उस पर दृढ़ है। हम इसको आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं।

यहां पर वितरण की व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ बातें कही गई हैं। जहां तक उनका सम्बन्ध है, जब तक देश में पैदावार नहीं बढ़ जाये, तब तक उनको पूरा नहीं किया जा सकता है। समेन्ट की कमी है। तेल की कमी है जितना उपलब्ध है, उसको उसी प्रकार से बांटना पड़ेगा। इस बात को मानना पड़ेगा कि जो कुछ देश में उपलब्ध है उसी प्रकार से उपलब्ध हो रहा है। उसको बांटने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आज जो कुछ हमारे पास उपलब्ध है, उसका सामाजिक वितरण बहुत अच्छी तरह से किया जाये। मैं माननीय सदस्यों की राय से सहमत हूं। इस बड़े तन्त्र में शीघ्र यह व्यवस्था नहीं हो सकती है। जो-जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनकी राय और विश्वास को हमें शामिल करना पड़ेगा। जैसा कि भार्गव साहब ने कहा है, गफ्फार साहब ने कहा है कि 10 किलो की घोषणा करनी चाहिए। लेकिन आज जो स्थिति है, उसको देखते हुये घोषणा नहीं की जा सकती है। लेकिन जो नहीं है, उसकी सबसे पहले मिलने की व्यवस्था करनी चाहिए। 6 लाख 15 हजार की आबादी जयपुर की है। 8 लाख राशन कार्ड हैं। 1 लाख 85 हजार राशनकार्ड इस प्रकार के बने हुये हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : ये किस गवर्नमेंट ने बनाये हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वेरीफाई तो हम लोग ही करते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप अपने दोष को दूसरों पर क्यों डालते है। सरकार आपकी है। साधन आपके हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह तो रहेगा। जनता ने हमको अधिकार दिया है।

(शोरगुल—व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

माननीय सदस्य कृपया आपस में नहीं बोलें। बीच में तो बोलें ही नहीं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपको मालूम है, उस समय हाउस का एडजोर्नमेंट इसीलिए हुआ था। यह कहा गया था कि हम अनाज देंगे। चेम्बर में यह बात हुई थी कि अनाज देने की घोषणा करेंगे। ये भाषण तो बहुत सुन चुके हैं।

श्री सभापति : देखिये, आप जब बोलते हैं......

श्री गुमानमल लोढ़ा : प्रश्न यह है कि आप यह बतायें कि जनता को कितना अनाज देंगे। 6 किलो, पांच किलो, या 8 किलो, कितना अनाज देंगे।

श्री सभापति : आप सुन तो लीजिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा: हाउस एडजोर्न इसीलिए हुआ था। अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में एग्रीमेंट हुआ था कि अनाज देने की घोषणा करेंगे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

(शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

(शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

माननीय सदस्य.......

(निरन्तर शोरगुल-अश्रव्य-घण्टी)

आप आसन को सुन लीजिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा क्या सुन लें। सुनते सुनते कान पक गये हैं।

श्री सभापति : कान पक गये हैं तो आप बाहर जाकर आराम कीजिये।

(निरन्तर शोरगुल—अश्रव्य)

आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

(निरन्तर शोरगुल– अश्रव्य)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं...

(निरन्तर शोरगुल—अश्रव्य)

आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया आसन ग्रहण करें।

(निरन्तर शोरगुल—अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जनता मर रही है......

श्री जोशिंग : स्पष्ट घोषणा करें।

(निरन्तर शोरगुल—अश्रव्य)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनिट कृपया आसन ग्रहण करें। माननीय सदस्य....

(निरन्तर शोरगुल—अश्रव्य)

आपका नाम लेकर पुकारना होगा। इसलिए स्थान ग्रहण करें।

(निरन्तर शोरगुल—अश्रव्य)

एक मिनिट सुन लें। माननीय सदस्य...

(निरन्तर शोरगुल—अश्रव्य—घण्टी)

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष के चेम्बर में क्या तय हुआ था।

(शोरगुल – अश्रव्य)

Page No 94

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह नहीं कहा है किसी नेता ने कि यह आसन के लिए अच्छा नहीं है।........

(व्यवधान)

यह आसन से नहीं कहा है कि आसन को हम कुछ नहीं समझते हैं। हम तो सुनते सुनते बहरे हो गये हैं। आसन क्या कहेगा आसन को यह कहा है कि हम सुनते सुनते बहरे हो गये हैं। आसन कुछ नहीं समझता है तो आसन को क्या कहेंगे ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह आसन के लिए नहीं कहा है मंत्री के लिए कहा है।

कई माननीय सदस्य (जनसंघ) : हम खाली भाषण सुनने के लिए नहीं आये हैं। घोषणा कराने के लिए आये हैं.......

श्री सभापति : आर्डर प्लीज

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि न तो कभी आसन की यह मन्शा है कि किसी को यह कहें कि आप यहां पर बोलिये मत। बोलें मत यह किसी को कहना आसन की मन्शा नहीं है। न किसी से यह कहें कि बाहर चले जायं। आसन नियमों के प्रावधानों के अन्दर ही कह सकता है, और उसी के मुताबिक कहेगा और मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप अपनी बात स्वतन्त्रतापूर्वक कहना चाहते हैं और मंत्रीजी विचार रख रहे हैं उस दौरान के अन्दर भी जो कुछ भी बिजीनेस एडवाइजरी कमेटी में जो तय किया है उसके मुताबिक माननीय मंत्रीजी अपना भाषण समाप्त करने के बाद अगर आप अपनी भावनाओं की पूर्ति नहीं मानते हैं तो आप उसके बारे में कह सकते हैं।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह जानते हैं कि एक दूसरे के विचार नहीं मिल सकते हैं और कोई चीज नहीं मिलती है तो आप माननीय मंत्रीजी को यह कहे कि आपको यह करना होगा। माननीय मंत्रीजी अपने विचार रखते हैं और आप उससे इत्तफाक नहीं करते हैं या उनको नहीं मानते हैं तो उसके बारे में जो कुछ विरोध प्रकट करने के तरीके हैं उनसे विरोध प्रकट कर सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस संबंध में सदन की कार्यवाही ठीक ढ़ंग से चलाने में इस आसन को मदद करें.......

श्री निरन्जन नाथ आचार्य : पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह बात हुई थी अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में माननीय परसरामजी उस समय मंत्री थे। उन्होंने दो दिन की डिबेट के बाद अपना उत्तर दिया था उस उत्तर से हम लोग असन्तुष्ट थे। इसके कारण हाउस में हंगामा हुआ था और हम लोगों को चैम्बर में बुलाया गया था तो उस दौरान में उन्होंने बताया था कि

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

वे फखरुद्दीन साहब से बात कर रहे हैं, शिन्दे साहब से बात कर रहे हैं, और वहां से अनाज ला रहे हैं, और 12 तारीख को इसके बारे में कुछ न कुछ राहत देने की घोषणा करेंगे। हमने उस दिन यह कहा था कि अगर वे हाउस में घोषणा करने को तैयार है तो हम हाउस का कार्य प्रारम्भ करने को तैयार हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सबंध में घोषणा करें। मदेरणा साहब न रहे माथुर साहब आ गये तो व्यक्ति का कोई अन्तर नहीं पड़ता है।

श्री सभापति : आपकी बात मैं समझ गया। आप एक मिनिट के लिए सुन लें। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इसी बात को जिसको आप कहना चाहते हैं कि यह वहां पर हुई थी इसी बात को शान्तिपूर्वक कहें और मंत्रीजी से यह कह सकते हैं कि आपकी इसके बारे में जो कुछ बात हुई थी इसके बारे में स्पेसिफिकली कहें। परन्तु मेरा निवेदन करना यह है कि इस संबंध में आप जो कुछ सदन की मर्यादा है, जो कुछ भी व्यवस्था है उसका पालन कराने में मदद करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो कुछ दूसरे कर रहे हैं वहीं आपको यहां पर करना पड़ेगा यानी फूडग्रेन्स प्रिवेन्शन आफ होर्डिंग आॅर्डर के तहत आज ही सारी कामोडिटीज की प्राइसेज को डिक्लेयर करायें, रफ ग्रेन्स की प्राइस डिक्लेयर करायें, दूसरे ग्रेन्स, वेजीटेबल घी को प्राइस डिक्लेयर करायें। इसके अलावा यह डिक्लेयर करायें कि मेक्जीमम स्टाक कितना रखा जा सकता है। थोड़े दिनों पहले या कांग्रेस प्रेसीडेन्ट ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, !

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आप मुझे कहने दें। हजारों आदमियों की रैली निकाली थी उस समय यह डिक्लेरेशन किया गया था कि 500 क्विन्टल से ज्यादा ग्रेन्स एक आदमी होर्ड नहीं कर सकता है। उससे भी हमें सन्तोष नहीं था। शिवचरणजी जो इस समय खाद्य मंत्री हैं वह उस समय उस रेली की अगुवाई कर रहे थे। इन लोगों को कहना चाहिए था कि यह तो बहुत ज्यादा है। यह होर्डिंग बिलकुल बन्द करना चाहिए और इनकी प्राइस फिक्स्ड करना चाहिए और यह साफ डिक्लेयर किया जाय, और राशन की मात्रा बढ़ाई जाय। आपको कोई न कोई नीति लानी पड़ेगी। आपको यह तो इस तरफ की नीति को लेना पड़ेगा या उस तरफ की नीति को लेना पड़ेगा।

श्री सभापति : आप कह चुके हैं। माननीय मन्त्रीजी।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : पाइंट आफ आॅर्डर, सर।

सभापति महोदय, यह प्रश्न जिसने उद्विग्नता लेली है इस प्रांगण पर उस उद्विग्नता और आग्रह को सरकार ने समझा है और उस संदर्भ में सरकार ने इस सदन में व्यवस्था भी दिलाई थी कि वह इस बात को सदन में लायेंगे जिससे मान-माननीय सदस्यों को सन्तोष है। यह सदन सरकार को किन्हीं मुद्दों, किन्हीं नीतियों को स्पष्ट करने के लिये बाध्य कर सकता है? सदन का मानस उद्विग्न है और सरकार भी उस उद्विग्नता को समझती है, और इसका निराकरण करने के लिए सदन सक्षम है कि

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

कि राज्य सरकार को तत्संबंधी मुद्दों पर बाध्य करे। यह सदन उसका एक प्रतीकात्मक माध्यम है। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्यों की उद्विग्नता को देखते हुए माननीय मंत्री महोदय मुख्यमन्त्री से परामर्श लें क्योंकि इनका अनुभव अपरिपक्व है इस क्षेत्र में, अतः वे उनकी सलाह लेवें और थोड़ासा उनका समय लेकर माननीय मुख्य मंत्रीजी, किसी नीति पर पहुंचें, किसी निर्णय पर पहुंचें। मेरे खयाल में आगे की लेवी का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है उससे भी हम उद्विग्न हैं। उसमें भी हमें सन्तोष करना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्री स्टेटमेंट दें या आप दें, तो अच्छा होगा ताकि उद्विग्नता समाप्त हो।

श्री सभापति : व्यवस्था का प्रश्न तो नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सदन बाध्य कर सकता है अपने मकसदों के आधार पर इस सरकार को झुकाने के लिए।

श्री लक्ष्मणसिंह : आपकी आज्ञा से मैं आधा मिनिट के लिए बोलना चाहूंगा। खाद्यान्न के संबंध में बहस हुई उस वक्त हम स्प्लिन्टर ग्रुप के सदस्यों को अध्यक्ष महोदय के कक्ष में बुलाया गया था। उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि कुछ न कुछ व्यवस्था वितरण के संबंध में ठीक कर दी जायगी, और जो मिकदार वितरण में दी जाती है, जो नाज या गेहूं आदि उसमें कुछ भी वृद्धि की जायगी। उसके बिल्कुल यह विपरीत हुआ। यह थोथा आश्वासन, सभापति महोदय, हमने सुना था। हमारे साथ धोखा किया गया, और उसके बाद दिन ब दिन महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, दिन ब दिन वितरण व्यवस्था सुधरने के बजाय बिगड़ने लगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी पधार गये।

(3.28 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

परम्पराओं के अनुसार इस सदन के पास और विरोधी पक्ष के पास और क्या शस्त्र हैं? सिवाय इसके कि यहां जोर से स्पष्टतया जो बात है वह जनता के सामने और इस सदन के समक्ष रखें। सरकार मेरे ख्याल से टोटेली फैल हो चुकी है। चाहे उसकी हठधर्मी हो चाहे थोथे आश्वासन दें, लेकिन वह आश्वासनों का पालन नहीं कर सको, तो फैल्योर के अलावा और क्या दूसरा अर्थ लगाया जा सकता है? यदि कृपा करके माननीय मुख्य मंत्रीजी इस संबंध में कुछ कहेंगे तो ठीक होगा। वह बड़े मंजे-मंजाये राजनीतिज्ञ हैं, और मेरा यह विश्वास है कि गैरजिम्मेदारी की बात नहीं करेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय के कक्ष में ले जाना और यहां आकर शांति पुष्टि तुष्टिरहित करके यह करना ठीक नहीं है। आश्वासन देकर वहीं का वहीं करना यह न्यायसंगत नहीं है।

श्री गुरदयाल सिंह (मधु) : अगर दुबारा री-ओपन करना है तो मैं कह दूंगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जिस समय डिबेट चल रही थी उस समय यहां पर इस प्रश्न को उठाया गया विशेष तौर से सस्ता धान मुहैया कराया जाए, उसकी मात्रा के बारे में भी कहा गया कि 10 किलो 8 किलो की घोषणा की जाय। तो माननीय अध्यक्ष ने चेम्बर में हम सबको बुलाया गया जब आधे घन्टे का एडजर्नमेंट हुआ था उस समय कहा गया था, श्री मदेरणा भी थे वह आज

Page No 97

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

भी विराजमान हैं। उन्होंने कहा था कि हम पुलिस से सम्पर्क स्थापित करते हैं और कोई न कोई राहत के बारे में परसों घोषणा कर देंगे। डिबेट पहले दो दिन रखी थी, सारे फिगर्स बताए थे, लेकिन मतलब यह था कि कोई न कोई घोषणा जिससे कि सस्ता अनाज और उचित मात्रा में उपलब्ध कराया जाए यदि वह न किया जाकर, जैसे मंत्री महोदय ने केवल शब्दों का आडम्बर किया है और कह देंगे कि इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, मेरा निवेदन है कि उस समय अध्यक्षीय चेम्बर में बातचीत करके सदन को आश्वासन दिया था और उस समय उपनेता और जो प्राज नेता महोदय हैं भी थे। केवल यहाँ पर वादविवाद और डिबेट्स और लेक्चर्स करके हम वापस जाय और हमारी कान्सटीट्यूंसीज के लोग पकड़ कर खड़े हो जायं घेराव कर दें, वह कहते हैं कि एयरकन्डीशन चेम्बर में बैठकर भाषण देकर आ जाते हैं, मता उठाते हैं लोगों को 8 किलो धान नहीं मिलता है, जोधपुर में दो तीन किलो, यहाँ 2–4 किलो, एक दिन में जो राशन मिलता है उससे मजदूर 4 चपाती नहीं खा सकता। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर यदि कोई घोषणा मंत्री महोदय या मुख्यमंत्री करे तब तो कोई बात है वरना केवल हम भाषणबाजी करके चले जाय और सत्र का अन्त हो जाएगा, शाम को स्वागत समारोह करके घर जायेंगे, समस्या बनी रहेगी। अब क्योंकि मुख्यमंत्रीजी पवार गए हैं कैसे भी करें यदि वह समझते हैं कि फखरुद्दीन साहब यह नहीं कर रहे हैं वह पंजाब और केरल में ही कर रहे हैं तो हम आपके साथ चलें दिल्ली में धरना देंगे। हमने किसानों का धान लेकर व्यापारियों को मना कर दी, दोनों को आप रखिए, मंडियों में माल आना चाहिए। ऐसी ज्वलंत समस्या पर घोषणा नहीं की जाती है तो सारी डिबेट का कोई सबस्टेंस नहीं। तो चेम्बर के अन्दर जो बातचीत हुई थी अब खुशी की बात है, नए मंत्री नए रूप में आए हैं हमने सोचा था कि नई घोषणा करेंगे, हमें 8 किलो अनाज देंगे, 6 किलो देंगे, 5 किलो देंगे, दो चार दें। कुछ बतायें तो सही। जनता को भ्रम में क्यों रखते हैं? आप यहाँ पर कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं, इधर से उधर जो कुछ हमारे पास है आ जायेगा तो हमारे यहां आने से क्या अभिप्राय होगा, आपको स्पीचिज करने से क्या अभिप्राय? आवश्यकता तो 10 किलो की है लेकिन यदि आपकी मजबूरी है तो 8 किलो का जो कमिटमेंट है उसको फुलफिल करें या तो कह दें कि we have failed miserably, we cannot give foodgrains to the people. जनतन्त्र का कोई तरीका होता है, जर्मनी में एक दो प्रतिशत प्राइस राइज होने पर सरकार ने रिजाइन किया। मैं नए मंत्री से इस्तीफा की तो मांग नहीं करता, अभी तो वह बने हैं सिर मुंड़ाते ही ओले पड़े। खाद्य का विभाग दे दिया और उसके साथ सारी समस्यायें आ गई, सारी पोलिसी फेल हो चुकी है, मंत्रीजी ने असफलताओं का पुलंदा ले लिया, बदनामी को ले लिया, हम जनता से क्या कहें, हम सुनने को तैयार हैं।

सदन की अवमानना

दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति द्वारा इन्कलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए और पर्चे फेंके गए।

खाद्यान्न एवं दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं तथा खाद एवं बीज की अनुपलब्धि

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : कोई न कोई घोषणा सरकार को करनी चाहिये । या तो प्रिवेन्शन आफ होर्डिंग आर्डर के तहत सरकार चीजों की कीमतों पर रोक लगाकर फिक्सड प्राइसिज घोषित करे । दूसरी बात छिपे हुए स्टाक्स को बाजार में लाने के लिए डी. आइ. आर. को यूज करते हुए कम से कम 50 स्टाकिस्ट्स को हथकड़ी लगाकर राजस्थान के बाजारों में निकाला जाए । तीसरी बात यह तय करें कि जिस तरह से भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बरकत साहब ने घोषणा की थी कि हम 500 क्विंटल से ज्यादा कोर्स ग्रेन को नहीं रख सकें इस तरह की घोषणा करें कि 100 क्विंटल से ज्यादा कोई स्टाक नहीं कर सके या जैसे एक माननीय सदस्य कह रहे थे मुर्दे के बाल काटकर मुर्दे का वज़न कम किया जाए, आप 10 किलो 8 किलो नहीं कर सकते अगर आप होर्डर का प्रासीक्यूशन नहीं कर सकते, अगर प्रिवेन्टिव एक्शन के तहत कीमतें तय नहीं कर सकते, अगर आप बाकायदा क्लीयर पोलिसी को लेकर नहीं आते इसलिए कोई न कोई रास्ता ग्रहण करना पड़ेगा और डिक्लेयर करना पड़ेगा, इधर भी झुनझुना उधर भी झुनझुना दिखा दिया, यह रास्ता नहीं चलने वाला है । एक तरफ मंत्री लोग राष्ट्रीयकरण की बात करें, दूसरी तरफ वे स्टाकिस्ट्स को प्रोटेक्शन दें, आपके मंत्री लोग लेवी के नाम पर चना राजस्थान से बाहर निकाल दें, पुराने मंत्री की कल्यूजन से चना बाहर निकाला जाए और रोक नहीं लगाई गई । गंगानगर पंचायत ने प्रस्ताव पास किया, गंगानगर जिला परिषद ने प्रस्ताव पास किया कि हजारों रुपयों के टैक्स लेकर चना मद्रास और कलकत्ता जा रहा है, सारा कोर्स ग्रेन बाहर निकाल दिया, आपके डूंगरपुर से सारा कोर्स ग्रेन बाहर निकाला जाए, बांसवाड़ा से बाहर निकाला जाए, इसलिए आपको घोषित करना पड़ेगा और कुछ लोग डी.आई.आर. के अंदर पकड़ लें जो इसके लिए जिम्मेदार हों, जिस तरह कलकत्ता की बाजारों में जमाखोरों को घुमाया गया, राजस्थान के जमाखोरों को भी यहां घुमाना होगा ।

श्री केदार नाथ : उपाध्यक्षजी, हम बड़े पेशन्स के साथ मंत्रीजी का जवाब सुनने को तैयार हैं । अगर आप आश्वासन दें कि उसके बाद पाईंट्स आफ क्लैरीफिकेशन पूछ सकते हैं । पंजाब सरकार ने डी. आई. आर. इन्वोक कर लिया, उसने अपने तरीके से सिविल सप्लाईज कारपोरेशन कान्सटीट्यूट किया है, जितनी इसेन्शियल कमोडिटीज हैं उसके लिए तय कर दिया प्रोक्यूअर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना सरकार का काम है, हम लोग अपने तरीके से मार्केट में जाकर प्रोक्यूअर करेंगे, वितरित करेंगे । आज यह कमिटमेंट चाहते हैं कि जितनी आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे साबुन, घी, तेल वगैरह उनका प्रोक्यूअरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन सरकार द्वारा होना चाहिए । आज सदन में लास्ट सिटिंग है, उसके बाद शायद हाउस बजट सेशन से पहले मीट करने वाला नहीं है । मैं तो नहीं कह सकता कि हम इलेक्टोरेट्स से जाकर क्या कहें । इतना इंडीकेशन मिल जाए कि आवश्यक वस्तुओं के बारे में राज्य सरकार की यह नीयत है । दूसरा जो गेहूं है केवल शहरों को भेज रहे हैं, ये जो

(श्री केदारनाथ)

प्रोडयूसर्स हैं उनमें से 30-40 प्रतिशत वेज अर्नर्स और कन्ज्यूमर्स के रूप में हैं, उनके बारे में आपकी क्या नीति है, इसकी घोषणा कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं भी इस सन्दर्भ में मन्त्री महोदय को आपके माध्यम से कुछ कहना चाहूंगा। आज सदन में प्रारम्भ से कुछ कहना चाहूंगा। आज सदन में प्रारम्भ से लेकर एक ही बात चल रही है वह है जनता के लिये ऐसेन्सियल कोमोडिटीज का उपलब्ध कराना। आज से करीब चार दिन पहले जब से साउदी अरब ने पेट्रोल और केरोसीन के तेल में कटौती की है तब से यहां पर केरोसीन की बहुत ही भारी कठिनाई मध्यम वर्गीय जनता के लिये हो गयी हैं। इस प्रकार की डिफिकल्टी न केवल राजस्थान में ही बल्कि पूरे भारतवर्ष में हुई है लेकिन महाराष्ट्रा और दूसरे प्रोविन्सेज में ऐसी व्यवस्था करदी गयी है कि आपको वहां पर केरोसीन की इतनी किल्लत नहीं मालूम होगी जितनी आज हमारे प्रदेश में हुई है। वहां तो आपकी गली गली में हाकर्स ठेले में आवाजें देते मिलेंगे कि केरोसीन ले लो। लेकिन यहां ऐसी कठिनाई पैदा कर दी गयी है कि आपको लम्बी-लम्बी कतारों में लोग केरोसीन के लिये खड़े घन्टों मिलेंगे। उपाध्यक्ष महोदय गड़बड़ी के लिये आपके रसद विभाग के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर और उसके नीचे के जो एनफोर्समेंट आफिसर और एनफोर्समेंट इन्सपैक्टर हैं उनको दोषी मानता हूं। यहां का आपका डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर काफी करेप्ट है। यहां पर पहले भी इस सदन में कई बार यह बताया जा चुका है कि आपके रसद विभाग के अधिकारियों में आपकी रसद विभाग की नीतियों में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। यहां के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर इन व्योपारियों से मिले हुए हैं और उनकी सांठ गांठ से ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आज आपके यहां यह स्थिति है कि राजस्थान से अनाज बाहर जा रहा है। आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने अनाज की निकासी पर रोक लगा रखी है तो आप बताइये कि 50 हजार टन अनाज किस प्रकार हरियाणा को भेज दिया गया है उसके लिये आपके यहां से कहते हैं कि परमिट इश्यू हुए हैं। यहां पर और भी इस तरह के केसेज सदन के सामने कई माननीय सदस्यों ने पिछले सदन में बताया। उस वक्त के खाद्य मन्त्रीजी ने सदन में यह कह दिया कि मैं इन सभी केसेज को एन्टी करेप्शन डिपार्टमेंट को सौंप देता हूं। लेकिन अभी तक मैं यह नहीं समझ सका हूं कि मिनिस्टर साहब के कहने के बाद भी अभी तक कुछ नहीं हो सका है। आखिर यह क्या तमाशा हो रहा है। इसी तरह आज वनस्पति घी की बाजार में बहुत ही ज्यादा किल्लत है। आपने अनाज का राष्ट्रीयकरण किया तो आपका उद्देश्य था कि आप महंगाई कम करेंगे और जनता को सस्ता अनाज मुहैया करेंगे। पर मैं समझता हूं जबसे आपने राष्ट्रीयकरण किया है भ्रष्टाचार की चरम सीमा पहुंच गयी है। रसद अधिकारी और व्यापारियों ने मिल कर खूब रुपया कमाया है। जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर जनता आपके ऊपर कितना विश्वास मान कर चलें। इधर आप ने जो फेयर प्राइस शोप्स जो भी खोली हैं

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

उसमें पहले तो समय पर आपको दुकानों में अनाज नहीं मिलेगा और आता है तो ऐसे दाम पर जब आम जनता के पास पैसे नहीं होते हैं अतः वह माल उन दुकानों में ही पड़ा रहता है। तो यह माल बाद में फेयर शॉप्स के मालिक और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर मिल कर खुले आम चोर बाजार कर रहे हैं। मैं तो इसके लिये यह मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि इन सप्लाई विभाग के अधिकारियों को और इन व्यापारियों को हथकड़ी पहना कर खुले आम बाजार में घुमाना चाहिये ताकि उन लोगों को अपने किये का फल मिले और दूसरे जो व्यापारी ऐसी हरकतें करते हों वह करने से रुक जाये। आज आप जिस चीज पर कंट्रोल का एलान कर देते है वही चीज आपको बाजार से गायब मिलेगी और आपको सरकार तो मुहैया नहीं कर सकेगी लेकिन उसी चीज को आप दुगने पैसे देकर चौगुने पैसे देकर चाहें जितनी तादाद में ब्लेक में खरीद सकते हैं तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि ब्लेक में जो चीज आपको मिल सकती है तो वह आखिर कहां से आती है। आज बाजार में आप अनाज लेने निकलें तो आप को नहीं मिलेगा लेकिन आप उसी अनाज को 5 रुपये किलो खरीदना चाहें तो आप चाहे जितना ही खरीद सकते हैं तो मैं आप के मन्त्री महोदय को पूछना चाहूंगा कि आखिर यह धान कहां से आता है। क्या कर रहा है आपके रसद विभाग का स्टाफ। आज चूंकि बनिये लोग इनसे मिले हुए हैं तभी तो उनकी हिम्मत होती है इस प्रकार खुले आम ब्लेक करने की। तो मैं सरकार से यह आश्वासन चाहूंगा कि वह आज इस सदन में यह आश्वासन दे कि इतना अनाज तो प्रति व्यक्ति जनता को हर माह मिलेगा। चाहे वह 4 किलो 6 किलो या आठ किलो कुछ भी हो। आखिर तो कोई हल निकालना ही चाहिये।

(श्री रघुनाथ विश्नोई के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कह रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कुछ नहीं उपाध्यक्ष महोदय मैं तो यह पूछ रहा हूं कि यह कौनसी डिबेट चल रही है। मन्त्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया उसका जवाब दे रहे हैं या वह बहस चल रही है या दूसरी कोई बहस चल रही है।

श्री माननीय सदस्य : सप्लाई का जवाब दे रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बहस चल रही है तो क्यों न बोले। जवाब दे रहे हैं तो दूसरा काम कब लिया जायेगा।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य, शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर। आर्डर प्लीज

श्री भानुकुमार शास्त्री : आखिर कोई कमिटमेंट तो करना चाहिये कि कितना अनाज दिया जायेगा। यह आश्वासन चाहता हूं।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें। आर्डर प्लीज आर्डर प्लीज। ऐसा है कि जब सदन में एक माननीय सदस्य बोल रहा हो तो दूसरे सदस्यों को बीच में इन्ट्रप्शन नहीं करना चाहिए। अभी जो

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

सदन में बहस चल रही है उसके लिए मेरा निवेदन है कि पहले भी विधान सभा में इस के लिए एडजोर्नमेंट मोशन आ चुके हैं और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी आया है कई माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है। चूंकि समय कम है और मन्त्री महोदय को जो उत्तर देना था वह दे चुके हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो भी कहना चाहें वह थोड़े में कहें और मन्त्री महोदय कुछ मुनासिब समझेंगे तो जबाव दें देंगे। वैसे मैं विषय की गम्भीरता को देखते हुए माननीय सदस्यों पर ही छोड़ूंगा कि वह अपने बहुमूल्य सुझाव अगर कोई देना चाहे तो संक्षेप में दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा यह निवेदन है कि जो माननीय सदस्य अपने सुझाव दे उसके लिए अगर खाद्य मन्त्री पहले थोड़ा समय दे दें या मुख्य मन्त्री से परामर्श करके खाद्य मन्त्री इस सदन में कुछ निश्चित घोषणा कर दें तो ठीक रहेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, इस भाषण की चटनी तो चाटते चाटते हमारा गला पक गया है। अब तो आप मन्त्री महोदय को यह फरमाइये कि वह इस सदन में कुछ डेफीनेट घोषणा इस सदन में कर दें। इसके अलावा मेरा यह निवेदन है कि जो भ्रष्टाचारी सप्लाई अधिकारी हैं और बड़े बड़े होल्डर्स हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। ऐसेन्सियल कोमोडिटीज एक्ट के अन्तर्गत आप इन व्यापारियों को और जो आपके कांग्रेस के बड़े अनाज के जमींदार हैं उनके खिलाफ में भी एक्शन लें।

श्री मीठालाल : आन ए पाइंट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पोइन्ट आफ आर्डर का नाम लेकर क्या बोलना चाहते हैं।

श्री मीठालाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आज जो कोम्यूनिस्ट पार्टी वाले लोग सदन में इस प्रकार के आदेश निकलवाने के पक्ष में है कि जो भी बाजार किसान लोग दो तीन सौ क्विन्टल गेहूं आज जयपुर के बाजार में ला रहे हैं वह भी अगर कोई आप ऐसा आदेश निकाल देंगे तो वह लाना बन्द कर देंगे और आज जो दो तीन मोटरें अनाज की भर कर आती हैं वह भी बन्द हो जाएंगी तो जो भी अनाज आपकी जनता को आज मिलता है वह भी नहीं मिल पायेगा। जो काश्तकार पांच पचास पाउा अनाज लाते हैं वह बन्द हो जावेगा तो इसके लिए सरकार को सोच लेना चाहिए कि क्या सरकार लोगों को अनाज दे सकेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुझे तो कुछ नहीं कहना है। स्वतन्त्र पार्टी को सीधी धमकी है। कांग्रेस में कितने आदमी सामने हैं यह देखना है।

श्री मीठालाल : यह तो यह चाहते ही हैं कि सरकार उलझे। इनकी पार्टी इसी में विश्वास रखती है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इस तारीख को जिस भावना से यह स्थगन प्रस्ताव रखा था उस भावना की पूर्ति तो हो नहीं रही है। मैं समझता हूं कि हाउस एडजोर्न भी हुआ, इतनी बातचीत भी हुई,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

ह चाहते थे कि तीन किलो से आठ किलो या दस किलो की घोषणा खाद्य मन्त्री जी करें ।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर बोल चुके है आप ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने नियमानुसार 15 दिन पहले प्रस्ताव दिया है । सरकार भी इसे राष्ट्रीय प्रश्न मानती है।

श्री केदारनाथ : भार्गव साहब, आपकी भावना मान ली गई है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तीन किलो दिया वह भी सड़ा गला । अन्य चीजें सीमेन्ट तेल कोयला आदि आप दें या नहीं, पर अनाज तो बहुत आवश्यक वस्तु है कहीं पर भी जंगल में जाकर लकड़ी काट पीट कर उससे पका कर लोग खा लेंगे अगर कोयला तेल या लकड़ी नहीं आपने दी तो ।

बम्बई में यह राष्ट्रीय समस्या नहीं रही, वहां नौकरशाही ने थोड़ा काम किया है । पर हमारे यहां इसी नौकरशाही के कारण यह समस्या बनी हुई हैं । आपकी भूलों के कारण 28 लाख टन गेहूं स्टेशन पर पड़ा पड़ा सड़ गया आपके खाद्य निगम की गलती से । कहीं पड़ा है पड़ा पड़ा घुन खा रहा है, पर लोगों को नहीं दे पाते । वितरण समय पर नहीं कर सकते । सड़े गले हो जाने पर उसे उठाने पर खर्चा और करना पड़ता है । कोटा जिले में 19 हजार बोरी गेहूं सड़ गया । केन्द्रीय भण्डार निगम ने खुला पड़ा रखा । बरसात आई और उस गेहूं में से गेहूं पैदा हो गया । अंकुर फूट पड़े । चुरू के रेलवे स्टेशन पर दो हजार बोरियां इसी तरह पड़ी पड़ी सड़ गईं ।

आप कहते हैं यह राष्ट्रीय समस्या है। मैं कहता हूं कि यह तो आपकी व आपके नौकरशाही की लापरवाही से पैदा की गई समस्या है ।

आपको राष्ट्रीयकरण करना था कर लिया, आपके भाइयों ने आपका साथ दे दिया । अब तो स्पष्ट हो गया कि वह पालिसी आपकी फेल रही । अब अगर कोई होर्डर है, चोर बाजारिया है, तो आप उसे पकड़िये, उसे फांसी पर लटकाइये । आवश्यक वस्तु कानून संशोधन विधेयक आप काम में लाइये । गिरधारीलालजी व्यास ने कांग्रेस रेली में कहा कि होर्डर्स अगर कांग्रेसी होंगे तो उसे दल में से निकाल दिया जावेगा आप बताएं आज तक आपने कितनों को निकाला ?

अनाज वितरण का काम दिया गया । उसमें घोटाले सामने आये । आप ने कितनों को सजा दी ? आरोप था कि आपके दल के लोगों ने बीज के नाम पर दिया गया अनाज खा गये । उसका हिसाब आप ने नहीं मांगा ।

श्री सज्जनसिंह : आन ए पोइन्ट आफ आर्डर, सर ।

मुझे यह कहना है कि डिबेट इस पर क्लोज हो चुकी है । मन्त्री महोदय वक्तव्य दे रहे थे । पर एक माननीय सदस्य द्वारा हंगामा खड़ा करने के पश्चात् पुनः बोलने के लिये उनको अनलिमिटेड टाइम दिया जा रहा है क्या यह अकोर्डिंग टू दी रूल हो रहा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह पोइन्ट आफ आर्डर प्रोसीजर के तो अनुकूल है। दुबारा अनुमति नहीं दी जाती। ऐसी स्थिति में हम यह चाहते हैं कि पहले माननीय मन्त्री महोदय अपना कथन समाप्त कर लें। फिर स्पष्टीकरण के रूप में किसी को कहना होगा तो वह कह लेगा।

श्री केदारनाथ : मन्त्री महोदय रिप्लाई शुरु करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं संक्षेप में कह दूं। मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बाढ़ पर भी बहुत से सदस्यों को बोलना है।

श्री सज्जनसिंह : मेरी व्यवस्था के प्रश्न का क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। मैंने इस पर पहले भी निवेदन किया था कि बोलने का काफी अवसर दिया जा चुका है। फिर भी आपने फरमाया कि कुछ कहना बाकी रह गया है तो मैंने चाहा कि वे सूत्र रूप में कुछ कह दें ताकि मंत्रीजी उत्तर देते समय ध्यान में ले लें। सूत्र रूप में इजाजत चाही थी कहने को, वह दी थी। पुनः निवेदन करूंगा कि सूत्र रूप में कुछ मुद्दे रह गये हों तो उनको रखने की इजाजत देता हूं। इससे अधिक नहीं।

श्री हीरालाल देवपुरा : इनका तो सूत्र तो खत्म होता ही नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सूत्र रूप में ही निवेदन कर रहा हूं। जयपुर में कांग्रेस की रैली निकली थी। नारे लगाये जा रहे थे कि लोगों को पूरा अनाज मिलना चाहिये, जमाखोरी नहीं चलेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बार बार ये उसी बात को कहते जा रहे हैं। फिर सूत्र रूप क्या हुआ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह निवेदन करना है कि प्रति व्यक्ति हर महीने में दस किलो गेहूं और दूसरा अनाज सड़ा गला नहीं अच्छा महीने की अन्तिम तारीख तक मिले इसकी व्यवस्था करने का खाद्य मंत्रीजी आश्वासन दें। और इस तरह के आश्वासन की वे जब तक घोषणा नहीं करेंगे तब तक मैं कहता रहूंगा। यह बड़ा अहम मसला है। यह हल नहीं होगा तब तक मैं कहता रहूंगा, सदन की आगे की कार्यवाही नहीं चलने दूंगा।

श्रीमती निर्मलाकुमारी : क्या बात है कि उनको ही समय दिया जाता रहा है। तीन चार बार वे इस पर बोल चुके हैं। हम तो मन्त्रीजी का स्टेटमेंट चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने उत्तर के प्रारम्भ में ही दो तीन बातें मैंने माननीय सदस्यों के सामने रखी थीं और वे थीं कि हमारी नीति पूर्ण राष्ट्रीयकरण की है। अनाज प्रोक्योर करके सुव्यवस्थित तरीके से उसका वितरण करते हुए समाज के हर व्यक्ति के पास पहुंचाना हमारा कर्त्तव्य है। हमारी जिम्मेदारी है। यह स्पष्ट रूप से मैंने निवेदन किया था।

इस सन्दर्भ में मैं कह रहा था कि यदि यह व्यवस्था पहले से नहीं की गई होती तो शायद बहुत अधिक लोगों को कठिनाई होती।

(श्री शिवचरण माथुर)

इस बीच में यह प्रश्न आ गया कि सप्लाई की मिकदार बढ़ाई जावे। मुझे पता नहीं कि बढ़ाने का कमिटमेन्ट किया गया था या नहीं पर सवाल यह उठता है कि आज जो कुछ भी अनाज देश में उपलब्ध होगा उसको पूरी तौर से बांटने की बात हम करना चाहते हैं और उसी आधार पर हम लोगों ने व्यवस्था भी की। हो सकता है मीटिंग में बढ़ाने का सवाल आया हो। कहा गया हो कि भारत सरकार से लेने का प्रयास अधिक से अधिक किया जावे और राजस्थान का कोटा भी बढ़वाने का प्रयत्न किया जावे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने अपने प्रयत्नों में कोई कमी नहीं रखी है। सारे देश की जो खाद्यान्न स्थिति है वह आप से छिपी हुई नहीं है। जितना उपलब्ध राष्ट्रीय स्तर पर होता है, सारे प्रदेशों को देखते हुए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यह काफी हाइ लेवल पर होता है। इसलिये जो कुछ भी वहां पर उपलब्ध था जो हमको मिला। आज आवश्यकता इस बात की है कि सही डिस्ट्रिब्यूशन करे। आज यदि जो कुछ मिल रहा है, उसका सही डिस्ट्रिब्यूशन कर ले तो फर्क पड़ सकता है। मैं समझता हू आप भी सहमत होंगे। हमारे समाज में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको राशन का अनाज लेने की आवश्यकता नहीं है।

1971 की जन-गणना के अनुसार जयपुर की जनसंख्या 7 लाख 15 हजार थी और यही जनसंख्या राशन कार्ड के हिसाब से 8 लाख के करीब है। अब उसमें सरकार की कितनी गलती है, कितनी नहीं है, यह तो आप लोग जानते हैं। इसलिए यह चाहते हैं कि जो गलत राशन कार्ड हैं उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाय। मैंने इस बात को वक्तव्यों के रूप में रखा है। हम उस काम को करना चाहते हैं। 15-20 हजार की और आबादी बढ़ सकती है लेकिन इसमें अभी बहुत फर्क है। यदि हम राशन कार्ड्स को ठीक कर ले तो जो वितरण की थोड़ी कठिनाई है, वह ठीक हो सकती है और उसमें फर्क अवश्य पड़ सकता है। आज ईश्वर की दया से अच्छी फसल है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय मंत्री महोदय क्षमा करेंगे यहीं से उत्तेजना पैदा हुई थी। जितना आपके पास है, उसका सही वितरण नहीं हुआ है। मैं यह चेलेन्ज करता हू यह आपकी आफिसियल मशीनरी आपके कलक्टर, आपके एस० डी० एम० ने उसका सही वितरण नहीं किया। किसी को ज्यादा मिला है, किसी को कम मिला है, किसी को बिल्कुल नहीं मिला और किसी जगह ब्लेक में मिला। इसके लिये आपको एक ड्रास्टिक एक्शन लेना होगा।

श्री शिवचरण माथुर : उत्तेजना माननीय सदस्य इस बात पर नहीं फैली थी उत्तेजना तो फैली थी जनसंघ के माननीय सदस्य गुमानमल जी और गिरधारी लालजी की बात पर उत्तेजना हुई थी और यह हाउस एडजोर्न करके स्पीकर साहब के चेम्बर में बात हुई थी और राशन कार्ड की स्केल बढ़ाने वाली बात हुई थी और बाद में हम सदन में आकर बैठे थे और कमिटमेंट के अनुसार भी ऐसा नहीं है। यह कहा गया था पूरे प्रयत्न करके अधिक क्वान्टम

(श्री शिवचरण माथुर)

करने की कोशिश करेंगे। मैं कहता हूं सरकार ने पूरा प्रयत्न किया है। सरकार ने अपना कोटा बढ़ाने के लिये भारत सरकार से प्रयत्न किया था और भारत सरकार के पास और जो देश में स्थिति है उसी के अनुरूप हमें आज मिला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं पिछले महीने 25 हजार टन मिला था और आज 15 हजार टन मिला है और जो अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं वह करेंगे।

यहां स्थिति आपके सामने है और ऐसी स्थिति में 10 किलो की घोषणा कर दी जाय, 8 किलो की घोषणा कर दी जाय। यह कहां तक निभेगी। जो कुछ समस्या है, उसके व्यवहारिक पक्ष को देखें आज हिन्दुस्तान के किसी भी हिस्से में 10 किलो नहीं मिल रहा है। आप केवल गेहूं की समस्या को ही बढ़ाना चाहते हैं आज हमारे पास मोटा अनाज है माइलो है, बाजरा है लेकिन माननीय सदस्य की एक ही बात है कि 3 किलो के बजाय 10 किलो कर दिया जाय। आज देश में गेहूं नहीं है तो मैं समझता हूं कहां से दिया जाय इसलिये मैं कहना चाहता हूं जो कुछ उपलब्ध है, यदि मोटा अनाज हमें उपलब्ध है तो वह भी लिया जाय। जब अच्छी स्थिति होगी तो गेहूं भी बांटेंगे लेकिन आज जो परिस्थिति है, मैं समझता हूं वह सारी की सारी सदन के सामने है। यदि 10 किलो की घोषणा कर दी जाय तो वह अव्यवहारिक होगी और उसको निभाना कठिन होगा।

जो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेज हैं, आपने सदन में अनेक तरह के विचार रखे हैं मैं बहुत से विचारों से सहमत हूं। गवर्नमेंट की मशीनरी में खराबी हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन में खराबी हो सकती है, कुछ खामियां हो सकती हैं लेकिन हमारी अपनी भी कुछ कठिनाइयां होती हैं। मैं आगे यह कहने जा रहा हूं हम उन सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेज को, उन सारी खामियों को दूर करने के लिए कारगर उपाय करेंगे। हम राशन कार्ड की प्रणाली में परिवर्तन करेंगे। मैंने यह भी निवेदन किया कि इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को, बड़े बड़े आदमियों को, उपभोक्ता के प्रतिनिधियों को भी इन्वोल्व करना चाहते हैं। आज जो कुछ स्थिति है, उसको हम ठीक करना चाहते हैं लेकिन आप यह कमिटमेंट चाहें कि 3 किलो के बजाय 10 किलो का यहां अनाउन्समेंट कर दिया जाय, यह सम्भव नहीं है। यह जिम्मेदार सरकार है। जिसने देश का शासन 25-30 साल से चलाया है। जनता का विश्वास लगातार इसको 26 सालों से मिल रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : फिर आप यह कह कर उत्तेजना फैलायेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : हम 26 साल से बराबर यहां पर हैं, यह स्पष्ट है।.

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बातचीत नहीं करें। माननीय सदस्य।

(शोरगुल अश्रव्य-व्यवधान)

माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री शिवचरण माथुर : मैं समझता हूं यह जनतन्त्र का तरीका है। कोई भी जो

(श्री शिवचरण माथुर)

बात कहे उसे सुनें। दूसरे व्यक्ति आपकी बात को बहुत शान्ति से सुनते हैं तो दूसरों की बात को भी आपको सुनना चाहिये। हो सकता है, आपके विचार मेरे विचारों से सहमत नहीं हो लेकिन जनतन्त्र का तरीका है। आपको सामने वाले की बात सुननी पड़ेगी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं यह कहना चाहता हूं......

श्री गुमानमल लोढा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। पाइन्ट आफ आर्डर आ गया है।

श्री गुमानमल लोढा: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को भाषण सुनने और देने का अधिकार है लेकिन माननीय मंत्री महोदय किसी बात को गलत रखने का अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं 10 किलो गेहूं......

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह कौनसा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री गुमानमल लोढा : आप, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दल को गलत तरीके से नहीं बता सकते हैं। आप गलत कहते हैं। गेहूं के बजाय माइलो दीजिये, बाजरा दीजिये हम कब मना करते हैं उस बात से लेकिन गलत बात मत कहिये......

(पुनः शोरगुल, व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह पाइन्ट आफ आर्डर का बाप है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल देवपुरा : पाइन्ट आफ डिसआर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : यह गंभीर प्रश्न है और गंभीर प्रश्न को अनावश्यक समय लेकर समाप्त कर दें यह उचित नहीं होगा इसलिये जो पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है, उसमें मुझे कोई बल नजर नहीं आता है और न कोई इसमें औचित्य का प्रश्न आता है।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : 'सत्यं ब्रूयात प्रियं ब्रूयात न ब्रूयात् सत्यम प्रियम' यह अप्रिय सत्य था जो मंत्रीजी ने कहा कि 26 साल से कांग्रेस राज्य करती आ रही है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस बात को रिपीट मत कीजिए।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लोग भूखों मर रहे हैं आपके 26 साल के राज में।

(व्यवधान-शोरगुल-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : मुझे यह कहने को इसलिए आवश्यकता पड़ी कि उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि जनता देख लेगी सड़कों पर। मैं उनसे

(श्री शिवचरण माथुर)

कहना चाहता हूं कि जनता पिछले 26 साल से देख रही है और उसी का नतीजा है कि आज 145 यहां पर आए हैं। ......

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह तो नारा था इन्द्राजी का, इन्द्राजी का तावीज लगा कर और लोगों को धोखा देकर, बंगला देश के नाम पर आए हैं।

(शोरगुल–अश्रव्य)

अगर आप अपने बलबूतों पर खड़े होते तो हालत खराब हो जाती।

(निरन्तर शोरगुल-अश्रव्य)

जीत का अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा, कंस का भी अभिमान नहीं रहा है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इनके लिए तो आप पोइन्ट आफ आर्डर की नहीं, पोइन्ट आफ डिस–आर्डर की व्यवस्था कीजिए।

(अनवरत शोरगुल-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज....आर्डर प्लीज....आर्डर प्लीज।

श्री गुमानमल लोढ़ा : हमारा तो कहना यह था कि 145 जीत कर आए हैं इसलिए आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है। जब आपको मास मैंडेट मिला है तो इसलिए नहीं मिला है कि आप लोगों को भूखों मार दें। आप लोगों को भूखों नहीं मारना चाहते तो यहां घोषणा करें कि दस किलो धान देंगे। आप कह रहे हैं फूड एडवाईजरी कमेटीज की स्थापना की, मदेरणा साहब ने इसकी घोषणा की लेकिन साल भर में एक मीटिंग भी नहीं हुई। आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फूड एडवाईजरी कमेटीज बनाई लेकिन उनकी कोई मीटिंग नहीं हुई। राजस्थान लेवल पर आपने कमेटियां बनाई लेकिन कोई मीटिंग नहीं होती। ......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय मंत्रीजी।

श्री लूणाराम : जनसंघ के नेता महोदय को मिला नहीं है।

(अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या बोल गये पता ही नहीं लगा। हम तो समझ ही नहीं सके।

श्री श्रीराम गोटेवाला : भूखे मरने वालों के शरीर बढ़ गये हैं।

श्री शिवचरण माथुर : अभी उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने... ...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह तो शरीर देखते ही पता लग जाता है कि अकाल क्यों पड़ रहा है राजस्थान में।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : बार बार यह कहा जा रहा है कि जो भी उपलब्ध हो वह अनाज दिया जाय। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले निवेदन किया कि हमारे पास माइलो का स्टाक है लेकिन उसको कहीं पर भी लोग लेने को तैयार नहीं है। अगर लेने के लिए तैयार हों तो हम राशन से दे सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि देहातों में नई फसल आने के बाद मैं ऐसा मानता हूं कि कहीं पर भी कोई लोग माइलो को

(श्री शिवचरण माथुर)

स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। आज जो मेरे पास बाजार के भाव आए हैं वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे पहले की स्थिति और आज की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। जो हमारे पास राशन के लिए अनाज उपलब्ध है उसके अलावा भी कंज्यूमर के पास मार्केटिंग सोर्सेज हैं जहां एक व्यक्ति अपनी जरूरत का अनाज खरीद कर अपना काम चला सकता है और आज की हालत में जो बाजार की प्रिवेलिंग रेट्स हैं वे काफी अनुकूल हैं। आज जो आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं, आप जो रूप प्रस्तुत कर रहे हैं उसको मैं मानता हूं कि वह काफी काल्पनिक और अव्यवहारिक है। मैं मानता हूं कि कठिनाई है और कठिनाई को फेस करना है लेकिन जिस प्रकार की पिक्चर पेंट करके और केवल उत्तेजना से समस्या का हल निकालना चाहें तो वह व्यवहारिक बात नहीं होगी। तो मैं आपके सामने आज की प्रिवेलिंग रेट्स प्रस्तुत कर रहा था कि इस वक्त लास्ट वीक में गेहूं की रेट्स राजस्थान के अलग अलग बाजारों में 120) रु० से 160) रु० थी और आज 105 से 115) रु० हैं।...

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह बिल्कुल गलत है। जोधपुर में 150 और 160 में भी गेहूं मिलता नहीं हैं। आप यहां केवल घोषणा कर देते हैं

(शोरगुल—व्यवधान—अश्रव्य)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : यह संग्रहखोरों का भाव है।

श्री शिवचरण माथुर : बाजरा पिछले सप्ताह 80 से 105 थी जब कि पहले 81 से 110 था। ज्वार पहले 72 से 112 और अब 72 से 105। मक्का 85 से 115 जब कि पहले 95 से 125) रु०। जौ का भाव 105 से 120) रु० हैं चना जरूर मंहगा है और अभी यहां पर माननीय सदस्यों ने कहा, दरअसल चने को रोकने का कारण यह था कि ....

श्री गुमानमल लोढ़ा : रोक तो तब लगाई जबकि सारा चना निकल गया।

श्री शिवचरण माथुर : रोक लगी हुई है चने पर।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वह तो मुर्दे को दवाई पिलाई जब सारा.......

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री शिवचरण माथुर : चने की निकासी बन्द है और चने को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है इस बात को मैं कह सकता हूं।

तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस समय शायद इस समस्या को आप उत्तेजनापूर्ण वातावरण में हल नहीं कर पायेंगे इसलिए सारे बैकग्राउण्ड के आधार पर, सारी ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि में जो देश में परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उनको ध्यान में रख कर व्यावहारिक हल उसका निकालने की कोशिश करना चाहते हैं।

जहां तक होडिंग को रोकने का प्रश्न है, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार की इसमें पूर्ण मंशा है और हम आपका सहयोग इसमें चाहते हैं। हम होडिंग को रोकने में विश्वास करते हैं और

(श्री शिवचरण माथुर)

जो भी इसेंशियल कमोडिटीज हैं उनको रेगुलेटेड ढंग से, सही तरीके से, सही प्राईजेज पर बिकवाने में विश्वास करते हैं। इसके लिए जितना भी आवश्यक है अनाज का भण्डार करना चाहते हैं लेकिन इस संदर्भ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि इसेंशियल कमोडिटीज और फूड ग्रेन्स का मूवमेंट केवल राजस्थान सरकार के हाथ में ही नहीं हैं भारत सरकार से भी सलाह लेनी पड़ती है, भारत सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं जहां पर भी होर्डिंग की बात होगी उसको रोकने में सरकार अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

श्री मीठालाल : लेवी के चने का क्या किया ?

श्री शिवचरण माथुर : मेरा वक्तव्य अगर आप सुन लेते तो शायद आपको यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैंने पहले भी निवेदन किया भूमिका के तौर पर कि हम सामाजिक वितरण व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं....

श्री गुमानमल लोढ़ा : वह तो मदेरणा साहब भी करते 2 चले गए।

श्री शिवचरण माथुर : पिछली बार हमने भण्डार बनाने के लिए जितना हमने टार्जेट बनाया था उसको पूरा करने में हमने भरपूर प्रयास किया है और मैं इस बात को गर्व के साथ कह सकता हूं कि जो भी टार्जेट किया था उसका पालन किया है। अब भी कहना चाहता हूं कि हम प्रक्योरमेंट प्रोसेज के लिए पूरी सफलता पाने की आशा रखते हैं और इसको दृढ़ता से करना चाहते हैं। इसको पूरा करने में हम आपका सहयोग चाहते हैं।...

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : इनके सहयोग की आशा मत करो।

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ××× जो बोल रहा है ×× ताली बजा रहे हैं।

(भयंकर शोरगुल—अश्रव्य)

श्री शिवचरण माथुर : मैं तो यह आशा रख कर चल रहा था कि इस समस्या के समाधान के सम्बन्ध में विरोधी पक्ष के माननीय नेताओं के महत्वपूर्ण सुझाव हमको मिलेंगे और जो भी सुझाव यहां पर दिए गए हैं अभी, मैं उन सुझावों की कीमत करता हूं और निवेदन करना चाहूंगा हूं कि इस बारे में अलग 2 तरीके से समस्या सुलझाने के आपके सुझाव हैं व्यावहारिक सुझाव दीजिए तो सरकार उनको निश्चित रूप से पालन करके अमल करना चाहती है। लेकिन यहां बैठकर और सदन में उत्तेजना का वातावरण पैदा करके आप चाहें कि समस्या का समाधान हो जाय तो आप मुझे क्षमा करेंगे, इस तरह से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आज इस समस्या से हम सब लोग पीड़ित हैं, हमको भी कोई कम चिंता हो ऐसी बात नहीं है लेकिन जो कुछ

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्य विवरण से निकाले गये।

Page No 110

(श्री शिवचरण माथुर)

भी कठिनाइयां हैं उनके होते हुए भी जो कुछ भी व्यवस्था हो सकती है करने को तैयार हैं। और उनमें आपका सहयोग मिलना चाहिए। इसलिए प्रारम्भ में भी मैंने कहा था कि यह राष्ट्रीय समस्या है, यह समस्या किसी एक राजनैतिक दल, एक दृष्टिकोण रखने वालों की समस्या नहीं है, यह तो समाजवाद की तरफ हमारा कदम है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खाद्यान्न के विषय पर आज बहुत से पूंजीवादी मुल्कों में भी इसका राष्ट्रीयकरण कर रखा है। यह तो हिंदुस्तान में ही ऐसी बात है कि जहां पर खाद्यान्न के लिए और इसेंशियल कमोडिटिज का व्यापार कुछ आदमियों के हाथ में है लेकिन बहुत से पूंजीवादी मुल्क भी खाद्यान्नों का और इसेंशियल कमोडिटिज का व्यापार सरकार अपने हाथ में रखती है इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है, समाज के लिए उपयोगी बात है। जैसा कि हमारी सरकार ने, कांग्रेस के मेनीफेस्टो में घोषित किया गया है और उसके अनुसार जनता ने हमको विश्वास दिया है और सरकार बनी तो हम बहुत दृढ़ता से इस नीति का पालन करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आचार्य जी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, अभी यहां पर××× और × × × शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ लें तो × × × माननीय सदस्य हुए और × × × माननीय मंत्री महोदय। इसलिये इसको एक्सपंज कर दें तो अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इन दोनों शब्दों को एक्सपंज करने का आदेश देता हूं।

(शोरगुल)

आर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ये असंसदीय नहीं है। आप 4-20 पर बोले हैं इस-लिये 420 की बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज··· ·······

(शोरगुल)

मैंने इन शब्दों को एक्सपंज करने का आदेश दे दिया है। आदेश दिया जा चुका है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : ऐसे आदेश नहीं चलेंगे······।

(शोरगुल)

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह चेयर का अपमान है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : × × × और × × × पार्लियामेन्टरी शब्द हैं। अन-पार्लियामेन्टरी हैं तो इसके बारे में विचार किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज···(शोरगुल)

श्री केदारनाथ : कवि सम्मेलन में पार्लियामेंटरी हो सकते हैं, हाउस में नहीं।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्य विवरण से निकाले गये।

Page No 111

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : इनके प्रिय शब्द छीन लिये गये हैं.........

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : उपाध्यक्ष जी मेरी तो यह मांग है कि हमारे क्षेत्र में पूरा कोटा भेजा जाये । मैं यह जानकारी चाहूंगा, कोटा थोड़ा दिया जाये, ज्यादा दिया जाये; तीन किलो, पांच किलो, जो सरकार की मर्जी हो लेकिन हमें इस बात का विश्वास दिलाया जाये कि उस क्षेत्र के गांवों को कोटा पूरा बांटा जाये । इस वक्त वहां पर किसानों को कोई कोटा नहीं मिल रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य.....

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु : मेरे निर्वाचन की बात सुन लीजिये । आज हम यह विश्वास चाहते है कि हमारे क्षेत्र में सरकार द्वारा जो भी कोटा दिया जाय, दो किलो या तीन किलो, वह उस क्षेत्र को भेजा जाये । राजस्थान के दूसरे हिस्सों को जो दिया जाये वह हमको भी दिया जाये ।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर खाद नहीं मिल रही है । इसको वितरित करने का तरीका गलत है और वह सारी की सारी ब्लेक में जाती है और खाद किसी को नहीं मिलती है । वह चोर-बाजारी में जाकर बिक रही है । जो कलक्टर बिठाया है वह डिक्टेटर है और किसानों को खाद नहीं देना चाहता है । तीसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें जो बाजरे का बीज दिया गया था पिछली दफा, वह डिफेक्टिव है । इसलिए सरकार को उस पर विचार करना चाहिये । ये तीन बातें हैं जो पहले भी सदन के अन्दर कह चुका हूं । इसके मुतलिक सरकार का जवाब या मंत्री महोदय का जवाब जानना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मणसिंह ।

श्री विट्ठल भाई : एक मिनिट बोलना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आपको मौका बाद में मिलेगा ।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में जो कुछ भी बात है कहना चाहूंगा । एक तो बड़ी भारी आशंका है खाद और बीज की वितरण पर्याप्त रूप से और समय पर होना अत्यन्त कठिन है । इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे । मैं नेशनलाइजेशन के सिद्धांत के विपरीत नहीं हूं । अगर राष्ट्रीयकरण खाद्यानों का होता है तो उसके साथ वितरण भी होना चाहिये । आपकी वितरण की व्यवस्था दूषित है, यह मंत्री महोदय भी जानते हैं । आज की समस्या को देखते हुए राजस्थान की हालत गुजरात, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के राज्यों के मुकाबले में खराब है, अच्छी नहीं है । माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा कि बिलो दी पावरटी लाइन के लिये हम खास व्यवस्था करेंगे । यह आपका कर्त्तव्य है, और आपको करना चाहिये और आप शीघ्रातिशीघ्र करें, इसका मैं स्वागत करता हूं । केवल मात्र यह कह देना कि आज कोई माइलो को लेने को तैयार नहीं है, मैं मानने को तैयार नहीं हूं । आप कहते है गरीबों के पास अनाज है, किन्तु गरीबों के पास कोई अनाज नहीं है ।

Page No 112

(श्री लक्ष्मण सिंह)

आज आप मोटे अनाज का वितरण नहीं कर रहे हैं बल्कि छोटे छोटे गांवड़ों में फाकामस्ती वितरण कर रहे हैं। रहा सवाल मोटे अनाज का। मोटा अनाज तो हमारे बाप दादे खाते आये हैं। हमें मक्का, माइलो खाने में कोई शर्म नहीं आती है लेकिन अगर आप समाजवाद को लाना चाहते हैं, राष्ट्रीयकरण की योजना को सफल बनाना चाहते हैं, आप तो अभी मंत्री हुए हैं, पहले के मंत्री महोदय ने भी कुछ कहा था, महात्मा गांधी भी आज स्वर्ग से पधारें तो वे भी शायद सन्तोषजनक व्यवस्था नहीं कर पाएंगे and Law of Relativity संसार में विद्यमान है। दूसरे राज्यों के मुकाबले में हमारी वितरण व्यवस्था खराब है। इसको हमें सुधारना चाहिये। अभी कर्मचारियों की हड़ताल से यह स्पष्ट प्रदर्शित हो चुका है कि हमारा ह्यूमन मेटेरियल जो है वह फेल हो चुका है। उनमें पेट्रोटिज्म का अंकुर मेरे ख्याल में बहुत कम है। अवसरवादिता का अंकुर बहुत ज्यादा है। किसी व्यक्ति विशेष की बुराई नहीं करना चाहता हूं लेकिन सरकार की भावना शुद्ध से शुद्ध है लेकिन आपके हाथ पांव सड़े गले हैं तो आप स्वस्थ परम्परा से सुचारु ढंग से प्रशासन नहीं कर सकते हैं। अच्छा भी है तो ठीक है, बुरा भी है तो ठीक है। जैसी कि राजस्थान के अन्दर कहावत है, सांभर लेक के अन्दर जो कुछ भी पड़ता है वह नमक हो जाता है। अगर यह सरकार अच्छे को प्रोत्साहन नहीं दे सकती है और बुरे को सजा नहीं दे सकती है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। यह जो आपका प्रथम कर्त्तव्य है उसके अंदर आप फेल हो गये हैं। आपने बहुत सारी बातें कहीं परन्तु हम समझते हैं कि आप उनमें टोटली फेल हो चुके हैं। आप इस बढ़ती हुई मंहगाई को नहीं रोक पा रहे हैं। मंहगाई बढ़ने से आपकी आपत्तियां बढ़ती जाएंगी। यह मंहगाई दिन प्रतिदिन बढ़ने का जो कारण है वह है जनसंख्या का, जनसंख्या आपकी बढ़ती जा रही है 25/30 वर्ष की आजादी के बाद भी आपने इस दिशा में क्या किया है। आप कहते हैं कि जयपुर की, राजस्थान की जनसंख्या बढ़ रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आप क्या कर रहे हैं। आपको इस सम्बन्ध में सुदृढ़ कदम उठाने चाहिये। अगर आप सुदृढ़ता से कदम नहीं उठाते हैं तो मेरे ख्याल में यू आर वोट हंगरी सरकार। आपने जनता का विश्वास प्राप्त करने के बाद भी कुछ नहीं किया है सरकार के लिये। आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप तो भुगतेंगे, देश को भी कमजोर करेंगे और आपकी हालत बद से बदतर होगी

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : They are note crazy.

श्री लक्ष्मण सिंह : They are damnably crazy.

तो मैं यह कहता हूं कि जो आपका दृष्टिकोण है वह साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है खाद्य मंत्री का उपयुक्त थिंकिंग होना चाहिये परन्तु आपका कोई कलीअर थिंकिंग नहीं है।

आप कन्वेन्शनल बेसेज पर चलना चाहते हैं तो चलिये आपका कहना ठीक है। आप सरकारी पूंजीवाद की बेसेज पर खाद्यान्न का वितरण अपने हाथ में लेते हैं लेकिन उसमें भी आपको निराशा प्राप्त होगी।

Page No 113

(श्री लक्ष्मणसिंह)

आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, वह आपके हाथ पांव आपको करने नहीं देंगे। उनको तो क्रानिक पेरलिसिज हो रहा है। आप क्या सारे राजस्थान में जा पायेंगे? मुख्य मंत्री के पास क्या हैलीकोप्टर है जिससे सारे राजस्थान में जायेंगे? आपका काम आपके हाथ पांव हैं, उनको करना होगा, लेकिन आपके जो हाथ पांव हैं, उनमें 60 प्रतिशत राटिन मटीरियल है, डेड वुड है। उनको जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक आपकी व्यवस्था ठीक नहीं हो सकेगी। गरीबी हटाओ का नारा देकर आपने जनता का विश्वास प्राप्त किया, लेकिन घोड़े पर या बग्घी पर बैठने से ही गरीबी नहीं हटेगी यह अब जनता भी जानती है। इस देश की गरीब जनता है, उसने अगर यह अनुभव किया कि कांग्रेस के द्वारा उसको सुख मिला, तो कांग्रेस अजर-अमर रहेगी, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप तो डूबेंगे ही, साथ में देश को भी ले डूबेंगे।

आपकी वितरण व्यवस्था चाहे कुछ भी हो, उसको ठीक करिये, कीमतों पर काबू पाइये और भ्रष्टाचार को बन्द करने के लिये कोई न कोई सुदृढ़ कदम उठाइये, और उसके साथ साथ आपका जो कुछ भी दृष्टिकोण अपनाना है, उसको स्पष्ट करें। मैं नहीं कहता कि प्रति व्यक्ति दस किलो दें या आठ किलो दें, लेकिन आप जो कुछ भी निश्चित करें वह गरीब और अमीर, सब को ठीक मिलना चाहिये। अगर यह भी आप नहीं कर सकते, तो what sort of Government are you? बस, इतना ही मुझे निवेदन करना है।

राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) विधेयक, 1973

प्रवर समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मुझे एक घोषणा करनी है। राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिये अपील अधिकरण) विधेयक, 1973 पर प्रवर समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा करता हूं जो इस प्रकार है:—

1. श्री हरिदेव जोशी
2. श्री मोहन लाल छंगाणी
3. श्रीमती सुमित्रा सिंह
4. श्री रावत राम
5. श्रीमती नगेन्द्र बाला
6. श्री मोहन राज
7. श्री रोशन लाल
8. श्रीमती निर्मला कुमारी
9. श्री सुरेन्द्र व्यास
10. श्री चेतराम
11. ,, फूल चन्द जैन
12. ,, सहदेव शर्मा
13. ,, केसरी मल
14. ,, जनार्दन सिंह गहलोत
15. ,, जेठमल
16. ,, नन्द लाल बैरवा
17. ,, विजय सिंह
18. ,, लक्ष्मण सिंह
19. ,, गुमान मल लोढ़ा
20. ,, केदारनाथ
21. ,, रामानन्द अग्रवाल

खाद्यान्न एवं दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं तथा खाद एवं बीज की अनुपलब्धि

श्री गुमान मल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब मंत्री महोदय के भाषण के बीच में प्रश्न रखा तो उन्होंने कहा कि अभी सुन लीजिये और उसके बाद में राज्य सरकार की जो घोषणा इस सम्बन्ध में होगी, उसके बारे में पूरा स्पष्टीकरण किया जायेगा।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : यह फ्री फार आल डिबेट है।

श्री गुमान मल लोढ़ा : मैं यह कहना चाहता था कि मंत्री महोदय ने यह कहा कि 105 रुपये के अन्दर धान राजस्थान में उपलब्ध है। मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार जो ग्रेन का टेक ओवर करने वाली है, अपने हाथ में लेने वाली है, क्या वह 100 या 105 रुपये में यह धान जनता को मुहइया करने के लिये तैयार है? आपने सदन में कह दिया कि 105 रुपये में धान मिलता है, लेकिन बाजार में उपलब्ध है नहीं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस तरह की घोषणाओं से राजस्थान की जनता के अन्दर आक्रोश बढ़ता है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि जनता को सस्ता धान मुहइया करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करें।

मंत्री महोदय ने कहा कि आपको इस बात का गर्व है कि राजस्थान में धान मिल रहा है। तो फिर आपने रेली किस बात को की? रेली में तो आपने कहा कि राजस्थान में इशेन्शियल कमोडिटीज जनता को नहीं मिल रही हैं, इसलिये आपने यह रेली की है। वहां आपने नारे लगाये कि यह धांधली नहीं चलेगी। आपके अध्यक्ष, श्री गिरधारी लाल व्यास, ने कहा कि यह धांधलेबाजी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। यह तानाशाही और धांधलेबाजी किसकी चल रही है? यह सरकार तो आपकी है। तो अगर कांग्रेस की रेली में यह कहा जाये तो ठीक है, और हम वह ही बात कहें तो आप कहते हैं कि हम उत्तेजना फैलाने का प्रयास कर रहे हैं।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, उत्तेजना कैसे न हो। पेट की भूख की बात को लेकर हम यहां पर बात कहें, कि आपने टेक ओवर किया और

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और पेट भी छोटा नहीं मोटा पेट है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : तो आपको उस जिम्मेदारी को निभाना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज भी सारी बातों के कहने के बाद में मन्त्री महोदय ने यह कहा कि सारे देश में ऐसी परिस्थितियां हैं। जब लोकसभा में बात होती है तो वहां कह देते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति ऐसी है। यदि आपके पास धान नहीं था, तो खरीदकर क्यों नहीं रखा? रूस जैसे मुल्क ने अमेरिका से धान खरीदा, चीन ने अमेरिका से खरीदा। आपने क्यों नहीं खरीदा? यह किसकी गलती थी? यहां किसका शासन था? आपको पता होना चाहिए था कि हमारे देश की इतनी डिमांड है और हमें इतनी आवश्यकता होगी। आपको बफर स्टाक बनाकर रखना चाहिये

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

था। आपके शिन्दे साहब ने घोषणा कर दी और आप चुप रह गये। आपको प्रेस करना चाहिए कि हमको इतना धान मिलना चाहिये। No question of giving us less. This will have to be given. Minimum rates will have to be given.

आपको जनता को सस्ता धान मुहाइया करना पड़ेगा। Beg, borrow or steal. आप शिन्दे साहब के पास चलिये या फखरुदीन साहब के पास चलिये, हम भी आपके साथ चलने को तैयार हैं, हम आप से कदम से कदम मिला कर चलने को तैयार हैं, हम भी आपके साथ नारे लगायेंगे, लेकिन आप घोषणा तो कीजिये। आपके मदेरना साहब कह गये कि पीपुल्स पार्टीसिपेशन होगा, इन्स्टीट्यूशनल चेन्जेज होंगी, और चेन्जेज क्या हुई? मन्त्री महोदय खुद चेन्ज हो गये। राजस्थान के लिए फूड एडवाइजरी कमेटी मदेरना साहब ने बनाई, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस फूड एडवाइजरी कमेटी की एक भी मीटिंग बुलाई गई? क्यों नहीं हुई? यह किसकी जिम्मेदारी है? जोधपुर में पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ विभाग के लोग 20 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे, वह जन संघ के नहीं थे। आपके एम्प्लाइज थे जिनका किसी पार्टी से सम्बन्ध नहीं था। उन्होंने मदेरना साहब से कहा कि आप हमको धान उपलब्ध कराइये। आपके माथुर साहब से पूछते हैं वह कहते हैं कि हम जवाब देंगे आपको शिन्दे साहब से पूछ कर। कलेक्टर साहब भी फूड एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाते। यथा राजा तथा प्रजा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार केवल घोषणा करने से काम नहीं चलेगा। राजस्थान की ढाई करोड़ जनता जिसने आपका साथ दिया है उसके लिए आपको धान मुहइया करना पड़ेगा। आप भाव तय करते हैं लेकिन उस भाव पर धान नहीं मिलता। आपने कहा कि पूरा टेक ओवर करेंगे फिर आपने तारीख का एक्सटेन्शन कर दिया, आपने कहा कि 15 दिन के अन्दर सारे धान का टेकओवर कर लेंगे, लेकिन हुआ नहीं, फिर आपने 15 दिन और बढ़ा दिये, फिर 30 दिन बढ़ा दिये। आपकी इस तरह की पोलिसी से यह मालूम होता है कि आपने राजस्थान की जनता को भ्रमित कर रखा है। आज राजस्थान की जनता इस भ्रम में है कि आखिर आपकी पोलिसी क्या है। आपने राष्ट्रीयकरण क्यों किया जबकि आप जनता को अनाज मुहैया नहीं करा सकते हैं तो। यहां पर पिछले सदन में अभी जो खाद्य-मन्त्री हैं उन्होंने कहा कि जो आज अनाज काश्तकारों के पास से बाहर नहीं आ रहा है उसका कारण है कि यहाँ पर कुलक लाबी काम कर रही है। उससे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। तो, मन्त्री महोदय, मैं यह निवेदन भी कर देना चाहता हूं कि कुलक लाबी यहां पर ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी है। अगर आप भी एक ही बात को कहना चाहते हैं अभी तो फिर यह तो हनुमान चालीसा की तरह रटते रहो। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपकी राष्ट्रीयकरण की पोलिसी फैल होगयी है, अगर आपकी नीति असफल होगयी है तो आपको चाहिये कि आप इसे विदड्रा कर लें। आपने राष्ट्रीयकरण इसलिये किया था कि जनता

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

को सस्ता अनाज मुहैया हो सके। लेकिन यह आप अभी तक नहीं करा सके हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि वह आज सदन में आश्वासन दें कि हम इतना अनाज प्रति व्यक्ति दे सकेंगे। आखिर आप दो माह चार छः माह तक इस तरह किस तरह चला सकेंगे। आज जनता के सामने दो वक्त भोजन करने का प्रश्न है। जब राज्य सरकार अनाज का राष्ट्रीयकरण करती है तो उसकी प्राईमरी ड्यूटी होती है कि चाहे कहीं से भी अनाज लावे और जनता को मुहैया करावे। लेकिन न तो आप जनता को अनाज ही सस्ता दिलाने का वायदा करते है ना आप विदेशों से गेहूं मंगाते हैं और न यहां पर जो गेहूं लोगों के स्टॉक में है उसे ही बाहर निकालते हैं और न ही आप इस आज की राष्ट्रीयकरण की नीति को ही उठाते हैं आपकी पालिसी गेहूं के मामले बिल्कुल असफल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह आज केरोसीन की बड़ी ही किल्लत है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह जनता को जो नितान्त आवश्यक चीज केरोसीन है वह आप उपलब्ध करावें। आज स्थिति ऐसी है कि गैस बाजार में नहीं, कोयला नहीं तो फिर आखिर जनता क्या करेगी। सरकार की नीति ऐसी है कि जिससे सभी को परेशानी हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो देश में केरोसीन और पैट्रोल की किल्लत है उसका कारण क्या है, इसका कारण है कि आपके केन्द्रीय सरकार की विदेशी नीति है। आप इजरायल की खिलाफत करते हैं और अरब कन्ट्रीज के पक्ष में एलान करते हैं उसी अरब कन्ट्रीज वालों ने, साउदी अरब ने, पेट्रोल की कटौती की है। उसने दस नेशन्स के लिये कटौती की है उसमें उसने भारतवर्ष को रखा है। पाकिस्तान जो कि हमेशा अरब नेशन्स के खिलाफ रहता है वह भी कटौती वाले देशों की लिस्ट में नहीं आया। अरब कन्ट्रीज ने पाकिस्तान को तेल देने में कटौती नहीं की। लेकिन पाकिस्तान को उतना ही तेल मिलेगा जो पहले मिलता था। पर हिन्दुस्तान को नहीं मिलेगा। इसके लिये मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह केन्द्रीय सरकार पर जोर दे इस बात के लिये कि वह अरब कन्ट्रीज ने जो कटौती की है उसे वापिस लें। आपकी सरकार की लाबी केन्द्र में कमजोर है और मैं समझता हूं कि आप केन्द्रीय सरकार को बाध्य नहीं कर सकेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि आपको अपनी नीति में आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, समय कम है....

श्री उपाध्यक्ष : (श्री गुमानमल लोढ़ा की तरफ इशारा करके) Please go on.

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है....

(शोरगुल, कई माननीय सदस्यों के

बोलने पर अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, अब तो इन्हें कहें कि समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : गोटेवाला साहब, आपने टीकी क्यों पोंछ ली है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : ताकि आप मुझे ब्लेक लिस्ट करवा दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप यहां बैठे बैठे ट्रेजरी बेन्चेज में कैसे पहुंच गये हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप मुझे ब्लेक लिस्ट मत कराओ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरे कहने से थोड़े ही ब्लेक लिस्ट हो जावेंगे। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक बार तो सदन में आश्वासन दीजिये कि पांच किलो या छः किलो अनाज तो देंगे। लेकिन आपके मन्त्री महोदय ने तो जो सदन में अपना वक्तव्य दिया वह तो उस तरह जिस तरह कि युधिष्ठर ने कहा था कि अश्वत्थामा हतोः हतः मानवा या कुन्जरा। यह तो कोई बात नहीं हुई। आपको अनाज की समस्या को खत्म करना पड़ेगा, सदन में आश्वासन देना पड़ेगा कि इतना गेहूं हम देंगें। केरोसीन की किल्लत को मिटाना पड़ेगा। आपको वनस्पति घी की कमी को दूर करना पड़ेगा। आज वनस्पति घी के वितरण की पोलिसी में बहुत ही खराब है उसे ठीक करना पड़ेगा.....

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, अब तो सिर्फ 15 मिनट ही बाकी हैं। क्या यही सदन का समय खत्म करेंगे ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सजेशन है। वह यह है कि मैं पैनल ऑफ चेअरमैन में हूं, अभी गुमानमल जी साहब विराज जायें और बाद में सदन का समय समाप्त होने के बाद में चेअरमैन की कुर्सी पर बैठ जाऊँगा वह चाहे जितना बोलते रहे हैं मैं इनका भाषण सुनता रहूंगा। अब कुछ समय तो दूसरे सदस्यों को दें। शायद मन्त्री महोदय जवाब देना चाहें तो।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन तो यही है कि आज सदन में कुछ मन्त्री महोदय चाहें तो मुख्य मंत्री महोदय से परामर्श करके घोषणा करदें कि जो पैसे केरोसीन के बढ़ाये गये है उसमें कमी की जायेगी। और इतना अनाज जनता को मुहैया कराया जायेगा। अगर आज कोई चीज बाजार में नहीं मिलती है तो उसके लिये दोषी है आपकी सरकार। आप कहीं से लाइये बाई, बोरों एण्ड स्टील, कुछ भी करो विदेशों से गेहूं मंगायें, अमेरिका से मंगायें, आस्ट्रेलिया से मंगायें कहीं से मंगायें आपको गेहूं मंगाना पड़ेगा और जनता को देना पड़ेगा। आप उसके लिये कमिटेड हैं। आज हमारे यहां पर आप बाजार में सीमेंट लेने जावो आपको सीमेंट बाजार में नहीं उपलब्ध होती है। कन्ट्रोल रेट पर आपको नहीं मिलेगा लेकिन ब्लेक में लेवो हजारों बोरियां आ जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वह कहां से उपलब्ध होती हैं। आज केरोसीन, वनस्पति घी अनाज यह तो गरीबों के लिये अत्यन्त आवश्यक चीजें है। आज चीन जैसा देश जो कि अमेरिका से पूर्व पश्चिम है वह भी गेहूं खरीद के लाकर अपने देशवासियों को खिला सकता है तो आप भी लाइये। आज राजस्थान के अन्दर कितना वनस्पति होता है उसका कितना परसेन्टेज हमारे यहां पर रखा जाता है आज हमारे प्रदेश वाले तो बिना वनस्पति के रहे आप उसे बाहर भेज दें। आखिर आप यह कहां तक करते रहेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

आखिर आपको लोगों से इकबाल करना पड़ेगा कि हमारी नीति असफल रही है आप इसे आत्मसम्मान का प्रश्न मत बनाइये आपकी पार्टी की नीतियां असफल हो चुकी हैं इसलिये आपको अपनी नीति में आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा।

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, मैंने सुना है कि अभी जो पेट्रोलियम के पैसे बढ़ाये गये थे उसमें कुछ पैसों की कमी की गयी है।

श्री चन्दनमल वैद : कुछ पैसे घटाये हैं।

श्री केदारनाथ : मान्यवर, मेरी पहली बात यह है कि जिस प्रकार दूसरी स्टेट्स में एसेन्शियल कामोडिटीज के लिए केन्द्रीय सरकार ने पावर्स दी है डी०आई०आर० के तहत वह क्या राजस्थान सरकार को भी मिली हैं क्या ? दूसरे इसके लिए मेरा सजेशन यह है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटीज बनाइये, तीसरा जो आपके स्टोक में पड़ा है अनाज उसको बाहर निकालने के आप क्या मेजर्स ले रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से पंजाब में सिविल सप्लाईज कारपोरेशन बना हुआ है उसी तरह आप कोई सिविल सप्लाईज का कारपोरेशन बना रहे हैं ? क्या ऐसी व्यवस्था आप अपने यहां भी करायेंगे क्या ? पांचवां यह कि क्या आप कोर्स ग्रेन का जो स्टोक पड़ा है अपने प्रोविन्स में उसके लिए भी कोई आप लिमिट फिक्स करना चाहते हैं क्या ? अगर चाहते हैं तो कौन सी लिमिट तक आप ठीक समझते हैं।

श्री विट्ठलभाई (पीपलखूंट) : जो मंत्री महोदय ने खाद्यान्न के विषय में इधर उधर जवाब दिया वह सुना। मैंने चना और गेहूं के बीज के लिये तथा डीजल के लिए कहा था। ये किसान के लिए बड़ी समस्याएं बन गये हैं। बीज समय पर नहीं मिलता तो खेत खाली पड़े रह जाते हैं। सरकार ने बीज की व्यवस्था नहीं की। जो थोड़ी बहुत कहीं की, वह नाम मात्र की है। चना बांसवाड़ा में आप इसकी जानकारी है। पर 60 क्विंटल चना एक ही पंचायत को मिला। इसके लिए मुख्य मन्त्री जी घोषणा करें कि वे चना सभी पंचायतों को दे सकते हैं या नहीं। एक मन्त्री जी कहते हैं कि हमारे पास चना बहुत है, एक कहते हैं कि है ही नहीं। आपने 20 परसेन्ट लेवी के रूप में 85 रुपये क्विंटल में चना लिया था वह चना कहां गया ? इसका कोई हिसाब नहीं। अब आप चना दे सकते हैं या नहीं यह स्पष्ट करें। नहीं देंगे तो नहीं देंगे। जो भी है सच झूठ जवाब दें।

मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि लोगों को जो भी मदद होगी मुझ से, करूंगा। तो मदद करने का टाइम तो अभी है। खेत सूखे रह जावेंगे और उसके बाद बीज आदि पहुंचा भी तो इसमें क्या होने वाला है। जो मदद समय पर मिलती है वही सही माने में मदद हो सकती है।

बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ ये आदिवासी जिले हैं। और जिलों की बात नहीं करूंगा, जहां किसान बड़े बड़े लोग भी हैं। उनको जरूरत भी नहीं है, पर हम को जरूरत है ! अगर हमें समय पर बीज आदि नहीं दिया तो दूसरा अकाल सिर है। चने के साथ साथ गेहूं का बीज भी मिलना चाहिये। नहीं मिला बीज तो दूसरा अकाल सामने

(श्री विट्ठल भाई)

आवेगा जिसे जान बूझ कर आप ला रहे हैं और लाभी इसलिए रहे है कि पंचायतों में चुनाव जीतने का आपको मौका मिले।

आपने हमेशा यही चाहा कि जब चुनाव हो, चाहे जनरल चुनाव हो या कोई और चुनाव हो, थोड़ी बहुत मजदूरी दे दी, कुछ काम खोल दिये कुछ इधर उधर के काम कर लिये।

दूसरा प्रश्न यह है कि जब तक आप पानी और बिजली की समस्या इन जिलों की हल नहीं करेंगे तब तक अकाल की चपेट में ये आते रहेंगे। कभी सूखा होगा तो कभी अतिवृष्टि। ये कुदरत की चीजें हैं। आप भी नहीं इसके लिये कुछ कह सकते और हम भी नहीं कह सकते। सही नीति अपनानी है तो पानी और बिजली किसान को आप दो।

तीसरी चीज समय पर और डीजल तेल दें ताकि ट्रेक्टर और डीजल इन्जन जिनके पास हैं उनको सहूलियत हो और बीज होगा. तो खेती बेकार नहीं पड़ी रहेगी।

आप सीधा सीधा जवाब दें कि ये चीजें दे सकेंगे या नहीं। नहीं तो कलेक्टर ने तो जवाब दे दिया, बांसवाड़ा जिले के कलेक्टर ने, कि चना मिलने वाला नहीं हैं और यही आखरी जवाब आपसे लेना चाहते हैं। इतना ही कहना चाहता हूं। ज्यादा भाषण नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आचार्य जी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पिलानी स्टूडेन्ट्स के एजीटेशन पर स्टेटमेंट सरकार की ओर से आना था और अब चूंकि समय समाप्त हो रहा है तो इस पर भी मन्त्री महोदय का स्पष्टीकरण चाहूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पिलानी वाले मसले पर स्थगन प्रस्ताव रखा है। गेहूं चना, सीमेन्ट, तेल आदि जीवन की आवश्यक वस्तुओं के बारे में भी।

(1.54 म. प.)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं जीवन को आधारभूत बातों के लिए निवेदन कर रहा हूं। अगर यह सरकार ये चीजें ही मुहैया नहीं कर पाई तो सब व्यर्थ है बातें करना।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन करना है कि ······

श्री अध्यक्ष : Not to be recorded.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ×××

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपके चेम्बर में बैठ कर पिछली बार यह तय हुआ था कि राशन कार्ड में प्रति व्यक्ति राशन अधिक दिया जावेगा। और इसके बारे में सरकार सदन में घोषणा करेगी तो हम यही चाहते हैं कि सरकार वह घोषणा करे। और यह

××× अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अंकित नहीं की गई।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

सदन स्थगित हो इससे पहले यह घोषणा होनी चाहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ××××

श्री अध्यक्ष : मुझे बड़ा दुख है, हर वक्त मैं प्रेस नहीं करना चाहता माननीय सदस्य को कि वे बैठें। आज कैसी परिस्थितियां है क्या समय है यह आप नहीं देखते। सदन के अन्य सदस्यों की बात भी सुननी चाहिये। आप लगातार इस तरह से बोलते जायं तो इससे आपका भी सम्मान नहीं है और सदन का तो अपमान होता ही है। परम्परा भी अच्छी सैट नहीं कर रहे हैं।

सदन की अवमानना

मुझे सदन को सूचना देनी है कि आज दिनांक 7 नवम्बर 73 को मध्याह्न पश्चात् करीब तीन बज कर 35 मिनिट पर दर्शक दीर्घा से एक दर्शक श्री केदारनाथ पारीक आयु 30 वर्ष निवासी जयपुर ने नारे लगाये जो निम्न प्रकार थे :

इनक्लाब जिन्दाबाद, हमारी मांगें पूरी हों, चोरों से माल बरामद करो।

उसने सदन में कुछ परचे भी फेंके जो कि उसके द्वारा पुलिस में समय पर दिये जाने वाले आवेदन पत्र की टंकित प्रति थी। श्री केदारनाथ को मैंने अपने चेम्बर में बुलाकर उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके घर में लगभग डेढ़ साल पूर्व चोरी हो गई थी परन्तु पुलिस ने आज तक न तो माल बरामद किया न कोई तफतीश की कार्यवाही की और उसने अपनी मुसीबत की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के प्रयोजन से ही उक्त कार्यवाही की थी वरना उसकी मन्शा सदन का अपमान करने की नहीं थी। वह अपनी मुसीबतों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। उसे अपने कृत्य पर अफसोस है और उसने क्षमा प्रार्थना भी कर ली। अब सदन इस विषय में उचित निर्णय ले।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जिन सज्जन ने यह किया मैं निवेदन करता हूं कि सदन का समय दसेक मिनिट के लिये बढ़ा दिया जावे। मैं निवेदन कर रहा था.......

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की यह अनुमति है कि दस मिनिट का समय बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय दस मिनिट के लिये बढ़ा दिया गया।

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन कर रहा था कि जिन सज्जन ने यह किया और जिन्होंने यहां नारे लगाये और कहा कि उनकी बात को सुना जावे, मैं सदन की सूचना के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे मुझ से कभी नहीं मिले पिछले दिनों में, मिलने वालों का काफी प्रेशर हालांकि रहा, फिर भी पूरी कोशिश की है कि सभी से मिलूं और उनकी बात सुनूं।

×××× अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अंकित नहीं की गई।

(श्री हरिदेव जोशी)

फिर भी एक दुखी आदमी ने अपनी प्रार्थना, अपने आर्त्तनाद को, यहां रखा है, मैं उसे दूसरे रूप में नहीं लेता। इसी रूप में लेता हूं कि दुखी ने अपने दुख को यहां कहा है।

मैं आपकी मार्फत पुन: यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन्हें, इसमें जितना प्रशासन मदद कर सकेगा, करेगा। जब उन्होंने क्षमा याचना की है तो मेरा निवेदन करना है उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया जाय।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : यह अच्छी परम्परा का निर्माण है। पहले दोषी आदमी सदन के बाहर ही रहता था और अब सदन में आकर अपनी स्थिति को बता सकता है। इसमें डेमोक्रेटिक परम्पराओं का निर्माण है। यह प्रारम्भिक स्थिति है हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने सहृदयता और सौजन्यता से इस प्रश्न को सदन के सामने रखा है। सदन इसमें सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: मैं क्या सदन की सहमति समझूं कि क्षमा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

क्षमा प्रदान की गई।

(5-00 म० प०)

(श्री राम सिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

खाद्यान्न एवं दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं तथा खाद्य एवं बीज की अनुपलब्धि

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री रघुनाथ बिश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय खाद्य मंत्रीजी का ध्यान कुछ मुद्दों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। जिला जालोर की तहसील सांचोर में 80 हजार एकड़ में पैदावार का लक्ष्य निर्धारित हुआ था और यह हुआ था कि बीज की व्यवस्था क्रेडिट में दी जाय परन्तु बड़ा अफसोस है राज्य सरकार समय पर कि एक तरफ माननीय सदस्य 10 किलो, 5 किलो गेहूं देने की मांग कर रहे हैं और यहां पर गेहूं का बीज लगातार अकाल होने के कारण समय पर उपलब्ध नहीं करा सकने की बात करते है और जो गेहूं साढ़े तीन लाख क्विन्टल एफ० सी० आई० को दिया था उस एफ०सी० आई को आज 120) रु० क्विन्टल कैश में देना पड़ रहा है.........

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आन ए पाइन्ट आफ इन्फारमेशन सर। मैं यह इनफारमेशन चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि पिलानी के मामले में डायलाक्स शुरू हो गये है और इस सम्बन्ध में वे कुछ कहेंगे। यह भाषण का चक्र तो चर्खे और फुन्फड़ी की तरह चलता रहेगा।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : पिलानी का विषय ले लिया जायगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मैं माननीय मंत्री जी को आपके मारफत निवेदन करूंगा

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सीड लोन के बारे में राज्य सरकार ने व्यवस्था नहीं की है हालांकि केश पर 200)रु. क्विन्टल बीज उपलब्ध हो रहा है। कुछ रेट डाऊन जरूर हुई है परन्तु कुछ काश्तकार ऐसे हैं जो ले नहीं सके हैं। अगर बराबर सीड लोन और बीज की व्यवस्था कर दें तो मैं यह बताना चाहता हूं आप चाहे जितना अनाज गेहूं प्रोक्योर करके एफ० सी० आई० के गोदाम भर सकते हैं। परन्तु राज्य सरकार को चाहिये इस मुसीबत के अन्दर उन काश्तकारों को जो फ्लड से प्रभावित रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं, उनके लिये राज्य सरकार ने कोई सक्रिय कार्यवाही नहीं की। मैं सीड लोन के बारे में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिन काश्तकारों ने 72 रु० क्विन्टल पर गेहूं एफ० सी० आई० को दिया वही का वही आज 125)रु० क्विन्टल पर दिया जा रहा है। एफ०सी०आई० वाले 125रु० किस आधार पर करना चाहते हैं जबकि 72रु० हमसे लिया, बाहर से आया नहीं और गया नहीं। और 125रु० क्विन्टल देने के बारे में हम काश्तकार को क्या जवाब दें? हमने एफ० सी० आई० को जालोर जिले से काफी अच्छा गेहूं दिया है। इस पर अब एफ० सी० आइ० वाले अपने गोदाम चार्जेज, कमीशन, स्टाफ का खर्च सब कुछ मिलाकर भी लेते है तो वह 80-90रु० क्विन्टल में दे सकते थे और लोग उसमें खुश हो जाते, पर 125 रु० में देने में तो उनका कोई औचित्य नहीं है। शायद अब मंत्रीजी कह रहे हैं। और अब प्राप्त हो रहा है। जिनको भिजवाना है और जो वास्तविक काश्तकार हैं, जिनको दरअसल में मदद करने की नियत है तो विदिन सेविन डेज कर देनी चाहिये वरना प्रोडक्शन का सारा प्लान फेल हो जायगा। भगवान की कृपा से अबके अच्छी फसल हुई है उस बारे में राज्य सरकार अविलम्ब व्यवस्था करे।

दूसरे, काश्तकार को एक बैग भी सीमेन्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। 6 हजार बैग भी इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास पड़े हैं। जो बन्धे टूट गये हैं, उनके, लिये मंगाई थी। अब उनको आवश्यकता ही नहीं है। 6 हजार बैग एक्स इ.एन., इर्रीगेशन के पास पड़े हैं। सरकार चाहे तो काश्तकारों को वितरण करा सकती है। अगर ये 6 हजार बैग दे दें तो काश्तकारों का काफी काम हो सकता है। जिनके कुये डूब में आ गये हैं या बैल नष्ट हो गये हैं उनको 5-5, 6-6 बैग देकर देखिये तो हजारों काश्तकारों को फायदा हो सकता है। इमीजियेटली आपके लेवल पर व्यवस्था करके कलक्टर को आर्डर भेज दें, रिक्वीजिशन करके वह बांट दें। न राज्य सरकार के पास अभी केपेसिटि है और न किसी दूसरे प्रकार से यह इतना जल्दी इन्तजाम हो सकता है, दूसरी बात यह और तीसरी बात डीजल और क्रूड आइल तीन हजार लीटर सांचोर में आया है उनको यह अभी नहीं मिल रहा है। इसकी भी तुरन्त व्यवस्था करके इसी महीने में सप्लाई करवा दीजिये। इसी समय काश्तकार को ज्यादा जरूरत है, बाद में जरूरत भी नहीं रहेगी। अगर इस सम्बन्ध में राज्य सरकार व्यवस्था करेगी तो लाखों मन अनाज पैदा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्री जी।

शासकीय वक्तव्य बिड़ला इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी एण्ड साइन्स के छात्रों का आन्दोलन

श्री चन्दन मल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय इस, बात की मैंने प्रार्थना की थी कि पिलानी के बारे में जो इन्स्टीट्यूट है–बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ साइन्स एन्ड टैक्नोलोजी, उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट तो अभी नहीं आई है। वह आने के बाद मैं दे दूंगा सारे उनके बयानों में नहीं जाकर संक्षेप में ही एक पैराग्राफ में, जो आज की स्थिति है, निवेदन करना चाहूंगा ताकि माननीय सदस्यों की जानकारी जानने की जो उत्कण्ठा है वह शान्त हो जाय।

दिनांक 6 नवम्बर को जिलाधीश, पिलानी में डायरेक्टर से मिले और वे विद्यार्थियों से बातचीत करने पर राजी हो गये हैं। इस बारे में इन्टीट्यूटकी ओर से विद्यार्थियों के अध्यक्ष व सचिव को पत्र भी भेज दिये गये हैं। विद्यार्थियों ने कहा है यह उनकी एक्जीक्यूटिव कौन्सिल के समक्ष रखा जाय और वे आज इसका उत्तर देंगे। सरकार यह उम्मीद करती है, कि स्टुडेन्ट्स और मैनेजमेंट के बीच वार्ता होगी और इसके लिये जिलाधीश को आज सुबह फिर पिलानी भेजा गया है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 5-10 म० प० अनिश्चित काल के लिये स्थगित की गई)

परिशिष्ट— 1

(तारांकित प्रश्न संख्या – 180 की सूची)

सूची पंजीकृत उपभोक्ता भंडार जिला श्री गंगानगर (अनूपगढ़ भाग को छोड़कर)

1. नोरदर्न रेलवे एम्पलाई कंज्यूमर कोओपरेटिव स्टोर लि०, हनुमानगढ़ ।
2. रायसिंह नगर कोओपरेटिव मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर लि०, रायसिंह नगर (अवसायन में)
3. पांचवी बटालियन आर० ए० सी० सह० लि० श्री गंगानगर ।
4. चतुर्थ बटालियन ,, ,, ., रायसिंहनगर ।
5. राष्ट्रीय सहकारी भंडार लि०, श्री गंगानगर । (अवसायन में)
6. किसान कोओपरेटिव स्टोर लि०, 19 ओ०
7. श्री गंगानगर शुगरमिल्स कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता भंडार लि०, श्री गंगानगर (अवसायन में)
8. जनकल्याण सहकारी उपभोक्ता भं० लि०, श्री गंगानगर ।
9. ब्लाक एच० ,, ,, ,,
10. नूतन ,, ., ,, (अवसायन में)
11. ब्लाक बी० व सी० ,, ,, ,, ,,
12. जी ब्लाक ,, ,, ,,
13. माशा सहकारी उपभोक्ता भंडार लि० श्री गंगानगर ।
14. वार्ड नं० 19 व 20 सहकारी उपभोक्ता भंडार लि० श्री गंगानगर ।
15. जनहित सहकारी उपभोक्ता भं० लि० श्री गंगानगर । (अवसायन में)
16. जन सेवक ,, ,, ,, ।
17. नागरिक सहकारी उपभोक्ता भंडार लि० श्री गंगानगर (अवसायन में)
18. लोकसेवक ,, ,, ,, ।
19. श्री गंगानगर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लि० श्री गंगानगर ।
20. गवर्नमेन्ट हायर सैकण्डरी स्कूल स्टुडेन्ट्स कन्ज्यूमर कोओपरेटिव स्टोर लि० निनाण तह० भादरा
21. आदर्श सहकारी उपभोक्ता भंडार लि०, श्री गंगानगर ।
22. पब्लिक ,, ,, ,, ,, ।
23. पदमपुर पंचायत समिति कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता भं० लि०, पदमपुर ।
24. आजाद सहकारी उपभोक्ता भंडार लि० श्री गंगानगर ।
25. लोककल्याण सहकारी उपभोक्ता भंडार लि० श्री गंगानगर 2 ।
26. भादरा सहकारी उपभोक्ता भं० लि० भादरा ।
27. सारदुल टेक्सटाइल श्रमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार लि०, श्री गंगानगर ।
28. सांगरिया सहकारी उपभोक्ता भं० लि०, सांगरिया ।

परिशिष्ट— 2

(तारांकित प्रश्न संख्या— 183 की सूची)

EMPLOYMENT NOTICE No. 10/73

Under the 'HALF A MILLION JOBS PROGRAMME 1973-74' Rajasthan State Road Transport Corporation required trainees in the following categories :—

S. No.	Category	No. of posts	Qualification	Duration of training	Rate of monthly stipend
1	2	3	4	5	6
Engineering Side :					
1.	Asstt. Mechanical Engineer.	6	Bachelor of Engineering	7½ months.	Rs. 400/—
2.	Senior Foreman.	14	do—	do—	Rs. 400/—
3.	Junior Foreman.	45	Diploma in Engineering	—do—	Rs. 250/—
4.	Mechanics.	150	I.T.I.	7 months.	Rs. 100/—
5.	Electricians.	30	I.T.I.	—do—	Rs. 100/—
6.	Body Fitters.	40	I.T.I.	—do—	Rs. 100/—
7.	Weldrs.	7	I.T.I.	—do—	Rs. 100/—
8.	Turners.	10	I.T.I.	—do—	Rs. 100/—
9.	Painters.	7	I.T.I.	—do—	Rs. 100/—
10.	Tyre Fitters.	40	Matriculate or Hr. Secondary	—do—	Rs. 100/—

1	2	3	4	5	6
11.	Upholsters.	10	Matriculate or Hr. Sec	.7 Months	Rs. 100/—
12.	Vulcanizers.	10	—do—	—do—	Rs. 100/—
13.	Asstt. Stores Sub-Inspectors.	15	Matriculate or Hr. Secondary or I.T.I.	—do—	Rs. 100/—
14.	Drivers.	100	Matriculate or Hr. Secondary	—do—	Rs. 100/—
Traffic Side :					
15.	Asstt. Depot Managers.	10	Graduates in Arts Science or Commerce with atleast 55% marks in final year examination of Board & the University or Graduate in Engineering.	$7\frac{1}{2}$ months.	Rs. 150/—
16.	Traffic Inspectors.	10	—do—	—do—	Rs. 150/—
17.	Asstt. Traffic Inspectors.	40	Matriculate or Hr. Secondary with atleast 55% marks in final year examination of the Board.	7 months.	Rs. 100/—

1	2	3	4	5	6
18.	Booking Clerks.	30	Matriculate or Hr. Secondary	7 months.	Rs. 100/—
19.	Conductors.	350	—do—	—do—	Rs. 100/—
20.	Accounts Clerks.	15	B. Com. with atleast 55% marks in final year examination of the Board and the University.	—do—	Rs. 150/—
21.	Upper Division Clerks.	30	Graduate in Arts/Science/Commerce with atleast 55% marks in final year examination of Board & the University.	—do—	Rs. 150/—
22.	Lower Division Clerks.	70	Matriculate or Hr. Secondary	—do—	Rs. 100/—

• The training will be imparted at Jaipur but the trainees may have to go to other places in Rajasthan and even outside Rajasthan for specialised training. On the satisfactory completion of the training the trainees will be absorbed by the Corporation on the posts in regular pay scales as per vacancies arise.

AGE : From 18 to 28 years with reference to 1st January, 1973 relaxable for Scheduled Castes and Scheduled Tribes upto 33 years and ex-servicemen upto 50 years. 28% of the posts are reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Preference will be given upto a certain percentage to Ex-service man as well as physically handicapped persons to whom educational qualifications may be relaxed in suitable cases. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Ex-serviceman and physically handicapped candidates should mention these words in red on the top of the application at the right hand side and also attach relevant certificate.

The trainees will have to execute a service bond with the Corporation and furnish surities.

The willing candidates should apply on plain paper giving full particulars of educational qualifications and experience and enclosing certified copies of the testimonials to the Secretary, Service Recruitment Board, Rajasthan State Road Transport Corporation, Parivahan Marg, Jaipur. A crossed Postal Order of Rs. 5/- payable to the Chief Accounts Officer, Rajasthan State Road Transport Corporation should also be enclosed.

Last date for the receipt of the applications is 10th August, 1973. The candidates who had applied in time in response to our Employment Notice No. 9/73 and those cleared the examination for Booking Clerks and Lower Division Clerks need not apply again.

Secretary,
Service Recruitement Board,
R. S. R. T. C Jaipur.

NUMBER OF VACANCIES

Sl. No.	Category	No. of vacancy	Vacancies filled-in
1.	Asstt. Mech. Engineer	6	6
2.	Sr. Foreman	14	9
3.	Jr. Foreman	45	35
4.	Mechanic	150	74
5.	Electrician	30	30
6.	Body Fitter	40	30
7.	Welder	7	6
8.	Turner	10	10
9.	Painter	7	4
10.	Tyre Fitter	40	35
11.	Upholester	10	4
12.	Vulcaniser	10	7
13.	Asstt. Store Sub-Inspector	15	12
14.	Drivers	100	9
15.	Asstt. Depot Manager	10	8
16.	Traffic Inspector	10	
17.	Asstt. Traffic Inspector	40	30
18.	Booking Clerks	30	1
19.	Conductors	350	128
20.	Accounts Clerks	15	14
21.	U.D.C.	30	16
22.	L.D.C.	70	42
		1039	510

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 184 की सूची)

क्रम सं.	नाम तहसील	अतिक्रमित रकबा (क्षेत्रफल) बीघा	बिस्वा
1.	जयपुर	307	5
2.	सांगानेर	1490	0
3.	चाकसू	830	18
4.	बस्सी	642	0
5.	आमेर	731	4
6.	जमवारामगढ़	734	5
7.	दौसा	450	0
8.	लालसोट	1335	0
9.	सिकराय	120	0
10.	बसवा	1457	6
11.	फुलेरा	50	0
12.	फागी	373	4
13.	दूदू	128	5
14.	कोटपुतली	644	16
15.	बैराठ	1481	7
	कुल योग:	10675	10

परिशिष्ट— 4

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

भूतपूर्व बी० डी० ओ० करौली के विरुद्ध जांच

185. श्री बृजेन्द्रपाल (करौली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री शेरसिंह भूतपूर्व बी. डी. ग्रो. करौली पंचायत समिति के खिलाफ भ्रष्टाचार व गबन के मामलों की जांच जॉइन्ट डाइरेक्टर द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो यह जांच कब कराई गई?

(2) क्या यह सही है कि जॉइन्ट डाइरेक्टर ने इस मामले की विस्तृत जांच को एन्टी-करप्शन द्वारा कराने की सिफारिश गई है ?

उत्तर

(1) श्री शेरसिंह भूतपूर्व विकास अधिकारी करौली के विरुद्ध स्थानान्तरण पर जाते समय स्टोर का सामान वापिस जमा न कराये जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच उप-विकास आयुक्त (जांच) जयपुर द्वारा दिनांक 29-6-73 को कराई गई।

(2) जी हां। मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को जांच हेतु सौंप दिया गया है ?

द्वारकाधीश मन्दिर, झालरापाटन

186. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन नगर स्थित द्वारकाधीश का मंदिर (झालावाड़ जिला) देवस्थान विभाग के अधिकार में है ? यदि हां, तो इसमें कितने कर्मचारी कौन कौन, किस किस पोस्ट पर हैं और उन्हें कितना कितना वेतन प्रति माह दिया जा रहा है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि मंदिर की जायदाद काफी होते हुए भी मंदिर की व्यवस्था ठीक नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या इन कर्मचारियों को अब भी बहुत थोड़ा वेतन मिलता है ? यदि हां, तो वेतन क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है ?

(4) क्या मंदिर के लिये राज्य सरकार ट्रस्ट नहीं बनाना चाहती ?

उत्तर

(1) मंदिर श्री द्वारकाधीश जी, झालरापाटन में स्थित देवस्थान विभाग के नियन्त्रण में है। इसमें जो कर्मचारी हैं उनकी सूची वेतन सहित सदन की मेज पर रखदी गई है ?

(2) यह सही नहीं है। मंदिर की व्यवस्था ठीक है।

(3) कर्मचारियों को वेतन मंदिर से होने वाली आय के आधार पर दिया जाता है।

(4) यह मंदिर राज्य सरकार के अधीनस्थ होकर देवस्थान विभाग के नियन्त्रण में है।

मुलाजमान आत्म-निर्भर मंदिर श्री द्वारकाधीश जी, झालरापाटन
बाबत वर्ष 1973-74

क्रमांक	नाम कर्मचारी	पद	वेतन	मासिक महंगाई	योग	वार्षिक योग	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री गणपतलाल	मुखिया	40)	25)	65)	780)	
2.	श्री शिवनारायण	बालभोगिया	30)	20)	50)	600)	
3.	श्री गोपाललाल	घड़ीशर	28)	20)	48)	576)	
4.	श्री नन्दलाल	कीर्तनिया	30)	25)	55)	660)	
5.	श्री नन्दकिशोर	पखावजी	25)	20)	45)	540)	
6.	श्री फूंदीलाल	शहनाईची	20)	—	20)	240)	
7.	श्रीमती भंवरी बाई	मेदागरनी	5)	—	5)	60)	
8.	श्री निसारमोहम्मद	नक्कारची	5)	—	5)	60)	
9.	श्री मदनलाल भट्ट	कथावाचक	8)	—	8)	96)	
10.	श्री भैरूलाल नाई	नाई	6)	—	6)	72)	
11.	श्री बसन्तीलाल	तम्बोली	7)50	—	7)50	90)	
12.	श्रीमती गुलाबी बाई	मालन	4)50	—	4)50	54)	
13.	श्री हीरा	हरिजन	2)	—	2)	24)	
14.	श्री जमनालाल (किशनलाल)	पुजारी मन्दिर तक्षकनाग	10)	—	10)	120)	
15.	श्री सूर्य प्रकाश टोडी	केशियर सेवा महावीर दल	50)	—	50)	600)	
	सुरक्षा:—						
16.	रिक्त	दारोगा	40)	25)	65)	780)	
17.	श्री पुरुषोत्तमलाल	सिपाही	35)	20)	55)	660)	
18.	श्री कौशल कुमार	सिपाही	35)	20)	55)	660)	
19.	श्री नाथूलाल	सिपाही	35)	20)	55)	660)	
		योग	416)	195)	611)00	7,332)	

सरमथुरा क्षेत्र का विद्युतिकरण

187. श्री रामलाल (बाड़ी) : क्या विद्युत्मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या तहसील बाड़ी के सरमथुरा क्षेत्र का विद्युतिकरण हेतु बहुत समय पूर्व सर्वेक्षण हो चुका है ?

(2) यदि हां, तो सर्वेक्षण के पश्चात् विद्युतिकरण हेतु क्या कार्यवाही अब तक सरकार ने की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, सरमथुरा के विद्युतिकरण के लिये आवश्यक सर्वे कराया जा चुका है

(2) स्कीम तकनीकी दृष्टि से असाध्य होने के कारण विद्युतिकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

बाड़मेर जिले का क्षेत्रफल एवं गांवों का विभाजन

188. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में ऐसे कितने गांव हैं जिनका क्षेत्र फल 25 वर्गमील से अधिक है ? सूची प्रत्येक ग्राम का क्षेत्रफल एवं उसकी सन् 71 की जनसंख्या का विवरण देते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें

(2) क्या राज्य सरकार उक्त ग्रामों के अधिक क्षेत्रफल होने के कारण यानी बड़े ग्राम होने के कारण उक्त ग्रामों की जनता की सुविधा एवं उनके विकास को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक ग्रामों में विभाजन करना उचित समझती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने उनके विभाजन के लिए अभी तक क्या कदम उठाये हैं ?

(3) राज्य सरकार उक्त ग्रामों को अनेक ग्रामों में कब तक विभाजन करा देगी ? निश्चित तिथि से अवगत कराने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में 90 ग्राम ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल 25 वर्गमील से अधिक है, जिनकी सूची संलग्न है।

(2) व (3) ग्राम सुन्दरा, हरसाणी, गिराब, जैसिन्धर, मैंदूसर के विभाजन के आदेश दिए जा चुके हैं अन्य ग्रामों के विभाजन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जिलाधीश से प्रस्ताव प्राप्त होने पर शीघ्र ही उचित कार्यवाही की जावेगी।

सूची (25 वर्गमील से अधिक क्षेत्रफल वाले ग्रामों की) तहसीलवार

क्र० सं०	नाम तहसील	नाम ग्राम	क्षेत्रफल वर्ग मीलों में	जन संख्या वर्ष 1971 के अनुसार	वि०वि०
1	2	3	4	5	6
1.	बाड़मेर	बाड़मेर	44	38531	
2.	,,	शिवकर	26	2311	
3.	,,	बन्दिरा	53	2914	
4.	,,	माहबार	62	4623	
5.	,,	माडखा	44	3262	
6.	,,	बूठिया	26	838	
7.	,,	खडीन	37	2155	
8.	,,	सेतराऊ	26	1104	
9.	,,	बिशाला	46	2979	
10.	,,	नागद	39	1297	
11.	,,	जूना पतरासर	29	1055	
12.	,,	बायतू पनजी	29	2403	
13.	,,	बायतू भोपजी	26	3750	
14.	,,	कोलू	30	2349	
15.	,,	अकपड़ा	35	2472	
16.	,,	कानोड़	28	1902	
17.	,,	नाजवा	31	1611	
18.	,,	भाक	34	1751	
19.	,,	भाटाडू	66	5178	
20.	,,	चोखला	34	2041	
21.	,,	भुरटिया	29	2740	
22.	,,	रावतसर	43	4264	
23.	,,	चवा	35	3522	
24.	,,	होड़	47	3999	

1	2	3	4	5	6
25.	चोहटन	नोखड़ा	30	2510	
26.	,,	सनावड़ा	35	2956	
27.	,,	प्राडेल	33	3144	
28.	,,	सरली	35	3223	
29.	,,	भूखा मगतसिंह	29	1643	
30.	,,	दांखा	32	2185	
31.	,,	सडा	28	1727	
32.	,,	गुड़ा	51	4731	
33.	,,	नगर	35	2887	
34.	,,	मोरीमना	27	3690	
35.	,,	ढूघू	26	2778	
36.	,,	रतेऊ	51	2329	
37.	,,	रबोसर	45	3143	
38.	,,	सवाऊ पदमसिंह	45	3356	
39.	,,	परेऊ	27	3202	
40.	,,	चोहटन	32	4475	
41.	,,	बारातरा	37	3048	
42.	,,	लोलसर	30	2972	
43.	,,	नेतराड	38	3680	
44.	,,	विसारनिया	36	3707	
45.	,,	आलमसर	29	2316	
46.	,,	गंगासर	27	2046	
47.	,,	बाखासर	26	2375	
48.	,,	धनाऊ	31	2895	
49.	,,	बीजराड़	38	2333	
50.	,,	धारासर	27	2067	
51.	,,	देदूसर	30	1586	
52.	,,	इंटादा	28	1794	
53.	,,	बावड़ी कलां	25	1688	
54.	पचपदरा	जसोल	35.01	4917	
55.	,,	दूधवा	25.07	1492	
56.	,,	बागावास	29.06	1700	
57.	,,	पाटोदी	49.02	9450	

1	2	3	4	5	6
58.	पचपदरा	थोब	30	1743	
59.	,,	कोरना	29.03	2053	
60.	शिव	वलाई	33	612	
61.	,,	नीम्बला	26	808	
62.	,,	नागडपा	34	447	
63.	,,	साजीतड़ा	29	307	
64.	,,	धारवी खुर्द	37	573	
65.	,,	धरिवी कल्ला	29	803	
66.	,,	उण्डू	51	2796	
67.	,,	कानासर	33	1453	
68.	,,	काश्मीर	42	1965	
69.	,,	भिबाड़	73	2548	
70.	,,	मारेवांब कल्ला	30	677	
71.	,,	भिणकर्ली	35	242	
72.	,,	उनरोड	25	688	
73.	,,	आरंग	36	942	
74.	,,	चोचरा	31	912	
75.	,,	जैसिन्धर	143	3447	
76.	,,	डामड़	52	345	
77.	,,	बम्धरा	41	705	
78.	,,	सून्दरा	519	2197	
79.	,,	शिव	37	1905	
80.	,,	गूंगा	28	1437	
81.	,,	हड़वा	28	615	
82.	,,	हरसानी	155	4461	
83.	,,	मुगेरिया	47	1015	
84.	,,	कोटड़ा	101	2657	
85.	,,	वालेबा	36	686	
86.	,,	रेडाना	41	1101	
87.	,,	गिराब	157	2197	
88.	,,	भेडूसर	124	2934	
89.	,,	तामलोर	38	726	
90.	,,	बांडासर	31	653	

रोड़वेज बस स्टेन्ड कोटपूतली

189. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटपूतली में रोडवेज के स्टेण्ड के लिये जमीन आवास की गई है ? यदि हां, तो क्या उक्त जमीन का पूर्ण उपयोग हो रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि रोडवेज स्टेण्ड पर न पूरी बस रुकती है और न वहां रोशनी पानी आदि की पूर्ण व्यवस्था है ? यदि हां, तो विभाग की क्या योजना है ?

(3) क्या यह सही है कि विभाग कोटपूतली में डिपो खोलने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। भूमि के आस पास पानी इकट्ठा रहने के कारण अभी पूर्ण उपयोग में नहीं आ रही है।

(2) जी हां। निगम उपयुक्त स्थान पर बस स्टेण्ड बनाने के लिए पुनः विचार कर रहा है।

(3) जी हां। कोटपूतली में डिपो की की स्थापना राष्ट्रीयकरण के इस क्षेत्र में प्रसार के साथ जुड़ी हुई है।

सवाई माधोपुर जिले के तहसीलदारों के स्थानान्तरण

190. श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अगस्त, 1972 से सितम्बर, 1973 तक सवाई माधोपुर जिले में कितने तहसीलदारों का तबादला किया गया तथा उनकी नियुक्ति जिले में कहां कहां की गई ?

(2) तहसीलदारों की नियुक्ति राजस्व मण्डल द्वारा जिले में नियत किये गये स्थानों पर ही की गई या जिलाधीश, सवाई माधोपुर ने अपने मन से नियुक्ति की।

(3) क्या यह सही है कि बामनवास के तहसीलदार श्री हंसराज के विरुद्ध आम शिकायत होने पर ही उसका तबादला किया गया था।

(4) अगर हां, तो तबादला होने के उपरान्त भी जिलाधीश, सवाई माधोपुर ने उसको बामनवास में ही क्यों रखा ?

उत्तर

(1) अगस्त, 1972 से सितम्बर, 1973 तक सवाई माधोपुर जिले में जिन 2 तहसीलदारों का तबादला किया गया उसका ब्योरा संलग्न सूची में अंकित है।

(2) राजस्व मण्डल द्वारा जो भी तहसीलदार जिले में आवंटित किये गये उन्हें रिक्त स्थानों पर लगाया गया। कुछ मामलों में नियत किये गये स्थानों के अतिरिक्त भी नियुक्ति की गई जिसका ब्योरा संलग्न सूची में अंकित।

(3) जी नहीं।

(4) श्री हंसराज का तबादला जिला सवाई माधोपुर से बाहर किया गया था। परन्तु बाद में उनकी पारिवारिक परिस्थिति को विचार में रखते हुए, उन्हें पुनः जिला सवाई माधोपुर में तहसील हिन्डौन में लगाया गया था। बाद में उनके कार्य को देखते हुए उन्हें बामनवास में ही रखा गया।

ब्यौरा तहसीलदारों का जिनका स्थानान्तरण जिलाधीश के आदेश द्वारा किया गया

1. तहसीलदार, बोंली का स्थानान्तरण तहसीलदार गंगापुर के पद पर

2. तहसीलदार नादोती का स्थानान्तरण तहसीलदार टोडाभीम के पद पर

ब्यौरा तहसीलदारों का जिनका कि स्थानान्तरण राजस्व मण्डल के आदेश द्वारा किया गया

1. श्री पुरुषोतम लाल जोशी को तहसील बामनवास में दिनांक 1-9-72 को लगाया गया लेकिन उनका स्थानान्तरण दिनांक 20-9-72 को निरस्त कर दिया गया।

2. श्री हंसराज शर्मा तहसीलदार बामनवास का स्थानान्तरण दिनांक 1-9-72 को कुम्भलगढ़ किया गया और फिर वापिस दिनांक 18-9-72 को तहसील हिण्डौन में किया गया, लेकिन वे हिण्डौन के लिए उपयुक्त नहीं समझे गये और उन्हे बामनवास में ही रखा गया।

3. श्री शिवलाल जैन का स्थानान्तरण दिनांक 1-9-72 को उपनिवेशन विभाग बीकानेर में किया गया लेकिन फिर वापिस दिनांक 20-9-72 को इन्हें तहसील गंगापुर में लगाया गया।

4. श्री लाला राम शर्मा को राजस्व मण्डल अजमेर के दिनांक 1-9-72 के आदेश की पालना में बोंली में लगाया गया।

5. श्री कृष्णसिंह को राजस्व मण्डल के दिनांक 13-9-72 के आदेश की पालना में तहसील सवाई माधोपुर में लगाया गया।

6. श्री शम्भु दयाल गुप्ता को राजस्व मण्डल के दिनांक 20-9-72 के आदेश की पालना में तहसील महुआ में लगाया गया।

7. श्री रणविजयसिंह की नियुक्ति तहसील बामनवास में की गई थी लेकिन ऊपर श्री हंसराज शर्मा के सन्दर्भ में बताये गये कारणों से इनकी नियुक्ति हिण्डौन में की गई।

8. श्री वासुदेव प्रसाद को दिनांक 20-2-73 के आदेश की पालना में तहसील करौली में लगाया गया, लेकिन उस समय लेवी का कार्य चालू होने के कारण इन्हें तहसील खण्डार में नियुक्त किया गया।

9. श्री ज्वाला प्रसाद को राजस्व मण्डल के दिनांक 20-2-73 के आदेश के द्वारा तहसील टोडाभीम में नियुक्त किया गया था। तहसील टोडाभीम में तत्कालीन तहसीलदार के अवकाश पर चले जाने के कारण और बाढ़ पीड़ितों को सुचारू रूप से सहायता दिया जाना चालू रखने के लिये, राजस्व मण्डल के निबन्धक की अनुमति से श्री कपूर चन्द को पदोन्नत करके दिनांक 12-2-73 को ही लगाया जा चुका था, इसलिए श्री ज्वाला प्रसाद के दिनांक 5-3-73 को उपस्थित होने पर उन्हे तहसील बोंली में लगाया गया। इसके बाद गंगापुर के तहसीलदार श्री शिवलाल जैन को राजस्व मण्डल द्वारा निलम्बित कर दिया गया और प्रशासनिक दृष्टि से श्री ज्वाला प्रसाद को तहसील गंगापुर में लगाया गया।

10. श्री जंगजीत प्रसाद को राजस्व मण्डल के द्वारा तहसील करौली में लगाया गया लेकिन उनके उपस्थित होने पर तहसील बोंली में लगाया गया।

11. श्री शिखरचन्द को तहसील करौली में लगाया गया। क्योंकि जब वे यहां उपस्थित हुये इसके अलावा और कोई तहसील खाली नहीं थी।

12. तहसीलदार टोडाभीम के सेवानिवृत हो जाने के कारण नादोती के तहसीलदार को दिनांक 26-7-73 को टोडाभीम में लगाया गया।

13. श्री कालू राम यदुबंशी को उनके उपस्थित होने पर एक मात्र रिक्त स्थान तहसील नादोती में लगाया गया।

पंचायत समिति क्षेत्र बानसूर के गांवों में बिजली

191. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बानसूर पंचायत समिति (जिला अलवर) के प्रधान ने सरकार को ग्रामीण विद्युत योजना के अन्तर्गत कुछ गांवों में बिजली लगाने का प्रार्थना-पत्र पेश किया है। यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है।

(2) क्या सरकार अब शीघ्र कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रदान करेगी।

उत्तर

(1) व (2) जी हां। पत्र प्राप्त हुआ था। भू-जल सर्वे के अभाव में ग्रामीण विद्युतिकरण योजना नहीं बनाई जा सकी। भू-जल सर्वे का कार्य इस वर्ष किया जायेगा अन्य गांव जिनका उल्लेख इस पत्र में किया गया है वह जिला कृषि उत्पादन समिति द्वारा विद्युतिकरण हेतु प्रस्तावित नहीं है। फिर भी सर्वे कराने के आदेश दिये जा चुके हैं।

वर्षा के कारण खेतों की क्षति

192. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बरसात के पानी से ग्राम रामचन्द्रपुरा, नामन, ढाणी जयसिंहपुरा, अमरसर, कानोता, पगादो, माकोद, चतरपुरा, पीपलोद, शाहपुरा, लुहकना नियावास के ग्राम एवं खेतों को हर वर्ष काफी क्षति पहुंचती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिये कोई योजना तैयार की है। और यह योजना कब तक लागू होगी।

(2) क्या यह सच है कि इन ग्रामों की योजना भू-संरक्षण, सिंचाई विभाग द्वारा केस योजना एवं अकाल राहत मद में तैयार की गई है। यदि हां, तो उन पर क्यों कार्यवाही की गई। यदि नहीं, तो क्या अब सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) जी हां, सिंचाई विभाग द्वारा जयसिंहपुरा, अमरसर पगादो एवं लुहाकना ग्रामों की योजना तैयार कर तखमीने बनाये जा चुके हैं विवरण की सूची 'क' संलग्न है। शेष ग्रामों के बारे में सिंचाई विभाग के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(2) भू-संरक्षण की कोई योजना सिंचाई विभाग द्वारा नहीं बनाई गई है।

सूची-'क'

जिन योजनाओं के तखमीने सिंचाई विभाग द्वारा बनायें, उनकी सूची

(1) जयसिंहपुरा की ढाणीः—

1971 की भारी वर्षा में जयसिंहपुरा ढाणी का काफी रकबा पानी में डूब गया। इस पानी को निकालने के लिये सिंचाई विभाग ने आवश्यक सर्वेक्षण किया एवं एक नाली बनाना प्रस्तावित किया गया लेकिन जिन खेतों से होकर नाली जानी थी उनके मालिकों ने अपने खेतों में से नाली निकालने से बिल्कुल मना कर दिया। मार्च 1972 में जिलाधीश, जयपुर को 23,300/- रु० लागत की एक योजना भेजी गई जिसमें 2200 गज लम्बी नाली खोदकर पाईप डालने का प्रावधान था। इस योजना पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और मई 73 में जिलाधीश जयपुर से विचार-विमर्श करके यह तय किया गया कि खुली नाली बनाना ही तकनीकी दृष्टि से ठीक होगा एवं लागत भी बहुत कम आवेगी। अतः जिलाधीश महोदय से नाली के नीचे आने वाली जमीन को कब्जे में लेने की प्रार्थना की गई एवं नाली का तखमीना 3650/-रुपये का मन्जूर किया गया। जिलाधीश महोदय को नाले के नीचे आने वाली भूमि को कब्जे में लेने के लिये जुलाई 73 में दुबारा अनुरोध किया है।

(2) अमरसरः—

यह कार्य ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत शुरु किया गया था। एवं इसके लिए 57,200) रुपये का तखमीना स्वीकृत हुआ जिसमें से 20,377) रु० का खर्चा हुआ है कार्य पर हुए सामान का भुगतान जिलाधीश कार्यालय से समय पर न होने के कारण कार्य माह फरवरी 1973 से बन्द है एवं पूर्ण नहीं किया जा सकता।

(3) लुहाकनाः—

यह कार्य भी ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत किया गया है एवं इस पर 15,676) रु० का खर्चा हुआ है इस कार्य पर अब पत्थर की पिंचिंग आगे बढ़ाना आवश्यक है लेकिन ग्रामीण रोजगार योजना के सामग्री व्यय के 40% सीमा होने के कारण कार्य नहीं किया जा सका।

(4) पणदोः—

इस कार्य का तखमीना 5.63 लाख रुपये का बना दिया गया है लेकिन इसका फायदा इसके व्यय के मुकाबले कम है एवं बजट की कमी के कारण इसे भी नहीं किया जा सका।

समाज शिक्षा के अन्तर्गत मनोरंजन के साधन

193. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामों में समाज शिक्षा के अन्तर्गत मनोरंजन के साधन पंचायत समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराये गये थे और बाद में इस योजना को हटा दिया गया।

(2) क्या यह सही है कि उन साधनों को हटाने से राज्य सरकार को वित्तीय फायदा हुआ है। यदि हां, तो कितना वित्तीय फायदा हुआ।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) समाज शिक्षा मद में मनोरंजन के साधनों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता प्राप्त होती थी और उक्त सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाना अब बन्द की जा चुकी है इसलिये मनोरंजन के साधनों को हटाने से सरकार को वित्तीय फायदा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

टोडाभीम एवं नादौती तहसीलों में बाढ़ से क्षति

194. श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अगस्त, 1972 की बाढ़ से टोडाभीम एवं नादौती तहसीलों (जिला सवाई माधोपुर) में अपार क्षति हुई थी और सभी बांध एवं नहर टूट गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि इन बांधों की मरम्मत हेतु आवश्यक धनराशि स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो उसकी कितनी मात्रा है और किस किस बांध नहर, के लिये कितना कितना रुपया स्वीकार हुआ था ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त धनराशि को खर्च कर दिया गया है जबकि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और असत्य रिपोर्ट भेजी गई है ?

(4) क्या यह सही है कि बांधों, नहरों पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डलवा कर पूर्ण कार्य बतलाये गये हैं जबकि कार्य नहीं हुआ है ? यदि नहीं, तो पूर्ण कार्यो के नाम पूर्ण विवरण सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि कुछ कार्य अभी वर्षा में टूट कर बह गये हैं और उन्हें पूर्ण हुआ बतलाकर धन का दुरुपयोग हुआ है ?

(6) क्या सरकार उक्त राशि की निष्पक्ष होकर जांच कर प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अगस्त 1972 की बाढ़ से टोडाभीम एवं नादौती तहसीलों में केवल 9 बांध टूटे व 3 बांध क्षतिग्रस्त हुए।

(2) जी हां। सूची के संलग्न है।

(3) जी नहीं, जो भी कार्य हुआ है उसी के अनुसार रिपोर्ट बनाई गई है।

(4) जी नहीं। पूर्ण कार्य की सूची "ख" संलग्न है।

(5) जी नहीं।

(6) इस का प्रश्न नहीं उठता।

बांधों को मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि की सूची 'क'

क्र. सं. बांध का नाम	स्वीकृत राशि लाखों में
1– न्यू टैंक महेश्वा	1–10
2– पुराना तालाब महेश्वा	0–80
3– बोल तालाब	0–80
4– मोहनपुरा बांध	0–60
5– बिशन समन्द	0–30
6– फतह सागर	2–00
7– नया तालाब केमा	0–20
8– होदा हलो	1–30
9– गुमान सागर	0–50
10– रोंसी	0–60
11– जोदोलाव	0–30
12– कुन्डमोरा	0–10

पूर्ण हुए कार्यों की सूची 'ख'

क. सं.	नाम बान्ध क्षतिग्रस्त	आवंटित राशि लाखों में	रकम जो खर्च हुई
1–	बोल तालाब	0–80	80,624
2–	नया तालाब केमा	0–20	30,132
3–	गुमान सागर	0–50	51,369
4–	रोंसी	0–60	30,633
5–	जसेदालाव	0–30	24,198
6–	मोहनपुरा बांध	0–60	38,832
7–	बिशन समन्द	0–30	37,504
8–	कुन्डमोरा	0–10	7091

पंचायत समिति रानीवाड़ा के प्रधान के विरुद्ध शिकायतें

195. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान श्री मंगलसिंह ने दिनांक 4–8–72 को मजमा नाजायज बना कर शस्त्रों से लेश होकर पंचायत समिति कार्यालय में दाखिल हुए और कार्य में व्यस्त समिति स्टाफ से सरकारी रिकार्ड, डाक स्टाम्प, डुप्लीकेटर, टाईप मशीन, ट्रेक्टर कल्टीवेटर आदि सामग्री छीनकर अपने घर ले गये और कार्यरत स्टाफ को डरा धमका कर जबरन कार्यालय से बाहर निकाल दिया और कार्यालय के ताले लगा दिये ?

(2) क्या यह सही है कि श्री मंगलसिंह की उक्त कार्यवाही पंचायत समिति एवं जिला परिषद् एक्ट के तहत मिसकन्डक्ट की तारीफ में आती है ?

(3) क्या यह सही है कि कलेक्टर जालौर द्वारा उक्त मामले की जांच कर इसे गंभीर एवं नियम विरुद्ध मानते हुए प्रधान श्री मंगलसिंह को शीघ्र पदमुक्त कर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार को रिपोर्ट काफी अर्से पहले भेजी जा चुकी है ?

(4) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक सरकार ने उक्त वर्णित प्रधान को पदमुक्त कर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की है ?

उत्तर

(1) जी हां, इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है।

(2) जब तक जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हो यह नहीं कहा जा सकता कि यह मिस कन्डेक्ट है या नहीं।

(3) जिलाधीश की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट दिनांक 14–11–72 को प्राप्त हुई है। परन्तु इसमें प्रधान को पदमुक्त करने की कोई सिफारिश नहीं है।

(4) तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोप दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया। प्रधान द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को अस्वीकार किया जाकर उनके विरुद्ध राजस्थान पंचायत समिति (प्रधान व उप प्रधान हटाने) नियम सन् 1960 के नियम 5 के अन्तर्गत दिनांक 22–2–73 को जांच करने के आदेश दिये जा चुके हैं। जिलाधीश जालौर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच अभी जारी है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

राज्य कार्य में हिन्दी का प्रयोग

196. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या भाषा विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सचिवालय में सन् 65 से लेकर अब तक साल दर साल लिखी जाने वाली टिप्पणियों में हिन्दी व अंग्रेजी का औसत क्या रहा है ?

Page No 145

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(2) भाषा विभाग के निदेशक के लिए किस स्तर का हिंदी का ज्ञान राज्य सरकार आवश्यक समझती है और भाषा विभाग के निदेशक (पूरे समय) का स्थान कब से और क्यों खाली है ?

(3) सन् 1965 से लेकर अब तक भाषा विभाग ने कितने हिन्दी शीघ्रलिपिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की और उनमें से कितने पहले से शीघ्रलिपिकों के स्थान पर लगे हुए थे और कितने प्रशिक्षण के बाद ऐसे पदों पर लगाये गये तथा इनका प्रशिक्षण व्यर्थ और अभ्यास समाप्त न हो सके इसके लिए राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी है ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने 1965 के जल्द बाद यह संकल्प किया था कि सम्मेलनों और समारोह में राज्य के मन्त्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के भाषण हिन्दी में ही होंगे ? यदि हां, तो क्या इसकी अनुपालना हो रही है ?

उत्तर

(1) सन् 65 से अब तक समस्त फाइलों पर लिखी समस्त टिप्पणियों की वर्षवार गिनती करना तथा उनका प्रतिशत निकालना सम्भव नहीं है। अनुमान है कि अधिकतर टिप्पणियां हिन्दी में ही लिखी जाती हैं।

(2) भाषा विभाग के निदेशक के लिये हिंदी की कोई विशेष उपाधि या परीक्षा स्तर निर्धारित नहीं है। बहरहाल हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान उसके लिये राज्य सरकार आवश्यक समझती है। 1967 से भाषा विभाग में पूरे समय के निदेशक का कोई पद नहीं है। जुलाई, 1967 में यह पद समाप्त कर दिया गया था। खाली रहने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) अब तक 1144 कर्मचारियों को हिन्दी शीघ्रलिपि में प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें से 203 पहले से शीघ्रलिपि (अंग्रेजी) का कार्य कर रहे थे। प्रशिक्षण के बाद इन सभी से हिन्दी शीघ्रलिपि का कार्य लेने का प्रावधान किया गया। इनका अभ्यास बना रहे इस हेतु यह व्यवस्था है :—

(क) भाषा विभाग से प्रशिक्षित कर्मचारी वरिष्ठ लिपिक शीघ्रलिपिक के रूप में कार्य कर 25/- रुपये प्रति मास विशेष वेतन प्राप्त कर सकते हैं।

इसके आधार पर अनेक कर्मचारियों को ऐसे पदों पर नियुक्त किया गया है और उन्हें इसका लाभ भी मिल रहा है।

(ख) यदि किसी विभाग में शीघ्रलिपिक पद पर इन प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों को नहीं लगाया जा सके तो वर्तमान पद पर रहते हुए ही उनसे थोड़ा हिन्दी का कार्य अवश्य लिया जाय ऐसे निर्देश प्रत्येक विभाग को दिये जाते हैं।

(4) ऐसे कोई विशिष्ट संकल्प जारी नहीं हुए किन्तु शासन की नीति यह है कि इस प्रकार का अधिकाधिक कार्य केवल हिन्दी में ही हो। इसके अनुसार ही कार्यवाही होती है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 8-10-73)

सीकर जिले के औषधालयों में दवाओं का अभाव

32. श्री सांवरमल मोर (श्रीमाधोपुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) सीकर जिले के किन-किन सरकारी औषधालयों को, कितनी-कितनी दवा सरकार की ओर से दिये जाने का प्रावधान है ? जनवरी, 1973 से अगस्त, 1973 तक किस-किस औषधालय को कितने-कितने रुपयों की दवा दी गयी ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) समय पर औषधालयों को दवा व अन्य सामान न देने से चिकित्सक रोगी की क्या व्यवस्था करते हैं तथा दवा नहीं देने का क्या कारण है ? नियमानुसार अब दवा कब तक भेज दी जायेगी तथा विलम्ब करने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जब औषधियों का अभाव होता है तो आस-पास के जंगलों से वनोषधियों का प्रबन्ध किया जाता है। कहीं-कहीं चिकित्सक के परामर्श एवं प्रेरणा से समाज-सेवी औषधियों की व्यवस्था करते हैं। वैद्य रोगियों को आवश्यकतानुसार बाजार से औषधियां क्रय करने का भी परामर्श देते हैं। औषध क्रय वर्तमान प्रणाली में संशोधन राज्य सरकार के विचाराधीन होने तथा व्यापारियों द्वारा आदेशित माल यथा समय सप्लाई नहीं किए जाने के कारण औषध निर्माण एवं वितरण में बाधा उत्पन्न हुई। चूंकि कोई अधिकारी इस विलम्ब के लिये स्पष्टतः दोषी नहीं है अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। औषधियां अगले दो माह में भेजने की व्यवस्था की जा रही है।

सीकर जिले के औषधालयों की सूची मय औषध बजट एवं औषध वितरण

क्रम सं०	स्थान	श्रेणी	वार्षिक औषध बजट	औषध वितरण जनवरी 73 से अगस्त 73 तक
1	2	3	4	5
1.	सीकर	'अ'	10,000	925.00
2.	रानोली	'ब'	3,000	—
3.	दांता	'ब'	3,000	—
4.	मूण्डवाड़ा	'ब'	3,000	1,511.45
5.	फतेहपुर	'ब'	3,000	822.75

Page No 147

1	2	3	4	5
6.	लोहरवाड़ा	'ब'	3,000	—
7.	लोसल	'ब'	3,000	383.50
8.	करड़	'स'	1,500	219.80
9.	सांगलिया	'स'	1,500	287.50
10.	कांकरा	'स'	1,500	332.00
11.	रूपगढ़	'स'	1,500	126.50
12.	धींगपुर	'स'	1,500	273.70
13.	लामियां	'स'	1,500	258.75
14.	बानूडा	'स'	1,500	192.50
15.	चकगोपीनाथपुरा	'स'	1,500	249.70
16.	गोवटी	'स'	1,500	343.20
17.	बाय	'स'	1,500	1318.35
18.	दूदवा	'स'	1,500	—
19.	ढाढण	'स'	1,500	311.55
20.	बेसवा	'स'	1,500	192.00
21.	खोटिया	'स'	1,500	407.30
22.	सूड	'स'	1,500	—
23.	बीजीपुर	'स'	1,500	1502.25
24.	बाटडानाऊ	'स'	1,500	337.70
25.	शेखीसर	'स'	1,500	501.40
26.	दीनारपुरा	'स'	1,500	429.70
27.	मावन्डाखुर्द	'स'	1,500	476.50
28.	गावडी	'स'	1,500	409.00
29.	भूदोली	'स'	1,500	157.00
30.	पीथमपुरी	'स'	1,500	156.00
31.	छाजाकीनांगल	'स'	1,500	227.00
32.	टोडा	'स'	1,500	330.80
33.	गणेश्वर	'स'	1,500	217.80
34.	झालड़ी	'स'	1,500	235.95
35.	हाथीदेह	'स'	1,500	192.00
36.	नृहसिंहपुरी	'स'	1,500	227.55
37.	रायपुरजागीर	'स'	1,500	247.80
38.	दादिया	'स'	1,500	—
39.	आमावास	'स'	1,500	1036.10

Page No 148

1	2	3	4	5
40.	आसपुरा	'स'	1,500	240.00
41.	मऊ	'स'	1,500	254.80
42.	ढाबावाली	'स'	1,500	198.60
43.	लापवा	'स'	1,500	1390.75
44.	समरतपुरा	'स'	1,500	195.70
45.	मलिकपुर	'स'	1,500	195.25
46.	खदुन्दरा	'स'	1,500	193.50
47.	नागवा	'स'	1,500	255.00
48.	बोसाना	'स'	1,500	292.90
49.	कासली	'स'	1,500	300.00
50.	चोलाकावास	'स'	1,500	423.00
51.	सिहोट बडी	'स'	1,500	208 80
52.	सावलोदपुरोहितान	'स'	1,500	351.20
53.	खीखा	'स'	1,500	467.00
54.	चुवास	'स'	1,500	246.70
55.	गलेडी	'स'	1,500	349.05
56.	मूंगलाना	'स'	1,500	238.30
57.	शाहपुरा	'स'	1,500	—
58.	पाटोदा	'स'	1,500	224.00
59.	नछुवा	'स'	1,500	700.10
60.	जाजोद	'स'	1,500	634.60
61.	बढोद	'स'	1,500	409.40
62.	कटराथल	'स'	1,500	—
63.	मजनगढ़ बेरी	'स'	1,500	224.47
64	श्यामगढ़	'स'	1,500	370.50
65.	हर्ष	'स'	1,500	—
66.	रघुनाथगढ़	'स'	1,500	297.75
67.	जीलो	'स'	1,500	156.75
68.	सिगरावट	'स'	1,500	290 80
69.	चीपलाटा	'स'	1,500	—
70.	फतहपुरा	'स'	1,500	—
71.	सामी	'स'	1,500	350.20
72	सिघासन	'स'	1,500	257.50

Page No 149

1	2	3	4	5
73.	लिखाड़िया	'स'	1,500	260.50
74.	मन्डासुरेरा	'स'	1,500	—
75.	हरिदास का वास	'स'	1,500	260.80
76.	मरीथा	'स'	1,500	368.55
77.	रायपुर पाटन	'स'	1,500	—
78.	थालोदा	'स'	1,500	343.15
79.	गोढ़ढ़ा	'स'	1,500	189.00
80.	मदनीमन्डा	'स'	1,500	1479.90
81.	माडन्डाकला	'स'	1,500	361.70

स्थगित प्रश्न

दिनांक 8-10-73

अकलेरा प्राथमिक शाला के भवन मैदान के सामने की भूमि की नीलामी

35. श्री भैरूंलाल (अकलेरा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति मनोहर थाना ने (जिला झालावाड़) 5 वर्ष पूर्व अकलेरा प्राथमिक शाला भवन के मैदान के सामने की भूमि प्लाट बनाकर नीलामी द्वारा बेची एवं खरीददारों से उसकी सम्पूर्ण कीमत समय पर जमा कराई है ?

(2) क्या यह सही है कि तत्कालीन तहसीलदार, अकलेरा की रिपोर्ट पर तत्कालीन जिलाधीश झालावाड़ ने उक्त नीलामी पर स्थगन आदेश कर खरीददारों को अपनी खरीदशुदा भूमि पर भवन निर्माण से वंचित रखा तथा वे अभी तक भी वंचित हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि इतने लम्बे अर्से के उपरान्त भी खरीददारों को अभी तक कोई सन्तोषप्रद आदेश प्राप्त नहीं हुआ है और वे अब भी अपनी रकम एवं भूमि दोनों से वंचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र ही कोई उचित आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) पंचायत समिति मनोहर थाना द्वारा नीलाम शुदा प्लाटों के विक्रय किये जाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान करदी गई है। बाकी प्लाटों को नियमानुसार नीलाम किये जाने की स्वीकृति जिलाधीश झालावाड़ द्वारा ग्राम-पंचायत अकलेरा को प्रदान की जा चुकी है।

Page No 150

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न सं० 131 की सूची)

सूची

जिला	जमीन प्राप्त की (एकड़ों में)	भूमि आवंटित की गई (एकड़ों में)
अजमेर	1716	220
अलवर	98	64
उदयपुर	2324	70
कोटा	23	—
गंगानगर	2240	—
चित्तौड़गढ़	2376	228
चुरू	957	469
जयपुर	4066	1282
जालौर	6367	2700
जैसलमेर	4096	—
जोधपुर	2876	1909
झालावाड़	884	4
झुंझुनूं	—	—
टौंक	1359	—
डूंगरपुर	459	—
नागौर	372	52
पाली	13216	2534
बाड़मेर	31233	7278
बांसवाड़ा	1359	1208
बीकानेर	38049	5931
बून्दी	1060	—
भरतपुर	571	184
भीलवाड़ा	10000	3163
सवाई माधोपुर	1140	87
सिरोही	1921	796
सीकर	49	—
योग	1,28,811	28,179

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न सं० 136 की सूची)

जालौर जिले में किये गये कृषि कार्य हेतु ऋण वितरण की सूचना

क्र०सं०	नाम पंचायत समिति	ऋण वितरण					
		वर्ष 70-71		वर्ष 71-72		वर्ष 72-73	
		संख्या समिति	राशि	संख्या समिति	राशि	संख्या समिति	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
(1)	भीनमाल	7	191450)	5	89900)	2	15550
(2)	आहोर	7	67210)	3	43250)	13	537425)
(3)	जालौर	9	166540)	12	136190)	12	231720)
(4)	सांचोर	10	301940)	4	104500)	—	
(5)	सायला	4	73190)	10	100290)	6	170900)
(6)	जसवंतपुरा	1	16400)	4	47940)	—	
(7)	रानीवाड़ा	—	—	1	37100)	6	121850)

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 137 की सूची)

झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० एवं जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि०, झालावाड़ द्वारा दिए गए विज्ञापन की सूची

(जनवरी, 67 से दिसम्बर, 1972 तक)

दिनांक भुगतान	नाम समाचार पत्र	राशि
झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०—		
4- 1-67	संजय झालरापाटन	7-50
11- 3-67	,, ,,	800-00
27-10-67	,, ,,	67-00
13-12-67	,, ,,	928-00
10- 2-69	,, ,,	250-00
22- 1-69	,, ,,	910-00
22- 1-70	झालावाड़ टाईम्स	50-00
11- 1-70	संजय, झालरापाटन	250-00
20- 3-70	झालावाड़ टाइम्स	100-00
16-10-70	संजय, झालरापाटन	40-00
10-11-70	,, ,,	90-00
23-12-70	,, ,,	40-00
30-12-70	झालावाड़ टाईम्स	20-00
1- 4-71	,, ,,	200-00
10- 2-71	संजय, झालरापाटन	250-00
2- 9-71	झालावाड़ टाईम्स	38-00
12-11-71	संजय, झालरापाटन	20-00
4- 1-72	,, ,,	10-00
14- 2-72	,, ,,	250-00
25- 3-72	,, ,,	750-00
12-12-72	,, ,,	10-00
झालावाड़ भूमि विकास बैंक लि०—		
19- 2-70	झालावाड़ टाईम्स	75-00
4- 3-70	साप्ताहिक संजय, झालरापाटन	62-00
17- 3-70	झालावाड़ टाईम्स, झालावाड़	35-00
28-11-70	,, ,, ,,	25-00
15- 2-71	साप्ताहिक संजय	62-00
		5339-50

परिशिष्ट—8

(अतारांकित प्रश्न सं. 143 की सूची)

STATEMENT SHOWING THE MEDICINES SUPPLIED TO THE C. M. & H. O., JALORE FOR RELIEF WORK.

S.No.	Name	Quantity supplied
1.	Cap. Chloremphenicol.	2000 Caps.
2.	Tab. Aspirine.	25000 Tabs.
3.	Tab. Metacine.	1000 Tabs.
4.	Tab. Novalgin.	2000 Tabs.
5.	Tab. Avil 50mg.	2000 Tabs.
6.	Tab. Vitamin B. Complex.	20000 Tabs.
7.	Tab. Hexa-vitamin.	48000 Tabs.
8.	INJ. G. N. S.	500 Botts.
9.	Cap. Entrostrep.	5000 Caps.
10.	A. P. C. Tab.	24000 Tabs.
11.	Tab. Sulphadimidine.	48000 Tabs.
12.	Tab. Siquil 25mg.	250 Tabs.
13.	Enthrocin Granules.	50 Botts.
14.	Cap. Teracycline.	1000 Caps.
15.	Tab. Sulguinadine.	30000 Tabs.

परिशिष्ट—9

(अतारांकित प्रश्न सं. 147 की सूची)

LIST OF THE ELECTRIFIED LOCALITIES IN TEHSIL BAIRATH, DISTRICT, JAIPUR

S. No.	NAME	DATE OF ELECTRIFICATION
1	2	3
1.	Manoharpura	22 12.66
2.	Amloda	23.2.67
3.	Karawas	28.2.67
4.	Bairath	30.3.70
5.	Shahpura	10.10.65
6.	Amarsar	27.3.69
7.	Ghasipur	31.3.69
8.	Nawalpura	23.7.72
9.	Khujawala	"
10.	Sheosinghpura	31.3.70
11.	Jagatpura	"
12.	Majipura	"
13.	Bidara	30.3.71
14.	Amarpura	"
15.	Jagakhurd	"
16.	Rajpura	"
17.	Devan	"
18.	Surpura	23.7.71
19.	Jawanpura	"
20.	Chimanpura	15.7.71
21.	Khori	"
22.	Nayan	14.7.71
23.	Markhi	"
24.	Hanetia	28.10.71
25.	Kanta	23.10.71

Page No 155

1	2	3
26.	Kareri	15.11.71
27.	Bilanderpura	"
28.	Natawala	10.11.71
29.	Devipura	12.11.71
30.	Saiwad	28.11.71
31.	Raghunathpura	"
32.	Barijori	"
33.	Raipura	31.3.72
34.	Chak Danota	24.4.72
35.	Ranipura	"
36.	Bansri Govindpura	"
37.	Roopura	31.7.72
38.	Danota	"
39.	Sonakasar	"
40.	Kanutpura	26.9.72
41.	Lateka-was	24.11 72
42.	Mantrokalan	28.11.72
43.	Jodhpura	"
44.	Bhabra	31.12.72
45.	Bishangarh	30.12.72
46.	Bagawas Ahiran	30.1.73
47.	Antela	15.1.73
48.	Jaje Kalan	"
49.	Mamtori Khurd	19.1.73
50.	Kishanpura	31.1 73
51.	Jaisinghpura	"
52.	Mehar Khurd	65-66
53.	Bhagawas	15.3.72
54.	Dholi	March, 65

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 21 की सूची)

क्रम संख्या	नाम पंचायत समिति	न्याय पंचायत का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	अवधि जिससे रिक्त है
1	चूरू	1-दूधवाखारा	1 (अध्यक्ष)	19- 6-65
		2-घांधू	1 (अध्यक्ष)	21- 6 65
2.	राजगढ़	1-सिधमुख	2 (सदस्य)	16- 2-67
		2-ददरेवा	1 (अध्यक्ष)	16- 2-67
3.	श्री डूंगरगढ़	1-सूडसर	2 (सदस्य)	25 -6-66 व 25 -9-69
		2-बिग्गा	5 (सदस्य)	14 -9-65 एक 17- 1-67 दो 17- 1-69 दो
		3-बापेऊ	2 (सदस्य)	वर्ष 1968
4.	सुजानगढ़	1-सान्डवा	2 (सदस्य)	1- 1-66 एक 16-11-67 एक
		2-जिली	1 (सदस्य)	1- 6-71
5.	तारानगर	1-बुचावास	1 (सदस्य)	17- 1-67
		2-साहूबा	1 (सदस्य)	20- 9-66
6.	सरदारशहर	1-शिमला	1 (अध्यक्ष)	11- 2-65
			1 (सदस्य)	16- 4-66
		2-बन्धनाऊ	1 (सदस्य)	21- 2-66
7.	रतनगढ़	1-गोगासर	1 (अध्यक्ष)	2- 6-65
		2-रतनसरा	1 (सदस्य)	4- 7-67
		3-लोहा	1 (सदस्य)	29- 1-70

शुद्धि पत्र

(बुधवार, दिनांक 7 नवम्बर, 1973)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
6	नीचे से 10	दखर्वास्तें	दरख्वास्तें
7	ऊपर से 5	जयकिसन	जयकिशन
9	ऊपर से 12	9	9 हजार
9	नीचे से 4	के	की
14	ऊपर से 1	सरकार	सरकार द्वारा
19	ऊपर से 4	तोसावाडा	(तोसावड़ा)
21	नीचे से 18	पार्ल्यमेंट	पार्लियामेंट
27	ऊपर से 3	नहीं	नहीं
27	ऊपर से 9	एम्पल्यमेंट	एम्पलायमेंट
28	ऊपर से 6	चाहिये	चाहिये
29	ऊपर से 13	कृत	कृत कब्जा
30	ऊपर से 14	जमीन	जमीन पर
47	ऊपर से 7	कृपयां	कृपया सूची
53	नीचे से 14	तड़सील	तहसील
66	ऊपर से 10	जमवारामढ	जमवारामगढ़
95	ऊपर से 1	श्री अध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
98	नीचे से 2	डिपजेर्स	डिसपजेस
99	ऊपर से 5	जाने	खाने

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
114	ऊपर से 5	स्लोग्रस	स्लोगन्स
114	ऊपर से 5	रही है।	दे रही है।
117	नीचे से 14	मह	हम
120	ऊपर से 11	बम्पर	बफर
128	नीचे से 16	समय	समय से
143	नीचे से 14	षैस	वैसे
164	ऊपर से 4	के	के लिये
166	ऊपर से 11	फतहेपुर	फतेहपुर
166	नीचे से 8	बारे	बारे में
173	नीचे से 12	शुगर	सरकार ने शुगर
173	नीचे से 10	तीस	बीस
191	ऊपर से 17	सभपति	सभापति
199	नीचे से 14	जापको	आपको
200	नीचे से 16	क्यों बोले	क्यों नहीं बोलें
201	ऊपर से 1	श्री मानुकुमार शास्त्री	श्री उपाध्यक्ष
202	ऊपर से 9	बाजार	——
216	ऊपर से 9	गमानमल	गुमानमल
229	शीर्ष	नदम्बर	नवम्बर
262	नीचे से 10	की	——

———